ISSN- 975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

अर्द्धवार्षिक, द्विभाषी (अंग्रेजी/हिन्दी)

पंजीकृत रिव्यूड/रेफर्ड रिसर्च जरनल

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138, Journal No.48774,
Impact Factor 2.996

Indexed & Listed at: Ulrich's International Periodicals Directory ©,
ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक-XVII-I　　वर्ष-09　　हिन्दी संस्करण　　सितम्बर, 2017

प्रमुख सम्पादक

प्रोफेसर ब्रजगोपाल

प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित

ऑनरेरी सम्पादक

डॉ. एस. अखिलेश

प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित

डॉ. संध्या शुक्ल

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीतिविज्ञान
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा

सम्पादक

डॉ. गायत्री शुक्ल

संयुक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

की मुख्य शोध पत्रिका

म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

www.researchjournal.in

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	**व्यक्तिगत सदस्यता**	**संस्थागत सदस्यता**
पांच वर्ष	**2000.00**	**2500.00**
आजीवन (15 वर्ष)	**4500.00**	**5500.00**

सदस्यता शुल्क बैंक ड्राफ्ट गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा के नाम से बनवाया जाकर सम्पादक प्रोफेसर ब्रजगोपाल शुक्ल, 41/42 रघुवंश सदन, बिछिया, रीवा– 486001 (म.प्र.) के पते पर भेजा जाय। राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच–रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667) के खाता क्रमांक 30016445112 में भी जमा की जा सकती है। नगद जमा की स्थिति में 50 रु. अतिरिक्त बैंक चार्ज जोड़ा जाय।

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. रामलला शुक्ल, रीवा
2. डॉ. राजेश मिश्रा, लखनऊ
3. डॉ. सी.डी. सिंह, रीवा
4. डॉ. रामशंकर, जबलपुर
5. डॉ. प्रियंकर उपाध्याय, वाराणसी
6. डॉ. अरविन्द जोशी, वाराणसी
7. डॉ. दीपक पाचपोर, रायपुर
8. डॉ. दिवाकर शर्मा, सागर
9. डॉ. शैलजा दुबे, भोपाल
10. डॉ. डी. एस. राजपूत, सागर
11. डॉ. प्रहलाद मिश्रा, जबलपुर
12. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, रीवा
13. डॉ. एन.पी. पाठक, रीवा
14. डॉ. आनन्द कुमार, नई दिल्ली
15. डॉ. जी. के शर्मा, उज्जैन
16. डॉ. बी.पी. बडोला, धर्मशाला
17. डॉ. सुनीता द्विवेदी, नईदिल्ली
18. डॉ. ज्योति उपाध्याय, उज्जैन
19. प्रो. अंजली बहुगुणा, श्रीनगर
20. डॉ. के.के. शर्मा, रीवा
21. डॉ. आर.एन. शर्मा, रीवा
22. डॉ. सी.एम. शुक्ला, छतरपुर
23. डॉ. अलका श्रीवास्तव, रायपुर
24. डॉ. सीमा श्रीवास्तव, बालाघाट
25. डॉ. आरती झा, शहडोल
26. डॉ. पवन दुबे, कासगंज
27. प्रो. प्रमिला श्रीवास्तव, कोटा
27. डॉ. प्रमिला पूनिया, जयपुर

संपादकीय कार्यालय- **41/42, रघुवंश सदन, शांति कुंज, बिछिया रीवा- 486001**
मो.- 7974781746
E-mail - gresearchjournal@rediffmail.com
researchjournal.journal@gmail.com

प्रकाशक- **गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा- 486001 (म.प्र.)**
E-mail - gayatripublicationsrewa@rediffmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र) रहेगा।

अनुक्रमणिका

1.	*पारिवारिक हिन्सा के उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण (रीवा नगर के विशेष सन्दर्भ में)* **अखिलेश शुक्ल**	05
2.	*बाल श्रम : वर्तमान परिदृश्यों का समाजकार्य अध्ययन (झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला के संदर्भ में-प्रस्तुत शोध संक्षेप)* **कृष्णा कुमार तिवारी** **अचला शर्मा**	18
3.	*अनुसूचित जनजातियों के आवासीय प्रतिरूप* **वंदना मिश्रा**	24
4.	*समाजशास्त्र के विकास में सामाजिक कारकों का प्रभाव* **विजय कुमार**	34
5.	*नमामि देवि नर्मदे यात्रा का पर्यटन पर प्रभाव* **संतोष कुमार अर्जुनवार**	41
6.	*स्मार्ट सिटी की चुनौतियाँ (जांजगीर शहर के संदर्भ में)* **मंजुलता कश्यप**	45
7.	*महिला सशक्तिकरण : उत्थान हेतु प्रयास* **मोनिका जोशी**	51
8.	*ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका* **उमेश कुमार चर्मकार** **सन्ध्या शुक्ला**	55
9.	*राजस्थान में दलित राजनीतिक चेतना* **पपलीराम** **नरेन्द्र सीमतवाल, अजय कुमार शर्मा**	59
10.	*भारतीय राजनीति मे प्रधानमंत्री के रूप मे नरेन्द्र मोदी* **प्रीति पाण्डेय** **रामसिया चर्मकार**	68

11. *नवीन पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण* 75
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण
रेणू मित्तल

12. *सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का कृषि उत्पादन व ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव का अध्ययन* 90
(छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा व बिलासपुर जिलों के विशेष संदर्भ में)
एस. किस्पोट्टा
ज्ञान सिंह

13. *दर्शन और शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध* 103
नीलम श्रीवास्वत

14. *ख़्याल गायिकायें : अतीत के झरोंखे से अब तक...* 108
स्नेहलता शर्मा

15. *विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व* 110
प्रदीप मिश्रा

16. *मध्ययुगीन कवि कबीर के काव्य में सामाजिक वर्जनायें* 117
गरिमा सिंह कुशवाह

17. *प्रेमचंद के साहित्य में गांधीवाद का प्रचार* 124
अर्चना प्रजापति

18. *छिंदवाड़ा शिवपुरी सीहोर और मुरैना जिले मे बुंदेली का स्वरूप* 133
अमित शुक्ल

19. *समकालीन हिन्दी महिला उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा* 138
सोनिया राठी

20. *आधुनिक हिन्दी काव्य में वृक्षारोपण एवं वनीकरण का चित्रण* 144
पूनम शर्मा

21. *'एक जमीन अपनी' में स्त्री के अस्तित्व और अस्मिता का संघर्ष* 147
प्रजापति जयेश. एन

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

पारिवारिक हिन्सा के उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण (रीवा नगर के विशेष सन्दर्भ में)

* अखिलेश शुक्ल

सारांश- *सामान्य रूप में घरेलू (पारिवारिक) हिन्सा का तात्पर्य घर गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न है। विगत कुछ दशकों में पारिवारिक हिन्सा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू हिन्सा की समस्या समाजशास्त्रियों, नीति-निर्धारकों, शिक्षाविद्वों एवं समाज सुधारकों के लिये एक गहन चिन्ता का विषय है।*

मुख्य शब्द – घरेलू हिन्सा, परिवार, पुरूष, मानसिकता

अवधारणात्मक विश्लेषण– घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई हैं। इसे व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि कोई महिला आवाज मुखर करती है तो इसका तात्पर्य होता है अपने समाज और परिवार में आमूलचूल परिवर्तन की बात करना। प्राय: देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। परिवार तथा समाज के संबंधों में व्याप्त इर्ष्या द्वेष, अहंकार, अपमान तथा विद्रोह घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं। परिवार में हिंसा की शिकार सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि वृद्ध और बच्चे भी बन जाते हैं। प्रकृति ने महिला और पुरूष की शारीरिक संरचनाएं जिस तरह की हैं उनमें महिला हमेशा नाजुक और कमजोर रही है, वहीं हमारे देश में यह माना जाता रहा है कि पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद ही मिल जाता है। इसी तारतम्य में वर्ष 2006 में भारत में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बच्चों अथवा वृद्धों को कुछ राहत जरूर मिल गयी है।

सामान्य रूप में घरेलू (पारिवारिक) हिन्सा का तात्पर्य घर गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न है। विगत कुछ दशकों में पारिवारिक हिन्सा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू हिन्सा की समस्या समाजशास्त्रियों नीति-निर्धारकों, शिक्षाविद्वों एवं समाज सुधारकों के लिये एक गहन चिन्ता का विषय है। परिवार के भीतर उत्पीड़न या हिन्सा किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है किन्तु अपराधशास्त्र में घरेलू हिन्सा का सम्बन्ध मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध या हिन्सा से लिया जाता है। विवाह के पश्चात महिला ही अन्य परिवार से पत्नी के रूप में एक नये परिवार में प्रवेश करती है। इस नये परिवेश में कभी-कभी असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह असामंजस्य वैचारिक मतभेद या विवाह के समय हुये आर्थिक लेन-देन के संदर्भ में होते हैं। कभी-कभी पारिवारिक हिन्सा का मुख्य कारण दहेज होता है। घरेलू हिन्सा की

★ सह प्राध्यापक, समाज शास्त्र विभाग, शा0 (स्वशासी) ठा0र0सिंह महाविद्यालय (उत्कृष्टता केन्द्र), रीवा (म0प्र0)

समस्या एक सार्वभौमिक समस्या है। यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि इतिहास के सभी युगों में ऐसी घटनायें घटित होती रही हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अन्तर यह है कि विगत दशकों में महिलाओं के प्रति होने वाली पारिवारिक हिन्सा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। घरेलू हिन्सा में मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियाँ एवं बहुयें प्रताड़ित होती हैं। ऐसी महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली हिन्सा को ही घरेलू हिन्सा कहते हैं। पारिवारिक हिन्सा मुख्य रूप से माता-पिता, सास-श्वसुर, देवर-ननद, जेठ-जेठानी एवं निकट सम्बन्धियों द्वारा ही की जाती है। ऐसी हिन्सा का स्वरूप गोपनीय होता है और जब तक स्थिति गंभीर नहीं होती, दूसरे लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती है। पीड़ित महिला यदि घरेलू हिन्सा के बारे में किसी से कोई शिकायत भी करती है, तो उसे भाग्य के सहारे चुपचाप रहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी भी प्रायः इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी घटनाओं को पति-पत्नी या परिवार का निजी मसला माना जाता है। पुलिस के समक्ष भी घरेलू हिन्सा की रिपोर्ट बहुत कम की जाती है क्योंकि पीड़ित महिलायें यह चाहती हैं कि उनके भाई-पिता या नजदीकी रिश्तेदार उसका यौन-उत्पीड़न बन्द कर दें, मगर उन्हें कठोर सजा न दी जाय। समाजशास्त्रियों ने विधिक दृष्टि से घरेलू हिन्सा का अर्थ दो तरह से स्पष्ट किया है। प्रथम, संकुचित अर्थ में हिन्सा का तात्पर्य स्ट्रास के शब्दों में, ''किसी को नुकसान या चोट पहुँचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिन्सा है, चाहे उसे वास्तव में चोट न पहुँचाई गई हो।'' इस तरह संकुचित अर्थ में हिन्सा का तात्पर्य किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, चोट पहुँचाना या शारीरिक रूप से घायल करना है। व्यापक अर्थ में मेगार्गी ने हिन्सा को परिभाषित करते हुये लिखा है कि, ''कोई भी ऐसा कार्य जो जानबूझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को आघात पहुँचा हो अथवा उसके सम्मान को ठेस लगी हो, उसे हम हिन्सा कहते हैं।'' इस तरह व्यापक अर्थ में हिन्सा कोई भी वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निन्दा की जाती है। ऐसी हिन्सा के अर्न्तगत वह भी आता है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से आघात पहुँचाता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिये बाध्य करता हो जिसमें किसी सामाजिक प्रतिमान या मूल्य का उल्लंघन होता हो।

घरेलू हिंसा की परिभाषा

पुलिस का दृष्टिकोण– महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट प्रमुख हैं।

राज्य महिला आयोग का दृष्टिकोण– कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड्ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसे घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है।

आधारशिला (एन.जी.ओ.) के अनुसार– परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।

महिलाओं के सम्बन्ध में पारिवारिक हिन्सा को परिभाषित करते हुये युनाइटेड

नेशन्स कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमन के रिपोर्ट में कहा गया है कि, ''पारिवारिक हिन्सा के अर्न्तगत दुर्व्यवहार और हिन्सा की वह सभी घटनायें आती हैं जो नारी के अस्मिता को हताहत करती हैं। सामाजिक दृष्टि से इन्हें सामाजिक नियमों का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनायें देना, उसके साथ मारपीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को ठेस पहुँचाना, भूखा-प्यासा रखकर या जहर देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना नारी के प्रति गंभीर अपराध हैं। नारी के प्रति परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक और मानसिक आघात पहुँचाता है, पारिवारिक हिन्सा है।

इस तरह कह सकते हैं कि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल प्रयोग करके परिवार के किसी सदस्य को आघात पहुँचाना या किसी धमकी, प्रलोभन या ब्लैकमेल द्वारा ऐसे व्यवहार के लिये मजबूर करना जो वह अपनी स्वेच्छा से न करना चाहता हो पारिवारिक हिन्सा है। महिलाओं की अधिकारों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975-85) के दौरान एक पृथक पहचान मिली है। सन् 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया था। विश्व के अधिकांश देशों में पुरूष प्रधान समाज है। पुरूष प्रधान समाज में सत्ता पुरूषों के हाथ में रहने के कारण सदैव ही पुरूषों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया है। यही कारण है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपराध, कम महत्व देने तथा उनका शोषण करने की भावना बलवती रही है। ईरान, अफगानिस्तान की तरह अमेरिका जैसे विकासशील देश में भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली व उन्नत राष्ट्र होने के बावजूद अमेरिका में अनेक क्षेत्रें में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दिल्ली स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं।

भारत में घरेलू (पारिवारिक) हिन्सा के प्रकार (स्वरूप)

भारत में घरेलू (पारिवारिक) हिन्सा के जो विभिन्न रूप सामने आये हैं, उनमें बलात्कार, दहेज हत्यायें, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, बालकों के प्रति हिन्सा, भ्रूण हत्या, विधवाओं के विरूद्ध हिन्सा आदि प्रमुख हैं। पारिवारिक हिन्सा से पीड़ित महिलायें असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं। ऐसी महिलायें दबावपूर्ण परिस्थितियों में रहती हैं, सामाजिक परिपक्वता की उनमें कमी होती है जिसके कारण उन्हें व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं के पति और ससुराल वाले विकृत व्यक्तित्व के लोग होते हैं तथा मदिरा या अन्य व्यसनों के आदी होते हैं। पारिवारिक हिन्सा के अपराधी व्यक्ति हीन भावना के शिकार होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं और उनमें आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है। ऐसे लोग एक तरह से मनोरोगी होते हैं, जिनके पास संसाधनों, योग्यता और प्रतिभा का अभाव होता है। ऐसे लोगों की प्रकृति असामान्य होती है। शक करना उनकी आदत होती है। पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का वे सामना करते रहते हैं। डॉ. राम आहूजा ने यह निष्कर्ष अपने अध्ययन में दिये हैं। ऐसे व्यक्ति बचपन में हिन्सा के शिकार हो चुके होते हैं और बहुधा मदिरापान या अन्य व्यसन

के आदी होते हैं।

अध्ययन क्षेत्र–

रीवा जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और 240 16' 30'' तथा 250 11' 15'' उत्तर अक्षांश की समान्तर रेखाओं और 810 3' 15'' तथा 820 18' 45'' पूर्व देशांश की मध्यान्ह रेखाओं के बीच स्थित है। रीवा जिले की उत्तरी सीमा पर उत्तर प्रदेश के बांदा तथा इलाहाबाद जिले तथा उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी सीमाओं पर मिर्जापुर जिला है। इसके दक्षिण में सीधी जिला स्थित है। इसके दक्षिण-पश्चिम तथा पश्चिमी सीमा से सतना जिला लगा हुआ है।

अध्ययन पद्धति–

इस अध्ययन की मुख्य इकाईयाँ रीवा नगर में कार्यरत महिलाये, घरेलू महिलाये एवं श्रमिक महिलायें रही है। इस शोध पत्र हेतु 100 महिला उत्तरदाताओं का चयन सविचार निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया है। साक्षात्कार के लिये अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उददेश्य– इस शोध पत्र में अध्ययन के उददेश्य निम्नलिखित है -

1. पारिवारिक हिन्सा की अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. पारिवारिक हिन्सा के उत्तरदायी कारको का पता लगाना।

अध्ययन की सीमाये–

इस शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र रीवा नगर है। शोधार्थी द्वारा एक समय सीमा के अन्दर यह शोध कार्य पूर्ण किया गया है। इस शोध कार्य में पारिवारिक हिन्सा के उत्तरदायी कारकों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण (रीवा नगर के विशेष सन्दर्भ में) समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का यथासंभव पूर्ण निष्पक्ष ढंग से प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में शोधकर्त्ता के समक्ष अनेक समस्यायें एवं कठिनाईयाँ सामने आयी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं -

1. अध्ययन विषय अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक है,
2. पारिवारिक हिन्सा के उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करना अत्त्यंत कठिक कार्य है।
3. कार्यरत महिलाये, घरेलू महिलाये एवं श्रमिक महिलाओं के वर्गो से साक्षात्कार आयोजित करना भी कठिन कार्य सिद्ध हुआ है।

प्रदत्तों का संग्रहण, सारणीयन एवं विश्लेषण–

पारिवारिक हिन्सा के प्रमुख कारणों के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र से तथ्य एकत्रित किये गये। एकत्रित तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण यहा प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) **परिवार में स्त्री की भूमिका गौण होना–** सातवीं शताब्दी के पहले या उसके बहुत बाद तक स्त्री की भूमिका परिवार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। प्राचीन आर्य समाज में इन्हें सामान्यतया ''जनि'' कहा जाता है। जिसका अर्थ था जन्म देने वाली। आगे चलकर उसे जननी कहा गया। क्योंकि स्त्री ही वह इकाई थी जिसे अपने कुल या वंश का पता था और उसी ने परिवार को अधिक सुसंगठित और सुसंगत बनाया। कालान्तर में स्त्री को हाशिए पर धकेलने के प्रयास हुए, क्योंकि पुरूष सम्पत्ति और विरासत पर अधिकार रखने लगे। इस तरह परिवार के अन्दर नारी की तुलना में पुरूष की हैसियत बढ़ती गई।

उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

परिवार में स्त्री की भूमिका क्या गौण है?

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	परिवार में स्त्री की भूमिका क्या गौण है।		
			हाँ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	12	08	–
02	घरेलू महिलायें	60	42	14	04
03	श्रमिक महिलायें	20	16	03	01
योग		100	70	25	05

70 प्रतिशत उत्तरदाता महिला यह स्वीकार करती है कि परिवार में स्त्री की भूमिका गौण है जब 25 प्रतिशत महिला इस तथ्य से इन्कार करती है। 05 प्रतिशत महिलाओं ने इस तथ्य के सम्बन्ध में यह कहा कि हमे पता नही है।

(2) **पुरूष प्रधान समाज**– भारत में ग्रामीण ही नहीं वरन् नगरीय समाज में परिवार का मुखिया आमतौर पर पुरूष ही होता है। परिवार की शक्ति और सत्ता उसके हाथ में रहती है। अशिक्षित परिवारों में पुरूष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरूषत्व को स्थापित करने एवं साबित करने के लिये महिलाओं पर अत्याचार करता है, जिससे घरेलू हिन्सा होती है। न्यायमूर्ति डॉ. वेनूगोपाल ने एक सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुये कुछ तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि आज भी परिवारों में नारियां पुरूषों के अधीन हैं। पति को बताये बिना कहीं बाहर चले जाने पर, बच्चों और घरवालों की देखभाल न करने पर, सास-ससुर, देवर या ननद का सम्मान न करने पर, उनकी मांग तथा स्वाद के अनुसार भोजन न बनाने पर, पति के यह समझने पर कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है और विवाह के समय वांछित पैसा और वस्तुयें न लाने पर 60 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है, उनके साथ मारपीट की जाती है। 68 प्रतिशत महिलाओं को बाजार जाने हेतु, 76 प्रतिशत महिलाओं को अपनी सहेलियों अथवा रिश्तेदारों से मिलने हेतु अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है। महिलाओं को अपने खर्चे का विवरण भी अपने पति को देना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं की आय पर भी उसके पति का नियन्त्रण रहता है। शोधकर्ता ने अपने एक अध्ययन में यह पाया है कि निम्न आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग की 30 प्रतिशत महिलओं ने यह स्वीकार किया है कि दिन भर के परिश्रम से कमाई गई उनकी आय का 40 प्रतिशत उनके पति उनसे छुड़ा लेते हैं और शराब, जुँआ आदि व्यसनों पर खर्च कर देते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि आज भी भारतीय समाज में पुरूषों का आधिपत्य होने के कारण महिलाओं को पारिवारिक हिन्सा का शिकार बनना पड़ता है। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुरूष प्रधान समाज की भूमिका

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	पुरूष प्रधान समाज की भूमिका		
			हाँ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	12	07	01
02	घरेलू महिलायें	60	52	07	01
03	श्रमिक महिलायें	20	16	02	02
योग		100	80	16	04

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है-

1. 80 प्रतिशत महिला अभी भी यह स्वीकार करती है कि परिवार में पुरूष प्रधान समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. 16 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है कि समाज में परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के कारण समाज में पुरूषो की भूमिका प्रभावित हुयी है।
3. 04 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(3) **साक्षरता दर की कमी**– वैदिक काल में महिलाएं वेद की ऋचाएं लिखने में समर्थ थीं। दूसरे शब्दों में शिक्षा–दीक्षा में वे पुरूषों के समान थीं। इसीलिए उस काल में स्त्रियों का समाज में प्राथमिक स्थान था। मध्यकाल से प्रारम्भ हुए ह्वास ने महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को निम्नतर बना दिया है। स्वतंत्रेत्तर काल में भारत में महिला साक्षरता की दिशा में उठाए गए कदमों के बावजूद महिला साक्षरता दर में पर्याप्त कमी है। पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है। आज भी ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक शिक्षा के ऊपर लड़कियों को शिक्षा दिलाना पसन्द नहीं किया जाता है। माध्यमिक या उच्च्व शिक्षा दिलाने की जगह उनका विवाह कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी लड़कियां परिवार में जीवन भर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पुरूषों पर आश्रित रहती हैं। नगरीय समाज के श्रमिक वर्ग में जहां महिलायें आजीविका उपार्जित करने में पुरूषों के बराबर ही श्रम करती है, वहां भी अशिक्षा के कारण वे अपने पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखी जाती हैं। इस प्रकार अशिक्षा के कारण महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पा रही हैं और परिवार में हो रहे उत्पीड़न को झेल रही हैं। महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। इसी तरह जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में भी महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

साक्षरता दर की कमी

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	साक्षरता दर की कमी		
			हाँ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	20	–	–
02	घरेलू महिलायें	60	56	02	02
03	श्रमिक महिलायें	20	18	01	01
योग		100	94	03	03

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है –

1. 94 प्रतिशत महिला अभी भी यह स्वीकार करती है कि महिलाओं में साक्षरता कम होने से वे पारिवारिक हिन्सा की शिकार होती है।
2. 03 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है कि समाज में परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के कारण समाज में साक्षरता दर बढ़ी है और इस कारण पारिवारिक हिन्सा कम हुयी है।
3. 03 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(4) **दुराग्रह पूर्ण सामाजिक मान्यताएं**– पारिवारिक हिन्सा का एक महत्वपूर्ण कारण भारतीय समाज में महिलाओं को हीन और अबला मानने की दुराग्रहपूर्ण मान्यता है। मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा बन्द कर दी गई और पर्दा प्रथा ने नारी की स्थिति को दयनीय बना दिया। कालान्तर में समाज ने अपने इन अन्यायपूर्ण कृत्यों को धार्मिक जामा पहना दिया। बाल-विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध इनके उदाहरण हैं। ऐसी दुराग्रहपूर्ण कुप्रथायें पुरूषों को स्त्रियों के साथ मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने की छूट प्रदान करती हैं। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

दुराग्रह पूर्ण सामाजिक मान्यताएं

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	दुराग्रह पूर्ण सामाजिक मान्यताए		
			हॉ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	17	03	–
02	घरेलू महिलायें	60	52	06	02
03	श्रमिक महिलायें	20	11	06	03
योग		100	80	15	05

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है –

1. 80 प्रतिशत महिला अभी भी यह स्वीकार करती है की पारिवारिक हिन्सा के लिए दुराग्रह पूर्ण सामाजिक मान्यताएं जिम्मेदार है।
2. 15 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है कि पारिवारिक हिन्सा के लिए दुराग्रह पूर्ण सामाजिक मान्यताएं जिम्मेदार नही है।
3. 05 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(5) **स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता**– भारतीय समाज में आज भी महिलायें आर्थिक रूप से पुरूषों पर आश्रित हैं। पत्नी पति पर पूरी तरह से आश्रित रहती है इसलिये पत्नी को पति की हर जायज और नाजायज बात माननी पड़ती है। नाजायत बात न मानने की स्थिति में पत्नी को हिन्सा का शिकार बनना पड़ता है। आर्थिक निर्भरता के कारण उसे सदैव यह भय रहता है कि यदि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया तो उसके जीवन-यापन का कोई सहारा नहीं रहेगा इसलिये वह पारिवारिक उत्पीड़न को सहती रहती है। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता		
			हॉ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	16	03	01
02	घरेलू महिलायें	60	48	11	01
03	श्रमिक महिलायें	20	14	05	01
योग		100	78	19	03

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है –

1. 78 प्रतिशत महिला अभी भी यह स्वीकार करती है की अभी भी स्त्रियॉ आर्थिक

रूप से पुरूषो के ऊपर निर्भर है। इसी कारण पारिवारिक हिन्सा ज्यादा होती है।

2. 19 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है कि पारिवारिक हिन्सा के लिए आर्थिक रूप से आश्रित होना जिम्मेदार नही है।

3. 03 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(6) **धार्मिक व्यवस्थाएं**– भारत में सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं को धार्मिक बन्धनों से जकड़ दिया गया है। पारिवारिक हिन्सा सामाजिक बुराइयों की देन है। नारी को बचपन में पिता के अधीन, युवाकाल में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन बना दिया गया। पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को अधिक महत्व किन्तु पुत्री को जन्म देने वाली माता को प्रताड़ना इन्हीं धार्मिक मान्यताओं का परिणाम है। सती प्रथा जैसी घृणित व्यवस्था धर्मयुक्त मानी गई है। देवदासी प्रथा भी ऐसी ही प्रथा है जिसने समाज में अनेक विकृतियां उत्पन्न की हैं। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

धार्मिक व्यवस्थाएं

क्र.	**उत्तरदाता महिलायें**	**उत्तरदाता महिलाओं की संख्या**	**धार्मिक व्यवस्थाएं**		
			हॉं	**नही**	**पता नही**
01	कार्यरत महिलायें	20	05	14	01
02	घरेलू महिलायें	60	32	20	08
03	श्रमिक महिलायें	20	14	05	01
योग		100	51	39	10

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है –

1. 51 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की समाज में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है। इस कारण धार्मिक व्यवस्थाएं अब पारिवारिक हिन्सा के लिए कम जिम्मेदार है।

2. 39 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है कि पारिवारिक हिन्सा के लिए धार्मिक व्यवस्थाएं जिम्मेदार नही है।

3. 10 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(7) **महिलाओं को भोग्या मानने की परम्परा**– भारतीय समाज में बहुपत्नी विवाह यौन शोषण की कुप्रथा का परिचायक रहा है। प्राचीनकाल में भोग-विलास की वस्तुओं के साथ सजी-धजी स्त्रियां भी दान दी जाती थीं। इन परिपाटियों ने समाज में नारी को भोग-विलास की वस्तु माने की शुरूआत की। आज भी महिलाओं को ''भोग्या'' मानने की परम्परागत दुराग्रहपूर्ण मान्यता विद्यमान है। हमारे समाज में आज अश्लील हिन्दी फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों, पत्र-पत्रिकाओं और कामोत्तेजक साहित्य का जाल पसरता जा रहा है। इनके माध्यम से सैक्स, नग्नता और अवैध संबंधों को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा रोज-ब-रोज होने वाले फैशन शोज, सौंदर्य प्रतियोगिता तथा मनोरंजन के नाम पर कराए जाने वाले अश्लील एवं भौंडे आयोजनों से भी समाज में अश्लीलता और नग्नता बढ़ी है। इसके अलावा महिलाओं को सेक्स की पूर्ति की वस्तु मात्र मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे में विकृत और कमजोर मानसिकता वाले लोगों के लिए अपनी बहन-बेटियों को अपनी कामवासना की पूर्ति का साधन मानना कोई आश्चर्य नहीं है। आधुनिक समाज में नारी की कमनीय काया को विज्ञापनों में जिस तरीके से

उपयोग किया जा रहा है उससे यही लगता है कि किसी भी वस्तु का विज्ञापन नारी के बिना हो ही नहीं सकता। विज्ञापनों को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि आज नारी देह और विज्ञापन एक-दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। विज्ञापन चाहे साबुन का हो, सिगरेट का या टेलीविजन का, सब जगह नारी है सब उसकी कोमल कमनीय देह है। विज्ञापन में दिखाए जा रहे इन दृश्यों का कुप्रभाव समाज पर पड़ रहा है। विज्ञापनदाता विज्ञापन के लिए यह तर्क देते हैं कि नारी देह से विज्ञापन आकर्षक बन जाता है किन्तु वास्तविकता यह है कि विज्ञापनदाता वस्तु की गुणवत्ता की ओर कम ध्यान देकर स्त्री की अधिकाधिक खुली देह दिखाकर शालीनता की सारी सीमाएं लांघते जा रहे हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 से 294 में अश्लील विज्ञापन विरोधी प्रावधान रखे गए हैं लेकिन इनसे न तो विज्ञापन ही सेंसर हुए और न ही नारी देह की प्रदर्शनी रूकी है। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

महिलाओं को भोग्या मानने की परम्परा

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	महिलाओं को भोग्या मानने की परम्पर		
			हॉ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	16	03	01
02	घरेलू महिलायें	60	48	10	02
03	श्रमिक महिलायें	20	16	03	01
योग		100	80	16	04

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है -

1. 80 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की समाज में बडी तेजी से परिवर्तन हुआ किन्तु अभी भी महिलाओं को भोग्या मानने की परम्परा समाज में विद्यमान है।
2. 16 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है कि महिलाओं को पढे - लिखे समाज में भोग्या नही माना जाता है।
3. 04 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(8) **बढ़ती आर्थिक विषमता**– एक तरफ समाज में कुछ लोगों के पास अकूत धन दौलत आ गई है, दूसरी तरफ बहुसंख्यक जनता भयानक गरीबी और अभाव में जीवन बसर कर रही है। इस तरह की आर्थिक विषमता गरीबी से जूझ रहे लोगों के मन में असंतोष और कुंठा पैदा करती है जिसके कारण लोग घोर हताशा और निराशा में सीमाओं को लांघ जाते हैं। परिवार में बाल बलात्कार के ज्यादातर मामलों के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों तथा पुर्नवास एवं निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों की कालोनियों में होने का यही कारण है। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

बढ़ती आर्थिक विषमता

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	बढ़ती आर्थिक विषमता		
			हॉ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	08	07	05
02	घरेलू महिलायें	60	42	16	02
03	श्रमिक महिलायें	20	09	06	05
योग		100	59	29	12

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है -

1. 59 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की आर्थिक विषमता पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक है।
2. 29 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की आर्थिक विषमता पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक नही है।
3. 12 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(9) **आनुवांशिक कारण**- कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है पारिवारिक हिन्सा खास कर अपनी नाबालिग बहन-बेटियों के साथ बलात्कार या यौन अपराध करने वाले मानसिक विकृति से ग्रस्त होते हैं। इस विकृति को ''बिहेवियल डिस्आर्डर'' कहा जाता है। यह विकृति गुण सूत्र वाहक 'क्रोमोजोम' में गड़बड़ी होने के कारण उत्पन्न होती है। इस धारणा का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि समाज में हमेशा से ही पारिवारिक दायरे में बाल-बलात्कार की घटनाएं होती रही हैं और भविष्य में होती रहेंगी। पहले ऐसी घटनाएं प्रकश में नहीं आ पाती थीं लेकिन अब जागरूकता तथा संचार माध्यमों के अधिक सक्रिय होने के कारण ऐसी घटनाएं पहले की तुलना में अधिक प्रकाश में आ रही हैं। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

आनुवांशिक कारण

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	आनुवांशिक कारण		
			हॉं	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	06	12	02
02	घरेलू महिलायें	60	16	40	04
03	श्रमिक महिलायें	20	04	06	10
योग		100	26	58	16

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है -

1. 26 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की आनुवांशिक कारण पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक है।
2. 58 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की आनुवांशिक कारण पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक नही है।
3. 16 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(10) **वैवाहिक जीवन में बढ़ता तनाव**- आज तेजी से बदल रही आर्थिक और सामाजिक स्थितियों तथा हमारे समाज में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार की व्यवस्था तो टूट ही चुकी है लेकिन एकल परिवार व्यवस्था भी तेजी से चरमरा रही है। वैवाहिक जीवन तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है। पारिवारिक घुटन, टकराव, झगड़े, मारपीट, संबंध विच्छेद और तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पति-पत्नी के बीच के संबंधों के कलहपूर्ण होने का असर बाकी पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ता है। क्योंकि परिवार की धुरी पति-पत्नी के बीच का संबंध होता है और अगर वही टूट जाए तो सभी पारिवारिक रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरूष उच्छृंखल हो जाता है और उसकी हवस का शिकार बहन-बेटी तक बन जाती हैं। उत्तरदाता

महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वैवाहिक जीवन में बढ़ता तनाव

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	वैवाहिक जीवन में बढ़ता तनाव		
			हाँ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	16	04	0
02	घरेलू महिलायें	60	42	12	06
03	श्रमिक महिलायें	20	08	06	06
योग		100	56	22	12

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है -

1. 56 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की वैवाहिक जीवन मे बढ़ता हुआ तनाव पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक है।
2. 22 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की वैवाहिक जीवन मे बढ़ता हुआ तनाव पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक नही है।
3. 12 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(11) **यौन आकर्षण**– व्यक्ति के भीतर यौन आकर्षण की नैतिक दुर्बलता भी महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध का एक कारक है। आज की फिल्में एवं आज का पर्यावरण भी इस दुर्बलता को उभाड़ने में सहायक हो रही हैं। अनेक कुसंस्कारियों के मन में यह दृश्य और परिवेश उद्दीपन का कार्य करते हैं और वे अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। काम भावना नैसर्गिक है इसीलिए उसे नियंत्रित रखने के लिए पारिवारिक व सामाजिक मर्यादाएं व व्यवस्थाएं हैं। किन्तु भारत में विगत कुछ वर्षो से फैल रही पाश्चात्य प्रवृत्तियां इन मर्यादाओं व व्यवस्थाओं को तोड़ने में सहायक हो रही हैं। पश्चिमीकरण, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के तत्व आज संयुक्त परिवार प्रणाली को लगभग जड़मूल से उखाड़ने में सफल हो चुके हैं। पश्चिमीकरण, काम वासनाओं को उभाड़ने वाला पर्यावरण, सस्ता अश्लील साहित्य, फिल्में, आधी रात्रि तक चलते बॉर, शराब व सेक्स के विज्ञापन एवं परिदृश्य आज भारतीय मानस के सामाजिक व नैतिक आचरण को दूषित करने में सहायक हो रहे हैं जिनसे अपहरण, बलात्कार, छींटाकशी, छेड़छाड़ जैसे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

यौन आकर्षण

क्र.	उत्तरदाता महिलाय	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	यौन आकर्षण		
			हाँ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	16	02	02
02	घरेलू महिलायें	60	48	11	01
03	श्रमिक महिलायें	20	15	03	02
योग		100	79	16	05

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है -

1. 79 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की यौन आकर्षण पारिवारिक हिन्सा के

लिए जिम्मेदार कारक है।

2. 16 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की यौन आकर्षण पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक नही है।

3. 05 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(12) **मादक द्रव्यों का बढ़ता हुआ प्रयोग**– हमारे समाज में शराब, सिगरेट, गॉंजा, स्मैक, हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का नशा तेजी से बढ़ रहा है। नशे के आलम में लोग विवेक-शून्य हो जाते हैं और कुछ भी कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को अपने-पराए का बोध नहीं रह जाता और वे अपनी ही बहन-बेटियों के साथ कुकर्म कर बैठते हैं। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मादक द्रव्यों का बढ़ता हुआ प्रयोग

क्र.	उत्तरदाता महिलाय	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	मादक द्रव्यों का बढ़ता हुआ प्रयोग		
			हाँ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	18	01	01
02	घरेलू महिलायें	60	58	01	01
03	श्रमिक महिलायें	20	18	01	01
योग		100	94	03	03

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है -

1. 94 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की मादक द्रव्यों का बढ़ता हुआ प्रयोग पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक है।

2. 03 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की मादक द्रव्यों का बढ़ता हुआ प्रयोग पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक नही है।

3. 03 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

(13) **धन लिप्सा व बढ़ती हुई आकांक्षाएं**– आज समाज में लोगों की आकाक्षाएं नित नये रूप से बढ़ती जा रही है। इससे धन लिप्सा की मनोवृत्ति भीषण रूप से बढ़ गई है। धन सम्पत्ति बटोरने की एक ऐसी अन्धी होड़ शुरू हुई है कि लगता है कि आज के मनुष्य का प्राथमिक उद्देश्य मात्र धन कमाना हो गया है। ऐसी बढ़ती हुई आकांक्षाओं एवं धन लिप्सा की प्रवृत्ति ने भारत में दहेज हत्या और नारी उत्पीड़न के अपराध को व्यापक रूप से फैला दिया है। इच्छित दहेज न लाने वाली बहुओं के साथ ससुराल में उनका उत्पीड़न किया जाता है और आए दिन समाचारपत्रें में उन्हें जिन्दा जला देने की घटनाएं भी प्रकाशित होती रहती हैं। वास्तव में समाज में उपभोक्ता और भोगवाद की संस्कृति के हावी होने के कारण आज पैसा ही सब कुछ हो गया है। यही चरित्र बन गया है। एक समय कहा जाता था कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया पर यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन आज पुरानी मान्यताएं उलट गयी हैं। आज लोग चरित्र और नैतिकता को ताक पर रखकर पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उपभोक्तावादी सोच को बढ़ावा देने में विदेशी चैनलों के जरिए पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना और विज्ञापनों का बढ़ता प्रभाव मुख्य है। समाज में पैसे कमाने की होड़ इस कदर बढ़ गयी है कि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता की

कोई कदर नहीं रह गयी है। आज नैतिकता, ईमानदारी और पवित्रता जैसे मूल्यों का तेजी से ह्रास हो रहा है। ऐसे में पारिवारिक रिश्तों की पवित्रता और मर्यादा समाप्त होती जा रही हैं। भारतीय समाज में इस तरह नैतिक अवमूल्यन क्रमिक ढंग से बढ़ता जा रहा है। अब तो समाज में लोग किसी भी जघन्य अपराध को सुनकर कह देते हैं, यहां सब कुछ चलता है। इसका एक कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था तो है ही किन्तु साथ ही इसके लिए भारत की कानून व्यवस्था और भारत की राजनीति में अनैतिक आचरण युक्त व्यक्तियों का बढ़ता हुआ अनुपात भी है। उत्तरदाता महिलाओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

धन लिप्सा व बढ़ती हुई आकांक्षाएं

क्र.	उत्तरदाता महिलायें	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	धन लिप्सा व बढ़ती हुई आकांक्षाए		
			हाँ	नही	पता नही
01	कार्यरत महिलायें	20	16	02	02
02	घरेलू महिलायें	60	42	12	06
03	श्रमिक महिलायें	20	14	04	02
योग		100	72	18	10

उक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते है -

1. 72 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की धन लिप्सा व बढ़ती हुई आकांक्षाए पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक है।
2. 18 प्रतिशत महिला यह स्वीकार करती है की धन लिप्सा व बढ़ती हुई आकांक्षाए पारिवारिक हिन्सा के लिए जिम्मेदार कारक नही है।
3. 10 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

======================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. एस., डॉ. अखिलेश, (1995), ''आधुनिक भारत और पुलिस की भूमिका'', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली.
2. दीक्षित, रमेश चन्द्र, (1997), पुलिस अभिरक्षा एवं मानवाधिकार, उ.प्र. पुलिस, लखनऊ.
3. एस., डॉ. अखिलेश, (1995), ''पुलिस एवं समाज'', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली.
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 02)

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

बाल श्रम : वर्तमान परिदृश्यों का समाजकार्य अध्ययन

(झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला के संदर्भ में-प्रस्तुत शोध संक्षेप)

* कृष्णा कुमार तिवारी
** अचला शर्मा

सारांश- *बाल-श्रम किसी भी देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिसपर संविधान ने केन्द्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन बाल श्रम में कमी होने के बजाय बढ़ता दिखाई देता है। वर्तमान समय में हमारा अध्ययन बाल-श्रम : वर्तमान परिदृश्यों का समाजकार्य अध्ययन झारखण्ड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिला के संदर्भ में है। झारखण्ड राज्य के प0 सिंहभूम जिलें गरीब परिवारों के संदर्भ में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 50-60 प्रतिशत है। इस प्रकार बाल श्रमिकों के अनेकों सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से घिरे हुये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर बाल श्रम पर शोध हमारा उदेश्य है। अध्ययन विधि अनुभवनात्मक एवं लोगों के बीच साक्षरता पर आधारित है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ो सामग्री का संकलन के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसूची आदि सामग्री का संकलन करने के पश्चात, घटित संबंधित घटनाओं का वृतांत संबंधित समाचार, समस्या एवं अन्य अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का समावेष हैं। बालश्रम के प्रमुख कारको में से गरीबी का महत्वपूर्ण स्थान देखा गया है। माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे को संपत्ति के उतरादायित्व समझते है, और परिवारो के खर्चो के लिए बच्चों से मजदूरी करवाने को अपना अधिकार मानते है। कुछ परिवारों का खर्चा सिर्फ बच्चों की आय से ही चलता है। शिक्षा-व्यवस्था की अपर्याप्तता की कमी से बाल श्रम को बढ़ावा मिल रहा यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण विकास की गति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत मधम है, लड़कियाँ कम उम्र में ही तस्करी का शिकार होकर अन्य शहर भगा लिये जाते हैं, जिसके कारण बाल श्रम कम नहीं हो पाया है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए माता-पिता, जनता और समाज की सोच मे बदलाव लाना होगा। समाज की रूढ़ मानसिकता बदलनी होगी। उद्योगो में प्रशिक्षण के नाम पर बाल -श्रमिकों का शोषण जारी है। भारत के प्रत्येक राज्य स्तर पर श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अभियान जो बच्चों से संबंधित चलाए जा रहे है, उन्हें सख्ती से चलाने की आवश्यकता है।*

मुख्य शब्द – बाल श्रम, दुर्वव्यवहार, शोषण, अभिशाप, शिक्षा, गरीबी, उन्मूलन, आर्थिक, सामाजिक

परिचय- बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित उम्र से छोटा होता है। यहाँ 14 वर्ष या इससे कम उम्र के बालकों के

★ पी.एच.डी शोधार्थी, शोध केन्द्र जयपुर, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान
★★ एच.ओ.डी., समाजशास्त्र विभाग, जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान

मजदूरी बाल श्रम के द्योतक है। समाज,राज्य एवं देश की विडंबना यह है कि यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र में ही बच्चे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मेहनत करने पर मजबूर है। तब उन्हें परिवार, समाज, राज्य या देश का भविष्य कहना उनके साथ अन्याय पूर्ण तर्क है। बालक नागरिक एवं देश का भविष्य है। बालकों को अपनी उम्र के साथ विकसित होने का पूर्ण आधिकार है, किन्तु समाज के सबसे नाजुक अंग होने के कारण उनका हनन् आसान है, जो चिंतनीय है। बालकों के सुदृढ़ भविष्य एवं विकास के मार्ग में कई बाधाएँ है। जिसमें सबसे सामाजिक बुराई बाल-श्रम है। बाल-श्रम उन बुराइयों या अभिशाप की अभिव्यक्ति हैं, जो बच्चों को रोजगार लगाने से पनपते है।

अध्ययन का उद्देश्य-

बाल-श्रम पर हुए विभिन्न शोधों से ज्ञात होता है कि बाल श्रम से विभिन्न देशों की स्थिति, समस्या एवं उन्मूलन के कई सार्थक प्रयास हुए बच्चों के समाधान के लिए संविधान में विभिन्न अधिकार भी बने परन्तु बाल-श्रम समस्या समाप्त नही हुई यह देश के सामने अभी चुनौती है। शोध मे मेरा उद्देश्य बालश्रम को प्रेरित करने वाले गरीबी, भुखमरी की दर कम करने के लिए उचित विकल्प तलाशना है,जिससे बाल-श्रम का जन्म ही न हो। साथ ही बाल-श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराना जो सरकार द्वारा पारित किए गए है एवं सुरक्षा मुहैया के साधनों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

अध्ययन का क्षेत्र-

बाल श्रम एक अभिशाप झारखण्ड राज्य के पं0 सिंहभूम जिले शोध के संदर्भ में है। यह झारखण्ड राज्य के सबसे बड़ें जिलों में से एक है। इस जिले के अंतर्गत 18 प्रखण्ड आते हैं, जिसमें अधिकांश प्रखण्ड नक्सलवाद से घिरे हैं क्योंकि यह क्षेत्र सारण्डा घनी वनों वाला क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर मात्रा पाये जाते हैं, जिसके कारण माइनिंग क्षेत्र बहुत सारे है जिसके कारण कम उम्र में ही बच्चें छोटे-मोटे प्लांटों में लग जाते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण साक्षरता दर बहुत निम्न स्थिति में है। जिसके कारण माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ पाये गये। शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बच्चें हड़िया और मदीरा का सेवन में लिप्त हो जाते हैं, जिससे शारीरिक विकास कमजोर पायी गयी है। इसके अलावा यहाँ केन्दू के पत्ते, ईंटों के भटठें, प्राकृतिक संसाधन के खनन द्वारा प्राप्त अयस्क ट्रकों में लादने का काम बच्चों द्वारा किया जाता है।

यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण विकास की गति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत मधम है, लड़कियाँ कम उम्र में ही तस्करी का शिकार होकर अन्य शहर भगा लिये जाते हैं, जिसके कारण बाल श्रम कम नहीं हो पाया है।

बाल श्रम की समस्या-

बच्चों की कच्ची उम्र से काम लिया जाता है, जिनसे उनका शोषण एवं दर्वव्यवहार होता है, वे रोजगार की खतरनाक परिस्थितियों में जान जोखिम मे डालते है, और कई घंटों काम करने के बाद उन्हें अल्प-वेतन दिया जाता है। बाल श्रम की समस्या देश के लिए अभिशाप व कलंक है। आमतौर पर बाल मजदूरी अविकसित देशों में व्याप्त विभिन्न प्रकार के समस्याओं का नतीजा है। भारत सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इस लक्ष्य

को हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन0सी0एल0पी0) जैसे महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की गई है ताकि बच्चे मजदूरी न कर सकें। परन्तु जब तक बाल-श्रम को बढ़ावा देने वाले कारक गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा तब तक बाल श्रम की समस्या देश में अभिशाप के रूप में विद्यमान रहेगी। यद्यपि सरकार ने बाल श्रमिकों के संबंध मे कुछ नियम बनाएँ है, किन्तु उनका पालन कठोर से नहीं किया जाता। वर्त्तमान समय में गतिशील सामाजिक पर्यावरण और बाल श्रमिकों के समायोजन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय समान बाल श्रमिकों के विकास की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। निश्चित रूप से बाल श्रमिकों की समस्या और उनके समायोजन के विषय में अधिकृत रूप से कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, जब तक इस संबंध में कोई तथ्यात्मक अध्ययन नहीं कर लिया जाता है।

कार्य की प्रकृति-

झारखण्ड राज्य के प0 सिंहभूम जिलें के संदर्भ में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 50-60 प्रतिशत है। इस प्रकार बाल श्रमिकों के अनेकों सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से घिरे हुये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भी बाल श्रम पर बच्चों की कार्य करने की स्थिति दयनीय एवं निंदनीय है।

बच्चे छोटे मोटे कल-कारखानों में जब काम करते है, तब ईंट के दीवारों पर कालिख होने की वजह से वायु में विसादजनक दुर्गंध आती है। साथ ही खतरनाक रसायन आर्सनिक और पोटाशियम के घेरे में होने के कारण फेफड़ों में जोर पड़ती है, जिससे तपोदिक जैसे अन्य बिमारियाँ होती है, कई बच्चे अपने परिवार के प्रधान वेतनभोगी होते है, जिनके उनका परिवार उनपर आश्रित रहता है, वैसे बच्चे सदैव चिन्तित रहते है। प्रवासी बाल श्रमिक, मजदूरी के लिए अपने माता-पिता से दूर शहर अथवा गांव में पाए जाने के कारण हताश व निराश होते, जिससे उसका दिल रोता है, और आत्मा दुःखी रहती है, साथ ही मालिकों के कड़े व्यवहार उनके मानसिक संतुलन को निरंतर बिगाड़ती रहती है। शोध में पाया गया बच्चे बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बंगाल से जब बड़े शहर दिल्ली, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र काम करने जाते है, और अपने प्रदेश किसी त्योहार या आयोजन में आते है तो उनके शरीर, छाती की हड्डियाँ व दुर्बल दिखाई देती है। उनके हाथों, बाहों और टांगो पर निशान होते है, जो त्वचा रोग जैसी कई बिमारियाँ होती है। अत्यन्त खतरनाक काम करने से बच्चों में फेफड़ों की बिमारियां, आँख की बिमारियां, अस्थमा, तपेदिक, बौन्काइटिस,कमर की दर्द, मानसिक तनाव होते है। ऐसे दर्दनाक स्थिति में बच्चे की मौत तक हो जाती है।

बाल श्रम के कारण-

बाल-श्रमिकों का जन्म मुख्यतः गरीबी की देन है। यहाँ 40-45 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, जो बाल श्रम जैसे अवस्था पैदा करती है। बच्चें दरिद्रता के कारण नौकरी करने पर विवश होते है। कईयों के परिवार तो बच्चों के मजदूरी पर आश्रित है। ऐसी परिस्थितियों में काम का विकल्प कुछ भी हो सकता है।बच्चे नक्सलवाद के क्षेत्र में भी संलग्न हो जाते है। जो देश के लिए गंभीर समस्या का विषय है। दूसरा कारण यह है कि बाल श्रम, सस्ते मजदूर पाने के लिए अपने निहित स्वार्थो द्वारा जानबूझ

कर उत्पन्न किये जाते है, ताकि कम पैसों में लंबे समय तक काम लिये जा सके और मुआवजा भी कम मिले। तीसरा कारण यह है कि झारखण्ड में बच्चे आसानी से होटलों, ढाबों, ईंट भट्ठों में मिट्टी लाने और हल्के होने के कारण भट्ठों में आसानी से मचानों पर चढ़कर प्रत्येक ईंटों का उलट-पुलट कर कच्ची ईंटों को सुखाते है,ठीक इसी प्रकार बीड़ी बनाने के लिए ठिकेदार बच्चों को चुनते है, ताकि हल्का होने के कारण बच्चे पतली डालों तक पहुँचकर पत्ते आसानी से तोड़ते है, और फिर उसे सुखाकर बीड़ी बनाने हेतु भेजती है, इसके अलावा छोटे-मोटे कलकारखानों, पत्थर तोड़ने, पाइप लाइन बिछाने, भवन निर्माण जैसे खतरनाक कामों मे मिल जाती है। जिससे उद्यमों को काफी लाभ होता है।

जिलें मे बाल श्रम का मुख्य कारण है -

Table -1 Reasons for child labour

Reasons of child labour	Probability of include child labour (In percentage)
Insufficient family income	66
Family occupation	11
Illiterate parents	18
Large family size	05

Table -2

Socio-economic background of reasons for child labour

Variable	Category	Perntacege
Age	6-9 yrs. 10-12 yrs. 13-14 yrs.	18.00 35.00 47.00
Education	IlliterateAnd below Primary Primary	68.00 32.00
Caste	Scheduled Tribe Class Scheduled Caste Backward Caste Other Caste	85.0 7.00 5.00 3.00
Age of start working	6-9 yrs. 10-12 yrs. 13-14 yrs.	18.00 35.00 47.00
Child occuption	Labour inAuto market Labour in Tea stall Labour in Hotel/Lodge/Dhaba Labour in Domestic work Labour in Brickyard /stone Other Labour Child Work	22.00 18.00 18.00 24.00 14.00 06.00
Marital Status	Married Unmarried	8.00 92.00
Socio-economic status of the family	Low Medium	85.00 15.00

बाल श्रमिकों की काम करने की स्थितियाँ- बच्चे कल-कारखानों में जब काम करते है, तब ईंट के दीवारों पर कालिख होने की वजह से वायु में विसादजनक

दुर्गंध आती है। साथ ही खतरनाक रसायन आर्सनिक और पोटाशियम के घेरे में होने के कारण फेफड़ों में जोर पड़ती है, जिससे तपेदिक जैसे अन्य बीमारियाँ होती है, कई बच्चे अपने परिवार के प्रधान वेतनभोगी होते है, जिनके उनका परिवार उनपर आश्रित रहता है, वैसे बच्चे सदैव चिन्तित रहते है। प्रवासी बाल श्रमिक, मजदूरी के लिए अपने माता-पिता से दूर शहर अथवा गांव में पाए जाने के कारण हताश व निराश होते, जिससे उसका दिल रोता है, और आत्मा दुःखी रहती है, साथ ही मालिकों के कड़े व्यवहार उनके मानसिक संतुलन को निरंतर बिगाड़ती रहती है। शोध में पाया गया बच्चे बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बंगाल से जब बड़े शहर दिल्ली, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र काम करने जाते है, और अपने प्रदेश किसी त्योहार या आयोजन में आते है तो उनके शरीर,छाती की हड्डियाँ व दुर्बल दिखाई देती है। उनके हाथों, बाहों और टांगो पर निशान होते है, जो त्वचा रोग जैसी कई बिमारियाँ होती है। अत्यन्त खतरनाक काम करने से बच्चों में फेफड़ों की बिमारियां, आँख की बिमारियां, अस्थमा, तपेदिक, बौन्काइटिस, कमर की दर्द, मानसिक तनाव होते है। कई बच्चे अपंग व विकलांग तक हो जाते है, और उसे निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर बाहर कर दिया जाता है।

राज्य की ओर से किये गए प्रयास और राष्ट्रीय सुधार नीति- सरकार का मानना है कि बाल श्रम को बिल्कुल समाप्त करना सरल कार्य नही है। परन्तु इसकी स्थितियों में सुधारने का प्रयास किया जाय। राज्य के ओर से किये गये प्रयास जिनमे विशेष तौर पर निम्न उपाय किये है :-

1. राज्य बच्चों का सामाजिक एवं वैधानिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए हस्तक्षेप करेगा तथा समय-समय पर विशेष प्रावधान बनाएगा।
2. प्रत्येक बच्चे के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
3. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाना या संकट पूर्ण कार्य में नहीं लगाया जायेगा।
4. राज्य या सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा और वे आर्थिक आवश्यकताओं के कारण पेशे में नहीं जाएंगे जिनसे उनकी उम्र और शक्ति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
5. राज्य बाल श्रमिकों हेतू न्यूनतम मजदूरी,कार्य का समय तथा स्थिति के लिए प्रावधान बनाएगा और इन्हें निर्धारित करेगा।
6. राज्य अपनी नीति का प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति निर्धारित करने के लिए करेगा।
7. किशोर न्याय अधिनियम बालकों के देखरेख एवं संरक्षण के तहत प्रत्येक जिलास्तर पर 18 वर्ष के अंदर के बच्चों के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई गठित करेगी। जिसमे बालक एवं बालिकाओं के संरक्षण जैसे मामलों को देखेगी।
8. राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। बाल श्रम की समस्या के निदान हेतु समय-समय पर कई प्रावधान पारित किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं- राष्ट्रीय सुधार नीति के लिए सरकार ने बाल श्रम को कम करने के लिए निम्न अधिनियम पारित किये है :-

(क) बाल श्रमिक बंधक अधिनियम, 1933

(ख) बाल भर्ती अधिनियम, 1938

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(घ) कारखाना अधिनियम, 1951

(ड़) वृक्षारोपण श्रमिक अधिनियम, 1951

(च) खदान अधिनियम, 1958

(छ) मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958

(ज) मोटर वाहन मजदूर अधिनियम, 1961

(झ) बीड़ी और सिगरेट मजदूर (रोजगार स्थिति) अधिनियम, 1966

(ट) बाल श्रम (प्रतिबंध-एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986

इन प्रावधानों से बाल श्रमिकों की कार्य स्थिति, उम्र, कार्य समय, मजदूरी तय किये जाते हैं। बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 अधिक प्रभावी है।

बाल श्रमिकों की रोकथाम एवं सुझाव-

बाल-श्रम एक सामाजिक कलंक है, और बाल-श्रम उन्मूलन के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। बाल श्रम उन्मूलन के लिए माता- पिता, जनता और नियोक्ता के सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि बाल-मजदूरी को कम किया जा सके। वैसे प्रत्येक घरों को चिन्हित कर लज्जित करके सामाजिक कलंक का निशान लगाया जाना चाहिए,जो बच्चों से काम करवाते है। बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले माता-पिता की समस्या को जानकर उन्हें सुझाव दिया जाना चाहिए एवं ग्राम,पंचायत एवं जिलास्तर पर कमिटी गठित कर स्कूल जाने वाले छात्र को चिन्हित कर बच्चों को शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों के लिए मनोरंजन की रूचिकर व्यवस्था, भोजन, शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका बचपन बचा रहे। बाल मजदूरी कराने वाले परिवार के सदस्यों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। सरकार ने मनरेगा जैसे योजना की शुरूआत भी की साथ ही बाल श्रम के विरूद्ध एक आंदोलन देने की जरूरत है, ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बाल-श्रम जैसे शब्द को खत्म किया जा सके।

======================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. ABC News (22 Oct. 2009) 'gap Under fire: ReportsAllege child Labour.
2. Bohara Amit (2012) 'Child Labour And Right ,' Gaurav Book Center , New Delhi
3. Census (2009) 'childrenAnd work'
4. Chandra swati (2012) ' shortage of teachers cripples right to education .'
5. I.L.O (1993)'Child Labour statical Report'
6. I.L.O. United Nation (2008) 'child Labour in causes'
7. India census (2001) 'Age structureAnd Marital status'
8. Mishra Punam (2010) 'Jharkhand-Jangal kshetra.'
9. NationalAdvisory council (2011) 'Abolition of child Labour -A Brief Note'
10. UNICEF (2012) 'definition of child Labour'
11. UNICEF (2011) 'The Children - Education'.

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

अनुसूचित जनजातियों के आवासीय प्रतिरूप

* वंदना मिश्रा

सारांश– *अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्डवार जनजातियों में आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की स्थिति में क्षेत्रीय विविधता पायी गई है। क्षेत्रीय अन्तराल पाये जाने का प्रमुख कारण स्थानीय स्तर पर शासकीय प्रयासों की भूमिका, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्तर, आदिवासी विकास कार्यक्रमों की भूमिका का अभाव, अशिक्षा, निरक्षरता एवं जागरुकता के अभाव के कारण आवास समस्या से ग्रसित है। आवास समस्या से ग्रसित होने का एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनजातियों में जनसंख्या का उच्च घनत्व के कारण लोग बुनियादी आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ पाये गये हैं। क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों में आवास की समस्या बढ़ती आबादी के चलते दिनोदिन गंभीर होती जा रही है।*

भारत एक विशाल देश है, जो अपनी भौगोलिक विविधता एवं क्षेत्रफल के कारण सम्पूर्ण विश्व में साँतवा स्थान रखता है, जहाँ विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय एवं प्रजाति के लोग निवास करते हैं। भारत को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रजातीय एवं जातिगत विविधता के कारण विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर कहा गया है। मध्यप्रदेश के विभिन्न बेसिनों में अनेक प्रकार की अनुसूचित जनजातियों का संकेन्द्रण है, उन्हीं बेसिनों में से अध्ययन का क्षेत्र सोहागपुर बेसिन अपनी जातिगत जनसंख्या एवं जनांकिकीय विशेषताओं के सम्बन्ध में विविधता लिए हुए है। सोहागपुर बेसिन में अनुसूचित जनजाति की दृष्टिकोण से यहाँ गोड़, बैगा, अगरिया, पनिका, खैरवार, भारिया, कोल आदि प्रमुखता से निवास करती है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख एवं बड़ी जनजाति गोड़ जनजाति है। सोहागपुर बेसिन में आने वाले तीन जिले शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर जिले के सभी 12 विकासखण्डों में सभी प्रकार की अनुसूचित जनजातियों का संकेन्द्रण पाया जाता है। यहाँ कुल जनसंख्या का 43.03 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ की जनजातियां राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ी हुई है, इनके समग्र विकास के लिए सभी शासकीय प्रयास एवं आदिवासी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी स्थिति में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आया।

अधिवास किसी प्रदेश में पाये जाने वाले पर्यावरण सम्बन्धी तत्व की उपज होते हैं। इनका उद्‌भव पृथ्वी तल पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, किन्तु किसी क्षेत्र विशेष में पायी जाने वाली जनजातियों के अधिवास में काफी भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ तक कि एक ही जनजाति की ग्रामीण बस्ती में मिश्रित स्वरूप

★ प्राध्यापक, गीता ज्योति शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

देखने को मिलता है। अधिवास जो कि मानव के हर प्रकार से संरक्षण प्रदान कर उसके कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं, वह अपने आवश्यकता के अनुसार धरातल से संयुक्त करता है। अतः जनजातीय अधिवासों का अध्ययन, अधिवासों का प्रतिरूप, अधिवासों का वितरण, प्रकार, घनत्व आदि का अध्ययन आवश्यक होता है। जनजातीय अधिवासों का अध्ययन, अधिवासों का वितरण एवं प्रतिरूप के अध्ययन से उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

यद्यपि आवास (भवन) युक्त स्वरूप पल्ली, नंगल, पुरवा या ग्राम आदि नाम से अधिवास को सम्बोधित किया जाता है, जिसमें मानव आर्थिक एवं अन्य क्रियाओं को संचालित करने एवं अपनी सुरक्षा के साथ संगठित कालोनी के रूप में निवास कर अपना जीवनयापन करता है।

ग्राम शब्द का अभिप्राय एक राजस्व मौजा से भी है, जिसमें अधिवासों के स्वरूप एवं समूह एक दूसरे से अलग रूप में स्थित होते हुए कृषि अथवा दूसरे व्यवसाय में संलग्न भूमि क्षेत्र की अपनी राजकीय सीमा होती है। अतः ग्राम एक प्रशासनिक इकाई भी होती है, जिसमें निवास करने वाले लोग एक संगठन में सामान्य कानून के आधीन रहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों का आवासीय प्रतिरूप ग्रामीण अधिवासों का वितरण तथा सोहागपुर बेसिन क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिवासों का प्रभाव तथा जनजातियों के लिए सरकार द्वारा संचालित आवास योजना का प्रभाव एवं उसका क्रियान्वयन आदि का विश्लेषण करना है।

भारत वर्ष के अन्य क्षेत्रों की भांति सोहागपुर बेसिन में अनुसूचित जनजातियों का आवासी प्रतिरूप एवं जनजातीय ग्रामीण अधिवासों पर विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय घटकों ने प्रभाव डाला है। अतः इनका वितरण सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में सतत् एक समान न होकर अलग-अलग रूपों में पाया जाता है। सन् 2011 के जनगणना के अनुसार सोहागपुर बेसिन अन्तर्गत शहडोल जिले में कुछ ग्रामों की संख्या 844 जिसमें आबाद ग्राम 814 तथा वीरान गांवों की संख्या 30 ज्ञात हुई। इसी प्रकार अनूपपुर जिले में आबाद कुल ग्रामों की संख्या 571, बसे हुए ग्रामों की संख्या 562 तथा वीरान ग्रामों की संख्या 09 पायी गई है। इसी प्रकार उमरिया जिले में कुल ग्रामों की संख्या 653 आबाद ग्राम, 594 बसा, वीरा ग्रामों की संख्या 59 पायी गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में कुल ग्रामों की संख्या 2068 पायी जाती है।

अतः सोहागपुर बेसिन में अनुसूचित जनजातियों का आवासीय प्रतिरूप ग्रामीण अधिवास की दृष्टिकोण से निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है -

(1) बिना बसे हुए ग्राम (वीरान आदिवासी ग्राम)

(2) बसे हुए ग्राम (आबाद आदिवासी ग्राम)

(1) **बिना बसे हुए ग्राम (वीरान आदिवासी ग्राम)**- इस प्रकार के ग्रामों में मानव निवास हेतु किसी प्रकार के स्थायी या अस्थायी भवन आदि नहीं स्थित होते है। किन्तु राजस्व की दृष्टि से इनका भी महत्व होता है। अध्ययन क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 38 बिना बसे हुए ग्राम जो क्षेत्र के कुल ग्राम के 16.85 प्रतिशत भाग हैं। बिना बसे हुए ग्रामों की संख्या क्षेत्र में एक समान नहीं पायी जाती है। शहडोल जिला

जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है। जहाँ बिना बसे हुए गांवों की संख्या 30 पायी गई है। उमरियाजिले में यह संख्या 59 तथा अनूपपुर जिले में विरान ग्रामों की संख्या 09 पायी गई है। इस प्रकार सोहागपुर बेसिन में कुल वीरान ग्रामों की संख्या 38 है। इस प्रकार बेसिन में वीरान ग्रामों का 16.85 प्रतिशत है।

(2) **बसे हुए ग्राम (आबाद आदिवासी ग्राम)**– बसे हुये ग्रामों के अन्तर्गत वे ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, जहाँ मानव अपनी आवश्यकता एवं सुरक्षा कारणों से उस ग्राम की भूमि पर भवन स्थायी रूप से स्थापित कर निवास करते हैं। सोहागपुर बेसिन में सम्मिलित तीन जिलों के 12 विकासखण्डों में कुल बसे हुए ग्रामों की संख्या 2035 है, जो समस्त प्रकार के ग्रामों के 84.35 प्रतिशत भाग है। अध्ययन क्षेत्र के शहडोल जिले में बसे हुए ग्रामों की संख्या 814 सर्वाधिक पायी गई है। इसके साथ अनूपपुर जिले में आबाद ग्रामों की संख्या 662 तथा उमरिया जिले में बसे हुए ग्रामों की संख्या 594 पायी गई है।

इस प्रकार सोहागपुर बेसिन में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के आवासीय प्रतिरूप निम्नानुसार हैं -

* आयताकार प्रतिरूप
* वर्गकार प्रतिरूप
* रेखीय प्रतिरूप
* चेस बोर्ड प्रतिरूप
* संग्रथित प्रतिरूप
* तारक प्रतिरूप
* अव्यवस्थित प्रतिरूप
* दोहरे संग्रथित प्रतिरूप

आयताकार प्रतिरूप– सोहागपुर बेसिन के अधिकांश अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में आयताकार प्रतिरूप के ग्राम पाये जाते हैं। बेसिन के मध्यवर्ती भाग जहाँ सोन, जुहिला, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, इनके भू-भाग में नदियों से दूरी बढ़ने के साथ आयताकार जनजातीय ग्रामों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। साधारणतः आयताकार प्रतिरूप वाले जनजातीय ग्राम, पहाड़ियों, झीलों एवं नदी तट से दूर समतल क्षेत्र पर विकसित हुए हैं। इन जनजातियों के ग्रामों में भूमिगत जल कम गहराई पर मिल जाते हैं। इन ग्रामों में भूमिगत जल कम गहराई पर मिल जाता है, जिससे प्रत्यक्षतः नदी जल पर लोग कम आश्रित रहते हैं। शहडोल जिला की ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढ़ार, गोहपारू, सोहागपुर के उत्तरी भाग, सोहागपुर विकासखण्ड के उत्तरी क्षेत्र, पाली, मानपुर, करकेली मं इस प्रकार के जनजाति प्रमुखता से ग्राम में पाये जाते हैं। ऐसे अधिवास पुरानी आदिवासी बस्तियों में देखने को मिलते हैं।

वर्गाकार प्रतिरूप– इस प्रकार के जनजातीय ग्रामों के अपने वर्ग के आकार की भांति होते हैं। ऐसे जनजाति ग्रामों का विकास परिवहन मार्गों के क्रासिंग स्कूल के साथ विकसित होता है। बैलगाड़ी मार्ग, सड़क मार्ग, रेलवे एवं सड़क जहाँ एक-दूसरे को काटते हैं, वह वर्गाकार अविासों का लिफास हो जाता है। इस प्रकार के ग्राम पूर्ण वर्गाकृति या आंशिक अथवा विस्तृत वर्गाकृति होते हैं। शहडोल एवं उमरिया जिलों में

सड़क मार्गों के विकास से कई अधिवास ऐसे हैं जो उन सड़क मार्ग पर विकसित हुए हैं। जहाँ सड़क एक दूसरे को काटती है। पाली, मानपुर, करकेली, अधिबस्तियां वर्गाकृत स्वरूप में विकसित हुई है। जहाँ से रीवा चिरमिरी बिलासपुर रेल मार्ग गुजरता है।

रेखीय प्रतिरूप– सोहागपुर बेसिन के बुढ़ार विकासखण्ड में जहाँ सड़क मार्ग पर रेलवे लाइन अथवा नहर विकसित की गई है। वहाँ रेखीय प्रतिरूप के जनजाति ग्राम विकसित हो गये हैं। कहीं-कहीं नदियों के तट पर बसे हुये जनजाति के ग्राम भी अपनी रेखीय आकृति ग्रहण कर लिये हैं। वर्तमान में परिवहन मार्गों के विकास के साथ जनजातीय अधिवासों के रेखी प्रतिरूपों में काफी विकास हुआ, दृष्टिगोचर होता है। अध्ययन क्षेत्र के कोतमा, अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ में इनका विशेष विकास हुआ है। इन विकासखण्डों के जनजातीय ग्रामों में रेखीय प्रतिरूप के अधिवास पाये गये हैं।

चेस बोर्ड प्रतिरूप– इस प्रतिरूप का विकास बड़े-बड़े जनजातीय ग्रामों में दिखायी पड़ता है, जहाँ आवागमन के लिये कई प्रकार के समानान्तर मार्ग स्थित होते हैं, उनके सहारे अधिवासीय स्वरूपों का विकास हो जाता है। चेस बोर्ड प्रति वाले जनजातीय ग्राम अध्ययन क्षेत्र में प्रायः कम मिलते हैं। ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढ़ार, गोहपारू, सोहागपुर विकासखण्ड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन विकासखण्ड के जनजातीय ग्रामों में यदा-कदा बोर्ड प्रतिरूप की बस्ती पायी जाती है।

* **संग्रथित प्रतिरूप**– अध्ययन क्षेत्र के सोहागपुर बेसिन के विकासखण्ड कोतमा, अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ में संग्रथित जनजाति ग्राम पाये जाते हैं। ऐसे जनजातीय ग्राम के अधिवासीय क्षेत्र एक स्थान पर संग्रहित होते हैं। परस्पर मकानों की दूरी की अन्तराल प्रायः शून्य रहता है। जैसे पाली, मानपुर, करकेली आदि इसके उदाहरण हैं।
* **तारक प्रतिरूप**– अध्ययन क्षेत्र में कुछ जनजातीय ग्रामों का आकार तारक प्रतिरूप में पाया जाता है। वास्तव में ऐसी संकेन्द्रित बस्तियां जो विस्तार रेखीय प्रतिरूप में करने लगती हैं। उनका तारक प्रतिरूप हो जाता है। उदाहरण के लिये मानपुर विकासखण्ड के जनजाति ग्रामों में तारक प्रतिरूप के अधिवास पाये गये हैं।
* **दोहरे संग्रथित प्रतिरूप**– वास्तव में सोहागपुर बेसिन के प्रत्येक जनजातीय ग्राम में एक से अधिक मुहल्ले पाये जाते हैं, जिनमें कुछ पास-पास संग्रथित आकृति में विकसित हो जाते हैं। इन्हें दोहरे संग्रथित प्रतिरूप कहते हैं। ब्यौहारी तहसील व जयसिंहनगर विकासखण्ड में ऐसे जनजातीय ग्रामों की अधिकता पायी जाती है।

उपर्युक्त प्रतिरूपों के अतिरिक्त सोहागपुर बेसिन में अव्यवस्थित, एम्पोरकस, वलयाकृत जैसे प्रतिरूप के ग्राम भी यदा-कदा दृष्टिगोचर हो जाते हैं।

धरातलीय दृष्टि से समतल क्षेत्र पर जो गांव आबाद है, उनका प्रतिरूप आयताकार, वर्गाकार या चेस बोर्ड प्रतिरूप में मिलता हे। जबकि ऐसे क्षेत्रों में सड़कों के विकास ने रेखीय प्रतिरूप को उद्‌भावित किया है। जनजाति के ग्राम संग्रथित तथा इनके पार्श्व पर बसे हुए ग्राम घोड़े के खुर की नाल जैसे विकसित हो जाते हैं।

* **अव्यविस्थत प्रतिरूप**– सोहागपुर बेसिन में पायी जाने वाली जनजातियों में दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाली सड़क विहीन बस्तियों में अव्यवस्थित अधिवास के प्रतिरूप पाये गये। अध्ययन क्षेत्रों के अन्तर्गत शहडोल जिले के जयसिंहनगर, ब्यौहारी विकासखण्ड, अनूपपुर जिले के जैतहरी विकासखण्ड, पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड एवं

उमरिया जिले के मानपुर विकासखण्ड में अव्यवस्थित प्रतिरूप की जनजातीय अधिवास पाये गये। साथ ही जो हिला नदी के किनारे सड़क विहीन आदिवासी ग्रामों में भी अव्यवस्थित प्रतिरूप के अधिवास पाये गये हैं।

भौतिक विभागों के अनुसार ग्रामों का वितरण–

पूर्व के अध्याय (अध्याय द्वितीय) सोहागपुर बेसिन को विभिन्न उप भौतिक विभागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनको एक भौगोलिक इकाई मानकर जनजातीय ग्रामीण अधिवासों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अतः भौतिक विभागों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के ग्रामों का वितरण निम्नानुसार है –

(1) **मैकाल पर्वत माला के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन की दक्षिणी सीमा का निर्धारण मैकाल पर्वत के द्वारा होता है। इस पर्वत के ढाल के अनुरूप जनजातियों के ग्रामों का वितरण पाया गया है। सोन एवं जोहिला नदी के मुख्य जल विभाजक का कार्य इस पर्वत से होता है, प्रपाती ढाल एवं चोटियों के विस्तार के फलस्वरूप ग्रामीण जनजातीय अधिवासों का घनत्व कम पाया गया है। इस भूभाग के दक्षिणी पूर्वी अचल में ग्रामीण अधिवासों का वितरण बहुत नगण्य है। यहाँ पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 11.50 ग्राम का घनत्व पाया गया है। धरातलीय दृष्टिकोण से यह क्षेत्र सोहागपुर बेसिन का सर्वाधिक विषमता वाला भूभाग है। अतः आदिवासी ग्रामों की संख्या बहुत कम पायी गई है।

(2) **अमरकंटक पर्वत माला के ग्रामीण अधिवास**– मैकाल श्रेणी के समानान्तर दक्षिण की ओर अमरकंटक पर्वत माला के सहारे जनजातीय अधिवासों का वितरण पाया गया है। नर्मदा और जोहिला नदी के समानान्तर जनजातीय ग्रामों का वितरण है। जोहिला नदी के जल प्रवाह के समानान्तर आदिवासी ग्रामों की यदा-कदा सघन बस्तियाँ विस्तृत है। इस भौतिक विभाग में पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड, अनूपपुर विकासखण्ड में जनजातीय अधिवास विस्तृत पाये गये हैं। अधिवासों की सघनता में जुहिला एवं उसकी सहायक नदियों एवं नालों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में 100 वर्ग किलोमीटर पर ग्राम का घनत्व 05 पाया जाता है।

(3) **राजेन्द्र ग्राम एवं अमरकंटक पठार के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन के दक्षिण पूर्वी भाग में मैकाल एवं अमरकंटक पठार के ग्रामीण अधिवासों का वितरण पाया गया है। इस पठारी प्रदेश के काली मिट्टी वाले समतल उपजाऊ क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सघन अधिवास पाये जाते हैं। यहाँ पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 20.83 ग्रामों का घनत्व पाया जाता है। यह घनत्व अध्ययन क्षेत्र के मध्यम घनत्व विभाग के अन्तर्गत शामिल हैं। इस क्षेत्र में पाये जाने वलो ग्रामों का औसत आकार 4.80 वर्ग किलोमीटर तक पाया गया है। यहाँ पर मध्यम घनत्व के जनजातीय ग्रामीण अधिवास पाये जाने का प्रमुख कारण इस पठारी क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग समतल एव अधिक उपजाऊ मिट्टी का वितरण आदि है।

(4) **बसनिहा बेसिन के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन अन्तर्गत बसनिहा बेसिन का विस्तार जाहिला नदी के द्वारा निर्मित समतल घाटी से जुड़ा हुआ है। जोहिला अपने उद्गम स्थल जालेश्वर नाम के स्थान से प्रवाहित होकर उत्तर पश्चिम की ओर मैकाल एवं अमरकंटक पर्वतों के मध्य एक चौड़ी समतल घाटी का निर्माण करती

है। जोहिला नदी के जल प्रवाह के समानान्तर जनजातीय ग्रामों का वितरण पाया गया हैं बसनिहा बेसिन के उपजाऊ समतल भूमि पर सघन ग्रामीण अधिवास केन्द्रित है। उपजाऊ भूभाग अन्न का भण्डार सिद्ध होता है। यहाँ पर अधिवासों का घनत्व उच्च पाया जाता है।

(5) **नर्मदा घाटी के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन में नर्मदा घाटी का विस्तार अमरकंटक पठार के पश्चिम एवं अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण की ओर लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी एवं 40 किलोमीटर लम्बाई के समानान्तर जनजातीय अधिवासों का वितरण पाया जाता है। काली मिट्टी से युक्तज समतल भूमि एवं उपजाऊ क्षेत्र में सघन ग्रामीण अधिवास केन्द्रित है। नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों के जल प्रवाह के समानान्तर अधिवासों का विकास द्रुत गति से हुआ है। ग्रामीण अधिवासों के घनत्व की दृष्टि से 200 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नर्मदा घाटी क्षेत्र में 30.75 ग्रामों का घनत्व पाया गया है।

(6) **शहडोल, अनूपपुर पठार के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन के अन्तर्गत शहडोल, अनूपपुर पठार का विस्तार बसनिहा बेसिन के उत्तर में पाया जाता है। इस क्षेत्र का फैलाव सोहागपुर बेसिन के दक्षिण पूर्वी भाग जो उत्तर-पूर्व में पेण्ड्रा बेसिन, दक्षिण पश्चिम में मैकाल श्रेणी, उत्तर पश्चिम में मानपुर एवं परसोरा पठारों से घिरा है। यह क्षेत्र दक्षिणी सोन एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित काली मिट्टी का समतल एवं उपजाऊ क्षेत्र में सघन ग्रामीण जनजातीय अधिवास का वितरण पाया जाता है। इस क्षेत्र में ग्रामीण जनजातीय ग्रामों का घनत्व प्रति 150 वर्ग किलोमीअर पर 48.43 ग्राम विस्तृत है। सोहागपुर बेसिन अन्तर्गत ग्रामीण जनजातीय अधिवासों की सघनता में महत्वपूर्ण योगदान इस पठारी क्षेत्र का है।

(7) **मानपुर पठार के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन के उत्तर पश्चिम में मानपुर पठार के ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण अधिवासों का वितरण पाया गया है। इस पठारी क्षेत्र के अन्तर्गत छोटी महानदी जोहिला एवं सोन नदी घाटियों के समतल एवं उपजाऊ भू-भागों में सघन जनजाति के अधिवास फैले हुये यहाँ आधिवासी ग्रामों का घनत्व प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में 44.45 ग्राम पाये गये हैं। यहाँ पर स्थायी आदिवासी ग्रामों का वितरण पाया जाता है। मानपुर पठार में सघन आदिवासी बस्ती पायी जाती है।

(8) **परसोरा पठार के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन अन्तर्गत मानपुर पठार के दक्षिण में सघन आदिवासी ग्रामों का वितरण पाया जाता है। यहाँ पर जोहिला एवं छोटी महानदी के जल प्रवाह के समानान्तर ग्रामीण आदिवासी अधिवासों का विस्तार पाया जाता है। सोन जोहिला एवं छोटी महानदी के तटवर्ती भागों में सघन अधिवास पाये जाते हैं। यहाँ पर अधिवासों का घनत्व प्रति सौ वर्ग किलोमीटर पर 24.34 ग्राम का वितरण पाया गया है।

(9) **उत्तरी पूर्वी उच्च्च भूमि के ग्रामीण अधिवास**– सोहागपुर बेसिन अन्तर्गत उत्तरी पूर्वी उच्च्च भूमि का विस्तार शहडोल, अनूपपुर बेसिन के उत्तरी पूर्वी भाग में तारक आकृति का एक पहाड़ी उभार पाया जाता है, 5 जो वास्तव में चांग भरवार पर्वतीय प्रदेश का एक भाग हैं। समीपी धरातल से 500 फीट ऊँची यह पहाड़ी ऊभार

2000 फीट तक ऊँचा है जिसमें उच्च चोटियां पायी जाती है। कुनूक काशिर गोड़रारी एवं केवई नदियों का जल विभाजक एवं उद्गम का स्रोत यह पहाड़ी उभार एवं पूर्व पश्चिम की ओर अधिक लम्बा एवं उत्तर दक्षिण की ओर कम चौड़ा है। यह समस्त क्षेत्र तक प्रायद्वीपीय उच्च स्तरीय साल वनों से अछादित हैं। यहां पर सघन ग्रामीण अधिवास केन्द्रित है, ग्रामों का घनत्व उच्च तथा प्रति 200 वर्ग किलोमीटर में 25.43 ग्राम पाये गये हैं। उच्च भूमि में आदिवासी ग्रामों की बारम्बारता तीव्र पायी गई है।

(10) **दक्षिणी सोन घाटी के ग्रामीण अधिवास**– दक्षिण सोन घाटी का विस्तार शहडोल, अनूपपुर पठार के उत्तर मध्य की ओर सोन नदी एक घाटी का निर्माण करती है जिसकी ऊँचाई 1000 हजार से 1250 फीट तक ऊँची हैं। उत्तर की ओर ढालू यह घाटी लम्बी अधिक किन्तु पश्चिम चौड़ी कम है। यह दक्षिण में तिपान नदी के संगम से जोहिला नदी के संगत तक विस्तृत है। सरया कुनुक एवं मुड़ना नदियों के मिलन स्थल पर घाटी अधिक चौड़ी हो गई हैं। सामान्यतयः उसकी चौड़ाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। चीका युक्त बलुही मिट्टी से निर्मित यह घाटी उपजाऊ हैं। किन्तु इसके किनारे बीहड़ घटियों एवं घने वनों से उच्छादित हैं। इसके अधिकांश क्षेत्र का ढाल 3-4 के मध्य पाया जाता है। सोहागपुर बेसिन के अन्तर्गत सोन घाटी में तीव्र सघन अधिवास मिलते हैं। यहाँ पर ग्रामों का घनत्व प्रति 300 वर्ग किलोमीटर में 30.47 ग्राम पाये गये हैं।

(11) **जोहिला घाटी के ग्रामीण अधिवास**– जोहिला घाटी का निर्माण जोहिला नदी के अवसादी जमाव व कटाव से हुआ है। इस घाटी का विस्तार मानपुर एवं परसोरा पठार तथा शहडोल-अनूपपुर पठार के मध्य जोहिला नदी की घाटी पायी जाती है। यह दक्षिण में मैकल श्रेणी से प्रारम्भ होकर उत्तर में सोन, जोहिला संगम तक फैली है। यह घाटी लम्बी एवं चौड़ी कम है, इसकी ऊँचाई 1000 से 1250 फीट के मध्य पायी जाती है। इस क्षेत्र में आदिवासी ग्रामों का प्रचुर वितरण पाया गया है, यहाँ प्रति 200 वर्ग किलोमीटर में 40.3 प्रतिशत ग्राम पाये गये हैं।

(12) **छोटी महानदी घाटी के ग्रामीण अधिवास**– महानदी घाटी एक समतल एवं उपजाऊ नदी घाटी है, जो मानपुर एवं परसोरा पठार के पश्चिमी किनारों तथा छोटी महानदी के पूर्वी तट की ओर लम्बी सकरी पट्टी के रूप में पायी जाती है। बलुही दोमट मिट्टी से निर्मित यह घाटी लगभग समतल है किन्तु यत्र-तत्र सहायक नदियों की घाटियाँ एवं पहाड़ी उभार भी दृष्टिगोचर होते हैं। 1000 से 1250 फीट ऊँची इस घाटी के ढाल की दिशा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम तथा ढाल की मात्रा 2 से 4 डिग्री तक पायी जाती है। छोटी महानदी घाटी में जनजातीय अधिवासों का घनत्व उच्च पाया गया है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 25.31 ग्राम पाये गये हैं। यहाँ पर लगभग 75 प्रतिशत ग्राम त्रिभुजाकार आकृति वाले पाये जाते हैं। अधिकांश ग्राम नदी के जल प्रवाह के अनुरूप केन्द्रित हैं तथा जनसंख्या का घनत्व इन अधिवासों में तीव्र है।

(13) **कैमोर केहेजुआ पहाड़ी क्षेत्र के ग्राम अधिवास**– कैमूर केहेजुआ की पहाड़ी ने कैमूर-केहेजुआ को यहाँ दिया है। कैमूर केहेजुआ का विस्तार सोहागपुर बेसिन के उत्तरी-पूर्वी भाग में पाया जाता है। सोहागपुर बेसिन का उत्तरी पूर्वी की सहायता केहेजुआ एवं उसकी उप सहायक श्रेणियां हैं। कई स्थानों पर ये पूर्व पश्चिम तथा

कहीं-कहीं उत्तर दक्षिण दिशाओं में फैली है। जबकि कुछ स्थानों पर ये भाग पहाड़ी उभार के रूप में ही दृष्टिगत होती है। अत्यधिक अपरदन के कारण इनके शिखर सपाट एवं किनारे नदी घाटियों से परिपूर्ण हैं। अधिकांश पहाड़ियां वनाच्छादित हैं, जहाँ नग्न चट्टानों की जल विभाजक एवं दिशा निर्देश का कार्य भी करती है। मारकण्डेय नामक स्थान पर सोन नदी के सम्मुख केहेजुआ पहाड़ियों के आ जाने के परिणाम स्वरूप ही यह पूर्व की ओर मुड़ने को बाध्य हुई होगी। इन पहाड़ियों को नदियों ने भी कई स्थानों पर काटकर अलग-अलग कर दिया है। देवलोंद के समीप ऐसे ही कटाव स्थल पर बाणसागर परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। ये पहाड़ियाँ पश्चिम की ओर नीचे 1250 फीट, मध्य में ऊँची 2557 फीट हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण चोटियां इस प्रकार हैं- नम्हनगवां 1519 फीट, नगरों 1565 फीट, दिखावा 1654 फीट, करारा 1966 फीट, अमडोला 2134 फीट, पिपराई 1495 फीट एवं मऊ पहाड़ी 1852 फीट ऊँची है। इसके ढाल की मात्रा 3 से 4 डिग्री एवं ढाल की दिशा पूर्व पश्चिम एवं उत्तर की ओर है। इस पहाड़ी क्षेत्र में जनजातीय अधिवासों का घनत्व प्रति 150 वर्ग किलोमीटर में 15.37 ग्राम पाये गये हैं। यहाँ पर मैदानी क्षेत्रां की तुलना में ग्राम का औसत घनत्व न्यून पाया जाता है।

(14) **उत्तरी सोन घाटी के ग्रामीण अधिवास**- उत्तरी सोन घाटी का विस्तार दक्षिण में सोन चुथी संगम से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर सोन महानदी संगम तक तथा पूर्व की ओर सोन नदी के दाहिने तट की ओर बनास नदी के संगम तक विस्तृत है। इस घाटी का आकार चूहे के आकृतिके सदृश्य है। सोहागपुर बेसिन का यह निम्नतम क्षेत्र है जिसकी ऊँचाई 1000 फीट या इससे कम पायी जाती है। उत्तर एवं पूर्व की ओर ढाल इस घाटी की मात्रा 2 से 10 डिग्री के मध्य है। घाटी के समान तट पर पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ ही उपजाऊ समतल मैदानों की पट्टियाँ भी पायी जाती है, जो कृषि की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी सोन घाटी में सघन जनजातीय ग्रामीण अधिवास का वितरण पाया गया है। यहाँ प्रति 200 वर्ग किलोमीटर पर 24.35 प्रतिशत ग्रामों का घनत्व पाया गया है। सोन घाटी में अधिकांश जनजातीय ग्रामों का आकार त्रिभुजाकार पाया गया है।

(15) **बनास घाटी के ग्रामीण अधिवास**- बनास घाटी मुख्यतया बनास का ही एक भाग है। बनास नदी का नया तटवर्ती बेसिन एक लम्बी एवं सकरी घाटी है, जिसका विस्तार उत्तर दक्षिण अधिक एवं पूर्व पश्चिम कम है, जिसे बनास घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका ढाल उत्तर की ओर है तथा ढाल की मात्रा 2 से 4 डिग्री के मध्य पायी जाती है। औसतन 1000 फीट ऊँची यह नदी घाटी दक्षिण में 15000 फीट एवं उत्तर में 1000 फीट से भी कम ऊँची है। यहाँ सर्वत्र कटी-फटी घाटियाँ एवं नग्न चट्टाने दृष्टिगोचर होती है, जिनके मध्य समतल क्षेत्रों पर कृषि कार्य किया जाता है, जबकि अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है। बनास घाटी में प्रति 250 वर्ग किलोमीटर पर 32.45 ग्राम केन्द्रित पाये गये हैं। ग्रामीण अधिवास के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में सघन ग्रामीण अधिवास पाये गये हैं जबकि बनास घाटी के पूर्ण अधिवासों का घनत्व कम पाया गया है। बनास नदी के निकट ग्रामीण अधिवासों का संकीर्णन तीव्र पाया जाता है तथा उच्च भूमि पर अधिवासों का संकेन्द्रण न्यून है।

आकार की दृष्टि से सोहागपुर बेसिन के ग्रामीण अधिवासों का औसत आकार अलग-अलग पाया गया है। शहडोल जिले के गोहपारू विकासखण्ड में ग्रामों का औसत

घनत्व 2.19 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है जो कि क्षेत्र के अन्य विकासखण्डों की जनजीय बस्तियों एवं आदिवासी ग्रामों के औसत आकार से अधिक है। अनूपपुर जिले के जैतहरी विकासखण्ड के ग्रामीण अधिवासों का औसत आकार 4.07 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अध्ययन क्षेत्र के अन्य विकासखण्डों के ग्रामों के घनत्व की तुलना में काफी न्यून है। क्षेत्र के औसत आकार 3.95 वर्ग किलोमीटर से अधिक आकार वाले ग्रामों के विकासखण्डों जैसे - बुढ़ार, करकेली, सोहागपुर, अनूपपुर है। जबकि अन्य विकासखण्डों के ग्रामीण अधिवासों के अन्तर्गत ग्रामों का औसत आकार 3.95 वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इसी प्रकार भारतीय भूगोल वेत्ता प्रो. ए.बी. मुखर्जी साहब ने ग्रामीण अन्तराल हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किए हैं -

$$S = 2 \times \frac{\sqrt{A}}{N \times II}$$

इस प्रकार सोहागपुर बेसिन में भौतिक विभागों के अनुसार ग्रामों की स्थिति एवं ग्रामीण अधिवासों के औसत आकार घनत्व का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः क्षेत्र में जहाँ भौतिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। जैसे - समतल भूमि, उपजाऊ मृदा, जल संसाधन की उपलब्धता, खनिज संसाधन आदि वहां ग्रामीण अधिवास की सघनता तीव्र पायी गई है।

निष्कर्ष– निष्कर्षतः अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्डवार जनजातियों में आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की स्थिति में क्षेत्रीय विविधता पायी गई है। क्षेत्रीय अन्तराल पाये जाने का प्रमुख कारण स्थानीय स्तर पर शासकीय प्रयासों की भूमिका, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्तर, आदिवासी विकास कार्यक्रमों की भूमिका का अभाव, अशिक्षा, निरक्षरता एवं जागरुकता के अभाव के कारण आवास समस्या से ग्रसित है। आवास समस्या से ग्रसित होने का एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनजातियों में जनसंख्या का उच्च घनत्व के कारण लोग बुनियादी आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ पाये गये हैं। क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों में आवास की समस्या बढ़ती आबादी के चलते दिनोदिन गंभीर होती जा रही है।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Stent, K.H. (1965). The development of those for the Geography of determent - Economy Geography 41, p. 222.
2. Singh, S.B. (1975). Rural Settlements Sultanpur, Distt., p. 31.
3. Banob Powell, B.H. (1892). Land System of Pri (45), Landiai Vol. 1, p. No. 97.
4. दुबे, शिवकुमार (1993). सोहागपुर बेसिन में कृषि उत्पादकता का स्वरूप, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, पृष्ठ 21.
5. वही, पृष्ठ 21.
6. Christaller, W. (1954). Central Places in Seuthern Germany translated by C.W. Baskin, Englewood Cliffs Prentice Hall, NeJersey. Loesch A the Economics of Location, New haven-1954, Press Cambridge 1917.
7. Thompson, D. (1917). Arey or Growth and Form Cambridge University Press Cambridge,

Revised in 1953.

8. Miller, V.C.A. (1953). A Quantitative Geomorphic Study Clinah Mountain Area Vergence and Tennessee, New York, Columbia University, Department of Geology, Tech, Rep-3.
9. Haggett, P. (1965). Locational Analysis in human Geography, London, pp. 50-52.
10. Demonger (1933). A Unecartidel hacontate Annalsde Geography, 42, pp. 225-232.
11. Singh, R.L. (1955). Evolution of Settlement in the middle Ganga Valley, H.G.J (1), pp. 69-114 especially 109-113.
12. Pandey, J.N. - Rural House Types in the Middle Ganga Plain, Paras Rampur Village. A Case Study.

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

समाजशास्त्र के विकास में सामाजिक कारकों का प्रभाव

* विजय कुमार

सारांश- *समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे विभिन्न प्रकार की क्रान्तियों तथा आगस्त काम्टे के पूर्व के दार्शनिकों के विचारों का विशेष प्रभाव रहा है। काम्टे इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे कि किसी भी घटना के अध्ययन में वैज्ञानिक प्राविधियों को अपनाया जाय। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सके जिसके आधार पर कानून और व्यवस्था स्थापित हो सके, इस पर विशेष जोर था। इस प्रकार के अध्ययन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा काम्टे का मानना था। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से अनुभवसिद्ध घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके बीच सक्रिय शाश्वत नियमों की खोज का प्रयास करता है ताकि इस नियमों के आधार पर तत्कालीन बौद्धिक अव्यवस्था और उससे उत्पन्न सामाजिक दुर्व्यवस्था को दूर किया जा सके। इसी प्रयास में आगस्त काम्टे ने 'त्रिस्तरीय नियम', 'प्रत्यक्षवाद का नियम', और 'विज्ञानों का वर्गीकरण' प्रस्तुत किया।*

उन्नींसवीं शताब्दी में जन्मे 'मानवता के विज्ञान' में बहुत से महत्त्वपूर्ण कारकों का योगदान रहा है। विश्व की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक परिस्थितियाँ उन्नीसवीं शताब्दी के पहले ऐसी थीं, जिसमें मानव मूल्यों का बहुत ह्रास हो गया था जिसके परिणामस्वरूप यूरोप में समाजशास्त्र की नींव पड़ी। समाजशास्त्र के विकास में जो कारक प्रभावी हुए वह क्रमशः निम्नलिखित थे-

बौद्धिक क्रान्ति- अनगिनत कष्ट जिनसे राष्ट्र पीड़ित होता है, क्रान्ति के मूल कारण समझे जाते हैं। किसी भी प्रकार की क्रान्ति 'तुलनात्मक अभावबोध' के कारण उत्पन्न होती है।

राजनीति का सम्भावित प्रभाव ⟶ अभावबोध ⟶ सामाजिक असंतोष ⟶जनक्रान्ति

अट्ठारहवीं शताब्दी के अनेक दार्शनिक और साहित्यकारों ने फ्रांस की पुरानी व्यवस्था की बुराईयों की निन्दा करते हुए अपनी लेखनी के द्वारा फ्रांस में उपजे जन आक्रोश, घृणा और आकांक्षाओं को उभारा। अट्ठारहवीं शताब्दी में यूरोपीय देशों की भाँति फ्रांस में भी तर्क और बुद्धिवाद के युग का प्रवेश हुआ। उस समय के कुछ प्रमुख दार्शनिक तर्कवादी थे, जिनका विश्वास था कि सत्य को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। मान्टेस्क्यू, वाल्टेयर रूसो, दिदरो तथा अन्य अनेक विचारकों के साहित्य ने मानसिक जगत को गहराईयों तक आन्दोलित कर दिया।

मान्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक "द स्पिरिट ऑफ द लॉज" में यह विचार व्यक्त किया

★ एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बी.एस.एन.वी. पी.जी. कॉलेज, लखनऊ (उ.प्र.)

कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान पर केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। वह अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धान्त और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में था।

ब्रिटिश दार्शनिक लॉक की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं, जो किसी भी सत्ता द्वारा हथियाए नहीं जा सकते। ये अधिकार हैं- जीवन का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया। वह व्यक्तियों को बोलने तथा अभिव्यक्ति के अधिकारों के भी पक्ष में था।

रूसो ने अपनी विख्यात पुस्तक "द सोशल कांट्रेक्ट" में लिखा कि किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। उसका विश्वास था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी सम्भव है, जब उनकी अपनी पसन्द की सरकार हो।[1]

अट्ठारहवीं शताब्दी में फ्रांस ने वैचारिक स्तर पर परम्परागत विचारों को त्यागकर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और यूरोपीय जनता को जागरूक करने में मदद की। जाग्रति का यह कार्य फ्रांस के प्रबुद्ध वर्ग ने किया। इनकी लेखनी ने असमानता, शोषण, अत्याचार, धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्ट तथा निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक नियंत्रण, निम्नवर्ग की विपन्नता, प्रशासनिक एवं न्यायिक दोषों को उजागर किया। "लेखक फ्रांसीसी समाज के असंतोष को उभार रहे थे। वे जनता को प्रेरणा दे रहे थे, उनके असंतोष को व्यक्त कर रहे थे, उनकी शिकायतों को सामने रख रहे थे, उसे नेतृत्व व विश्वास दे रहे थे। संसद-विहीन देश में साहित्यकार ही राजनीतिज्ञ हो गये थे। उन्होंने फ्रांस की संस्थाओं के खोखलेपन को अनेक तरह से प्रकट कर दिया जैसे-व्यंग्य तथा हास्य द्वारा, आलोचना और तुलना द्वारा, वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा द्वारा और स्पष्ट निन्दा द्वारा"।[2]

पुनर्जागरण– पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन धर्म और परम्पराओं से नियंत्रित चिन्तन को मुक्त कर दिया। पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं में मानववाद है, जो मानव जीवन में रूचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना तथा उसके जीवन को सुधारने और समृद्ध एवं उन्नत बनाने का प्रयास करता है।[3] पुनर्जागरण में वाद-विवाद एवं प्रयोग पर महत्व दिया गया।
पूँजीवाद - पन्द्रहवीं शताब्दी में जो अर्थव्यवस्था उभर रही थी उसे पूँजीवाद कहा जाता है। पूँजीवाद एक संस्था से अधिक एक लोकाचार है। पूँजीवाद के लोकाचार का मूलतंत्र है, अधिक से अधिक धन की अदम्य भूख। पूँजीवाद के प्रारम्भ होने के कारण कर्मचारीतंत्र का उदय होता है। पूँजीवादी व्यवस्था में 'अहस्तक्षेप का नियम' तथा 'मुक्त व्यापार' की विशेषताएँ पायी जाती हैं। इससे सामाजिक असमानता की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा पूँजीपति वर्ग लाभ का बड़ा भाग अपने ले लेता है तथा कामगार को कष्टदायी कम मजदूरी ही हिस्से में आती है। कम मजदूरी के कारण 'स्वयं का वर्ग', 'स्वयं में वर्ग', 'व्यापार संघों' का निर्माण होता है, जिसकी परिणति वर्ग संघर्ष के रूप में होती है।

फ्रांसीसी क्रान्ति– किसी भी देश में होने वाली क्रान्ति के बीज उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित रहते हैं। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक

परिस्थितियाँ क्रान्ति हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं तथा बौद्धिक चेतना बहुजन को उन परिस्थितियों से मुक्ति पाने हेतु प्रेरित करती हैं। ऐसी स्थिति में जब भी सरकार अथवा शासन के लिए पुरानी लीक पर चलना कठिन हो जाता है और वह सफल सुधार योजना द्वारा समयानुकूल नया पथ खोजने में असफल हो जाती है तथा असंतुष्ट वर्ग को अपनी ताकत का अहसास हो जाता है, तो देश में क्रान्ति होना अनिवार्य हो जाता है। 14जुलाई, 1789 की फ्रांसीसी क्रान्ति भी इस नियम का अपवाद नहीं है।[4]

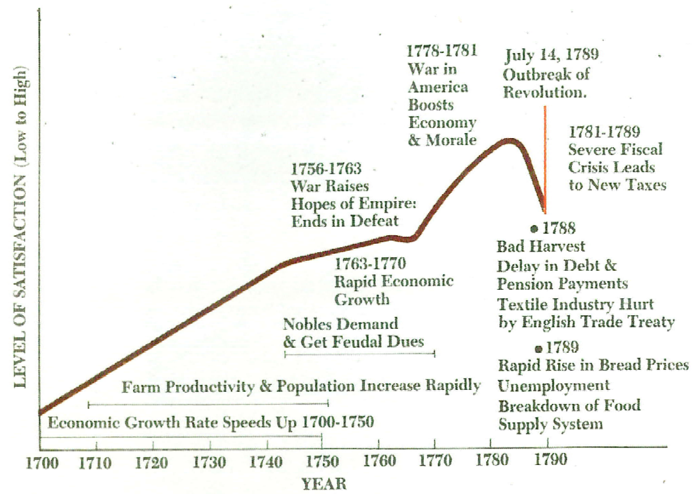

(From J.C. Davies, 1969)

स्रोत[5]- इम्बलेन रोजर जी. 1973 : 246

फ्रांसीसी क्रान्ति को ऊपर दिये गये डेविस J-वक्र सिद्धान्त समय और संतुष्टि स्तर के माध्यम से समझ सकते हैं- डेविस ने अपने J-वक्र के माध्यम से फ्रांसीसी क्रान्ति के उत्पन्न होने के कारणों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 1789 के पहले आर्थिक वृद्धि, उत्पादन और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, विभिन्न प्रकार के राजकोषीय घाटा और इनके कारण नये करों में वृद्धि, इंग्लैण्ड से व्यापार समझौता तथा इसके कारण वस्त्र उद्योग पर प्रभाव, 1789 में बड़ी तेजी से भोज्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि तथा इसकी आपूर्ति का बन्द होना, बेरोजगारी, फ्रांसीसी लोगों की आकांक्षाओं में वृद्धि तथा इस आकांक्षा का पूरा न हो पाना इत्यादि दशाओं के कारण 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रान्ति हुई, जिसके कारण फ्रांस की दशा और दिशा ही बदल गयी।

फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था- फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था सामन्वादी पद्धति, असमानता और विशेषाधिकार के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित था। समाज मुख्यतः तीन वर्गों जिसे 'एस्टेट' कहा जाता था, में विभक्त था- पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। प्रत्येक वर्ग के भीतर विभिन्न श्रेणियों के बीच अधिकारों एवं सुविधाओं की दृष्टि से बहुत विषमताएँ थीं। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था का आधार कोई विधान या कानून नहीं बल्कि विशेषाधिकार, रियायतें और छूट थीं। फ्रांस का सामाजिक स्वरूप व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता व प्रसन्नता को बढ़ाने वाले सिद्धान्तों को प्रोन्नति करने वाला नहीं था, जब तक कि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली न हो कि उसका

जन्म उच्च वर्ग में हुआ हो।[6] फ्रांस की क्रान्ति के कारण फ्रांस में निम्नलिखित परिवर्तन हुए- 1. पुरानी व्यवस्था का अन्त, 2. किसानों की दशा में परिवर्तन, 3. लोकतंत्र का प्रसार, 4. स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व भावना का विकास, 5. राष्ट्रीयता का विकास, 6. समाजवाद की नींव, 7. यूरोप में प्रतिक्रियावाद का युग।

इन परिवर्तनों ने दुनिया के अनेक देश जो औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, उनको गहराई तक प्रभावित किया। फ्रांस की 1789 की क्रान्ति ने फ्रांस की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था को पूर्णरूप से परिवर्तित कर दिया। फ्रांस की क्रान्ति मात्र एक राष्ट्रीय घटना नहीं थी अपितु इसके सिद्धान्तों-स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व के नारों से सम्पूर्ण यूरोप गूँज उठा। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का आन्दोलन था, जिसके उदय होने से फ्रांस का इतिहास यूरोप का इतिहास बन गया।

औद्योगिक क्रान्ति- अट्ठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तनों को बदले हुए सोच ने हवा दी। घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। मनुष्य ने शक्ति चालित मशीनों को बनाना शुरू किया। आधुनिक व्यापार तन्त्र का विकास हुआ और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस प्रकार औद्योगिक जीवन में प्रारम्भ हुए परिवर्तन इतने सशक्त हुए कि उन्हें चिन्हित करने के लिए 'औद्योगिक क्रान्ति' शब्द प्रयुक्त किया गया।

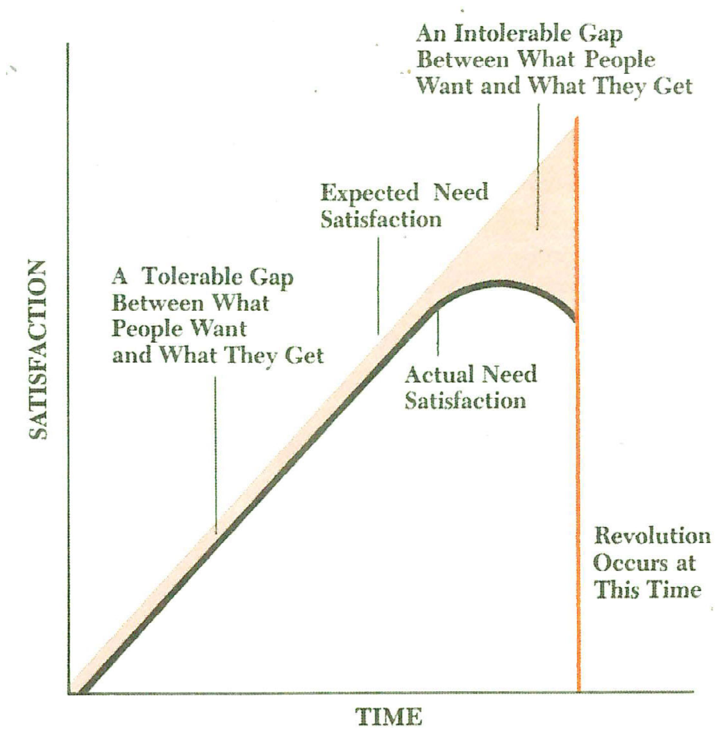

(From J.C. Davies, 1969)

स्रोत[7]- इम्बलेन रोजर जी. 1973 : 246

औद्योगिक क्रान्ति को डेविस J.वक्र सिद्धान्त के माध्यम से समझ सकते हैं- डेविस

ने समय और संतुष्टि ग्राफ के माध्यम से यह बताया है कि शुरूआती समय में लोगों की कितनी आवश्यकता है और उनको कितना मिल रहा है, उसमें कुछ रिक्तता (Gap) है जिसको टाला जा सकता है। समय के सापेक्ष आवश्यकतायें बढ़ती जा रही हैं। एक समय ऐसा आता है कि लोगों की संतुष्टि की आवश्यकतायें पूरी न होने की दशा में 'क्रान्ति' का घटित होना सुनिश्चित हो जाता है। इसी दशा को डेविस ने औद्योगिक क्रान्ति कहा है।

औद्योगिक क्रान्ति की शुरूआत इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम हुई और धीरे-धीरे विश्व के शेष भागों में इसका प्रसार हो गया। 1750-1850 ई. की अवधि में इंग्लैण्ड में लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, जिनकी वजह से वहाँ उत्पादन की 'कारखाना पद्धति' चालू हो गयी। इन परिवर्तनों को एल.सी.ए. नोल्स ने छः बड़े परिवर्तनों में वर्गीकृत किया है - 1. इंजीनियरिंग का विकास, 2. लोहे के निर्माण में क्रान्ति, 3. वस्त्रोद्योग में भाप व जल-शक्ति का उपयोग, 4. रसायन उद्योग का विकास, 5. कोयले की खानों का विकास, 6. परिवहन के साधनों का विकास।[8]

औद्योगिक क्रान्ति का सामाजिक प्रभाव - औद्योगिक क्रान्ति से निम्नलिखित प्रकार के सामाजिक प्रभाव पड़े - 1. जनसंख्या वृद्धि, 2. सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, 3. स्त्रियों की स्थिति में सुधार, 4. सामाजिक संस्थाओं (परिवार, नातेदारी, धर्म, शिक्षण संस्थाएँ, आर्थिक संस्थाएँ आदि) पर प्रभाव, 5. नैतिकता में गिरावट, 6. सामुदायिक भावना में कमी, 7. जीवन में प्रतिस्पर्धा, 8. मध्यम वर्ग का उदय, 9. वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति, 10. मजदूर संघों का उदय, 11. श्रम एवं पूँजी के बीच द्वन्द्व, 12. वेतनमान तथा कार्य की दशा सम्बन्धी समस्या, 13. बेरोजगारी की समस्या, 14. वृद्धावस्था की समस्या, 15. औद्योगिक दुर्बलता सम्बन्धी समस्या, 16. पर्यावरण में प्रदूषण सम्बन्धी समस्या इत्यादि।

समाजशास्त्र के उद्‌भव में उपर्युक्त कारकों का प्रभाव - समाजशास्त्र के उद्‌भव के मूल में विभिन्न क्रान्तियों का उस समय के दार्शनिकों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। अट्‌ठारहवीं शताब्दी के पूर्व तक लोगों में धर्म के प्रति विशेष मोह था। जनता पोप, राजा और चर्च के कहे अनुसार ही कार्य करते थे, परन्तु उसी समय धीरे-धीरे समाज में विभिन्न प्रकार के आविष्कार प्रारम्भ हो गये थे जैसे- कापरनिकस का सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त, टालेमी का सिद्धान्त, विलियम हार्वे का रक्त परिसंचरण सिद्धान्त, डार्विन का सिद्धान्त, जनसंख्या सम्बन्धी माल्थस का सिद्धान्त आदि। समाजशास्त्र विषय के उद्‌भव के मूल में प्रत्यक्षवादियों का विशेष हाथ रहा है। सेन्ट साइमन ने 'प्रत्यक्षवाद' शब्द का प्रयोग "वैज्ञानिक पद्धति तथा दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में इस पद्धति के विस्तारण का बोध कराने के लिए किया था। प्रत्यक्षवाद का वास्तविक स्वरूप वर्तमान युग में प्राकृतिक विज्ञानों के उदय के साथ निखरा। यहाँ इसे वैज्ञानिक प्रणाली को सभी प्रभावशाली विचारों का मानदण्ड बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस रूप में प्रत्यक्षवाद की वास्तविक शुरूआत फ्रांसिस बेकन की कृतियों से मानी जा रही है। लार्ड बेकन ने अवलोकन एवं परीक्षण के सिद्धान्तों की स्थापना करके प्रत्यक्षात्मक दर्शन की भावी व्यवस्था की नींव रखी थी। बेकन के तीन वर्ष बाद जन्मे गैलीली गैलीलियो ने खगोलशास्त्र एवं भौतिकी की महान समस्याओं पर इन सिद्धान्तों का व्यापक व्यावहारिक

प्रयोग करते हुए इनकी विश्वसनीयता की पुष्टि की थी। रेने देकार्ते ने अपने सभी पूर्ववर्ती एवं समकालीन विचारकों की इस सम्बन्ध में उपलब्धियों को वास्तविक दर्शन की ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था का निश्चित रूप दिया जिस पर वास्तविक प्रत्यक्षवादी पद्धति की छाप अन्य मानव-उत्पादों की अपेक्षा अधिक गहरी पड़ी।[9]

सेन्ट साइमन ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से एक समाज-विज्ञान की उत्पत्ति प्रस्तुत की। नये ज्ञान के युग की वह सच्ची देन थे। विज्ञान और प्रगति पर उनका अटूट विश्वास था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि सामाजिक सम्बन्धों का एक विज्ञान विकसित किया जाय। इन सम्बन्धों को वह शरीर के आवयविक-जैविक सम्बन्धों के अनुरूप ही मानते थे और उनका कहना था कि वैज्ञानिकों को तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, न कि धारणाओं का। सेन्ट साइमन के सबसे प्रसिद्ध शिष्य आगस्त काम्टे थे। काम्टे, सेन्ट साइमन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित विचारक थे।[10]

आगस्त काम्टे का प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्रीय चिन्तन की मुख्य धुरी है। काम्टे वर्तमान सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने में केवल प्रत्यक्षवाद को समर्थ मानते थे। काम्टे का उद्देश्य यह था कि समाज का अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान की प्रविधियों के अनुसार की जाय, जिससे समाज के पूर्व के मानवीय विकास की व्याख्या और इसकी भविष्यवाणी की जा सके। यह नया विज्ञान तर्क और अवलोकन की पद्धति पर आधारित होगा। आगस्त काम्टे अपने इस नये विज्ञान का नाम "सामाजिक भौतिकी" (Social Physics) रखा। बाद में जब उन्होंने सोचा कि इस शब्द का प्रयोग बेल्जियम के सांख्यिकीविद एडोल्फ क्वेटलेट 1835 में अपने निबन्ध में कर चुके हैं, तब उन्होंने इस नये विज्ञान का नाम "सामाजिक भौतिकी" के स्थान पर "समाजशास्त्र" रख दिया।

काम्टे ने अपनी दो पुस्तक 'द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फीलासाफी (1830-1842) और 'द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी' या 'ट्रीटाइज ऑन सोशियॉलोजी (1851-1854) लिखी। पहली पुस्तक के चतुर्थ वाल्यूम में 'समाजशास्त्र' का प्रयोग हुआ है। काम्टे ने समाजशास्त्र का प्रयोग 1839 में पहली बार किया।[11] किन्तु आर.के. मर्टन के अनुसार, इसमें थोड़ा संदेह है कि समाजशास्त्र की कल्पना काम्टे ने 1839 में की।[12] कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि 'समाजशास्त्र' शब्द का प्रयोग 1838 में हुआ। 'समाजशास्त्र' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला लैटिन शब्द सोशियस (समाज) और ग्रीक शब्द लोगस (का अध्ययन), जिसका अर्थ है समाज का अध्ययन। अतः समाजशास्त्र- 'समाज का वैज्ञानिक अध्ययन' है। आगस्त काम्टे को 'समाजशास्त्र का जनक' के साथ-साथ 'प्रत्यक्षवाद का जनक' भी माना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल प्रत्यक्षवादी दर्शन की खोज का श्रेय तो आगस्त काम्टे को नहीं देते परन्तु वे इतना अवश्य मानते हैं कि प्रत्यक्षात्मक विचार को ज्ञान के हर क्षेत्र तक विस्तारित करने तथा इसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का पहला श्रेय आगस्त काम्टे को ही प्राप्त है।

आगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में बाँटा- सामाजिक स्थिति विज्ञान (सोशल स्टैटिक्स) और सामाजिक गति विज्ञान (सोशल डायनामिक्स)। आगस्त काम्टे के शब्दों में : समाजशास्त्र का स्थैतिक अध्ययन सामाजिक व्यवस्था के क्रिया और प्रतिक्रिया के नियमों को खोजने का प्रयत्न करता है। स्थैतिकी का अध्ययन कि- कैसे समाज के अंग एक-दूसरे से अन्तःसम्बन्धित हैं तथा सामाजिक गतिकी- अर्थात कैसे समाज की

इकाईयाँ विकसित होती हैं और कैसे समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है।[13] आगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के अध्ययन की तीन वैज्ञानिक पद्धतियों का उल्लेख किया- 1. अवलोकन 2. परीक्षण 3. तुलना।

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे विभिन्न प्रकार की क्रान्तियों तथा आगस्त काम्टे के पूर्व के दार्शनिकों के विचारों का विशेष प्रभाव रहा है। काम्टे इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे कि किसी भी घटना के अध्ययन में वैज्ञानिक प्राविधियों को अपनाया जाय। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सके जिसके आधार पर कानून और व्यवस्था स्थापित हो सके, इस पर विशेष जोर था। इस प्रकार के अध्ययन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा काम्टे का मानना था। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से अनुभवसिद्ध घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके बीच सक्रिय शाश्वत नियमों की खोज का प्रयास करता है ताकि इस नियमों के आधार पर तत्कालीन बौद्धिक अव्यवस्था और उससे उत्पन्न सामाजिक दुर्व्यवस्था को दूर किया जा सके। इसी प्रयास में आगस्त काम्टे ने 'त्रिस्तरीय नियम', 'प्रत्यक्षवाद का नियम', और 'विज्ञानों का वर्गीकरण' प्रस्तुत किया।

======================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. ई.एस.ओ.-13, समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, इग्नू पेज 22-23
2. जैन हुकम चन्द एवं माथुर कृष्ण चन्द्र (1999), विश्व इतिहास, जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर : पेज 227
3. तथैव, 43
4. तथैव, 218
5. इम्बलेन रोजर जी. (1973), सोसाइटी टुडे, सी.आर.एम. बुक्स डेल मार, कैलिफोर्निया : पेज 246
6. जैन एवं माथुर 1999 : 222
7. इम्बलेन रोजर जी. 1973 : 246
8. जैन एवं माथुर 1999 : 327
9. यादव डॉ. गोपाल (1997), समाजशास्त्रीय संदर्श, चन्द्रा प्रकाशन, गोरखपुर : पेज 03
10. प्रिचार्ड इवांस, सोशल एन्थ्रोपोलॉजी (अनुवादक) शशीप्रभा त्रिपाठी (1966), राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., दिल्ली : पेज 23
11. रिट्जर जार्ज (2000), क्लैसिकल सोशियोलाजिकल थियरी, मैक्ग्रा हिल, न्यूयार्क : पेज 88
12. मर्टन आर.के. (1968), सोशल थियरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, अमेरिण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्रा.लि. नई दिल्ली : पेज 02
13. इंकेल एलेक्स (2003), हवाट इज सोशियोलॉजी? प्रिन्टिस हाल ऑफ इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली : पेज 04

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

नमामि देवि नर्मदे यात्रा का पर्यटन पर प्रभाव

* संतोष कुमार अर्जुनवार

सारांश- *नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से सोंडवा (प्रदेश में नर्मदा प्रवाह का अंतिम स्थल) से पुनः अमरकंटक तक की यात्रा के रूप में किया गया है। नदियाँ मानव जाति के अस्तित्व एवं विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नदियाँ हमारी धरोहर है, तथा मीठे जल का प्रमुख स्त्रोत् है। समस्त प्राचीन मानव सभ्यताएँ प्रमुख नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। अनादिकाल से भारत वर्ष में नदियों को पूज्यनीय माना गया है। माँ नर्मदा भारत की सात प्रमुख नदियों में से एक है तथा मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है। माँ नर्मदा की घर-घर में युगों-युगों से पूजा होती आयी है तथा लोगों की इसमें अपार श्रृद्धा है इसके तट पर ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। जो प्रदेश की आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत है।*

प्रस्तावना- नर्मदा सर्वत्र पुण्यमयी नदी है। नर्मदा नदी जिला अनूपपुर के अमरकंटक (22^{0}41N तथा 81^{0}48E समुद्र तल से 3000 फीट ऊँचाई) नामक स्थान से मंदिरों के समूहों के बीच एक कुण्ड से उद्गम होती है। माँ नर्मदा, विध्यांचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीचों-बीच पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ है। (39 म.प्र. तथा 02 गुजरात) प्रमुख सहायक नदियों में शक्कर, दूधी, तवा, बारना, हथनी, तेन्दुनी, कोलार, हिरण चौरल, अजनाल आदि है। नर्मदा कछार का कुल क्षेत्रफल 98,800 वर्ग कि.मी. महाराष्ट्र तथा 11,400 वर्ग कि.मी. गुजरात में है। नर्मदा कछार में मध्यप्रदेश के 25 जिले पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सम्मिलित हैं तथा 18 बड़े शहर स्थित है, जिसमें नदी तट पर स्थित मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होंशंगाबाद, बड़वाह, महेश्वर, ओंकारेश्वर, धामनोंद, तथा बड़वानी प्रमुख है।

नर्मदा नदी		
क्र.	**राज्य**	**लम्बाई कि.मी. में**
01	मध्यप्रदेश में	1077
02	मध्यप्रदेश – महाराष्ट्र की सीमाओं से बहते हुए	32
03	मध्यप्रदेश – गुजरात की सीमाओं से बहते हुए	42
04	गुजरात में	161
	कुल लम्बाई–	**1312**

यात्रा का उद्देश्य-

1. नर्मदा नदी के संरक्षण एवं नदी में उपलब्ध संसाधनों एवं समुचित उपयोग हेतु जन

★ शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

जागरण।

2. नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में वानस्पतिक आच्छादन बढ़ाने एवं मृदा क्षरण को रोकने हेतु पौधारोपण कराना।
3. नदी की पारिस्थितकी में सुधार हेतु गतिविधियों का चिन्हांकन एवं उनके क्रियान्वयन में स्थानीय जन समुदाय की जिम्मेदारी तय करना।
4. टिकाऊ एवं पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धतियां को अपनाने हेतु जनता में जागरूकता पैदा करना।
5. नदी में प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान एवं उनकी रोकथाम हेतु जनजागरण।
6. नदी के जलभरण क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता।
7. नर्मदा बेसिन में नवीन पर्यटनों का विकास करना।
8. नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति जनजाग्रति पैदा करना एवं पर्यावरणीय शिक्षा का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना।
9. नर्मदा बेसिन में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का आंकलन कर जन समुदाय को जागरूक करना।
10. नर्मदा बेसिन में पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार कर पर्यटन का विकास करना।

यात्रा का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व– नर्मदा सर्वत्र पुण्यमयी नदी है। माँ नमामि देवि नर्मदे, नर्मदे हर माँ नर्मदा के उच्चारण से समस्त पापों का नाश होता है। माँ नर्मदा मोक्षदायनी, जीवनदायनी, पवित्र, संस्कृति का स्त्रोत तथा प्रेरणादायी है। स्कंद पुराण में नर्मदा का वर्णन रेवा खण्ड के अन्तर्गत किया गया है। महाभारत और रामायण ग्रंथों में इसे " रेवा " के नाम से पुकारा गया है। अमरकंटक में इस पावन धारा को रूद्र कन्या तथा मैकल कन्या कहते है।

मत्स्य पुराण, पदम पुराण, कूर्म पुराण में नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थो का वर्णन किया है। पुराणों में उल्लेख है कि नर्मदा किनारे उद्‌गम से लेकर सागर में मिलने तक 10 करोड़ तीर्थ है। यहाँ पर मैकल, व्यास, भृगु, अत्री और कपिल आदि ऋषियों ने तपस्या किया था। नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक, मण्डला, जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, शुकलेश्वर, बावनगजा आदि स्थानों पर नदी के किनारे प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या और वर्ष भर त्यौहारों पर लाखों तीर्थ यात्री स्नान कर माँ नर्मदा की पूजा अर्चना करते है। होशंगाबाद में " नर्मदा महोत्सव " एवं मेलों का आयोजन जैसे- अमरकंटक का शिवरात्रि मेला, नरसिंहपुर का बरमान मेला, होशंगाबाद का बान्द्राभान मेला आदि ने कई परम्पराओं व मान्यताओं को हमेशा ही पोषित किया है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट का " धुआँधार " जल प्रपात व संगमरमर की चट्‌टाने प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है।

यात्रा का जनमानस पर प्रभाव– यात्रा मुख्य रूप से नर्मदा नदी के जल एवं मृदा संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता, प्रदूषण की रोकथाम, जैविक कृषि के प्रोत्साहन तथा तटीय क्षेत्रों के संरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। नदी के जल को स्वच्छ रखने हेतु जनमानस को उसकी उपयोगिता एवं जल से जीवन है। हमें इसे बचाना होगा तभी आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिल सकेगा। समस्त चिन्हित कस्बों तथा ग्रामों में

ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों को नर्मदा नदी के सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक महत्व के विषय की जानकारी देना तथा नर्मदा नदी के जल संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु स्थानीय कलाकारों के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर जनमानस को जागृत करना। यात्रा के द्वारा समुदाय के सहयोग से पौधारोपण, मृदा एवं जल संरक्षण, स्वच्छता, जैविक कृषि को प्रोत्साहन तथा प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित सांकेतिक गतिविधियाँ भी संचालित की जायेगी। वर्तमान में कचरे के प्रबंधन हेतु प्रचलित विधियों को केन्द्र में रखते हुए नर्मदा नदी के प्रदूषण को कम करने हेतु उपायों पर बल दिया जायेगा। यात्रा के दौरान जनसंवाद, बैठके, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, वृक्षारोपण अभियान आदि भी चलाये जायेगें।

यात्रा का पर्यटन क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव– नर्मदा के किनारे बसे गाँव के बाशिन्दे इस बात को लेकर खुश है, कि उनके खेतों में फलदार वृक्ष लगाने के लिए उन्हें जहाँ सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जायेगी तो वहीं वे अपने खेतों में खेती भी कर सकेगें। इसके बाद जब फलदार वृक्ष अपना आकार लेगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। क्योंकि उनके वृक्षों की पैदावार देश विदेश से आये पर्यटकों को भी इन फलों का उपभोग करने का मौका मिलेगा।

यात्रा से नर्मदा बेसिन के क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे तटीय गाँवों का सौन्दर्यीकरण होगा। गाँव के रहवासी को नया संदेश मिलेगा तथा नवीन पर्यटन क्षेत्रों का विकास होगा। रेस्टारेन्ट एवं मंदिरों का विकास के साथ प्राचीन धरोहरों का जनजागरण से नये स्वरूप में उन्हें उकेरा जायेगा। ऋषि मुनियों एवं तपस्वियों का नर्मदा तट से गहरी आस्था है। उन्हे यात्रा के माध्यम से प्राचीन परम्पराओं से जनमानस को अवगत कराने एवं उनका वर्तमान समय में मार्गदर्शन एवं धार्मिक आस्थाओं से जोड़ने का कार्य किया जा सकेगा। साथ ही इस यात्रा के नवीन पर्यटन की सम्भावनाओं को बल मिलेगा। नर्मदा सेवा यात्रा 2016 का स्वच्छ भारत अभियान के सफलता में योगदान - नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसम्बर 2016 से अमरकंटक से शुरू होकर 11 मई 2017 को अमरकंटक में ही समाप्त हो गई। इस यात्रा में विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी, समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों का एक कोर ग्रुप शामिल हुआ था। इन सभी प्रतिनिधियों के कौशल एवं अनुभव का लाभ नर्मदा सेवा यात्रा 2016 में लिया गया। इस यात्रा से पर्यावरण संरक्षण को बहुत बड़ा आधार प्राप्त हुआ। नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहलाती है। इस यात्रा से नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण कराया गया। जिससे हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस यात्रा के माध्यम से नर्मदा नदी के तटों पर बसे गाँव एवं शहर के निवासियों में नर्मदा नदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न की गई एवं इसका महत्व उन्हें बताया गया, कि नर्मदा नदी एक देवी का रूप है, जो हमें जल के साथ पर्यावरण को साफ सुथरा करने का संदेश देती है। यात्रा के दौरान बुद्धिजीवियों द्वारा जनता को यह बताकर जागरूकता पैदा की गई कि नर्मदा का जल पवित्र जल है। जिसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। अतः नर्मदा सेवा यात्रा में निवेदन किया गया कि नदी, नालों में मलमूत्र एवं गंदगी ना फेलायें। इस यात्रा के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला स्वच्छता अभियान के सफलता में यह एक बड़ा योगदान

है। क्योंकि यह मध्यप्रदेश के लगभग आधे भाग से होकर गुजरती है। नर्मदा के तट यदि स्वच्छ रहेंगे तो नर्मदा का जल दूषित नहीं होगा अर्थात इस जल का उपयोग हम अच्छे तरीके से कर सकते है।

निष्कर्ष– मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी नदी माँ नर्मदा के संरक्षण हेतु प्रयास किया जाना अत्यंत्र आवश्यक हैं। नर्मदा नदी में प्रदूषण की रोकथाम जल व नदी संरक्षण तथा नदी एवं उसके संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके इसके लिए जन समुदाय के सहयोग से सार्थक पहल किए जाने की आवश्यकता हैं। नर्मदा नदी के महत्व एवं संरक्षण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक विशेष यात्रा के रूप में " नमामि देवि नर्मदे " यात्रा का संचालन 144 दिनों में किया गया। यह यात्रा मुख्य रूप से जन जागरूकता एवं जन समुदाय के सहयोग से नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में वानस्पतिक आच्छादन, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, मृदा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा प्रदूषण की रोकथाम के माध्यम से नर्मदा नदी के संरक्षण तथा पर्यटन विकास हेतु किए जाने वाले कार्यो पर केन्द्रित हैं।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. दैनिक भास्कर 31 दिसम्बर 2016 जबलपुर.
2. हरिभूमि 31 दिसम्बर 2016 जबलपुर.
3. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन.
4. नर्मदा सेवा यात्रा 2016 पत्रिका मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग भोपाल.
5. नेगी डॉ. जगमोहन पर्यटन एवं यात्रा के सिद्धांत, भारत सरकार पर्यटन विभाग नई दिल्ली।

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

स्मार्ट सिटी की चुनौतियाँ
(जांजगीर शहर के संदर्भ में)

* मंजुलता कश्यप

सारांश– *छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जांजगीर चाम्पा के जांजगीर शहर के 50 उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई। इनमें 30 महिलाएं (10 स्कूली, महाविद्यालयीन छात्राएं) तथा 20 पुरूष थे। यह अध्ययन करने का प्रयास किया गया कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा एवं चुनौतियों के प्रति कितने जागरूक है। स्मार्ट सिटी बनाने में कितना योगदान दे रहे है? जांजगीर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में क्या कठिनाईयॉ है तथा उन्हे किस प्रकार दूर किया जा सकता है।टाउनसेण्ड (2014) के अनुसार स्मार्ट सिटी वे स्थान है जहॉ नई और पुरानी समस्याएं दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को जोड़ दिया जाता है। स्मार्ट सिटी के निर्माण में विकास के मानदण्डों का सावधनीपूर्वक ऑकलन आवश्यक है। इसमें एक तरफ जहॉ शहर की स्थिति और आस-पास से इसका संपर्क महत्वपूर्ण बिन्दु है, वही दूसरी तरफ शहर की क्षमतानुसार वास्तविक योजनाएं और उसे पूरा करने के संसाधन सम्मिलित है।*

मुख्य शब्द– स्मार्ट सिटी अवधारणा, बुनियादी तत्व, चुनौतियां

अध्ययन विधि– स्मार्ट सिटी के विचार को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि शहर कैसे होते है? शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र होते है, जिनमें अलग-अलग व्यवसाय तथा कौशल एवं जातीय तथा सामाजिक संरचना वाले लोग एक साथ रहते है। वास्तव में विविधता और भिन्नता हमेशा से ही शहरों की पहचान रही है जिनसे नए विचारों को प्रोत्साहन मिला है। किन्तु समावेश निष्पक्षता तथा न्याय संबंधी चुनौतियॉ भी खड़ी हुई है। शहर अलग-थलग भी नहीं होते है, बल्कि शहरी क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते है। जिनसे शहरी प्रणाली का विकास होता है। शहरी क्रम के निचले स्तर (छोटे शहर एवं नगर) ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक करीब से जुड़े होते है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रो से शहरी क्षेत्रो की ओर पलायन बड़े शहरो से छोटे शहरो तक प्रत्येक स्तर पर होता है इस दृष्टिकोण से शहर आर्थिक वृद्धि के केन्द्र ही नहीं होते है बल्कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो समेत सभी प्रकार की आबादी को विकास के फल भी देते है। इसके अतिरिक्त शहर अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि सभी शहरों और कस्बों में आवागमन एवं आदान-प्रदान का कारण भी बनते है। वे सूचना, पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही तथा मजदूरों के आवागमन के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़े रहते हे। चूंकि अतीत में विभिन्न शहर

★ सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर (छ.ग.)

आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत रहे है। इसलिए मानव इतिहास के अपने-अपने युग में वे स्मार्ट रहे है। किन्तु स्मार्ट सिटी की वर्तमान बारीकियों को वैश्वीकरण की शक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी के विराट विस्तार के वर्तमान संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिनसे हमारे शहरों की सूरत तय हो रही है और जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव रहा है।

भारत के मौजूदा विकास और ढांचागत परिवर्तन के इस दौर में विकास के लिहाज से शहरो की अहम् भूमिका है। शहरों में सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, पानी, सफाई और सस्ते घरो के साथ दूसरी सेवाएं बहुत कम है। जिससे निजी सुविधाएं घटी है और इन शहरों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहने को मजबूर है।

स्वच्छ जल की कमी, दूषित जल के प्रशोधन की अनदेखी के कारण प्रदूषित जल, बारिश के पानी का सही प्रबंधन न होने के कारण जल जमाव और बाढ़, ट्रैफिक जाम से वायु प्रदूषण और ईंधन की गैर वाजिब कीमतें, भारतीय शहरों के लिए आम चुनौतियाँ है। एक सर्वेक्षण के अनुसार शहरों में सिर्फ 60 प्रतिशत लोगों के घरो में ही पीने का साफ पानी आता है। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की सुविधा सिर्फ 33 प्रतिशत लोगों को ही मिल पाती है। शहरी क्षेत्रों से जितना गंदा पानी निकलता है, उनमें 20 प्रतिशत से भी कम प्रशोधित किया जाता है।

भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का फोकस मुख्य तौर पर ग्रामीण विकास पर है। गॉवों की स्थानीय सरकारें 'शहरीकरण' से इसलिए दूर भागती है, क्योंकि उन्हे यह डर होता है कि शहरीकरण के दायरे में आते ही ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत जो फंड उन्हे मिलता है, वह बंद हो जायेगा। इसके साथ ही उन पर शहरीकरण से जुड़े नियम लागू होने लगेगें।

जून 2015 में भारत सरकार ने तीन बड़े राष्ट्रीय अभियानों का शुभारंभ किया। इनमें बदलाव और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2022 तक सबके लिए आवास और स्मार्ट सिटीज मिशन सम्मिलित है।

भारत के अधिकतर शहरों का मास्टर प्लॉन नहीं बना है और इसीलिए वहाँ अनियोजित शहरीकरण हो रहा है जो ज्यादा चिंता का विषय है। खासकर बुनियादी ढॉचो और सेवाओं को प्रदान करने के संदर्भ में तो बहुत चिन्ता का विषय है। शहरो के अधिकतर हाशिए के क्षेत्र तो लगभग प्रशासन रहित क्षेत्र है, क्योंकि न तो वे शहरी क्षेत्र है और न ही ग्रामीण। जैसे-जैसे शहरो का विस्तार होता है तो ये हाशिए के क्षेत्र भी शहर में सम्मिलित हो जाते है। जो अधिकतर अनियोजित होते है, इसलिए एक गहन योजनाकृत विकास की आवश्यकता है। जो शहरों के विकास को नियमित कर सके।

शहर और गॉवो के नियोजन के संबंध में चिंतको ने भरपूर चिन्तन किया था और इस बात का ध्यान रखा था कि विकास के संदर्भ में गॉव और शहरो के मध्य समन्वय बना रहे। इस हेतु उन्होने उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा था। चिंतको के ध्यान में यह विषय गंभीरता से बैठा हुआ था कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसका सामाजिक और आर्थिक विकास न हो। इसलिए चिन्तको ने नियोजन को राजधर्म माना। इसलिए ही शासको ने ग्रामीण और शहरी विकास के माध्यम से नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने के

प्रयास किए। इस संबंध में उन्होने यातायात, जनसंख्या एवं आवासीय व्यवस्थाओं पर अत्यधिक बल दिया। आधुनिक समय की तरह शहरी और ग्रामीण समस्याओं का सामना प्राचीन काल के नागरिकों को नहीं करना पड़ता था। नियोजन में तत्कालीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर विकास का प्रारूप तैयार किया जाता था। राज्यो के पास एक कार्यक्रम होता था जिसके माध्यम से वे शहर और गावों में जनसंख्या, स्थापना के कार्यो को अंजाम देते थे। मोहनजोदड़ो, हडप्पा, काली बंगा एवं लोथल के खण्डहर इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय का नियोजन कितना स्पष्ट हुआ करता था। रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में वर्णित शहरों के वर्णन से उनके नियोजन विकास एवं भव्यता का ऑकलन सहजता से ही किया जा सकता है।

प्राचीन भारत मे नगर नियोजन कुछ मूलभूत नियमों पर आधारित था, जैसे - मुख्य मार्गो का नियमित विकास, शहर का उपविभाजन तथा सड़कों की चौड़ाई निर्धारित करना। कौटिल्य नगर नियोजन की अनेकानेक अवधारणाएं प्रस्तुत करते है। नगर के सुदृढ़ भूमि भाग में राजभवनों का निर्माण कराना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि चारो वर्णो की आजीविका के लिए उपयोगी हो।

स्मार्ट सिटी के मूल बुनियादी तत्वों में निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित होगी -

* पर्याप्त जलापूर्ति
* सुनिश्चित बिजली आपूर्ति
* स्वच्छता (ठोस कचरा प्रबंधन सहित)
* सक्षम शहरी परिवहन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
* गरीबो के लिए सस्ते आवास
* आई टी संचार और डिजिटलाइजेशन
* सुशासन, ई-प्रशासन और नागरिक भागीदारी
* संवहनीय पर्यावरण व्यवस्था
* नागरिकों की सुरक्षा
* स्वास्थ और शिक्षा

भारत के संदर्भ में स्मार्ट सिटी को अग्रलिखित तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए-

* **तकनीक**- शहरों के प्रबंधन में डिजीटल तकनीक, कल्पनाशील तरीके से सक्षम समाधान प्रस्तुत कर सकते है। स्मार्ट सिटी को सड़को पर भीड़-भाड़ कम करनी चाहिए, वायु प्रदूषण को भी। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। घरो में पानी और बिजली के लिए डिजीटल मीटर लगाने से लोग खुद भी अपने उपभोग की दर को देख सकेगें। जिससे संसाधनों का अपव्यय रूकेगा।
* **वित्तीय व्यवस्था**- स्मार्ट सिटीज को सरकार में उच्चतर स्तर से, वित्तीय संस्थाओं, निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण प्राप्त करना होगा।
* **आंकड़ो तक पहुंच**- स्मार्ट शहर को बुनियादी ढॉचों और सेवा की सूचनाओं में खुलापन लाना होगा। विशेषकर उन सूचनाओं के लिए जो आम जनता से जुड़ी हुई है।
* **ऊर्जा**- हरित और स्वच्छ ऊर्जा (नवीकृत) स्मार्ट ग्रिड आधुनिक हरित इमारतें जो ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग और संरक्षण को उच्च स्तर तक कर सकती है। इससे ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा।

* **पर्यावरण**– स्मार्ट सिटीज ऐसे हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हरित क्षेत्र (पार्क, जंगल आदि) हो जो जैव विविधता को प्रोत्साहित करे। स्वच्छ हवा, जलाशयों का निर्माण और उनका संरक्षण, जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके। ऊर्जा के एक ही स्त्रोत पर निर्भरता को कम करना।
* **आपदा और जोखिम प्रबंधन**– स्मार्ट सिटीज को इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा।
* **सुधार**– शहरी भारत को न केवल उन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। जिसकी व्याख्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में की गयी है बल्कि अगली पीढ़ी के सुधारों को भी करने की आवश्यकता है।
* **सुशासन**– स्मार्ट सिटीज में मजबूत प्रशासन की आवश्यकता होगी। जिसमें तकनीक का प्रयोग अपरिहार्य होगा। एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से काम करना होगा। पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता होगी। नए तरीके से काम करने के लिए नए कौशल और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी।
* **नागरिक**– किसी भी शहर के कामयाब प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका केन्द्रीय होती है। प्रशासन को प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए। नागरिकों को बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए पहल की जानी चाहिए। नागरिकों के व्यवहार और उनकी प्रतिक्रिया को बदलने के लिए स्मार्ट सिटीज में उच्च्व तकनीक समाधान प्रस्तुत करना होगा।

विकासशील स्मार्ट सिटीज के लिए संवहनीय विकास और संवहनीय समाधान आखिरी लक्ष्य होने चाहिए। जब तक हम प्रशासन में सुधार और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नही लायेगें। तब तक हम दुनिया के स्मार्ट सिटीज की तरह अपने देश के शहरों को बनाने का स्वप्न पूरा नहीं कर पायेगें।

उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी –

सारिणी क्रमांक 01

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल	50	100
2	पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता	–	–
योग		50	100

सभी उत्तरदाताओं ने यह माना कि स्मार्ट सिटी का अर्थ स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल शहर से है।

सारिणी क्रमांक 02

स्वच्छता

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गीला और सूखा कचरा अलग–अलग डस्टबिन में डालते है।	40	80
2	एक ही डस्टबिन में डालते है।	10	20
योग		50	100

80 प्रतिशत उत्तरदाता स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में योगदान दे रहे है।

सारिणी क्रमांक 03

पर्यावरण संरक्षण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देते है	45	90
2	नहीं देते है	05	10
	योग	50	100

90 प्रतिशत उत्तरदाता पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देते है।

सारिणी क्रमांक 04

स्वास्थ्य और शिक्षा

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आपके शहर में स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर सुविधा है	45	90
2	नहीं है	05	10
	योग	50	100

90 प्रतिशत उत्तदाता मानते है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की नगर में बेहतर सुविधाएं है।

सारिणी क्रमांक 05

आवास व्यवस्था

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गरीबों के लिए सस्ते आवास की सुविधाएं है	40	80
2	नहीं है	10	20
	योग	50	100

80 प्रतिशत यह मानते है कि गरीबों के लिए सस्ते आवास की सुविधाएं है।

सारिणी क्रमांक 06

पर्याप्त जलापूर्ति/बिजली आपूर्ति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आपके पास पर्याप्त जल, बिजली की व्यवस्था है	30	60
2	नहीं है	20	40
	योग	50	100

60 प्रतिशत उत्तरदाओं के पास पर्याप्त जल, बिजली की व्यवस्था है।

सारिणी क्रमांक 07

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्कूल, महाविद्यालय, कार्यालय जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है।	25	50
2	नहीं है	25	50
	योग	50	100

50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्कूल, महाविद्यालय, कार्यालय जाने के लिए

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है।

सारिणी क्रमांक 08
नागरिकों की सुरक्षा

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नागरिकों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है	40	80
2	नहीं दिया जाता	10	20
योग		50	100

80 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि नागरिकों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

यह निर्विवाद है कि शहरीकरण ही भविष्य है। विश्व के आर्थिक विकास का इतिहास दर्शाता है कि शहरों का विकास न केवल स्वाभाविक है, बल्कि अपरिहार्य भी। शहरीकरण, स्थान का बेहतर दोहन कर और उत्पादक शक्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर कुछ ऐसी दक्षता पैदा करता है जो विकास प्रक्रिया को सुगम बनाता है। परन्तु शहरों को यदि उत्पादक उद्यमों का केन्द्र, रचनात्मकता का गढ और साझी प्रचुरता की पहचान बनना है तो उसके लिए सावधानी पूर्वक योजनाएं बनानी होगी। यह आवश्यक नही है कि नियोजन बाहर से थोपा जाए। वास्तव में यदि शहर के स्वाभाविक विकास की संभावनाओं का पता लगाकर उसे आधुनिक शहरी बसाहट से समेकित किया जाए तो भविष्य के नगरों का बेहतर चित्र तेयार किया जा सकता है।

निष्कर्ष– सभी उत्तरदाताओं ने यह माना कि स्मार्ट सिटी का अर्थ स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल शहर से हैं। वे स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में योगदान दे रहे है। पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देते है।

जांजगीर शहर में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की समुचित व्यवस्था तो है पर इस ओर और ध्यान दिया जाना आवश्यक है ठोस कचरा प्रबंधन के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है।

====================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. योजना- जुलाई 2006, जुलाई 2009, जनवरी 2011, सितम्बर 2014, सितम्बर 2015, सितम्बर 2017
2. कुरूक्षेत्र- सितम्बर 2014, फरवरी 2015, दिसम्बर 2015, फरवरी 2016

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

महिला सशक्तिकरण : उत्थान हेतु प्रयास

* मोनिका जोशी

सारांश- *21 वीं सदी की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये अच्छा और मानवीय जीवन क्या है या उसे किस प्रकार हासिल किया जा सकता हैं, इस ओर शासन की कई योजनायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रही हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण परिवार से शुरू होकर माता-पिता, अध्यापक, समाज, मीडिया एवं सरकार अर्थात संपूर्ण समाज से गुजरता है। अतः सभी के सामूहिक प्रयास से महिलाओं को हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत व योग्यता साबित करने के लिये प्रेरित करना चाहिये। शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम और योजनायें बनाई गई है जिससे महिलाओं का जीवन सुरक्षित व उन्नत हो सकें।*

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः''

जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं। पूजा का अर्थ है सम्मान से। तात्पर्य है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं सुख एवं समृद्धि का वास होता है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ प्रगति, उन्नति की सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति में नारी को देवी जैसा माना गया है। हमारे वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ सभी में नारी को बराबरी का स्थान दिया जाता है। भारत में अनेक विदूषी स्त्रियाँ हुई जिन्होने समाज का मार्गदर्शन किया। यही नही हमारे देवता गण भी नारी शक्ति की महत्ता को स्वीकारते हैं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी के द्वारा पूजी जाती है।

\- मनु

रामायण में प्रत्येक नारी पात्र की स्थिति सम्मानीय थी। कोई भी धार्मिक कार्य उनके बिना अपूर्ण माना जाता था। त्रेता युग में भी नारी को अत्यंत महत्व दिया जाता था। सतयुग में भी नारी को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे, प्रत्येक सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में समान रूप से प्रतिनिधित्व करती थी। अनेक स्त्रियाँ तो ज्ञान और भक्ति में पुरूषों से भी आगे थी। वे शास्त्रार्थ, देश की रक्षा आदि में आगे रह कर हिस्सा लेती थी। आर्यकालीन सस्कृति में नारी को समानता का स्थान दिया गया, मौर्ययुग में नारी की स्वतंत्रता एवं संतुष्टि का ध्यान रखा गया, गुप्त काल में नारी को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल में नारी की स्थिति सम्मानजनक थी।

स्वामी विवेकानंद ने कहा- "यदि आप मुझे 500 पुरूष दें तो मैं राष्ट्र को एक वर्ष में बदल दूँगा, परंतु यदि मुझे 50 महिलाएं दें तो मैं कुछ ही महीनों में देश को बदल

★ सह प्राध्यापक, गृह विज्ञान, ई-7, एम.438, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

दूँगा।'' महात्मा गाँधी ने ''यंग इंडिया'' में महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में उल्लेख किया हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में गाँधीजी की प्रेरणा से अनेक महिलाएं आजादी की लड़ाई में पुरूषों के साथ आगे बढ़कर भाग लेने लगी थी। उन्होने प्रभातफेरी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब के अड्डों पर धरना आदि में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। गाँधीजी महिलाओं की आंतरिक शक्ति व क्षमताओं को पुरूषों की क्षमता के समान मानते थे। उन्ही प्रेरणा से व मार्गदर्शन प्राप्त करके मृदुला बहिन साराभई ने अननी सहयोगी महिलाओं के साथ मिलकर एक संस्था की स्थपना की जिसका नाम ''ज्योतिसंघ'' रखा गया।

"Jyoti means light, Jyoti means lamp, spread the light of lamp, in the homes of the poor."

ज्योतिसंघ के उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास जाग्रत करके उनका व्यक्तित्व विकास करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास कर स्वावलंबी बनाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता देना, कौमी एकता की भावना जाग्रत करना, निडर एवं स्वतंत्र होकर जीवन जीने के लिये तैयार करना। ज्योतिसंघ द्वारा महिलाओं पर होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हिंसाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। 1934 में आत्मनिर्भर बनाने के लिये महिलाओं को छोटे-छोटे गृह उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता था। ज्योतिसंघ द्वारा इन महिलाओं को 'मानव' के रूप में मदद कर समाज को विकास की ओर ले जा कर शांति और प्रेम की स्थापना करना है। संस्था द्वारा यह प्रयास भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

सेवा का अर्थ है स्वाश्रयी कामदार महिला संघ, इस संस्था की नींव गाँधीजी के विचारों एवं सिद्वांतों पर आधारित हैं। 'सेवा' संस्था के उद्देश्य है स्वाश्रयी कामदार महिलाओं को अलग-अलग वर्गो में संगठित कर समस्याओं का निराकरण करना, कच्चा माल समूह हेतू खरीदना एवं बेचने की व्यवस्था करना, नई तकनीक से महिलाओं को प्रशिक्षित कराना आदि। सेवा संस्था में महिला को ही सदस्य बनाया जाता है।1973 में सदस्य संख्या 320 थी आज यह संख्या 46,016 है।

भारत में स्त्रियों की दशा में बहुत बदलाव देखने को मिल रहे है। महिला सशक्तिकरण के कारण मध्यम वर्ग की महिला पिछली पीढी से शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में आगे निकल गई है। महिला सशक्तिकरण का आशय सिर्फ महिलाओं द्वारा शक्ति का अधिग्रहण नहीं है बल्कि स्वशक्ति, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जाग्रत करना है। इस दिशा में हमारे प्रदेश मध्यप्रदेश में महिला नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। महिलाओं के लिये आई. आई.टी. एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण, डेनिडा योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण, ट्राइसेम योजना के द्वारा हैंडपंप मैकनिक का प्रशिक्षण, 488 आई. सी.डी.एस. की परिरयोजाएं चल रही हैं, कार्यस्थल पर शिशुघर बनाने आवश्यक हैं आदि। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष संस्था द्वारा लघु ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976, प्रसूति सुविधा अधिनियम-1961, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम-1956, हिंदू

विवाह अधिनियम-1955, दहेज प्रतिबंध अधिनियम-1961, संपत्ति संबंधी कानूनी अधिकार आदि अधिनियमों के द्वारा समानता के अधिकार दिये हैं।

महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उसके चारों तरफ की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक स्थितियों में बदलाव से जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण उनके व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तन से उनकी क्षमता को सुदृढ़ता प्रदान करना है। दरअसल महिलाओं में आनुवांशिक तौर पर विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होती है। उसके जीवन में जितने उतार-चढ़ाव आते है उतने पुरूषों के जीवन में नही आते हैं। साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के साथ ही सक्रिय पोषण व स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनयापन की स्थिति में सुधार लाना हैं। इस प्रकार मानव सभ्यता का समग्र विकास महिला एवं पुरूष दानों के विकास पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में पुरूषों का विकास की स्थिति सुदृढ़ है जबकि महिलाओं की स्थिति प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं।

महिलाओं में अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार के खिलाफ न्याय प्राप्त करने हेतु एक नागरिक के रूप में उसकी सुनवाई का प्रावधान है। छोटी उम्र में विवाह, शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित, जातिय दुव्यर्वहार अत्याचार आदि परिस्थितियों में उसके अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, जिसमें स्त्री को स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया गया हैं।

महिला अधिकारों का हनन रोकने, उन्हे सामाजिक न्याय दिलाने तथा स्वाभाविक हक दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है, जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराकर अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं। केन्द्र द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक राष्ट्रीय नीति लागू की जा रही हैं। देश में महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा के प्रति भी केन्द्र सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम संबंधी मौजूदा कानूनों के संशोधन पर भी विचार कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष पांच सौ से हजार महिलाएं जागरूकता के अभाव में मृत्यु की ग्रास हो जाती हैं। यदि इन्हे अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए तो न केवल इनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार होगा, वरन् इनके द्वारा महिला स्थिति को सुधारने में निश्चित ही सहायता मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण हेतु महिला को सशक्त बनाकर ही आगे सशक्त रखा जा सकता हैं। सशक्त या मजबूत होने पर महिला स्वयं समग्रविकास से जुड जाएगी। इसके आवश्यक है महिला का शिक्षित होना, शिक्षा सफलता की कुँजी है। बिना शिक्षा के जीनव अपंग है। शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास होता है, जीवन क हर पहलू को समझने की शक्ति प्राप्त होती हैं। आत्मविश्वास एवं आत्मनिभरता आती हैं महिला के शिक्षित होते से परिवार की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सकती हैं। एक शिक्षित महिला स्वंय का ही नहीं वरन् पूरे परिवार की उन्नति में सहायक हैं।

'' नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्धारित है।''

-अरस्तू

भारत में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, विवकानंद, महर्षि कर्वे, महात्मा गांधी जैसे नेताओं, मनीषियों व समाज सुधारकों ने ही पहले- पहले स्त्री की वर्तमान अधोन्मुखी दशा के बारे में सोचा और उसे उस स्थिति से निकालने की कोशिश की। समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराईयों का विरोध किया व स्वंतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के साथ उन्हे समाज में जगह दी पर वे उन कारणों को बताने में असफल रहे, जहां स्त्री पुरूष एक ही धरातल पर मानव की तरह पहचान रखते हुए भी भिन्न भिन्न हैं। अभी तक स्त्री सशक्तिकरण को पद के संदर्भ में भी देखा जा रहा हैं। पर क्या पदों की प्राप्ति से सशक्तिकरण हो जाता है, कई महिलाऐं कई महत्वपूर्ण पदों पर है, पर मानव चेतना की कमी एवं मानवीय संबंधों की स्पष्ट जानकारी के अभाव में महिलाओं को दिन प्रतिदिन घर, समाज व प्रशासनिक सभी स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है व पद के आधार पर दुनिया की सभी महिलाऐं सशक्त नही हो सकती हैं। अतः सशक्तिकरण के आधार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

21 वीं सदी की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये अच्छा और मानवीय जीवन क्या है या उसे किस प्रकार हासिल किया जा सकता हैं, इस ओर शासन की कई योजनायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रही हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण परिवार से शुरू होकर माता-पिता, अध्यापक, समाज, मीडिया एवं सरकार अर्थात संपूर्ण समाज से गुजरता है। अतः सभी के सामूहिक प्रयास से महिलाओं को हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत व योग्यता साबित करने के लिये प्रेरित करना चाहिये। शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम और योजनायें बनाई गई है जिससे महिलाओं का जीवन सुरक्षित व उन्नत हो सकें।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Times of India, Delhi, March, 2013
2. Hindustan Times, March, 2014
3. Economic Survey of Madhya Pradesh, 2013-14, Directorate of Statistics, Government of M.P., Bhopal;
4. त्रिपाठी, मधुसूदन, महिला विकासः एक मूल्यांकन, 2008, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली
5. दैनिक भास्कर, भोपाल, सितम्बर, 2017

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका

* उमेश कुमार चर्मकार
** सन्ध्या शुक्ला

सारांश- *ग्रामीण अंचल (पंचायतों) को विकास एवं राजनीति राज्य एवं सरकार में सम्पूर्ण सहभागिता बराबरी व उन्नति प्रदान करती है तथा प्राचीन धरोहर भारतीय महापुरूषों की सुंदर कल्पना व भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पंचायतीराज है। प्रजातांत्रिक सिद्धांत में उन सब कार्यक्रमों के बावजूद ऐच्छिक परिणाम प्राप्त न होने के कारण ग्रामीणों की आवश्यकताओं, हितों तथा संभावनाओं को स्पष्ट एवं पूर्णतया स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास प्रशासन तथा प्रबंधन अपनी मिन्न विशेषताओं के कारण एवं प्रकार की स्थानीय स्वशासित सरकार का सयंत्र है। गांधी जी का विचार था कि यदि भारत पंचायती राज व्यवस्था के रूप स्वरूप को स्वीकार करता है तो प्राचीन भारतीय स्वशासन का ऐतिहासिक स्वरूप हमें आत्मनिर्भर और सबल प्रदान करता है। जिसमें सभी का समान अधिकार होगा और ग्रामीण विकास एवं प्रवाहित स्वजलधारा के रूप में देखने को मिलेगा।*

अनुच्छेद 243(ख) त्रिस्तरीय पंचायतीराज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। राज्य विधान मण्डल की विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक स्तर की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथा संभव एक ही होगा। संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की स्थिति तिथि 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरिखित रहेगे।

पं. जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि-''यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवरण को प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही भला है।'' विचारों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श विधान तैयार करने को कहा गया इस प्रकार पंचायती राज का निरंतर विकास हो रहा है। पंचायती राज से संबंधित समस्याओं का निराकरण आवश्यक है। पंचायती राज कि संस्थायों से सहायता

★ शोध छात्र, एम.फिल (प्रथम सेमेस्टर) राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

★★ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

और उपयोगी बनाने के लिए भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

बलवन्तराय मेहता के प्रतिवेदन के अनुसार 12 जनवरी 1958 को केन्द्रीय सरकार ने आयोग कि सिफारिशे स्वीकार कर ली विभिन्न राज्यों में पंचायती राज्य कानून पारित किये गये पंचायती राज प्रदेश सरकारों का विषय है। अतः राज्य, सरकारों को आवश्यकतानुसार पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार दिया गया हैं आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हमांचल प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में पंचायती राज कायम कर दिया गया, जम्मू कश्मीर केरल, मणिपुर, सिक्किम त्रिपुरा में ग्राम पंचायतें नहीं है। नागालैण्ड में क्षेत्रीय पंचायतें है।

ग्राम सभी ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी और ऐसी कार्यो एवं उद्देश्यों को करेंगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपलब्ध करें। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है- ग्रामीण आवसान, लघु उत्पादन, पेयजल, खाड़ी ग्राम और कुटीर उद्योग, ईधन और चारा, बाजार और मेले, समाज कल्याण स्त्री और बाल विकास, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

सामाजिक शोध एवं वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं, सदस्याओं, कारणो, अन्तः सम्बन्धों तथा उनके अन्तर निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण, व निरूपण किया जाता है।

वह सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान है। सवाधिक अनुसंधान सामाजिक जीवन कि वास्तविकता से सम्बंधित होता है। उसका उद्देश्य सामाजिक जीवन से घटित घटनाओं को यथा संभव वस्तु निष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना या निरूपित करना होता है। सर्वाजनिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं अपितु ज्ञान में व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाना होता है जिससे किसी धटना का यथार्थ चित्रण संभव होता है जिनमें समस्या के आन्तरिक एवं बाह्य पक्षों के अध्ययन का समावेश होता है।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध पद्धति के द्वारा किया गया है। अनुसंधान पद्धति (शोध पद्धति) के द्वारा ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका कार्य एवं विशेषताओं को विवरणात्मक रूप से स्पष्ट किया गया है।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की मुख्य भूमिका लोकतंत्र में छोटी सी छोटी सामुदायिक इकाई को भागीदार बनाना है। देश की जनता का हर अंग प्रशासन में भागीदार हो और सत्ता का विक्रेन्द्रीकरण को इसी मूल प्रेरणा ने पंचायती राज को जन्म दिया गया है।

संक्षेप में ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है-

1. देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। अतः कृषि उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण समाज को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना तथा देश की खाद्यान्न में आत्म निर्भर बनाना ग्रामीण विकास में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है।

2. ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार लघु उद्योग है, ग्रामों में लघु उद्योग है। ग्रामों में लघु उद्योगों को विस्तार करना भी पंचायती राज की भूमिका है।
3. ग्रामीण में सहकारिता का विकास करना तथा विभिन्न प्रकार की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण जीवन का विकास करना।
4. ग्रामीण भारत में अपार जन शक्ति तथा प्राकृतिक साधन उपलब्ध है इस मानव शक्ति का ग्रामीण विकास के लिए समुचित उपयोग करना तथा साधनों को जुटा कर उनका अधिकाधिक उपयोग करना।
5. ग्रामों में रहने वाले कमजोर तथा पिछड़े वर्गो के करोड़ों लोगों का आत्म सम्मान का जीवन बिताने के लिए आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से समर्थ बनाना ग्रामीण विकास में पंचायती राज की मुख्य भूमिका है।
6. ग्रामीण समुदाय में एकता, आत्म निर्भरता और लोकतांत्रिक प्रणाली का विस्तार करना।
7. ग्रामीण में खर्च विहीन न्याय प्रणाली की स्थापना करना पंचायती राज की मुख्य भूमिका है।

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है प्राचीन काल में आपसी झगड़ो का फैसला पंचायते ही करती थी परंतु अंग्रेजी राज के जमाने में पंचायते धीरे-धीरे समाप्त हो गई और सभी अर्थ राज्य सरकारे करने लगी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्यों कि सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार-राष्ट्रीय नेत्व का दूरदर्शिता पूर्ण कार्य तथा पंचायती राज कि स्थापना इसमें भारतीय राज व्यवस्था की विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था का निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है।

पंचायती राज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान संरचना भारत में पंचायती राज संस्थाएँ स्मरणागीत काल से चली आ रही है जिन्हे साधारण भाषा में ग्रामीण भाषा के नाम से सम्बोधित किया जाता था जो स्वयं लघु गणराज्य के रूप में मानी जाती है उनका ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार एवं नियंत्रण शिक्षा भी शामिनल रहती है तथा समस्त धार्मिक कार्य कलापों का नियमित करती है।

सर चाल्स मैटकाफ-ने ग्रामीण समुदाय की इन संस्थाओं के मध्य को महसूस कर 1830 में लिखा था ''राजवंश एक के बाद एक आते रहे क्रांतियाँ एक के बाद एक होती रही है। बाहर से उपद्रवी आते गये लूटकर चले गये गॉव के गॉव उजड़ गये उनके स्थान पर लम्बे समय के पश्चात भी गॉव पुनः करने तथा जब अभी भी शान्ति पूर्व शासन कि शक्ति पुनः स्थापित हुई इस प्रक्रिया में चाहे कितनी पीढ़िया बीत गई हो, परन्तु इन संस्थाओं की स्थापना पुनः हो गई।

उपर्युक्त वर्णनों के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचायती राज इस देश में ग्रामीण समाज में हजारों वर्षो की पराधीनता से उत्पन्न अज्ञान, अन्याय और अथाव तथा असमर्थता का निराकरण करने तथा भारतीय ग्रामों को किसी सीमा तक स्वतंत्र गणतंत्रों के रूप में विकसित करना चाहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पिछले दो-तीन दशकों के दौरान ग्रामीण संस्थाओं की

नया प्रोत्साहन मिला। सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की प्रथा को समाप्त करके ग्रामीण संस्थाओं का अधिक लोकतांत्रिक बनया गया।

अतः प्रशासन को चलाने के लिए ग्रामीण शासन से निर्वाचित सदस्यों को पर्याप्त शक्तियाँ दी गई। पंचायती राज संस्थाओं में क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन से जुड़ी समस्याओं के चर्चा करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए राजनैतिक गतिविधि नीति के प्रत्येक चरण को प्रभावित करती है जिसमें राज्य सरकार और जिला अधिकारियों का उदासीन होना उनके लिए घातक होगा राज्य सरकारों उनके तकनीकी अभिकरणों तथा जिला अधिकारियों से पंचायती राज्य संस्थाओं को मार्गनिर्देशन करना उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है इन सभी में विकेन्द्रित लोकतंत्रीय संस्थाओं के भिन्न दार्शनिक तथा पथ प्रर्दशक बनाता है। इसमें जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देने वाली शिक्षकों की तरह कार्य करना होगा जनता कि तरह अधिकारीगण विकेन्द्रित लोकतंत्र की गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारी के रूप में सम्मुख आने चाहिए।

======================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1 भारतीय प्रशासन, डॉ.डी.एस.

2 भारत में राज्यों की राजनीति, हरीश कुमार खत्री

3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक, डॉ. रामदेव भारद्वाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी

4 आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन, गोविंद प्रसाद शर्मा म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी

5 रीथिकिंग इन्टरनेशनल रिलेशन्स मैकमिलन, हेल्लीडे फ्रेड प्रेस लंदन।

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

राजस्थान में दलित राजनीतिक चेतना

* पपलीराम
** नरेन्द्र सीमतवाल, ***अजय कुमार शर्मा

सारांश- विश्व के बदलते परिदृश्य में सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियॉ सदैव समरस नही होती और सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक इच्छाएं प्रायः उस समाज, देश अथवा राज्य की संगठित परिचालित तथा जीवन्त बनाये रखने की दिशा में कार्य करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था समाज मनुष्यों की सामूहिक चेतना किसी सामान्य इच्छा, इतिहास द्वारा निर्धारित दिशा अथवा ईश्वरीय रचना का स्वरूप तो नही होती, किन्तु विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन बिताने की भावना आवश्यक होती है। राजनीतिक परिदृश्यके बारे में जानकारी ही राजनीतिक चेतना है, जिसका सहभागी अभिविन्यास एवं राजनीतिक क्षमता से गहरा सम्बन्ध है। जो राजनैतिक चेतना तिलक के उग्रवाद के कारण जन्मी और जिसे गॉधीजी के विचारों से सफलता मिली। समाज में परिवर्तन के साथ दलितों में भी सामाजिक-राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिर्वतन आया है। सदियों से पीड़ित, शोषित, वंचित, बहिष्कृत इस वर्ग के लोगों को सवैंधानिक प्रावधानों के पश्चात् राजनीति में प्रवेश का अवसर मिला तभी से इस वर्ग में राजनीतिक चेतना आनी शुरू हुई और आरक्षण के कारण इस वर्ग के लोग राजनीतिक नेतृत्व में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। दलित वर्ग का राजनीति में प्रवेश हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त व पारदर्शी बनाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। राजनैतिक चेतना के फलरूवरूप लोकसभा से लेकर विकेन्द्रीकृत शासन (पंचायती राज) व्यवस्था तक इस वर्ग की भागीदारी बेखूबी से देखी जा सकती है।

मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण एक ही प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से विचार व्यक्त किये जाते हैं। पृथकत्व की भिन्नता के साथ ही साथ व्यक्तियों में आधारभूत बातों के सम्बन्ध में विचारों की समानता भी पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा पर शासन शक्ति प्राप्त करने और अपनी नीति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए प्रयत्नशील रहते है।[1] किसी भी देश में राजनीतिक चेतना आकस्मिक घटना का परिणाम नही होती है, इसके लिए युगों-युगों तक साधना और प्रयत्न करने पड़ते है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था लोकतन्त्र अथवा

★ असि0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर (राज0) भारत
★★ एसो0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर (राज0) भारत
★★★ शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर (राज0) भारत

समाज मनुष्यों की सामूहिक चेतना किसी सामान्य इच्छा, इतिहास द्वारा निर्धारित दिशा अथवा ईश्वरीय रचना का स्वरूप तो नही होती किन्तु विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन बितानें की भावना आवश्यक होती है। यह सदैव समरस नहीं होती और इसमें अनेक छोटे-बडे समूहों की इच्छाओं में टकराव भी होता रहता है। ऐसी इच्छाओं के अनेक पक्ष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि हो सकते है। राजनैतिक इच्छाएं प्रायः उस समाज, देश अथवा राज्य की संगठित परिचालित तथा जीवन्त बनाये रखने की दिशा में कार्य करती है।[2]

13 वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारत में एक द्धन्दात्मकता की स्थिति रही, जिसमें उच्च वर्गीय जाति प्रथा के विरूद्ध आक्रोश और विद्रोह दोनों ही उबाल पर थे। समाज में ब्राहाणों के उच्च स्थान और उनके प्रभुत्व को लेकर विचार मन्थन आरम्भ हो गया था। दुःखी, पीड़ित, शोषित प्रताडित निम्न जाति के व्यक्ति पशु सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार की परिस्थितियों में रामानुजाचार्य अपने नये सामाजिक दर्शन के साथ अवतरित हुए। वे अपने विचारों से जाति प्रथा में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे। उनके क्रान्तिकारी विचार निम्न जाति के लोगों के लिए परिवर्तन की एक दिशा थी। उन्होनें ब्राहोत्तर लोगों को मन्दिर में आराधना करने का अधिकार देकर उनमें एक नूतन, स्वतंत्र धार्मिक चेतना के सिद्धान्त की स्थापना की। इस धार्मिक विचार का प्रचार-प्रसार और प्रयोग होने लगा। यह धार्मिक आधार पर आधारित वैचारिकी जीवन का स्वतः हिस्सा बन गयी। इसी प्रकार रामानन्द धर्म के बाह्य आडम्बर और संस्कार के विरोधी थे, उन्होने एक व्यावहारिक सिद्धान्त की स्थापना कर यह बताया कि सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर के अंश है, फिर परस्पर कटुता, द्वेष, घृणा, ऊँच-नीच की भावना आदि क्यों? रामानन्द के इस वैचारिक सिद्धान्त ने भारत के परम्परात्मक ढांचे में उथल-पुथल पैदा कर दी। इस समय समाज विभिन्न जातियों के छोटे-बड़े खानों में विभाजित था। इस प्रथा और व्यवस्था के वे विरोधी थे।[3] 19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध का समय राजनीतिक-राष्ट्रवादी चेतना के फलने-फूलने और एक संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्‌भव और विकास का साक्षी है। इस दौर में भारत के नये शिक्षित वर्ग ने राजनीतिक शिक्षा के प्रसार और देश में राजनीतिक संघों की स्थापना हुई तथा इस कार्य की प्राप्ति हेतु नये राजनीतिक विचारों, यथार्थ की नयी बौद्धिक अनुभूति, संघर्ष ओर प्रतिरोध की नई तकनीकी को आधार बनाया गया था।[4]

प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विषेष जीवनोद्धेश्य है, वही उसके जीवन का केन्द्र होता है, उसके जीवन का प्रधान स्वर होता है जिसके साथ अन्य सब स्वर मिलाकर समरसता उत्पन्न करते है। भारत वर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र है और यही राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत प्रधान स्वर है। यदि धर्म को अलग कर राजनीति समाजनीति अथवा दूसरी नीति को जीवन शक्ति को केन्द्र बनाने में सफल हो जायेगें तो उसका फल यह होगा कि भारत का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। धर्म रूप मेरूदण्ड से ही सारे कार्य करने होंगे। वेदान्त द्वारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिर्वतन लाकर ही धर्म का सच्चा प्रचार हो जाता है।[5]

ब्रिटिश राज में जाति ने राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आरम्भ किया। आजादी के पश्चात भारतीय राजनीति में इसकी सहभाकिगता बढती चली गयी।

राजनीतिक दलों द्वारा अपनी राजनीतिक सहायता और मत प्राप्ति के उद्देश्य से इसका यह जातिगत सामाजिक व्यक्ति समूह की पहचान विषय तथ्य आसान साधन बन गया । जैसे-जैसे राजनीतिक दल अपने चुनावी उद्देश्य से जातिगत व्यवस्था का दोहन करने लगे त्यों ही जातिगत समूहों को राजनीति में सक्रियता द्वारा अपनी पहचान बनाने और समाज में अपने लिए और पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता गया।[6]

परवर्ती वर्षों में जो राजनीतिक चेतना तिलक के उग्रवाद के कारण जन्मी तथा जिस पर गांधीजी ने अपने विषाल विचार प्रसाद का सफल निर्माण किया वह सब कुछ उदारवादियों में राष्ट्रीयता के प्रति जितनी गहन संवेदना थी उतनी ही गहन संवेदनाओं का राजनैतिक क्षितिज उन्होने निर्मित किया।[7]

भारतीय जनता के मन में बौदिक और राजनीतिक स्तर पर जो हलचल पैदा हुई उसने भी सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन को आगे बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी लेकिन सामाजिक परिवर्तन की सबसे अधिक प्रबल शक्तियाँ तब उभरी जब छोटी जाति के लोगों तथा स्त्रियों ने अपने दलित स्थिति के प्रति जागरूक होकर समाज पुर्नपतिरूपण के लिए संघर्ष करना प्रारम्भ किया। उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में ज्योतिबा फूले सरीखे लोगों के नेतृत्व में निम्न जाति का एक प्रभावशाली आन्दोलन चलाया गया। इसी तरह दक्षिण भारत तथा केरल में सन् 1920-30 के बीच उच्च वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्पीडन के विरूद्ध निम्न वर्ग ने स्वयं को संगठित कर संघर्ष किया। स्त्रियां और आदिवासी लोग भी अपने अधिकारों की रक्षा हेतु उठ खडे हुए। इस तरह जनता में सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने के लिए आम जनता की हिस्सेदारी सार्वजनिक सभाओं, लोकप्रिय आन्दोलनों, मजदूर संघों और किसान सभाओं का आयोजन किया गया।[8]

ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का हस्तांतरण करने और उससे सम्बंद्ध तात्कालिक एवं लम्बे समय की व्यवस्थाओं के विवरण तैयार करने का फैसला किया उसने एक मंत्रीमण्डल मिशन भारत भेजा। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों के प्रतिनिधि नेताओं से लम्बे और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मिशन ने अपनी योजना घोषित की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। लेकिन बाद में योजना के आय को लेकर मतभेद पैदा हो गये। अन्ततः सितम्बर 1946 में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आत्मविश्वास, निष्ठा और उम्मीद के साथ स्वतत्रंता, जनतंत्र और सामाजिक न्याय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने कदम बढाना शुरू किया जो कि राजनीतिक चेतना का ही परिणाम रहा।[9] स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए संविधान के माध्यम से जनसाधारण को वयस्क माताधिकार प्राप्त हुआ एवं उस समय से लगातार आम चुनावों के माध्यम से जनता राजनीति के प्रति अभिरूची प्रदर्शित करती आ रही है। इससे भारतीय राजनीति में जनप्रतिनिधित्व की भावना का विकास हुआ है और जनसाधारण देश की राजनीति में अहम् भूमिका का निर्वाहन कर रहा है।[10]

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तथा इसके बाद से भारत ने आत्मविश्वास, निष्ठा और उम्मीद के साथ स्वतंत्रता, जनतन्त्र और सामाजिक न्याय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने कदम बढ़ाना शुरू किया जो कि राजनीतिक चेतना का ही

परिणाम रहा।[11]

राजनीतिक चेतना से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारें में जानकारी से है। यह राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करता है। राजनीतिक सजगता का सहभागी अभिविन्यास एवं राजनीतिक दक्षता से गहरा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार की राजनीतिक सजगता को राजनैतिक समाजीकरण की संज्ञा भी दी जा सकती है।[12]

राजनीति चेतना का तात्पर्य है, राजनीतिक कार्यप्रणाली की जानकारी होना, राजनीतिक जागरूकता में राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी समाहित होती है और यह राजनीतिक तंत्र को समझने की एक कुन्जी है। राजनीतिक जागरूकता, भागीदारी, विचारोन्तुखता एवं राजनीतिक क्षमता के बीच में एक मजबूत सहसमबन्ध है। मतदाताओं की राजनीतिक चेतना चुनाव के समय ही ज्ञात की जा सकती हैं। चुनाव जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक एवं जनतंत्र के रक्षक का कार्य करने वाली एक प्रक्रिया है।[13]

भारत की दलित समस्या प्राचीनकाल में दो नस्ली जातियों और दो संस्कृतियों के संघर्ष और वैमनस्य का परिणाम है। विदेशी और कई भारतीय इतिहासविदों का, जिनमें बाल गंगाधर तिलक भी हैं का मानना है कि ईसा से 4-5 हजार वर्ष पूर्व, सुदूर उत्तर से किहीं दैवी आपदाओं के कारण एक बड़ा जाति समूह पहले ईरान आया। कुछ दिनों बाद यहां से दो समूहों में बंट गया। एक समूह यूरोप की तरफ चला गया और दूसरा समूह अफगानिस्तान होकर वर्तमान पाकिस्तान और पंजाब क्षेत्र में आया। भारत (पाकिस्तान सहित) में लगभग तीन-चार हजार वर्षो पूर्व इनका प्रवेश हुआ। भारत के इस क्षेत्र को सिंधु की घाटी सभ्यता कहा जाता है। बाहर से आने वाले अपने को आर्य कहते थे और यहां के मूल-निवासियों को अनार्य। आर्यो ने अपने को देव या सुर तथा अनायों को असुर, दस्यु, राक्षस आदि अपमानजनक नाम दिए। आर्यो के दल के नेता इन्द्र औरअनार्य दल के नेता वृत्तासुर थे। दोनों जाति समूहों के बीच संघर्ष होने लगा। यह संघर्ष सैकड़ों वर्षो तक चला। आर्यो और अनार्यो के इसी संघर्ष को 'देवासुर संग्राम' कहा गया है। अंत मे आर्य विजयी हुए। अनार्यो के इसी संघर्ष को 'देवासुर संग्राम' कहा गया है। अनार्यो की सभ्यता को नश्ट कर दिया गया। बहुत से अनार्यो को गुलाम बना लिया गया। उन की स्त्रियों और संपति को छीन लिया गया इन्हें ही शूद्र नाम दिया गया। कुछ अनार्य संघर्ष के कारण भारत के दक्षिणी भाग में चले गए। उन्होंने आर्यो की अधीनता स्वीकार नहीं की। यही भारत की आदिवासी या जनजातियां हैं। कुछ भारतीय विद्वान आर्यो को भी भारत का मूलनिवासी मानते हैं। इसमें कितनी सत्यता है इसे अनुसंधान से जाना जा सकता है।[14]

'दलित' शब्द का अर्थ, दबाया गया, गिराया गया, दो फाड़ किया गया है। दूसरे शब्दों में उत्पीड़ित, अपमानित, शोशित, छलित, वंचित, बहिश्कृत भी इन्हें कहा जा सकता है। इसका व्यापक अर्थ है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृश्टि से कमजोर व्यक्ति। इसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, घुमंतू जातियों के साथ ही स्त्रियां, बंधुआ मजदूरी, विस्थापित, देवदासियां, वेश्याएं, ढाबों पर बर्तन धोने वाले बच्चे, ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, कूड़े के ढेर से प्लास्टिक और बोतल बीनने

वाले, स्टेशनों पर घूमने वाले असहाय बच्चे सभी आते है। किंतु व्यवहार में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को ही दलित कहा जाता हैं। मुस्लिम काल में इन्हें 'अछूत' कहा जाता था। महात्मा गांधी ने इनका नाम 'हरिजन' रख दिया। माहत्मा गांधी की मंशा भले अच्छी रही हो किंतु दक्षिण के मंदिरो में समर्पित की गई देवदसियों से उत्पन्न नाजायज संतान को भी 'हरिजन' कहा जाता था, इसलिए दलितों ने इस नाम का विरोध किया। इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहा गया है। यह शब्द सरकार द्वारा आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता का अर्थ देते हैं। इसलिए इस समाज ने स्वयं अपने को 'दलित' कहना अधिक उपयुक्त समझा। यह शब्द जहां दलितों को पीड़ित होने का अहसास कराता है वहीं पीड़ित होने के कारणों और उसके निवारण का उपाय कर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करने को भी प्रेरित करता है।

हरिजन दलित और अनुसूचित जाति के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान पुरूशोत्तम अग्रवाल कहते हैं-हरिजन, जाति व्यवस्था में निहित ऐतिहासिक अन्याय की चेतना का स्वर्ण दृश्टिकोण को व्यक्त करने वाला शब्द हैं, इसमें एक प्रकार का पश्चाताप का भाव है। 'दलित करूणा या पश्चाताप का नहीं बल्कि बेवजह दमन और उपमान का शिकार होने के स्वाभाविक रोश को व्यक्त करता है। अनुसूचित जाति अंग्रेज प्रशासन की देन है। इसमें निहित सोच के लिए जाति-व्यवस्था की प्रताड़ना की समस्या, कुल मिलाकर विषेश अवसर पाने की समस्या है।[15]

दलित शब्द आधुनिक है। इस नए नामकरण में समाज के सबसे नीचे के तल को कुछ जातियों को दलित कहा गया हैं। दलित शब्द आधुनिक है परन्तु दलितपन का इतिहास प्राचीन है। भारतीय वर्ण व्यवस्था ने जब जातियों का रूप धारण किया तब समाज में से एक वर्ग को अछुत कहा गया। तब इस वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई। फलतः दलितपन का आरम्भ हुआ। दलित शब्द पीडित के अर्थ में आता है दलित वर्ग में वह सभी जातियां सम्मिलित है जो जातिगत सोपानक्रम में निम्न स्तर पर हैं जिन्हें सदियों से दबाकर रखा गया है। अतः दलित उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति का अनुभव करता है।

यद्यपि दलित शब्द देशकाल के सापेक्ष नहीं है तथा वह जातिगत सीमाओं से भी परे है। फिर भी हमारे समाज में दलित शब्द को जाति विषेष से ही पृथक करके देखा जाता है। दलित शब्द व्यापक अर्थ में पीडित के अर्थ में आता है पर दलित शब्द का प्रयोग हिन्दू समाज व्यवसीा के अन्तर्गत परम्परागत रूप में शूद्र माने जाने वाले वर्णों के लिए रूढ हो गया है। मानक हिन्दी शब्द कोश में ''दलित का अर्थ दलिछर, दरिद्र तथा गया-बीता और बहुत ही निम्न कोटि का कहा गया है''।

वर्तमान में दलित शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है इसलिए उत्पति के आधार पर इसके सही अर्थ को जानना आवश्यक है। ''दलित शब्द की उत्पति संस्कृत ध ाातु 'दल' से हुई है, सिका अर्थ तोडना, हिस्से करना और कुचलना है''। संस्कृत हिन्दी शब्दकोश में ''दलित का अर्थ, दलन किया हुआ, गिरा हुआ और अविकसित कहा गया है। दलित शब्द को शब्दकोश में इस रूप में दिया हुआ है- दल+क्त-टुटा हुआ, चीरा हुआ, फाड़ा हुआ, टूकडे - टूकड़े हुआ''। दलित वर्ग का सामाजिक सन्दर्भो में अर्थ होगा,

वह जाति समुदाय जो अन्याय पूर्वक कुछ विशिष्ट जातियों द्वारा दमित किया गया है। इस प्रकार दलित का अर्थ है, '' जिसका दलन हुआ हो, मसला या रौंदा गया हो, जो दबाया गया हो, कुचला गया हो अथवा जिसे पनपने या बढ़ने नहीं दिया गया हो, और ध्वस्त या नष्ट किया गया हो। अर्थात दलित वर्ग समाज का वह निम्नतम वर्ग है जो उच्च वर्ग के लोगों के उत्पीड़न के कारण आर्थिक दृष्टि से बहुत ही दीन दशा में हो। एंग्लो हिन्दी डिक्शनरी मे '' डिप्रेस्ड का अर्थ अस्पृश्य और डिपेस्ड क्लास का अर्थ अछूत जाति कहा गया है। साथ ही दलित शब्द के लिए 'डाउन ट्रोडन '' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ पद दलित कहा गया है। दलित मूलतः प्राचीन मराठी का शब्द है जिसका उपरोक्त अर्थों के अलावा एक अर्थ मैदान या टूकडो में टुटना भी है।

अंत हिन्दी और संस्कृत शब्दकोशों में दलित का अर्थ, दबाना, नीचा करना, झुकाना, कुचलना, रौंदना, गया-बीता तथा जिसके टुकड़े-टुकड़े हुए हो, कहा गया है। परन्तु अंग्रेजी से हिन्दी शब्दोश में डिप्रेस्ड को अस्पृश्य और अछूत जाति माना गया है। शब्दों के अर्थो में भिन्नता होने के बावजूद इस शब्द का प्रचलन प्राचनीकाल में ही आरम्भ हो गया था। प्राचीन काल में दलितों के लिए शूद्र, अतिशूद्र अन्त्यज और अस्पृश्य शब्दों का प्रयोग हुआ है और 19वीं शताब्दी में यह शब्द दलित के रूप में प्रयोग किया गया।

दलित से अभिप्रायः वे व्यक्ति या समूह हैं जिन्हें सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर शोषित किया जाता है तथा इन्हीं आधारों पर इन्हें समाज में उचित अवसर नहीं दिया जाता है। ऐसे सभी लोगों को दलित कहा जाता है। दलित जाति का प्रत्येक व्यक्ति अस्पृश्यता में पैदा होता है और अस्पृश्यता में मर जाता है।

इस तरह इसके अर्थ में देश के शिल्पकार ओर काश्तकार सभी आते है। यदि दलित शब्द को और अधिक स्पष्ट करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग के जन तथा महिलायें सभी दलित समुदाय में सम्मिलत है। दलित शब्द स्वयं जाति विरोधी है क्योकि दलितों में अनेक जातियां होते हुए भी वे दलित समुदाय में एक ही है। इस तरह यह एक वर्गीय शब्द है दलित शब्द एक संस्कृति का द्योतक है। दलित शब्द असाम्प्रदायिक है, क्योंकि राधास्वामी, निरंकारी, पलटपंथी, दादूपन्थी, शैव, शाक्त और भैरव भक्त आदि। परन्तु दलित आंदोलन में सभी एक है। दलित शब्द प्रगतिशीलता का भी परिचायक है क्योंकि दलितों के नाम पर चलने वाली सभी संस्थाए प्रगति और उन्नयन के कार्यो में संलग्न हैं। दलित शब्द अस्मितादर्शी है जो दलितों में स्वाभिमान की भावना प्रदान करता है। दलित शब्द पीड़ाओं का परिचायक भी है।[16]

राजस्थान में पहले आम चुनाव 1952 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 160 थी, लेकिन 1956 में अजमेर का विलय होने पर 1957 में 176 हो गई जो तीसरे चुनाव 1962 तक रही। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन के बाद 1967 में 184 की गई जो छठे चुनावों के समय पुनः सीमांकन के कारण यह संख्या बढ़ाकर 1977 में 200 कर दी गई जो आज तक है।[17]

राजस्थान में प्रारम्भ में ब्राहम्ण व राजपूत जातियों का प्रभुत्व था लेकिन 1967 विधानसभा चुनाव और उसके पश्चात कांग्रेस का विभाजन तथा 1971 के लोकसभा निर्वाचन के पश्चात् ब्राह्मम्णों एवं राजपूतों के प्रभुत्व में अत्यधिक कमी आई और जाटों

के प्रभाव में वृद्धि हुई तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति में भी राजनीतिक जागृति आनी शुरू हुई।[18]

प्रथम आम चुनाव 1952 के विश्लेषण के अनुसार कुल 12 जाट, 54 राजपूत, 22 ब्राहम्ण, 15 वैश्य, 2 मुस्लिम, 10 अनुसूचित जाति के एवं 6 अनुसूचित जनजाति के तथा 39 विधायक अन्य विभिन्न जातियों के निर्वाचित हुए। प्रथम आम चुनाव से लेकर निर्वाचित जाट विधायकों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही गई। यहां तक कि 1993 में यह संख्या 38 तक पहुँच गई तथा राजपूत विधायकों की संख्या लगातार घटती चली गई, साथ ही अन्य जातियों में भी राजनीतिक चेतना के कारण निरन्तर वृद्धि होती गई। ब्राह्मणों, वैश्यों तथा मुसलमानों की संख्या में भी बराबर वृद्धि होती रही। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्थान आरक्षित हो जाने से उनकी संख्या भी निरन्तर बढ़ती चली गई और इनमें राजनीति के प्रति लगाव बढता चला गया।[19]

1957 के चुनावों में जाटों की संख्या बढ़कर 23 हो गई तथा अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या 176 में से 20 से भी नीचे रही थी। राज्य विधानसभा के पांचवे चुनाव 1992 में जातियों की दृष्टि से सर्वाधिक 33 जाट, 22 राजपूत , 21 ब्राहम्ण, 22 वैश्य, 32 अनुसूचित जाति के, 22 अनुसूचित जनजाति के विधायक चुने गये तथा कुल 6 मुसलमान जीते व अन्य पिछड़ी जातियों सहित शेष 27 विधायक जीते थे। राजनीतिक चेतना के कारण जातीय गणित पूरी तरह से बदल गया था। दिसम्बर, 2003 मे हुए 12वीं विधानसभा चुनावों में कुल 200 सीटों में से 31 विधानसभा सदस्य अनुसूचित जनजाति के चुने गये जबकि अनुसूचित जनजाति केलिए कुल 24 विधानसभा सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के 7 सदस्य सामान्य वर्ग क्षेत्र से चुनकर आए जो इस वर्ग की चेतना को प्रर्दशित करता है। 12वीं विधानसभा के लिए सामान्य सीट से चुनकर आए अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सवाईमाधोपुर, श्री कन्हैया लाल मीणा बस्सी, श्री मुरारी लाल मीणा बॉंदीकुई, श्री रामनारायण मीणा नैनवा, श्री सुरेश मीणा करौली, श्री कान्ति मीणा थानागाजी, श्री विषजी राम मीणा जहाजपुर से चुनकर आये।20 दिसम्बर 2008 में हुए 13वीं विधानसभा चुनावों में कुल 200 सीटों में से आरक्षित 33 सीटों की अपेक्षा 35 विधानसभा सदस्य अनुसूचित जाति के चुने गये जबकि 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है जबकि 33 विधायक इस वर्ग चुन कर आये। वही 14वीं विधानसभा (2013) में भी अनुसूचित जाति के 34 विधायक व अनुसूचित जनजाति के 32 विधायक चुनकर आये।21इसी प्रकारलोकसभा के लिए राजस्थान से अब तक दलित वर्ग के (अनुसुचित जाति 56 व अनुसूचित जनजाति-41) व्यक्ति निर्वाचित हुएयह दलित वर्ग में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम है।22

सदियों से पीडित, शोषित, वंचित, बहिस्कृत दलित वर्ग के लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के पश्चात राजनीति में प्रवेश मिला और तब इस वर्ग में सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक चेतना आई। दलित वर्ग का राजनीति में प्रवेश हमारी प्रजातांन्त्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त व पारदर्शी बनाने के लिए कारगर साबित हो रहा है इससे वर्गों के सभी लोगों को राजनीति में आने का मौका मिला है।

अतः कहा जा सकता है कि समाज के सभी वर्गों में व्यवसाय, शिक्षा, सेना, प्रशासन तथा राजनीति में भागीदारी से परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन से दलित वर्ग भी

वंचित नही रहा है। दलित वर्ग में राजनीतिक भागीदारी से जो परिवर्तन दिखाई दिया है उसे निम्न बिन्दूओं से स्पष्ट किया जा सकता है-

1. राजनीतिक चेतना के कारण अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार से परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है।
2. राजनीतिक चेतना के प्रभाव के कारण जाति पंचायतों का स्थान जातीय संगठनों ने ले लिया है।
3. उच्च जातियों की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति का पतन हो रहा है।
4. निम्न समझे जाने वाली जातियों में सामाजिक-राजनैतिक जागरूकता का विकास हुआ है।
5. राजनीतिक दलों का निर्माण जातिवाद के आधार पर हो रहा है।
6. राजनीति में जातीय आधार पर नेतृत्व का विकास हुआ है।
7. दलित राजनीतिक चेतना के विकास के कारण जातियों में नवीन सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण हुआ है।
8. दलित राजनीतिक चेतना के विकास से समाज के लगभग सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ा है।
9. दलितों में आई राजनीतिक चेतना के परिणाम स्परूप आज सभी जगह इनकी सहभागिता दिखाई दे रही है। जो इस वर्ग के विकास को इंगित करता है।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. शर्मा, शंकर दयाल, चेतना के स्त्रोत , प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 1993, प्र016
2. सक्सैना के. एस. 'राजस्थान में राजनैतिक जन जागरण' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी , जयपुर,2008 प्र.1
3. सिंह , वी.एन. एवं सिंह, जनमेजय ' भारत में सामाजिक आन्दोलन' रावत पब्लिकेशन , जयपुर, 2007 पृ.3
4. चन्द्र,विपन, त्रिपाठी, अमलेश एवं दे अरूण, 'स्वतन्त्रता संग्राम', नेशनल बुक ट्रस्ट , दिल्ली 1972, पृ0169
5. पाई, ल्यूसियन एवं वर्बा, सिडनी, 'पालिटिकल कल्चर एण्ड पॉलिटिकल डवलपमेन्ट' प्रिन्सटल यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटल, 1996, पृ058
6. स्टेसी, बी0 पॉलिटिकल सोशियलाइजेशन इन वेस्ट्रन सोसायटी, एशिया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 1978, पृ25
7. चन्द्र,विपन, त्रिपाठी, अमलेश एवं दे अरूण, 'स्वतन्त्रता संग्राम', नेशनल बुक ट्रस्ट , दिल्ली 1972, पृ042
8. नरायण, इकबाल, ' राष्ट्रीय आन्दोलन तथा भारतीय संविधान', एलाइड पब्लिकेशन, नई दिल्ली,1968, पृ401
9 चन्द्रविपिन, त्रिपाठी ' अमलेश एवं डे, अरूण, स्वतंत्रता संग्राम, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली,1972, पृ163
10 नारायण इकबाल, पूर्व उद्धृत, पृ746
11 चन्द्र,विपन, त्रिपाठी, अमलेश एवं दे अरूण, 'स्वतन्त्रता संग्राम', नेशनल बुक ट्रस्ट , दिल्ली 1972, पृ0169
12 मल,पूरण, ' नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व, पोइन्टर पब्लिसर्स, जयपुर, 2009, पृ0140
13. सच्चीदानन्द, ' दि ट्राइबल वोटर इन विहार' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,1976, पृ.24
14. प्रसाद, माता, ' भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत', सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली,2010

पृ014

15. प्रसाद, माता, ' भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत' सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली,2010 पृ015-16
16. हिमायती पाक्षिक, जनवरी-द्वितीय पक्ष, 2003, पृ3
17. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 18 जून, 1985
18. भण्डारी, विजय, 'राजस्थान की राजनीति' सामन्तवाद से जातिवाद के भँवर में', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ053
19. भण्डारी विजय, पूर्व उद्धृत, पृ054
20. स्मारिका, नई दिशा
21. www. Rajasembly.nic.in
22. http:// www. Loksabhs.htm

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

भारतीय राजनीति मे प्रधानमंत्री के रूप मे नरेन्द्र मोदी

* प्रीति पाण्डेय
** रामसिया चर्मकार

सारांश– *नरेन्द्र दामोदरदास मोदी भारतीय राजनीति में एक ऐसी शक्सियत के रूप मे उभरे है जिसका प्रारंभिक जीवन अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनें से शुरू हुआ था। नरेन्द्र मोदी एक गैर–राजनीतिक परिवार से नाता होने के बावजूद वे गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर आज भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेता होने के साथ ही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अपने कार्यकाल के कुछ वर्षो मे ही 40 से अधिक देशो की यात्रा करने के साथ ही कई ऐसे अन्तराष्ट्रीय समझौते भी किये जिससे भारत को सहयोग मिल सके। मोदी के द्वारा गांव से लेकर शहरो तक के विस्तार के लिये कई योजनाओ का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन के साथ ही इन योजनाओ की सतत प्रगति के लिये निरंतर प्रयासरत रहते है।*

मोदी को संघ का साथ मिलने से व हिन्दूत्ववादी सोच को लेकर आज जो मुकाम हासिल किये है उसी के अनुरूप राष्ट्र निर्माण मे प्रयासरत है, जिसके कारण भारत मे रह रहें अन्य विचारो व संप्रदायो मे एक असंतुलन की स्थिति निर्मित सी हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव मे मोदी के नेतृत्व मे सबसे ज्यादा सीटो को जीतते हुए प्रधानमंत्री बने। मोदी ने भारतीय अर्थ व्यवस्था को कई नये कलेवर देने का प्रयास किये जो मुख्यत: नोटबंदी से लेकर कैशलेस और फिर इसके बाद जीएसटी को लागू किया। डिजिटल इंडिया व स्वच्छ भारत के माध्यम से मोदी सरकारी विभागों को पेपरलेस के द्वारा ग्रामीणों तक योजनाओ को पहुचाने से लेकर स्वच्छ भारत योजना के द्वारा भारत में खुले मे शौच से मुक्त कार्यक्रम व इसके लिये शहरो से लेकर ग्रामिणों तक शौचालयों का निमार्ण कराना। मोदी कम वक्त में ही प्रसिध्द हो गये और मोदी को अंतराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हुए।

उद्देश्य–

1) नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्षो में से उन घटनाओं को जानना जिसके चलते इन्होंने यह मुकान हासिल किये।
2) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय राजनीति और विभिन्न सांस्कृतिक जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ा।
3) 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव रहा।

★ प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
★★ शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

4) 2014 के लाकसभा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में किये गए वादों की स्थिति क्या है व इसका भाजपा की राजनीति में क्या असर पड़ेगा।

परिकल्पना–

1) इस शोधपत्र से आगामी शोधार्थियों सहित अन्य दलों के लिए सहायक सिद्ध होगी।
2) भाजपा की धार्मिक राजनीति से भारत की अन्य राजनीतिक दल असहमत हो सकते है।
3) नरेंद्र मोदी की इस प्रकार की राजनीतिक संचालन से भारत के प्रत्यक क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

1) **नरेन्द्र मोदी का जीवन परिचय–** 17 सिप्तम्बर 1950 को गुजरात के वडनगर मेंहशाना जिले में एक परिवार में बालक का जन्म हुआ। जिसका नाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी रखा गया। आपके पिता का नाम दामोदर मूलचन्द मोदी तथा माता का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी अपने परिवार में 6 बच्चों मे से तीसरे पुत्र है व इनकी दो बहनें अमरूत व बसंती है। बच्चे होने के नाते दामोदर मोदी गुजरात के बडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता दामोदर दास के साथ चाय बेचने मे मदद करते थे। किन्तु कुछ समय बाद ही नरेन्द्र मादी अपने भाई के साथ बस स्टैंड के पास ही स्वयं की चाय का स्टाल लगाकर बेचना शुरू कर दिया था। इस दौरान भी मोदी ने अपनी शिक्षा जारी रखी। परिवार के मुताबिक वह 17 सितम्बर, 1950 को जन्में थें, जबकि अहमदाबाद पत्रिका मे प्रकाशित जानकारी के आधार पर गुजरात यूनिवर्सिटी मे उनकी जन्मतिथि 29 अगस्त 1949 है। मोदी के जन्मदिन को लेकर भले ही भ्रम फैला हो किन्तु मोदी अपने माता-पिता द्वारा निर्धारित तिथि को ही अपना जन्म दिवस मानते है। इसलिये तो आज 17 सितम्बर 2017 को अपना 67वां जन्मदिन मना रहे।

* **शिक्षा–** नरेन्द्र मोदी के घर की आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण वे स्कूली शिक्षा के साथ ही रेलवे स्टेशन मे अपने पिता का चाय बेचने में सहयोग किया करते थे। आपने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1967 मे वड़नगर मे ही प्राप्त की मोदी ने एमएन कालेज, विसनगर से प्री-सांइस (12वीं) किया था। नरेन्द्र मोदी के शिक्षक ने इनके विषय मे जानकारी दिये कि नरेन्द्र हांलाकि एक औसत दर्जे का छात्र था, किन्तु इसमे वाद-विवाद तथा नाटक प्रतियोगिताओ मे इनको बेहद लगाव था।

नरेन्द्र मोदी की उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये इंटरनेट का सहारा लिया। जिसमें इनकी उच्च शिक्षा से संबंधित जो जानकारी प्राप्त हुई वह इनकी डिग्री मे शंसय उत्पन्न करती है। इसमें उल्लेंख है कि मोदी ने Delhi university distance education से राजनीति विज्ञान मे degree प्राप्त की और इसके बाद 1978 में गुजरात University ls political science ls master of arts की degree प्राप्त की। 1978 मे मोदी दिल्ली से राज्यशास्त्र मे स्नातक हुए और गुजरात यूनिवर्सिटी मे इनका मास्टरी का काम भी 1983 मे खत्म किया। वही एक अन्य लेख मे उल्लेख है कि नरेन्द्र मोदी 1980 मे गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान मे स्नातकोत्तर परीक्षा दी और एम.एससी. की डिग्री प्राप्त की। गुजरात विधान सभा के चुनाव लड़ने के लिये मोदी द्वारा अपनी शिक्षा की जो जानकारी दी है और लोकसभा 2014 के चुनाव लड़ने मे जो शिक्षा की जानकारी दी गई है दोनो में शिक्षा के स्तर मे असमानता है। इस विषय मे कांग्रेस नेता

शक्ति सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के स्नातक डिग्री को लेकर आरटीआई के तहत गुजरात यूनिवर्सिटी से करीब 70 बार जानकारी मांगी गई, लेकिन यूनिवर्सिटी ने गोपीनीयता का हवाला देते हुए जानकारी नही दी।

* **वैवाहिक जीवन**– भारतीय संस्कृत मे विवाह को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। विवाह के कार्यक्रमों का आरंभ व समापन परिवार के बड़े बुजूर्गो द्वारा सम्पन्न किया जाता है। नरेन्द्र मोदी की सगाई 13 वर्ष की अल्प आयु मे जसोदा बेन चमनलाल के साथ कर दी गयी थी। किन्तु इनका विवाह 17 वर्ष की आयु मे हुआ। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पति-पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताये, लेकिन कुछ समय बाद मोदी ने अपना ग्रहनिवास छोड़ दिये। गुजरात के पिछले 4 विस चुनावों मे अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर चुप रहने के बाद मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर मैंने कोई गुनाह नही किया है। हालाकि मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किये हैं। जबकि जसोदाबेन का कहना है कि मुझे एक प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते सारी सुविधायें मिलनी चाहिये जो कि नही मिल रही है।

2) **संघ का सफर**– नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने 8वर्ष की आयु से आर एस एस की स्थानीय शाखाओं में उपस्थित रहना शुरू कर दिये थे। स्थानीय शाखाओं में ही मोदी की मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई लक्ष्मणराव ने ही मोदी को आर एस एस का बालस्वसेवक नियुक्त किये थे। इसके बाद वे मोदी के राजकीय सलाहकार भी हुए। प्रशिक्षण के दौरान ही इनकी मुलाकात बसंत गजेंद्रगडकर व नाथालाल जघदा से हुई। परिवारिक उलझनो के चलते मोदी ने 1967 को अपना घर छोड़ दिये। इस दौरान मोदी ने कई जगहो की यात्राएं की जिनमें सबसे ज्यादा वे पश्चिम बंगाल, असम और गुवाहाटी की यात्राएं किये। 1972 मे घर लौटने के कुछ समय बाद ही अहमदाबाद जाकर आर एस एस मे आ गये। यहां आने के बाद मोदी की दिनचर्या व्यस्त हो गई। मोदी का जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में आरंम्भ हुआ। 1975 मे आपातकाल की घोषणा होने के बाद संघ के साथ जनसंघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध होने के बावजूद मोदी समाज सेवा करने के साथ ही वे गलत नीतियो का हमेशा विरोघ करते थे। 1975 के बाद संघ का राजनीतिक महत्व बढ़ा परिणाम स्वरूप भाजपा के रूप मे राजनीतिक दल का गठन हुआ जिसे संघ की राजनीतिक शाखा के रूप मे जाना जाता है मोदी के संघर्षो को देखकर संघ ने मोदी को भाजपा मे शामिल कर लिया गया। यहां से मोदी की राजनीतिक जीवन प्रारंम्भ हुआ।

3) **नरेन्द्र मोदी का राजनीतिक सफर**– संघ मे रहने के दौरान ही मोदी की राजनीतिक सक्रियता के चलते ही भाजपा मे शामिल कर दिया गया। पार्टी मे आते ही इसकी स्थिति मे सुधार होने के साथ ही गुजरात मे शंकर सिंह बघेला का जनाधार सुदृढ़ करने मे मोदी की अहम रणनीति रही। 1990 मे केन्द्र मे गठबंधन सरकारो के भूमिका को भापकर मोदी ने 1995 मे गुजरात के विधानसभा चुनावो में भाजपा को अपने बलबूते पर 2/3 बहुमत पाकर सरकार बनायी। इसी समय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे आडवाणी की रथयात्रा जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रही, वही दूसरी रथयात्रा मुरली मनोहर जोशी की थी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक रही। ये दोनो ही रथयात्राएं मोदी के ही देखरेख

मे संपंन हुई। शंकर सिंह वाघेला के पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद गुजरात का मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को बनाया गया तथा मोदी को दिल्ली बुलाया गया जहां पर इन्हें बीजेपी मे संगठन की दृष्टि से केन्द्रीय मंत्री का दायित्व दिया गया। 1995 मे मोदी को पांच राज्यो की जिम्मेदारी दी गई जिसे इन्होने बखूबी पूरा किया जिसके चलते 1998 में पदोन्नत कर राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व अक्टूबर 2001 तक संभाले रहे। जल्द ही पार्टी ने केशु भाई पटेल को हटाकर अक्टूबर 2001 मे नरेन्द्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी।

* **नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में**– केशु भाई पटेल का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ने के चलते 2001 मे बीजेपी चुनाव मे सीटे हार रही थी। पार्टी आलाकमान ने नरेन्द्र मोदी को मुख्यमंत्री के रूप मे गुजरात की जनता के सामने रखा जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मोदी के सरकार चलाने के अनुभव की कमी के कारण चिंतित थे। नरेंद्र मोदी ने केशु भाई पटेल के उपमुख्यमंत्री पद के प्रस्ताव को नकार दिया था तथा लालकृष्ण व अटल बिहारी बाजपेयी से बोले कि यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दे अन्यथा रहने दें। मोदी के इस निर्णय को सुनकर पार्टी ने मोदी को गुजरात के राजकोट विस चुनाव लड़वाया जिसमे मोदी ने कांग्रेस के उम्मीदवार आश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। 2002 के विस चुनावो मे मोदी को 180 मे से 127 सीटों पर जीत प्राप्त की। 7 अक्टूबर 2001 से नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप मे कार्याकाल शुरू किया। 2007 मे गुजरात विस चुनाव मे कांग्रेस को 61 सीटे ही मिल पायी जबकि भाजपा को 117 सीटों में जीत दर्जकर सरकार बनाई। 2012 मे मोदी के नेतृत्व मे भाजपा को 182 सीटो मे से 115 सीटें मिली। नरेन्द्र मोदी गुजरात के लगातार चार बार (2001-2014 तक) मुख्यमंत्री का पद संभाला। नरेन्द्र मोदी सीएम रहते गुजरात के विकास के लिये कई योजनाएं शुरू किये थे।

गोंधरा कांड– इंटरनेट पर उपलब्ध स्त्रोतो के आधार पर 27 फरवरी 2002 को गुजरत के कारसेवक अयोध्या से लौट रहे थे। गोधरा स्टेशन पर खड़ी इनकी ट्रेन मे एक हिंसक भीड़ ने ट्रेन पर आग लगा दी। (ट्रेन मे आग क्यों लगाई गई इस घटना की मूल वजह की जानकारी नही मिल सकी) इस अग्निकांड मे 59 लोग मारे गये। प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात मे हिन्दू मुस्लिम दंगे भड़कने के कारण 1180 लोग मारे गये व अधिकांशतः घायल हुये। मरने वाले लोगो मे अधिकांश संख्या अल्पसंख्यको की रही। इस घटना को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेन्द्र मोदी की प्रशासन को कुसुरवार माना। मोदी पर घटना को लेकर बने दबाव के चलते इन्होने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र के साथ ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2000 के विस चुनाव मे मोदी की जीत हुई और पुनः मुख्यमंत्री का पद संभाला।

अप्रैल 2009 मे सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए एस. आई.टी का गठन किया। यह गठन कांग्रेसी सांसद ऐहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की शिकायत पर किया गया। दिसम्बर 2010 को सुप्रीम कोर्ट मे एस.आई.टी. की रिपोर्ट पर यह फैसला दिया कि इन दोषो मे मोदी के विरूध्द कोई ठोस सबूत नही पाया गया। इस निर्णय पर फरवरी 2011 मे टाइम्स ऑफ इण्डिया ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट मे कुछ तथ्यों को जानबूझ कर छुपाया गया है ताकि मोदी को सबूतो के अभाव

मे बचाया जा सके। नरेन्द्र मोदी ने एक इन्टरव्यू मे स्पष्ट शब्दो मे बोले की 2002 के साम्प्रदायिक दंगो के लिए माफी क्यों मांगू यदि मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो मुझे सरे आम फांसी दी जानी चाहिए। गुजरात ने एक दशक मे कितना विकास किया है और इस तरक्की से तो सभी समुदाय वालो को भी तो फायदा हुआ है।

* नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार एवं लोकसभा चुनाव 2014 की स्थिति - 13 सितम्बर 2013 को भाजपा की हुई संसदीय बोर्ड मे आने वाले लोकसभा चुनाव मे पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के लिये घोषणा की। 2014 मे सम्पन्न भाजपा की कार्यसमिति ने मोदी को चूनाव प्रचार की कमान दे दी। मोदी ने जिसकी शुरूआत हरियाणा प्रांत के रिवाडी शहर से की। अपने चुनाव में पी0एम0 मोदी देश के लोंगों से यह वादा किया था कि उनकी सरकार इस तरह की पालिसी लाएगी जिससे हर साल करीब दो करोड़ नए जाब्स मार्केट लोगों को मिलेंगे। पर ऐसा नही हो पा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिये मोदी ने दो क्षेत्रो से लोकसभा चुनाव लड़े। चुनाव प्रचार मे कई मुद्दो मे से भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना भी रहा। 2014 का लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा व इसके सहयोगियों को 336 सीटें मिली जबकि भाजपा को ही 282 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस गठबंधन को महज 59 व कांग्रेस को 44 सीटें ही मिल सकी। 20 मई 2014 को संसद भवन मे भाजपा ने सहयोगी दलो के साथ संयुक्त बैठक मे नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्पत्ति से भाजपा तथा एनडीए का नेता चुना गया। नरेन्द्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप मे राष्ट्रपति के द्वारा 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण किये। इसी दिन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी का कार्यकाल शुरू हो जाता है।

* **नरेन्द्र मोदी का आर्थिक नीति**– नरेन्द्र मोदी 2014 के पहले से ही कांग्रेस सरकार द्वारा जो भी आर्थिक नीतियों के साथ ही अन्य योजनाओ का पार्टी सहित विरोध किया करते थे। जैसे आधार योजना, एफडीआई, मनरेगा आदि का कड़ा विरोध किया करते रहे। भ्रष्टाचार व कालाधन सहित लोकपाल बिल आदि भाजपा के मुख्य चुनावी मुद्दे थे। किन्तु नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्ही आर्थिक कार्यक्रमो को लागू किये जिनका वे चुनाव से पहले विरोध किया करते थे। एफडीआई को 100% लागू कर दिया गया वही आधार को प्रत्येक क्षेत्र मे अनिवार्य रूप से खासकर सरकारी क्षेत्रो मे लागू कर दिये। लोकपाल अभी तक बना नही और कालेधन की जहां तक बात है कुछ देशो से समझौते हुए है किन्तु अभी तक इसका प्रभाव नजर नही आया। प्रधानमंत्री द्वारा देश मे जमा कालाधन को निकालने सहित देश मे बढ़ रहे आंतकवाद व नक्सलवाद को खत्म करने के लिये 8 नवम्बर 2016 को भारतीय करेंसियो मे से 500 व 1000 रूपये की नोटों को इस दिनांक की आधी रात से अमान्य करने की घोषणा कर दिये। सरकार ने इन नोटों के एवज मे 2000 रूपये का नोट व इसके बाद 500 रूपये का नोट बाजार मे उतारा। इससे लोगो की और समस्यांए बढ़ने लगी क्योंकि 2000 रूपये का छुट्टा मिल पाना मुश्किल हो गया था। इस विमुद्रीकरण के कारण इस दौरान 120 से भी अधिक लोगो की जानें गई। जबकि इस विषय पर विशेषाज्ञो का कहना था कि इससे कालाधन तो नहीं पर देश की आर्थिक विकास दर धीमी जरूर हो जाएगी। भारत की आर्थिक क्षेत्रो मे गिरावट जारी है जिसमे मुख्य रूप से करंट अकांउट घाटा बढ़ा, आयात घटा और

निर्यात बढा, नौकरियां के क्षेत्र मे कमी, फैक्ट्रियो सुस्ती छायी, आर्थिक वृध्दि दर घटी, कोर सेक्टर मे काफी सुस्ती छायी है, मंहगायी पिछले चार महीने मे टाप पर पंहुच गयी है। वहीं अब मोदी सरकार मान भी मान रही है कि 60 प्रतिशत घट गई नौकरियों के मौके तथा स्किल डेवलपमेंट स्कीम भी अपने उददेश्य में असफल रही है। मोदी सरकार आर्थिक क्षेत्रों में असफल होती नजर आ रही है।

अभी हाल मे ही के दिनों मे आरबीआई ने रिपोर्ट जारी कि की पुराने नोट 99 फीसदी हिस्सा जमा हो गया था। 30 जून 2017 तक नोटबंदी के बाद 2016-17 मे नये नोटो की छपाई मे 7,965 करोड़ रूपये खर्च हुए। जबकि जून 2016 रिजर्व बैंक ने 2120 करोड़ की नई नोट छापी जिस पर 3421 करोड़ रूपये खर्च हुए थे। 1 जुलाई 2017 को ैैज लागू किया गया जो समस्त प्रकार के करो को अपने आप मे समाहित करेगा। इसके लागू होने से सरकार की आय निश्चित हो जाएगी किन्तु जनता का इसमें कोई बड़ा सरोकार नहीं होगा। नोटबंदी, कैसलेस और ैैज लागू होने से प्रत्येक क्षेत्र मे विकास धीमी पड़ गई है। इस भरपाई की पूर्ति के लिए आर बी आई ने मीनिमम बैलेंस न रखने वाले खातेदारो से 235.6 करोड़ रूपये वसूले। आर बी आइ (सरकार) ने जो यह मीनिमम बैलेंस के नाम पर वसूले है वह छात्रो, मजदूरो, गरीबो, किसानो और मेहनतकश जनता के है क्योकि अमीरों की समस्या मीनिमम नही मैक्सीमम होती है। जी एस टी से 80 हजार करोड़ की कर संग्रहण मे कमी हो सकती है।

4) डिजिटल इण्डिया, स्वच्छ भारत, आवास एवं गृह निर्माण-

* **डिजिटल इण्डिया**- भारत सरकार की अहम पहल है। इसके माध्यम से सारे सरकारी विभागो को देश की लगभग सभी जनता को जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य है कि कागज के बिना इलेक्ट्रानिक के रूप मे सरकारी सेवाएं जनता को मुहैया करायी जाए। इसका उद्देश्य दूर दराज इलाको को भी हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा संपर्क का क्रियान्वयन किया जा सके।
* **स्वच्छ भारत**- स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से शुरू किया गया यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का है। इस अभियान का उद्देश्य सड़को, नीतियो शहरो एवं गांवो आदि को स्वच्छ रखना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 मे शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामुदायिक शौचलयो का निर्माणा कर खुले मे शौच को कम करना व समाप्त करना भी है। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुले मे शौच मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इसके लिये सरकार ने ग्रामीण भारत मे लगभग 1. 96 लाख करोड़ रूपये की लागत से 1.2 करोड़ शौचलयो का निर्माण कराया जाएगा।
* **आवास एवं गृह निर्माण**- आवास एवं गृह निर्माण के लिये भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किये है। इस योजना का आरंम्भ 25/06/2017 को किया गया जिसका उद्देश्य 2022 तक ऐसे लोगो को आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिये मकान नही है। इसके लिये सरकार के द्वारा 20 लाख घरो का निर्माण करवायेगी। इसके लिये वह 18 लाख घर झुग्गी- झोपड़ी वाले क्षेत्रो मे तथा 2 लाख घरो का निर्माण शहरी गरीबो के इलाको मे करायेगी।

शहरी व ग्रामीण नागरिक जिनके पास जमीन तो है किन्तु मकान बनवाने के लिये इनके पास रूपये न होने के चलते ये अपना मकान नही बना सकते। प्रधानमंत्री के द्वारा

ऐसे निर्धनो को अपना मकान बनवाने के लिये प्रत्येक परिवार को 2.5 लाख रूपये उपलब्ध करा रही है जो कि तीन से चार किस्तो मे मकान बनने की स्थिति मे मिलता जायेगा।

(5) **सम्मान व पुरस्कार**– भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदार मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के रूप मे 2.6 वर्ष के कार्यकाल मे ही अपनी सक्सियत के चलते पुरूस्कृत हुए है।

1) नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2016 को सउडी अरब की यात्रा किये। इस दौरान ही सउदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुरूल्लाजीज ने नरेन्द्र मोदी को सउदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान '' अब्दुलअजीज अल सऊद'' से सम्मानित किये गये।

2) जून 2016 मे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के उच्चतम नागरिक पुरूस्कार '' अमीर अमानुल्ला खान अवार्ड'' से सम्मानित किया।

निष्कर्ष– नरेन्द्र मोदी भारतीय राजनीति मे आज जो मुकाम हासिल किये है इसके लिये मोदी ने एक लम्बा सफर तय करने के साथ ही हिन्दुत्ववादी विचारधारा ने इन्हें यह पद प्राप्त करने महति भूमिका निभाई है। इस विचारधारा के चलते जहां मोदी को जो स्थिति प्राप्त किये है और इस स्थिति मे बने रहने के साथ ही अन्य संप्रदायो के मध्य सामाजिक व धार्मिक खिन्नता बढी है। मोदी भारत की राजनीति मे बने रहने के लिये प्रत्येक क्षेत्र का बाखुबी से उपयोग किये है। लोकसभा चुनाव मे दौरान मोदी ने 11 अरब रूपये खर्च किये वह भारतीय अर्थ नीति मे नया पन के साथ नोटबंदी के माध्यम से आतंकवाद, कालाधन आदि को रोकने के लिये कदम उठाये इसके बावजूद अभूतपूर्व सफलता अभी शेष है। नोटबंदी के बाद रूपये से क्रय-विक्रय की प्रक्रिया के बंद करने के लिये कैशलेश योजना शुरू की गई जिसमे लोगो को प्रोत्साहित करने के लिये कैशबैक भी दिया जाने लगा। जो जीएसटी के रूप मे उभरा। इसके द्वारा सरकार अपनी आय को सुनिश्चित व सुरक्षित कर ली पर जनता का क्या? उसे क्या किसी वस्तु की वास्तविक क्रय की जानकारी हो पायेगी? मोदी सरकार कांग्रेस के नीतियों को ही आगे बढाने का कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त मोदी द्वारा कुछ नये कलेवरो मे जनता को उनको अपने स्थान पर मकान बनवाने के लिये सहयोग राशि का वितरण व स्वच्छ भारत के तहत खुले मे शौच मुक्त हेतु प्रत्येक परिवार मे शौचालयो का निर्माण के साथ ही नागरिको को पेपरलेस की सुविधाएं मुहैया कराना। मोदी द्वारा किये जा रहे है। नये कलेवरो से देश व जनता को कितना उन्नत वा साहुलिया मिलगी यह उपलब्धि अभी मिलनी बाकी है।

=======================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. डॉ प्रताप कुमार, भारतीय लोकतंत्र मे राजनीतिक दल, प्रथम संस्करण -2015, आर्या पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. स्टार समाचार - 10.07.2017, 08.09.2017, 21.09.2017, 23.09.2017
3. दैनिक जागरण - 25.07.2017
4. पत्रिका - 08.08.2017
5. अहमदाबाद पत्रिका
6. नेट

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

नवीन पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

* रेणू मित्तल

सारांश– पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सरकार द्वारा 73 वाँ संविधान संशोधन पारित कर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की होती है। लेकिन यह एक विडम्बना ही है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है। युगनायक स्वामी विवेकानन्द ने वर्षो पहले कहा था किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओ की स्थिति। आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गो की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वविदित है कि केन्द्र व राज्य स्तर पर महिलाओं को सभी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक संसद में विचारार्थ रखा गया है, जो आज नहीं तो संसद में कभी न कभी पास होकर पूरे भारत में लागू हो जायेगा। तब संविधान में वर्णित समानता, न्याय की बात पूरी होगी और महिलाएं सभी क्षेत्रों में सहभागिता निभा पाऐंगी। नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता कर सकेगी जो एक सशक्त समाज व देश के निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा।

प्रारम्भ से ही पंचायतों की व्यवस्था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित रही है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान रखकर राजनीति में उनकी सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पत्र में राजस्थान में 2015 में हुए पंचायत चुनाव विश्लेषण का अध्ययन कर यह बताने का प्रयास किया है कि आरक्षण से महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक तथा निर्णय लेने की क्षमता में कितनी व किस प्रकार वृद्धि हुई है। पितृप्रधान व्यवस्था सामाजिक संरचना का भाग है और इसके चलन में पुरुषों का वर्चस्व होता है तथा महिलाओं का शोषण किया जाता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि यह एक सामाजिक समस्या है, जैविक (Biological) नहीं है। पुरुषत्व (Masculinity) का अभिप्राय या सम्बन्ध स्वायत्ता, प्रभुता, वस्तुनिष्ठता और तार्किक क्षमता या विवेकशीलता से है। महिला की विशेषताओं (feminity) में इन गुणों का अभाव होता है। विकास के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण से अधिक प्रभावी कुछ भी नहीं है। इस बयान से अधिक सटीक तरीके से महिलाओं की क्षमता का परिचय और नहीं हो सकता। भूमिका चाहे पारम्परिक हो या आधुनिक, बहुत कुछ नहीं है, जो महिलाएं हासिल नहीं कर सकी है।

★ व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, बी.एस.आर. राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राजस्थान)

दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, इसलिए उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान माने जाने का अधिकार है। इस बात का महत्व इसी से रेखांकित होता है कि 'महिला सशक्तिकरण' को आठवें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। स्वामी विवेकानन्द की उक्ति, 'जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए ही पंख से उड़ना संभव नहीं है। परिवार ही नहीं बल्कि राष्ट्र और विश्व को भी नेतृत्व प्रदान करने की महिलाओं की क्षमता की सुन्दरता से व्याख्या करती है।

वैदिक ऋषियों और चिन्तकों से लेकर आधुनिक समाज दृष्टताओं और मनीषियों ने स्त्री के अन्दर छुपी शक्ति को पहचाना और स्वीकार किया है।

महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा है कि ''अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाये तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुप्त पड़ी है। अगर एशिया की महिलायें जाग जायें तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देगी।'' जहां शक्ति है वहां क्षमता भी है। क्षमता योग्यता को विकसित कर सकती है।

पारिवारिक, मांगलिक और धर्मिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता को जब हमारे प्राचीन मनीषियों ने अनिवार्य कर दिया था, तो आज सामाजिक कार्यों और सत्ता में उनकी सहभागिता अनिवार्य क्यों न हो? वैदिक काल में यह स्वतंत्रता का उपभोग करती थी और वह शिक्षा प्राप्त करने की भी अधिकारिणी थी। यही कारण है कि उस काल की स्त्रियों ऋषि मुनियों की पदवी तक पा गई थी, जैसे शचि, इन्द्राणी, अदिति, अपाला, उर्वशी, सावित्री, सूर्या, गार्गी, मैत्रेयी आदि। लेकिन मध्यकाल आते-आते उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादिता ने उस काल में स्त्रियों को उबरने नहीं दिया।

ब्रिटिश शासनकाल में सम्पूर्ण भारतवासी ही दासता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, फिर स्त्रियों की स्वतंत्रता को तो प्रश्न ही कहां उठ खड़ा हो सकता था? लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ-साथ देश की नारियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जब भारत 1950 में गणतंत्र बना और इसे लिखित संविधान मिला तो प्रत्येक भारतवासी का, जिसमें निःसन्देह स्त्री भी शामिल है, राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर स्तर पर भागीदारी के अधिकार को बिना किसी भेदभाव के मान्यता मिली। लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई। सच्चाई यही है कि चाहे राष्ट्रीय हो या स्थानीय स्तर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी नगण्य ही रही। अधिकार मिल जाने मात्र से उनके उपयोग की समझ और क्षमता व्यक्ति में उत्पन्न नहीं हो पाती। आजादी के बाद राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति पर विचार करने के बाद ''कमेटी ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन ऑफ इण्डिया (1975)' में कहा था-समाज और राजनीति में महिलाओं की स्थिति बताती है कि संविधान में उन्हें पुरुषों के समकक्ष दर्जा देकर जिस क्रांति की आशा की गयी थी वह अब भी बहुत दूर है। ज्यादातर महिलाओं के पास अभी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जो उनकी विशिष्ट समस्याओं को समझ सके तथा राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी समस्याओं को उठाने और हल करने के प्रति समर्पित हो।

एक स्त्री को धर्म, परम्परा, रूढ़िवादिता, कुलप्रतिष्ठा, इज्जत के नाम पर पग-पग

पर बेड़िया पहनायी जाती है। एक स्त्री जटिल भारतीय सामाजिक व्यवस्था से लड़कर अपने राजनैतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है।

लोकतंत्र के निचले स्तरों पर महिला आरक्षण के पहले की स्थिति को देखे तो ज्ञात होगा कि जन आन्दोलनों और विरोध प्रदर्शनों में महिलायें दिखाई तो दी, लेकिन संस्थागत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी संख्या बहुत कम थी। भारतीय राजनीति में स्व. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, वसुन्धरा राजे की सक्रियता पुरुष सत्तात्मक समाज के सामने एक चुनौती है। कहने को तो ये सभी सक्रिय महिला राजनैतिक हस्तियां है और भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय करती है।

भारत की आजादी को 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन वर्षों में भारत ने अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। देश में कई सरकारों ने शासन किया, महिलाओं के लिए कई योजना एवं नीतियां बनी और बहुत से प्रशासनिक सुधार हुए किन्तु उनके लिए संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण का सवाल आज भी जस का तस है।

वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटों में 59 महिलायें तथा राज्यसभा की 233 सीटों में 21 महिलायें सदस्य हैं। राज्य स्तर पर यदि महिलाओं के आंकड़े को देखे तो स्थिति और भयावह है। अर्थात् राज्य की कुल 4090 विधानसभा सीटों में एस.सी. महिला 203, एस.टी. महिला 185 तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं की संख्या 797 है। यानि कुल महिलाओं की संख्या 1367 हैं जो कुल संख्या का मात्र 7 से 11 प्रतिशत तक ही है। इसलिए बौधिकता का तकाजा यही रहा कि महिलाओं को उचित आरक्षण दिया जाये ताकि जब वे जिम्मेदार पदों पर पहुंचेगी तो उनके सामने एक नया संसार खुलेगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनमें सत्ता और दायित्व की एक नई समझ पैदा होगी।

महिला अधिकार मानवाधिकारों का हिस्सा है। महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल समानता बल्कि टिकाउ आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से जरूरी है। आज महिलायें चाहती है कि उनके साथ एक व्यक्ति और एक संपूर्ण मानव के रूप में व्यवहार किया जायें, न इससे ज्यादा और न इससे कम।

राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में कुछ प्रश्न उभरकर सामने आते हैं-क्या उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? यदि हां, तो क्यों मिलना चाहिए और यदि नहीं, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? वर्तमान समाज दो वर्गों में बँटा हुआ है। एक वर्ग सुधारवादी अथवा विकासवादी है, तो दूसरा वर्ग रूढ़िवादी। सुधारवादी वर्ग का कहना है कि महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जबकि दूसरी ओर, रूढ़िवादी मानते है कि महिलाओं द्वारा घरेलू सीमा लांघने से परिवार पर बुरा असर पड़ेगा।

महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही रहने की बात कहने वाले लोगों की मानसिकता संकीर्ण होती है।

महिलाएं भी मानव हैं और उन्हें भी अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने, निर्णय लेने और विकास करने का अधिकार है। यह अवश्य संभव है कि लंबी अवधि तक दबाकर रखे जाने के कारण उनकी क्षमताओं का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। यही कारण है कि फिलहाल उनके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन काल से ही महिलाएं मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ

रही है, अब चाहे उन्हें यह आरक्षण के माध्यम से मिले या राजनीतिक दलों की ईमानदारी और नैतिकता के कारण।

भारत के संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार दिये गये हैं। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं विधिक स्थिति का उत्थान करने के उद्देश्य से प्रचलित कानूनों में बार-बार सुधार कर लोकल्याणकारी कानून बनाये गये हैं। पं. जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि, ''महिलाओं की स्थिति ही देश के स्वरूप को सूचित करती है।'' डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि ''मैं किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।'' डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों में किसी भी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज के पुरुष न होकर महिलाएं होती है। गांधी जी ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान समाज के आधे वर्ग महिला को उसका हिस्सा बनाया। उनका विचार था कि किसी भी राष्ट्र का विकास प्रजातांत्रिक माध्यमों से होता है और कोई भी प्रजातांत्रिक माध्यम तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें महिलाओं की सहभागिता न हो।

आज महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांधीजी यह जानते थे कि जब तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रथम पायदान पंचायत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा तब तक महिला सशक्त नहीं हो सकती।

आरक्षण और महिलायें– आरक्षण आदिकालीन शब्द है, जो शब्द अरक्षण से मिलकर बनाता है, जिसका अर्थ है किसी अधिकार को आरक्षित करना या सुरक्षित करने की व्यवस्था करना।

वर्तमान समय में आरक्षण की व्यापकता लगभग सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है चाहे किसी यात्रा, नौकरी, सिनेमा हॉल की बात हो या कोई आयोजन क्यों न हो, सभी में आरक्षण की व्यापकता अपने पैर फैला रही है।

बलवन्तराय मेहता समिति से लेकर 73वाँ संविधान संशोधन तक विभिन्न समितियों के माध्यम से इन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता के बारे में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। पंचायती राज योजना से सम्बन्धित मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1957 में प्रस्तुत किया। इस समिति ने महिलाओं व बच्चों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखने के लिए जिला परिषद् में दो महिलाओं के समावेश की अनुशंषा की थी। ''भारत में महिलाओं की स्थिति'' विषय पर अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने 1974 में अनुशंषा की थी कि ऐसी पंचायते बनायीं जाये, जिसमें सभी सदस्य केवल महिलायें ही हो।

1978 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि जिन दो महिलाओं को सर्वाधिक मत प्राप्त हो उसे जिला परिषद् का सदस्य बनाया जाए। कर्नाटक पंचायत अधिनियम में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वैसी ही व्यवस्था हिमांचल प्रदेश के पंचायत अधिनियम में थी। ''नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन 1988'' ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की। मध्यप्रदेश में 1990 के पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत एवं जनपद व जिला पंचायत में 10

प्रतिशत का प्रावधान किया गया था। महाराष्ट्र पंचायत अधिनियम में 30 प्रतिशत एवं उड़ीसा पंचायत अधिनियम में 1/3 आरक्षण का प्रावधान 73वाँ संविधान संशोधन से पूर्व ही था। पंचायती राज संस्थाओं को सकारात्मक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, लेकिन राजनीतिक कारणों से यह संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।

लगभग चार दशक पूर्व स्थापित पंचायती राज व्यवस्था डगमगाने लगी तो इसी संशोधन ने उसे पुनः संबल प्रदान किया। पी.वी. नरसिंहाराव सरकार ने राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित विधेयक को संशोधित कर दिसम्बर 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन के रूप में संसद से पारित करवाया। यह 73वाँ संविधान संशोधन 24 अप्रेल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वार संविधान में नया भाग अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है जिसका शीर्षक 'पंचायत' है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज व्यवस्था में न केवल नई दिशा प्रदान की बल्कि यह महिलाओं की पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उनकी सहभागिता दिखाने का अवसर प्रदान किया है।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों में प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ। आज देश में लगभग 43 प्रतिशत महिलाएं चुनी जाती है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार पंचायत स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। सन् 2000 में पूरे देश में 772677 महिला सरपंच चुनी गयी थी वहीं 2004 में इनकी संख्या 838245 तह पहुंच गयी। जिला पंचायत में वर्ष 2000 में 4088 महिला सदस्य थी जो वर्ष 2004 में 4923 तक पहुंच गयी। आरक्षित सीटों के अलावा भी कई सीटों पर महिलाओं ने सफलता प्राप्त की है। यदि हम राज्यवार महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति देख तो केरल में सर्वाधिक 57.24 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि है, आंध्रप्रदेश में 33.04 प्रतिशत, असम में 5.38 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 33.75 प्रतिशत, गुजरात में 49.03 प्रतिशत, कर्नाटक में 43. 60 प्रतिशत, तमिलनाडु में 46.73 प्रतिशत, उत्तरांचल में 37.85 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 35.15 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

इस प्रकार महिलाओं की औसत भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के स्वरूप को प्रगट करती है।

''अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध और आँखों में है पानी।'' मैथिलीशरण गुप्त के ये पंक्तियां किसी समय महिलाओं की वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर रही होगी पर आज समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। महिलाएं समय के साथ बदलकर अपने विकास के लिए अग्रणी हो रही है। पहले महिलाएं शासित होती थी अब स्वयं शासन कर रही हैं।

भारत सरकार द्वारा सन् 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया। वर्ष 2001 में विशेष रूप से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की घटनाओं में बढ़ोतरी लाने, महिला अधिकारों और नारी शक्ति के संबंध में उनकी जागरूकता और चेतना विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु

सार्थक प्रयास किया गया है। महिला सशक्तिकरण वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा देश में पहली बार ''राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति'' बनाई गई, ताकि देश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास के लिए आधारभूत व्यवस्था निर्धारित किया जाना संभव हो सके। महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा देश भर की पंचायतों व जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जो भारतीय स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है।

इससे महिलाओं के राजनीतिक दायित्व की पूर्ति होगी। महिला आरक्षण से महिलाओं में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होगी और वे निर्णय निर्माण व क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभायेंगी। साथ ही सामाजिक विकास में तथा सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करने में अर्थपूर्ण कार्य कर पायेंगी।

महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वर्ष 1993 में 'वुमन ऑफ एशिया' नामक राजनीतिक संगठन बनाया गया, जिसकी 21 सदस्यों ने वहां के संसदीय चुनाव में विजय प्राप्त की। महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। महिलाओं को पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है।

महिलाओं के राजनीतिक विकास की ओर दृष्टि डालते तो तीन बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैं-

1. समानता एवं संवेदनशीलता
2. राज्य और समाज व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता
3. राज्य व्यवस्था की इकाईयों से महिलाओं का संबंध।

वास्तव में निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं का न होना इस आदर्श लोकतांत्रिक सरकारों की सबसे बड़ी कमजोरी है।

1995 में अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय यूनियन के सर्वे में यह सामने आया कि विश्व भर की संसदों में मौजूद कुल सीटों में से मात्र 11.7 फीसदी सीटें महिलाओं के पास है। इस सच्चाई ने अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय यूनियन के महासचिव को यह कहने के लिए प्रेरित किया-'जिसे नुकसान होता है वह लोकतंत्र और जो धीमा हो जाता है वह विकास है।' पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुभव एक महत्वपूर्ण कारक है। संसद में जब 73वें और 74वें सांविधानिक संशोधनों पर चर्चा हो रही थी तो अधिकतर राजनीतिक दलों द्वारा यह महसूस किया गया कि चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त महिलाओं को ढूंढ पाना मुश्किल होगा जिन दो राज्यों में महिलाओं का पंचायतों में आरक्षण सबसे अधिक समय तक रहा वहां महिलायें 33 फीसदी से आगे निकल गयी हैं-कर्नाटक में 42 फीसदी महिलाएं हैं और पश्चिम बंगाल में 39 फीसदी है। इससे यह साबित हो जाता है कि अगर मौका दिया जाए तो महिला उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है।

पंचायतों में महिलाओं के अनुभवों का आंकलन किया जाए तो मिला-जुला दृश्य सामने आता है। कुछ क्षेत्रों में छद्म (प्रोक्सी) राजनीति का बोलबाला रहा है। यह निर्वाचित महिला सदस्य की रूचि में कमी या अक्षमता के कारण ऐसा होता है, इस विचार के विपरीत इसका कारण यह है कि अधिकतर मामलों में पुरुष रिश्तेदार या

पंच/सरपंच पति होते हैं जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बी.डी.ओ.) की मदद से निर्वाचित महिला के विरोध के बावजूद उसके स्थान पर स्वयं बैठकों में उपस्थित रहने पर जो देते हैं। बहुत सारे मामलों में कारण दिया जाता है कि अगर महिलाएं राजनीति में सक्रिय रहेगी तो घर के कार्य कौन करेगा। अतः छद्‌म राजनीति में पारिवारिक और सामाजिक यथास्थिति को बनाए रखने की कोशिश शामिल होती है। यहां महिलाओं की तथाकथित निष्क्रियता के लिए निंदा करने के बजाय शिशु देखभाल सुविधाओं के बेहतर आधारिक संरचना को सुनिश्चित करने, पुरुष रिश्तेदारों और सम्बन्धित सरकारी अधिकारी को शिक्षित और नियंत्रित करने की समस्या है।

महिला आरक्षण के साथ जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचारों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। देश के विभिन्न हिस्सों में निर्वाचित महिला सदस्यों के साथ बैठकों में महान साहस की व्यक्तिगत कहानियां सामने आती हैं जो कि एक व्यापक तस्वीर का प्रतिनिधित्व करती है। पंचायतों में बहुत बड़ी संख्या में दलित महिलाओं को प्रताड़ना का सबसे खराब रूप झेलना पड़ता है। वह जाति और लिंग आधारित दोनों ही प्रकार के दमन का शिकार बनती है। उदाहरण के तौर पर, हरियाणा में दलित महिला पंचों ने बताया कि हालांकि पुरुष दलित पंचों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, महिलओं को घृणा और लैंगिक वादी सबसे भद्दे फिकरों को झेलना पड़ता है। कुछ मामलों में तो बैठकें जानबूझकर उंची जाति के सरपंच के घर पर रखी जाती हैं जहां कि दलित महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध होता है। कई बार तो उन्हें फर्श पर बैठने को कहा जाता है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानीं और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। उड़ीसा के गामिया ब्लॉक में बीडीओ ने जातीय भेदभाव के चलते एक दलित महिला सरपंच को मेज कुर्सी और आने-जाने का खर्चा नहीं दिया और जब उस महिला ने जीप में बैठने के लिए जोर दिया तो उसने स्वयं को अपवित्र होने से बचाने के लिए खुद ही जीप से उतरने का तमाशा बना दिया। सरपंच ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा और प्रगतिशील संगठनों के समर्थन से उसके खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज कराए। (स्त्रोत : पंचायती राज अपडेट)

प्रभावशाली महिला सदस्यों को राजनीति में मौजूद अपराधियों द्वारा धमकाया जाता है। मदुरै शहर में माकपा कारपोरेटर लीलावथी को अपराधियों के एक गिरोह ने मार डाला। लीलावथी की सक्रियता के कारण इस गिरोह के अवैध दारू के धंधे और पानी की आपूर्ति से हाने वाले मुनाफे पर असर पड़ रहा था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक महिला सरपंच ने भ्रष्टाचार को रोककर गांव की चुंगी की कमाई को बढ़ाया था। उसने पानी का एक टैंक बनवाया जिसमें दो लाख लीटर पानी जमा किया जा सकता था। पहली बार पंचायत के सदस्यों को पूरा वेतन मिल रहा था। उस महिला सरपंच को उपसरपंच द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया। अब वित्त पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया। दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही रिपोर्ट मिली हैं कि उपसरपंच सरकारी अधिकारियों की मदद से इस आधार पर बागड़ोर अपने हाथ में ले लेते हैं कि महिला सरपंच काम नहीं कर सकती। जब वह इसका विरोध करती हैं तो पंचायत में पुरुषों की बहुसंख्यक जमात उसका कम ही समर्थन करती है।

पंचायतों और स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए कानून ने अनुमानित 10 लाख

महिलाओं को चुनावी राजनीति में प्रवेश देकर स्थानीय महिलाओं के स्थान को लेकर प्रचलित सामाजिक धारणा को जोर का धक्का मारा है। देश के कई हिस्सों में निहित राजनीतिक हितों ने महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ खुल्लमखुल्ला शत्रुतापूर्ण, निरुत्साहित और उपहास का रवैया अपनाया है। अतः 'राजनीतिक अधिकार' जो कि 'शायद थाली में सजाकर मिलने चाहिए थे' उसे निर्वाचित महिला सदस्यों के संघर्ष और त्याग द्वारा लागू किया गया।

सर्वविदित है कि संसद ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हरी झण्डी दे दी है। इस व्यवस्था को सुनते ही पुरुषों के पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई हैं कि अब महिलाओं की पंचायती राज में 50 से 70 प्रतिशत तक पंचायतों में सहभागिता होने से उनकी सत्ता व अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप व कब्जा होने की संभावनायें भी है। महिलाएं पंचायतों में चुनकर भी आई है और आएगी भी। परन्तु देखा जा रहा है कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव, भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के माध यम से पदों से बाहर किया जा रहा है, परन्तु 73वें संविधान संशोधन से लेकर 2015 में राजस्थान में सम्पन्न चुनाव परिणामों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के घर में स्वच्छ शौचालय निर्मित होने एवं उसके नियमित उपयोग होने की अनिवार्यता को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2014, दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के द्वारा लागू किया गया।

राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत के सरपंच हेतु किसी विद्यालय से 5वीं उत्तीर्ण तथा किसी अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच हेतु 8वीं उत्तीर्ण, जिला परिषद् या पंचायत समितिसदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की अनिवार्यता को राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014, दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 के द्वारा लागू किया गया। जिला परिषद् के प्रमुख के चुनावों में सभी 33 जिला परिषदों में 16 महिलाएं जिला प्रमुख निर्वाचित हुई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण प्राप्त है। वर्गवार विश्लेषण से पता चलता है कि सामान्य वर्ग की 4, अन्य पिछड़ा वर्ग की 7 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 3-3 महिलाएं जिला प्रमुख के पदों पर निर्वाचित हुई हैं।

चुनाव परिणाम 2015 का विश्लेषण-

राजस्थान में हाल ही में सम्पन्न पंचायत चुनाव परिणामों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिला परिषद् के प्रमुख के चुनावों में सभी 33 जिला परिषदों में 16 महिलाएं जिला प्रमुख निर्वाचित हुई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण प्राप्त है। वर्गवार विश्लेषण से पता चलता है कि सामान्य वर्ग की 4, अन्य पिछड़ा वर्ग की 7 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 3-3 महिलाएं जिला प्रमुख के पदों पर निर्वाचित हुई हैं।

पंचायत चुनाव, 2015 में निर्वाचित जिला प्रमुखों का वर्णन

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रमुख का नाम	लिंग	जाति
1	**अजमेर**	**वन्दना नोगिया**	**F**	**SC**
2	अलवर	रेखा देवी	F	OBC
3	बांसवाडा	रेशम मालवीया	F	ST
4	बारां	नन्दलाल सुमन	M	OBC
5	बाड़मेर	प्रियंका	F	SC
6	भरतपुर	बीना	F	OBC
7	भीलवाड़ा	पीरचन्द सिंघवी	M	GEN
8	बीकानेर	सुशीला	F	OBC
9	बूंदी	सोनिया	F	OBC
10	चित्तौडगढ़	लीला जाट	F	OBC
11	चूरू	हरलाल सिंह सहारण	M	OBC
12	दौसा	गीता खटाना	F	OBC
13	धौलपुर	धर्मपाल सिंह	M	GEN
14	डूंगरपुर	माधवलाल बरहत	M	ST
15	गंगानगर	प्रियंका	F	GEN
16	हनुमानगढ़	कृष्ण कुमार	M	GEN
17	जयपुर	मूलचंद मीना	M	OBC
18	जैसलमेर	अंजना	F	SC
19	जालौर	वानेसिंह	M	GEN
20	झालावाड़	टीना कुमार	F	ST
21	झुंझुनूं	सुमन	F	OBC
22	जोधपुर	पूनाराम	M	OBC
23	करौली	अभयकुमार	M	ST
24	कोटा	सुरेन्द्र	M	OBC
25	नागौर	सुनीता	F	GEN
26	पाली	पेमाराम	M	OBC
27	प्रतापगढ़	सारिका	F	ST
28	राजसमन्द	प्रवेश कुमार	M	SC
29	सवाईमाधोपुर	विनीता	F	ST
30	सीकर	अपर्णा रोलन	F	SC
31	सिरोही	पायल परसरामपुरिया	F	GEN
32	टोंक	सत्यनारायण	M	OBC
33	उदयपुर	शान्तिलाल मेघवाल	M	SC

तालिका के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अनुपात से अधिक भागीदारी जिल प्रमुख के चुनावों में मिली है, वहीं सामान्य वर्ग के जिला प्रमुख उनके अनुपात से कम निर्चाचित हुए हैं। महिला भागीदारी के बढ़ने से राजस्थान में पंचायती राज को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब जिला स्तर पर पंचायतों की बैठक में महिलाएं और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी। जिला स्तर पर मिली प्रभावी भूमिका का सीधा अन्तर ग्राम पंचायतों में चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों पर पड़ेगा। ग्रामीण विकास की योजनाओं तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग महिला प्रतिनिधियों की बढ़ी हुई भागीदारी से सुनिश्चित की जा सकेगी। शिक्षा, शौचालय, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पीने योग्य पानी जैसे आधारभूत समस्याओं से विशेषकर महिलाओं का सीधा वास्ता पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में औसत जनजीवन भारी विषमताओं से परिपूर्ण होता है। बदली हुई परिस्थितियों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाये गये सभी कदम

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति को और अधिक मजबूत करेंगे। पंचायतों के मार्फत अब महिलाएं स्वयं नीति निर्माण तथा उन्हें लागू करने में महत्ती भूमिका निभा सकेंगी।

2015 पंचायत चुनावों में राजस्थान में जिला परिषद् में विजयी प्रत्याशियों का वर्गवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन–जाति		कुल
		पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	
1	अजमेर	10	9	4	3	3	2	1	0	32
2	अलवर	13	13	5	5	5	4	2	2	49
3	बांसवाडा	3	2	-	-	1	-	12	13	31
4	बारां	6	7	1	-	2	2	4	3	25
5	बाड़मेर	10	10	4	4	3	3	2	1	37
6	भरतपुर	10	10	4	4	4	4	1	-	37
7	भीलवाड़ा	10	9	4	4	3	3	2	2	37
8	बीकानेर	8	8	3	3	4	3	-	-	29
9	बूंदी	6	6	0	1	2	2	3	3	23
10	चित्तौडगढ़	7	6	2	2	2	2	2	2	25
11	चूरू	7	7	3	3	4	3	0	0	27
12	दौसा	7	7	1	Nil	3	3	4	4	29
13	धौलपुर	5	7	3	2	3	2	1	Nil	23
14	डूंगरपुर	3	3	0	0	1	0	10	10	27
15	गंगानगर	8	8	1	1	7	6	-	-	31
16	हनुमानगढ़	8	7	3	2	5	4	-	-	29
17	जयपुर	12	14	5	5	5	4	3	3	51
18	जैसलमेर	4	5	2	2	2	1	1	Nil	17
19	जालौर	8	8	2	2	3	3	2	3	31
20	झालावाड़	6	7	2	2	2	3	2	2	26
21	झुंझुनूं	10	11	4	3	3	3	1	0	35
22	जोधपुर	10	11	4	4	4	3	1	0	37
23	करौली	5	7	1	Nil	4	3	4	3	27
24	कोटा	6	5	1	1	3	3	2	2	23
25	नागौर	13	13	5	5	6	5	Nil	Nil	47
26	पाली	8	9	3	3	4	3	2	1	33
27	प्रतापगढ़	3	2	-	-	Nil	1	6	5	17
28	राजसमन्द	7	6	2	3	2	1	2	2	25
29	सवाईमाधोपुर	6	7	1	Nil	3	2	3	3	25
30	सीकर	13	10	4	4	4	3	1	Nil	39
31	सिरोही	4	5	1	0	2	2	4	3	21
32	टोंक	6	7	1	1	3	3	2	2	25
33	उदयपुर	9	7	1	Nil	1	1	11	13	43
	योग	248	252	77	69	103	87	95	82	

तालिका के अनुसार 2015 के पंचायत आम चुनावों में जिला परिषद् सदस्यों के 1013 सीटों के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इन चुनावों में 490 महिला जिला परिषद् सदस्यों तथा 523 पुरुष जिला परिषद् सदस्यों का चुनाव किया गया। वर्गवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग में 252 महिला प्रतिनिधियों को चुना गया, जो 248 पुरुष प्रतिनिधियों की संख्या से 4 अधिक है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 77 पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में 69 महिला प्रतिनिधियों को जिला परिषदों में स्थान मिला। वहीं, अनुसूचित जाति में 87 महिला प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ जबकि इसी वर्ग में पुरुष जनप्रतिनिधियों

की संख्या 103 थी। अनुसूचित जनजातियों में 95 पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में केवल 82 महिला प्रतिनिधियों का जिला परिषद् सदस्य के रूप में निर्वाचन किया गया। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधी आबादी को पचास फीसदी आरक्षण मिलने से इनकी संख्या में सापेक्षिक रूप से बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका परिणाम 2015 के पंचायत चुनावों में देखने को मिला है। लोकतान्त्रिक संस्थाओं को और अधिक मजबूत करने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उक्त संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ है।

राजस्थान के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कई योजनाओं और कार्यक्रमों में ग्राम सभा की भूमिका नये सिरे से परिभाषित की गई है, जिसमें विशेषकर महिला प्रतिनिधियों की योजना निर्माण तथा उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की बात कही गई है। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पंचायतों के विभिन्न आयामों तथा उनके विकास में महिला प्रतिनिधित्व कितनी कारगर भूमिका निभाता है। विगत पंचायत चुनावों में 73वें संविधान संशोधन विधेयक का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। प्रदेश के 295 पंचायत समितियों के चुनावों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसी का परिणाम है कि आधी आबादी को उनके पचास फीसदी आरक्षण के अनुसार कुल 295 सीटों में से 148 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये परिणाम बहुत दूरगामी सिद्ध हो रहे हैं। त्रि-स्तरीय पंचायत राज ढांचे में पंचायत समिति बीच की कड़ी है जो ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की बुनियादी आवश्यकताओं के मद्देनजर नीति निर्माण तथा उन्हें लागू करवाती है। इस स्तर पर गठित पंचायत समितियों में महिलओं का इतनी बड़ी संख्या में चुनकर आना भविष्य में ग्रामीण विकास की आशाओं और अपेक्षाओं में स्वाभाविक वृद्धि करता है।

पंचायती राज चुनाव, 2015 में निर्वाचित प्रधान

क्र.सं.	जिले का नाम	सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन–जाति	
		पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री
1	अजमेर	2	1	2	3	1	-	-	-
2	अलवर	1	2	2	5	2	1	-	1
3	बांसवाडा	-	-	-	-	-	-	5	6
4	बारां	2	1	-	1	1	-	1	1
5	बाड़मेर	-	5	4	4	2	1	-	1
6	भरतपुर	-	2	-	6	1	1	0	0
7	भीलवाड़ा	-	2	2	4	1	1	1	1
8	बीकानेर	1	1	2	1	2	0	-	-
9	बूंदी	1	0	-	1	-	1	1	1
10	चित्तौडगढ़	3	1	2	1	1	1	2	-
11	चूरू	-	1	3	1	1	1	-	-
12	दौसा	0	0	-	1	1	-	1	3
13	धौलपुर	1	1	-	1	-	-	1	1
14	डूंगरपुर	Nil	Nil	-	-	-	-	5	5
15	गंगानगर	2	1	1	2	1	2	-	-
16	हनुमानगढ़	-	-	2	3	1	1	-	-
17	जयपुर	2	2	3	2	3	0	1	2

18	जैसलमेर	1	1	-	1	-	-	-	-
19	जालौर	2	2	1	-	2	-	-	1
20	झालावाड़	1	-	1	4	1	-	1	-
21	झुंझुनूं	-	-	4	3	1	-	-	-
22	जोधपुर	1	4	5	2	3	-	1	-
23	करौली	-	-	-	1	1	1	2	1
24	कोटा	1	-	1	-	1	-	-	2
25	नागौर	1	1	4	5	2	1	-	-
26	पाली	2	3	1	1	2	-	1	-
27	प्रतापगढ़	1	-	-	-	-	-	2	2
28	सवाईमाधोपुर	1	-	-	-	-	-	2	2
29	राजसमंद	1	2	1	1	1	-	1	-
30	सीकर	-	-	4	3	1	1	-	-
31	टोंक	-	1	1	2	Nil	1	Nil	1
32	उदयपुर	3	2	1	Nil	Nil	1	5	5
33	सिरोही	Nil	1	1	Nil	1	Nil	1	1
	कुल	30	37	48	59	34	15	34	37

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि महिलाओं विशेषकर, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को पंचायती राज संस्थाओं में स्वतंत्रता के बाद पिछले लगभग 70 वर्षों में उचित प्रतिनिधित्व कभी नहीं दिया गया, उन्हें हाल के आम चुनावों में बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व मिला है। अन्य पिछड़े वर्गों से ताल्लुक रखने वाली 59 महिलाओं को पंचायत समिति प्रधान बनने का मौका मिला, वहीं पुरुष प्रधानों की संख्या केवल 48 थी। अनुसूचित जाति वर्ग में 15 पुरुष प्रधानों की तुलना में 34 महिला प्रधान चुनी गई, जो अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वहीं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला प्रधानों की संख्या 37 थी जो पुरुष प्रधानों की संख्या 34 की संख्या से थोड़ा अधिक है। उक्त आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि यदि महिलाओं को पंचायतों में पचास फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया होता तो आज महिला प्रधानों की संख्या विशेषकर पिछड़े वर्गों में पुरुष प्रधानों से अधिक नहीं होती। सामान्य वर्ग में भी 30 पुरुष प्रधानों की तुलना में 37 महिला प्रधान चुनी गई। समग्र रूप से विश्लेषण से पता चलता है कि 295 पंचायत समिति प्रधानों में आधे से अधिक पदों पर महिला प्रत्याशियों ने कब्जा किया।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में आदिकाल से ही पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। आज भी राज्यों की विधानसभाओं तथा लोकसभा में महिला सशक्तीकरण के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें की जाती है, लेकिनपरिणाम लगभग शून्य हैं। 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में हुए चुनावों में मात्र 11.2 प्रतिशत महिला प्रत्याशियों को ही लोकसभा में जाने का मौका मिला। वहीं दूसरी ओर राज्य विधानसभाओं की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि महिला अधिकारिता एवं सशक्तिकरण के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करना छोड़कर कुछ खास करने की आवश्यकता है, तभी सही मायने में महिलाओं का भला हो सकता है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में महिला भागीदारी बढ़ाने के बहुआयामी परिणाम निकट भविष्य में ही नजर आने लगेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में महिला उत्थान एवं उनके सशक्तीकरण को लेकर राजनीतिक दल घड़ियाली आँसू बहाना छोड़कर सकारात्मक कार्य करेंगे, जिससे वर्षों से

दबी हुई महिलाओं की आवाज को बुलन्द करने का अवसर मिलेगा।

ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए गए ग्राम प्रधान और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में महिलाओं की मौजूदगी औपचारिकता मात्र नजर आई। कुछेक महिला प्रधानों को छोड़ दे तो अधिकांश घूंघट में लिपटी नजर आई। खासतौर पर उम्र दराज महिलाओं का घूंघट कुछ ज्यादा ही नजर आया।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक महिला प्रधान से जब उनकी उम्र के बारे में पूछा गया तो वह सकुचाते हुए बोली, 'उमर की नाय पतौ लल्लू, कागज में देख लै।' वहीं घूंघट में खड़ी एक अन्य महिला प्रधान से पूछा गया कि प्रधानी कौन करेगा तो वह तपाक से बोली, हम दोनू मर्द-बईयर परधानी करिंगे। अपने ग्राम को विकास करिंगे।'

स्नातक महिला प्रधान, समाज में पर्दा की बंदिश से खुद को मुक्त बताती है, वह विकास में पति की मदद तो स्वीकारती है। वह कहती हैं कि अफसरों के साथ खुद योजनाएं बनाएंगी और विकास कराएंगी।

स्त्रोत : अमर उजाला-20 दिसम्बर 2015

फरह ब्लॉक के गांव पिपरौढ़ की प्रधान शकुंतला देवी कहा कहना है कि उनका पूरा काम पति ही संभालेगे। गांव में क्या काम और विकास होगा, यह पति ही तय करेंगे। मैं तो उनके अधीन ही रहूंगी।

देश में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की बात बार-बार दोहरायी जाती रही है। ऐसे में महिला आरक्षण की वास्तविक स्थिति को बताने वाला एक अनोखा घटनाक्रम सामने आया है।

मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर जनपद में हन्नूखेड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर विजयी हुई महिला सरपंच के पति ने सरपंच पद की शपथ ली और विधिवत् रूप से पदभार ग्रहण किया। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था से भी महिलाओं की स्थानीय स्तर पर सहभागिता के आयाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखे जा सकते हैं-

आरक्षण से महिलाओं में निम्नलिखित बदलाव देखे जा सकते हैं-

1. आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान से महिलाओं की विकास प्रक्रिया में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
2. शिक्षा की अनिवार्यता से महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ रही है, जिससे वे राजनीतिक सहभागिता में सक्रिय बन सके।
3. सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में सुधार व बदलाव देखे जा सकते हैं।
4. आरक्षण के कारण महिलाएं अधिकारों के प्रति जागरूक हो गयी है व सरकार द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठा रही है।
5. राजनीतिक मंच पर पुरुषों के साथ काम करने, बातचीत करने में जो संकोच, डर एवं हिचकिचाहट महिलाएं महसूस करती थी, उसमें कमी आई है।
6. स्वयं के साथ कार्य करने में आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है।
7. सत्ता के गलियारें में पुरुषों की भांति अच्छी तरह चहलकदमी करना, जिसका एहसास पुरुषों को भी होने लगा है।
8. पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, जो पहले शोषण की शिकार थी, दयनीयता की

स्थिति में थी, इस आरक्षण के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है।

9. पंचायती राज के तीनों स्तरों के अधिकारियों व पदाधिकारियों से सम्पर्क होने लगा है।
10. घर की चारदीवारी से बाहर आकर अपने अधिकारों व विचारों को रखने की क्षमता में विकास हुआ है।
11. आरक्षण रूपी पाठशाला से सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की ग्राम गोहद की सरपंच निर्मला तोमर 2015 में सरपंच चुनी गयी। सरपंच बनते ही उन्होंने घोषणा की कि अब गांव में न शराब बिकने देगे और न किसी को पीने देगे। एक साल बाद नतीजा यह है कि गांव में देशी शराब का पाउच भी नहीं बिका। हर रोज सुबह महिलाएं प्रभातफेरी निकाल रही है और ग्रामीणों से पंचायत में शुचिता और संस्कारों की अविरल धारा बहाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिला मुख्यालय से 65 किमी दूर गांव भिड़ावद की महिला सरपंच ने डेढ़ साल में गांव का कायाकल्प कर दिखाया है। ग्रामीणों के सहयोग से गांव में कीचड़ की जगह सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना दी गयी है। मल-जल निकासी के लिए मुख्य मार्गों पर नालियां बनाई गई है। एक साल में गांव को जिले का पहला खुले में शौच मुक्त गांव बना दिया गया है। अगले 6 महिने में गांव को वाई-फाई बनाने की तैयारी है। ये सब किया है 21 वर्ष की ऋतु पांचाल ने। वे एमबीए कर रही हैं। पढ़ाई के बीच हर ग्राम सभा में भागीदारी करती है।

डेढ़ साल पहले ग्राम में किसी को भरोसा नहीं था कि इतनी कम उम्र की महिला ग्राम का विकास कैसे करेगी, लेकिन शिक्षित सरपंच ने अपना विश्वास जनता में कायम किया तथा ग्राम के विकास के लिए हर तरह से प्रयत्नशील है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वविदित है कि केन्द्र व राज्य स्तर पर महिलाओं को सभी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक संसद में विचारार्थ रखा गया है, जो आज नहीं तो संसद में कभी न कभी पास होकर पूरे भारत में लागू हो जायेगा। तब संविधान में वर्णित समानता, न्याय की बात पूरी होगी और महिलाएं सभी क्षेत्रों में सहभागिता निभा पाऐंगी। नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता कर सकेगी जो एक सशक्त समाज व देश के निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर 1994
2. डॉ. बसंती लाल बाबेल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, 2001
3. सेन्सस ऑफ इण्डिया, राजस्थान (सीरिज 9), 2001
4. प्रशासनिक ढाँचा एवं प्रगति प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग, राजस्थान-2005
5. अमर उजाला, जनवरी-2006
6. दैनिक जागरण, जनवरी-2006

7. हिन्दुस्तान टाइम्स, जनवरी-2006
8. द हिन्दू, जनवरी-2006
9. अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थायें, 2005, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 153-160
10. पंचायती राज प्रणाली : चुनौतियां व समाधान, जून 15, 2011 (विविधा में)
11. पंचायती राज मतलब राम-राज्य, अप्रैल 5, 2016 (राजनीति में)
12. भारत में विकल्प की राजनीति के सूत्रधार : जय प्रकाश नारायण, अक्टूबर 11, 2014 (शख्सियत में)
13. पंचायती राज अपडेट-इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (जुलाई 2016)
14. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त सूचना
15. राजस्थान निर्वाचन आयोग से प्राप्त मौखिक एवं वेबसाईट से प्राप्त सूचनायें एवं जानकारी
16. योजना, नारी सशक्तिकरण, सितम्बर 2016

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का कृषि उत्पादन व ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव का अध्ययन

(छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा व बिलासपुर जिलों के विशेष संदर्भ में)

* एस. किस्पोट्टा
** ज्ञान सिंह

सारांश- *छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है, राज्य में कृषकों की कुल जनसंख्या 37.46 लाख (14.66 प्रतिशत) है, एवं ग्रामीण जनसंख्या 76.76 प्रतिशत है। ग्रामीण आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता एवं दबाव अधिक है, राज्य में 30.60 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, इस प्रकार प्रदेश में एक बड़े भू-भाग (40 लाख हेक्टेयर) मानसून पर आधारित है, इस भूमि में किसान केवल एक फसल धान का ही उत्पादन कर रहे है, गाँव में ही आजीविका एवं रबी फसलों में वृद्धि के लिए राज्य में सिंचाई योजनाओं का विकास करना होगा जिससे सिंचित क्षेत्र का दयारा राज्य में बढ़ाया जा सके, प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की 5 प्रमुख सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं (यथा-शाकम्भरी कूप-पंप योजना, किसान समृद्धि नलकूप योजना, माईक्रो-ईरीगेशन ड्रिप स्प्रिंकलर योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना व भू-जल संवर्धन योजना) का कृषि उत्पादन व ग्रामीण आजीविका में उनके प्रभाव को जानने का अध्ययन-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहाँ अध्ययन हेतु न्यादर्श क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिलें से 2 विकासखंड क्रमशः अंबिकापुर व लखनपुर तथा बिलासपुर जिलें से 2 विकासखंड क्रमशः मस्तूरी व कोटा का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध में द्वितीय स्तर पर स्तरित दैव निदर्शन विधि का प्रयोग कर विकासखंड में से क्षेत्रफल आधारित उच्च मध्यम व निम्न सिंचित 12 ग्राम पंचायतों से 324 न्यादर्श का चयन किया गया है। इस प्रकार 176 कृषक विविध सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिसे लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया है। वह कृषक जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है तथा वह जो स्व-व्यवस्था या बिना सिंचाई व्यवस्था के मानसुन पर आधारित कृषि कर रहें है उन्हें गैर-लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया है। जिनमें कुल 148 कृषकों को सम्मिलित हुए हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कृषकों की संतुष्टि का अध्ययन हेतु बहु-वैकल्पिक प्रतीपगमन विश्लेषण विधि की सहायता ली गई है, जहाँ प्रस्तुत चरण, परिकल्पना परीक्षण का है जिसके अनुसार, प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता हैं कि आश्रित चर - संतुष्टि स्तर एवं स्वतंत्र चर क्रमशः - कृषि में सम्मिलित सदस्यों की संख्या, परिवार का आकार, अनुभव, आयु, शिक्षा का स्तर, वार्षिक आय, परिवार की प्रकृति, परिवार में आय प्राप्त करने वाले कुल सदस्य की संख्या एवं वार्षिक व्यय आदि के प्रतीपगमन मूल्यों की दिशा वृद्धि क्रमशः*

★ सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
★★ शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग)

0.389 से 0.842 की ओर हुई हैं, वहीं समायोजित प्रतीपगमन वर्ग की मूल्यों की दिशा क्रमशः 0.086 से 0.615 की ओर बढ़ी हैं। इस प्रकार ज्ञात प्रतीनगमन परिणाम यह इंगित करते हैं कि नौ स्वतंत्र चर की बढ़ती प्रवृत्ति का अश्रित चर कृषकों के संतुष्टि स्तर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कृषकों की समस्याओं को गैरेट रैकिंग तकनीक विधि की सहायता से प्रथम से अंतिम तक कम में प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त परिक्षण के अनुसार सर्वाधिक माध्य अंक 62.49 "गिरते जल स्तर एवं कम प्रवाह क्षमता" की समस्या को प्राप्त हुआ हैं, वही गैर-लाभार्थी वर्ग में कृषकों की प्रमुख प्रथम समस्या का माध्य अंक 54.35 "उच्च निवेश की आवश्यकता" (पाइप, ड्रिप, स्प्रिंकलर व जनरेटर हेतु) को प्राप्त हुआ हैं।

मुख्य शब्द– सूक्ष्म सिंचाई योजना, कृषि उत्पादन, आजीविका एवं कृषक संतुष्टि।

1. **विषय परिचय**– भारतीय संविधान के अनुसार कृषि राज्य का विषय है, इसलिए खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की प्राथमिकता राज्य सरकारों की है, तथापि राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरण के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें देश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने और कृषक समुदाय की आजीविका सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा हेतु कार्यान्वित की जा रही हैं यथा- मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि। प्रस्तुत शोध अध्ययन में छत्तीसगढ राज्य सरकार व्द्वारा संचालित महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं को लिया गया है, जिसमें 5 सिंचाई योजनाओं शाकम्भरी (कूप.पंप) योजना, किसान समृद्धि नलकूप योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना, भू-जल संवर्धन योजना व माईक्रोइरीगेशन योजना, (ड्रिप और स्प्रिंकलर) का चयन किया जा रहा है, जिनके अंतगर्त कूप निर्माण, पंप स्थापना, नलकूप स्थापना, ड्रिप व स्प्रिंकलर की स्थापना व छोटे तालाब निर्माण एवं भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यो के लिए कृषकों को अनुदान प्रदान किया जाता है, ताकि वह सिंचाई साधनों की स्थापना कर सकें एवं कृषि उत्पादन के साथ ग्रामीण आजीविका का निर्माण कर सके। इस प्रकार उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्रदान की राशि (प्रतिशत) का विवरण अग्रानुसार है -

तालिका क्रमांक : 1.1 छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संचालित प्रमूख सिंचाई योजनाएं

सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं	वर्ष	संचालन	एस.टी.	एस.सी.	ओबीसी	सामान्य
शाकम्भरी (कूप-पंप) योजना,	2006	कृषि विभाग (पंप)	75%	75%	75%	75%
	2006	कृषि विभाग (कूप)	50%	50%	50%	50%
किसान समृद्धि नलकूप योजना,	2006	कृषि विभाग	43000 रु.	43000 रु.	35000 रु.	25000 रु.
लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना,	2004	भू– संरक्षण विभाग	शासकीय भूमि में तालाब का निर्माण शत् प्रतिशत शासकीय व्यय द्वारा			
भू–जल संवर्धन योजना,	2004	कृषि विभाग	5000 रु.	5000 रु.	5000 रु.	5000 रु.
माईक्रोइरीगेशन योजना, (ड्रिप और स्प्रिंकलर)	2006	उद्यानिकी विभाग	70%	70%	70%	70%
			50%	50%	50%	50%

स्रोत :- कृषि दर्शिका, 2014

2. **शोध परिकल्पना**– शोध अध्ययन में निम्नाकिंत परिकल्पना के परीक्षण के अध्ययन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है -

H_0- न्यादर्श क्षेत्रों के कृषकों की व्यक्तिगत एवं समाजार्थिक विशेषताओं (यथा- कृषि में सम्मिलित सदस्यों की संख्या, परिवार का आकार, अनुभव, आयु, शिक्षा का स्तर, वार्षिक आय, परिवार की प्रकृति, परिवार में आय प्राप्त करने वाले कुल सदस्य की संख्या एवं वार्षिक व्यय आदि) का सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से प्राप्त संतुष्टि-स्तर से कोई सार्थक सम्बंध नहीं है।

यहाँ निर्धारित परिकल्पना के परिक्षण में बहु-वैकल्पिक प्रतीपगमन विश्लेषण विधि तथा गैरेट रैकिंग तकनीक विश्लेषण विधि की सहायता ली गई है।

3. **शोध प्रविधि**–

3.1 (क) निर्दशन - वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र, 5 संभाग, 27 जिलें, 146 विकासखंड व 9734 ग्राम पंचायत हैं, जहाँ लगभग 37 लाख कृषक कृषि कर रहे है, समग्र का आकार विशाल होने के कारण बहुस्तरीय निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है।

क्र.	निदर्शन का स्तर	निदर्शन इकाई	निदर्शन इकाई के चयन का मापदंड	निदर्शन विधि का चयन	निदर्शन इकाई का विवरण	समग्र एवं न्यादर्श
1.	I स्तर	कृषि जलवायु क्षेत्र	छ.ग का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र	सूक्ष्म समूह	राज्य में सर्वेक्षेष्ट और औसत	2 (कुल 3)
2.	II स्तर	जिला	सिंचाई प्रतिशत के आधार पर	स्तरीकृत उद्देश्यात्मक निदर्शन विधि	अधिकतम एवं न्युनतम औसत सिंचाई प्रतिशत	2 (कुल 27)
3.	III स्तर	ब्लॉक	विकास के आधार पर	स्तरीकृत उद्देश्यात्मक निदर्शन विधि	सर्वेक्षेष्ट और औसत	4 (कुल 146)
4..	IV स्तर	ग्राम पंचायत	सिंचाई योजनाओं के कियान्यवयन के आधार पर	स्तरीकृत उद्देश्यात्मक सह–समूह निदर्शन विधि	उच्च, मध्यम, निम्न	12 (कुल 223 – 338)
5.	V स्तर	परिवार	यादृच्छिक आधार पर लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी	स्तरीकृत यादृच्छिक निदर्शन विधि	सिंचित क्षेत्र में समान आनुपातिक नमूना	न्यादर्श 324 (कुल 37 लाख कृषक)

तालिका क्रमांक : 1.3 शोध कार्य-योजना

क्र.	न्यादर्श जिलें	न्यादर्श क्षेत्र एवं ग्राम	अनुसूचियों की संख्या		
			लाभार्थी	गैर –लाभार्थी	कुल
1.	**सरगुजा**	**1. विकासखंडः अंबिकापुर**	**44**	**37**	**81**
		(i.) शिवपुर	20	15	35
		(ii.) कृष्णपुर	15	13	28
		(iii.) इन्द्रपुर	09	09	18
		2. विकासखंडः लखनपुर	**44**	**37**	**81**
		(i.) लखनपुर	20	15	35
		(ii.) अमलभिट्टी	15	13	28
		(iii.) कोसंगा	09	09	18

2.	**बिलासपुर**	**1. विकासखंडः कोटा**	**44**	**37**	**81**
		(i.) मोहली	20	15	35
		(ii.) अमाली	15	13	28
		(iii.) पिपरतराई	09	09	18
		2. विकासखंडः मस्तुरी	**44**	**37**	**81**
		(i.) मल्हार	20	15	35
		(ii.) बसहा	15	13	28
		(iii.) सकुलकारी	09	09	18
		कुल	**176**	**148**	**324**

4. न्यादर्श क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का विश्लेषण–

प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा कुल 324 कृषकों को अनुसूची द्वारा न्यादर्श क्षेत्र से सम्मिलित किया गया है, जिसमें 176 (54.32 प्रतिशत) कृषक विविध सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसे लाभार्थी वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। वह कृषक जिन्हें इन योजना का लाभ नहीं मिला है तथा वह जो स्व-व्यवस्था या बिना सिंचाई व्यवस्था के मानसुन पर आधारित कृषि कर रहें है, उन्हें गैर-लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें कुल 148 (45.68 प्रतिशत) कृषकों को सम्मिलित हुए हैं। (चित्र क्रमांक 1.1)

चित्र क्रमांक 1.1 : लाभार्थी तथा गैर-लाभार्थी कृषक वर्ग

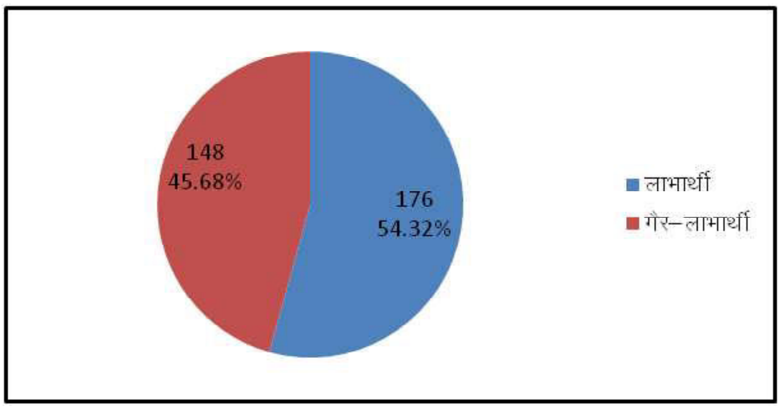

स्रोत - प्राथमिक सर्वेक्षण

इस प्रकार लाभार्थी वर्ग का कृषक राज्य सरकार द्वारा विविध सिंचाई योजनाओं यथा-शाकम्भरी कूप-पंप योजना, किसान समृद्धि नलकूप योजना, माईक्रो-ईरीगेशन ड्रिप स्प्रिंकलर योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना व भू-जल संवर्धन योजना से लाभ प्राप्त कर रहें हैं। राज्य में विद्युत डीजल व केरोसीन चलित पंप तथा किसानों के लिए कूप निर्माण में आर्थिक मदद प्रदान करने वाली शाकम्भरी कूप-पंप योजना सर्वाधिक सफल हुई है, जिनमें लाभार्थी कृषकों में से 71 (40.34 प्रतिशत) कृषक शाकम्भरी कूप-पंप योजना का लाभ ले रहें है। सिंचाई योजनाओं में राज्य की दूसरी प्रमुख योजना किसान समृद्धि नलकूप योजना 43 (24.43 प्रतिशत) हैं। यह सिंचाई योजना राज्य में उपलब्ध भू-जल का समुचित उपयोग एवं फसल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल सघनता में वृद्धि करने हेतु किसानों को नलकूप खनन एवं पंप

स्थापना के लिए आर्थिक मदद कर रही है। (चित्र क्रमांक 1.2) राज्य में किसानों द्वारा तीसरी प्रमुख रूप से अपनाई जाने वाली योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना 37 (21.02 प्रतिशत) हैं, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत् स्थापित कुएं, नलकूप एवं अन्य जल स्रोतों का समुचित उपयोग कर अधिकाधिक क्षेत्रों में रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन करने हेतु सिंचाई जल क्षमता में वृद्धि करना इस सिंचाई योजना का प्रमुख लक्ष्य हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रिप व स्प्रिकंलर के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया जा रहा हैं। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना के अन्तर्गत 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वालें तालाबों का निर्माण शत् प्रतिशत शासकीय व्यय पर किया जाता हैं, जहाँ 16 (9.09 प्रतिशत) कृषक प्राप्त न्यादर्शो के अनुसार लाभांवित हो रहें हैं। राज्य द्वारा भू-जल संवर्धन हेतु कूप एवं नलकूप पुनर्भरण के लिए भू-जल संवर्धन योजना संचालित की जा रही हैं, इस योजनांतर्गत प्रति कूप एवं नलकूप के पुनर्भरण हेतु लगने वालें कार्य समाग्री को वास्तविक लागत या अधिकतम व्यय पर रूपये 10,000 का 50 प्रतिशत अर्थात कूल रूपये 5000 शासकीस अनुदान देय है, शेष राशि किसानों द्वारा वहन की जाती है, जहाँ 9 (5.11 प्रतिशत) कृषक इस योजना से लाभांवित हैं, इस प्रकार कुल 176 लाभार्थी कृषकों को सर्वेक्षण द्वारा सम्मलित किया गया है।

चित्र क्रमांक 1.2

राज्य शासन द्वारा चलित सिंचाई योजनाओं में लाभार्थी कृषक वर्ग का प्रतिशत

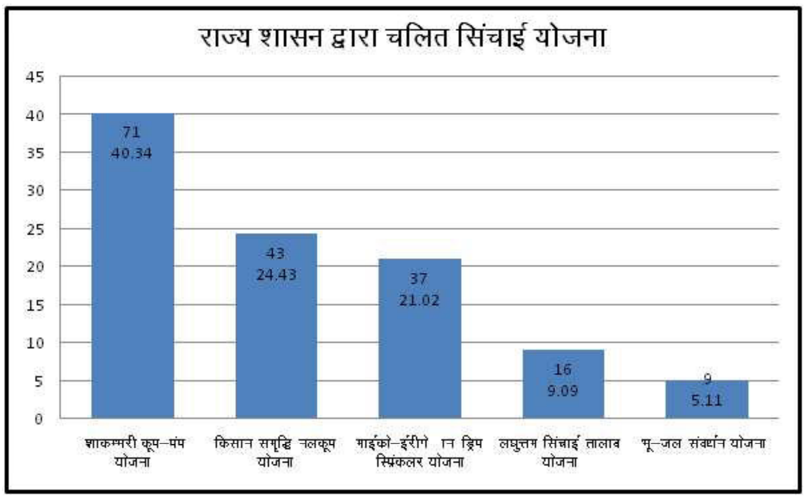

स्रोत्र - प्राथमिक सर्वेक्षण

4.1 न्यादर्श क्षेत्र में सिंचाई जल के स्त्रोत एवं साधन–

न्यादर्श क्षेत्र में, किसान कृषि कार्य में सिंचाई के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग कर रहें है, यथा - लड (बाढ़) विधि, नकबार (क्यरी) विधि, थाला विधि, बौछरी (स्प्रिंकलर) विधि एवं नली (ड्रिप) विधि आदि। इन सिंचाई विधियों में, बौछरी (स्प्रिंकलर) विधि, नली (ड्रिप) विधि आदि जो सूक्ष्म सिंचाई की विधियाँ है। कृषि के लिए जल के संकुचन से कृषकों की कृषि-सिंचाई विधियों एवं तकनीकों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनमें सूक्ष्म सिंचाई तकनीक ड्रिप-स्प्रिंकलर बेहतर विकल्प के रूप में उभरा एवं

अपनाया जा रहा हैं। जल स्रोत्रों के विषय पर राज्य में, वर्ष 2000-01 से जहाँ नहरों की संख्या में वृद्धि उपरांत कमी आयी है, वहीं नलकूप, तालाबों, जलाशय एवं विद्युत पंपो की संख्या में वृद्धि किन्तु कुएँ जैसे साधन घट रहें है, न्यादर्शों में, बोरवेल सबसे बड़ा सिंचाई का स्त्रोत है, जो 98 (55.68 प्रतिशत) क्षेत्रफल को सिंचित करता है, वहीं कुओं से 40 (22.72 प्रतिशत) कृषि तालाबों से 17 (9.66 प्रतिशत) नहरें 16 (9.09 प्रतिशत) तथा अन्य साधनों से 5 (2.84 प्रतिशत) क्षेत्र सिंचित है। (चित्र क्रमांक 1.3)

चित्र क्रमांक 1.3

लाभार्थी के पास उपलब्ध सिंचाई के स्रोत्र

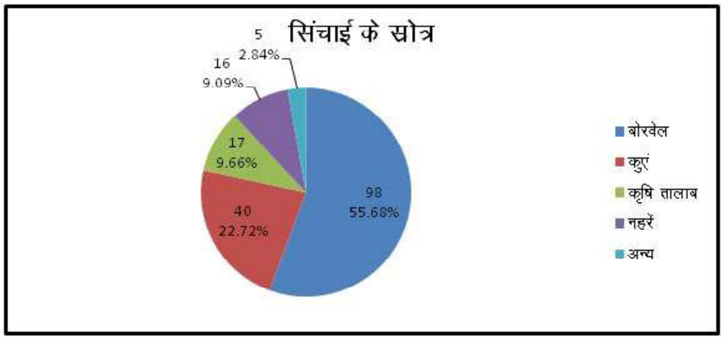

स्रोत्र - प्राथमिक सर्वेक्षण

जल स्रोतों के माध्यम द्वारा खेतों को सिंचित किये जाने वालें साधनों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है, कि प्रत्येक खेतों पर आवश्यक रूप से सिंचाई स्रोत उपलब्ध नही है, कृषकों के खेतों के आकार व प्रकार के अनुसार सिंचाई जल को विभिन्न माध्यम यथा - नलकूप, विद्युत पंप, डीजल पंप, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तथा कुआँ एवं क्यरी द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता हैं। जिसकी औसतन दूरी 250 से 500 मीटर होती हैं। जिन माध्यम द्वारा सर्वोधिक सिंचाई जल खेतों तक पहुँचाया जा रहा है, वह नलकुप 43 (24.43 प्रतिशत) विद्युत पंप 42 (23.86 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त डीजल पंप 38 (21.59 प्रतिशत) ड्रिप 15 (8.52 प्रतिशत) स्प्रिंकलर 22 (12.5 प्रतिशत) तथा अन्य 16 (9.09 प्रतिशत) हैं। (चित्र क्रमांक 1.4)

चित्र क्रमांक 1.4

लाभार्थी के पास उपलब्ध सिंचाई के माध्यम

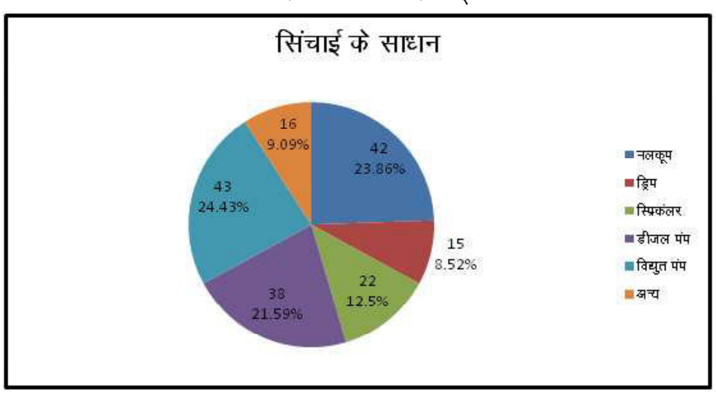

स्रोत्र - प्राथमिक सर्वेक्षण

5. सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कृषकों की संतुष्टि स्तर का अध्ययन–

प्रस्तुत चरण, परिकल्पना परीक्षण का है, जिसके अनुसार, न्यादर्श क्षेत्रों में कृषकों की व्यक्तिगत एवं समाजार्थिक विशेषताओं (यथा- कृषि में सम्मिलित सदस्यों की संख्या, परिवार का आकार, अनुभव, आयु, शिक्षा का स्तर, वार्षिक आय, परिवार की प्रकृति, परिवार में आय प्राप्त करने वाले कुल सदस्य की संख्या एवं वार्षिक व्यय आदि) का सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से प्राप्त संतुष्टि-स्तर से कोई सार्थक सम्बंध नहीं है, उपरोक्त परिकल्पना के परीक्षण हेतु बहु-वैकल्पिक प्रतीपगमन विश्लेषण विधि की सहायता ली गई है।

5.1 मापदंड एवं गणना प्रक्रिया– सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनायें जानें पर कृषकों की संतुष्टि के स्तर के माप के लिए रेनीस के 5 अंकीय लाईक्ट पैमाने को अपनाया गया हैं, जहाँ संतुष्टि के माप में क्रमशः 5 अंक अत्यधिक संतुष्ट, 4 अंक संतुष्ट, 3 अंक तटस्थ, 2 अंक असंतुष्ट 1 अंक अत्यधिक असंतुष्ट को दिये गयें हैं। न्यादर्श क्षेत्रों में, प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर अनुसूची के माध्यम द्वारा 15 कथनों को 5 अंकों पर 176 लाभार्थी कृषकों द्वारा एकत्रित किया गया हैं। समंक विश्लेषण एवं निर्वचन के उद्देश्य के आधार पर कृषकों की संतुष्टि स्तर को दो भागों "निम्न संतुष्टि" एवं "उच्च संतुष्टि" में बाँटा गया हैं। जहाँ लाभार्थी कृषकों का प्राप्त प्रत्याशित अंक 15 से 75 हैं। लाभार्थी को प्राप्त 15-45 अंक जहाँ "निम्न संतुष्टि" का वहीं 45-75 अंक "उच्च संतुष्टि" प्रतिनिधित्व करता हैं। तालिका क्रमांक 1.4 में संतुष्टि के स्तर के आधार पर कृषकों का वितरण प्रस्तुत करता हैं।

तालिका क्रमांक 1.4 संतुष्टि के स्तर के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण

संतुष्टि स्तर	कृषकों की संख्या	औसत संतुष्टि अंक	प्रमाप विचलन
निम्न संतुष्टि (15–45)	79 (44.88)	36.37	6.32
उच्च संतुष्टि (45–75)	97 (55.11)	60.67	8.51
कुल	**176 (100.00)**	**49.76**	**14.29**

इस प्रकार, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से लाभ प्राप्त 176 कृषकों का औसत संतुष्टि अंक 49.76 हैं। जहाँ 79 (44.88%) लाभार्थी कृषक जिसका संतुष्टि स्तर निम्न हैं, उनका औसत संतुष्टि अंक 36.37 हैं। औसत से अधिक संतुष्टि अथवा उच्च संतुष्टि प्राप्त कृषकों से प्राप्त औसत अंक 60.67 है। निष्कर्षतः 97 (55.11%) कृषक सूक्ष्म सिंचाई योजना से उच्च संतुष्ट हैं।

6. सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से प्राप्त संतुष्टि का अध्ययन–

बहु-वैकल्पिक प्रतीपगमन विश्लेषण विधि (क्रमानुसार मॉडल) - यह भाग, कृषकों की संतुष्टि को प्रभावित करने वालें चरों की अध्ययन व्याख्या एवं समीक्षा करता हैं। जहाँ न्यादर्श क्षेत्रों में व्यक्तिगत व समाजार्थिक चरों यथा - कृषि में सम्मिलित सदस्यों की संख्या, परिवार का आकार, अनुभव, आयु, शिक्षा का स्तर, वार्षिक आय, परिवार की प्रकृति, परिवार में कुल आय प्राप्त करने वाले सदस्य की संख्या एवं वार्षिक व्यय आदि

को सम्मलित किया गया हैं, उपरोक्त चरों का सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से प्राप्त संतुष्टि-स्तर पर प्रभाव के अध्ययन हेतु क्रमानुसार बहु-वैकल्पिक प्रतीपगमन विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया हैं।

इस प्रकार- Y= b0 +b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+b8X8+b9X9

जहाँ -

- Y= सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से प्राप्त कुल संतुष्टि अंक (आश्रित चर)
- X1= कृषि में सम्मिलित सदस्यों की संख्या,
- X2= परिवार का आकार,
- X3= अनुभव,
- X4= आयु,
- X5= शिक्षा का स्तर,
- X6= वार्षिक आय,
- X7= परिवार की प्रकृति,
- X8= परिवार में आय प्राप्त करने वाले कुल सदस्यों की संख्या,
- X9= वार्षिक आय,
- b0= प्रतिपगमन स्थिरांक,
- b1, b2, b3,........b4 = स्वतंत्र चरो का प्रतिपगमन गुणांक

तालिका क्रमांक 1.5, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से प्राप्त संतुष्टि का अध्ययन- बहु-वैकल्पिक प्रतीपगमन विश्लेषण विधि (क्रमानुसार मॉडल)

स्वतंत्र चर		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)	(7.)	(8.)	(9.)
कृषि में सम्मिलित सदस्यों की संख्या,	ß	2.138	2.285	1.900	2.155	2.960	3.157	2.689	2.908	1.985
	t	3.32	3.69	3.13	3.86	4.91	5.54	4.66	5.06	3.22
परिवार का आकार	ß		−1.828	−2.134	−1.667	−2.310	−2.675	−2.558	−2.430	−2.897
	t		−3.42	−4.08	−3.26	−4.37	−5.26	−5.16	−4.96	−5.91
अनुभव,	ß			−1.199	−2.683	−2.385	−2.465	−2.693	−2.547	−2.83
	t			−3.31	−5.10	−4.64	−5.08	−5.64	−5.38	−6.13
आयु,	ß				0.176	0.217	0.241	0.247	0.221	0.159
	t				3.74	4.61	5.38	5.66	4.98	3.43
शिक्षा का स्तर,	ß					2.860	7.742	7.890	7.522	8.162
	t					3.23	5.21	5.47	5.28	5.92
वार्षिक आय,	ß						−2.855	−3.097	−3.010	−7.293
	t						−3.98	−4.41	−4.37	−5.06
परिवार की प्रकृति,	ß							−1.730	−1.709	−2.929
	t							−2.89	−2.87	−4.32
परिवार में आय प्राप्त करने वाले कुल सदस्यों की संख्या,	ß								−1.127	−2.033
	t								−2.29	−3.74
वार्षिक व्यय,	ß									4.640
	t									3.34

सांख्यिकी सारांश										
एस.ई.आर		4.098	3.928	3.775	3.585	3.45	3.25	3.155	3.099	2.969
आर		0.289	0.406	0.485	0.562	0.610	0.669	0.695	0.712	0.742
आर वर्ग		0.083	0.165	0.235	0.316	0.372	0.447	0.484	0.506	0.551
समायोजित आर वर्ग		**0.076**	**0.151**	**0.216**	**0.293**	**0.345**	**0.419**	**0.452**	**0.472**	**0.515**
कुल		176	176	176	176	176	176	176	176	176

उपरोक्त विश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता हैं कि आश्रित चर - संतुष्टि स्तर एवं स्वतंत्र चर क्रमशः - कृषि में सम्मिलित सदस्यों की संख्या, परिवार का आकार, अनुभव, आयु, शिक्षा का स्तर, वार्षिक आय, परिवार की प्रकृति, परिवार में आय प्राप्त करने वाले कुल सदस्य की संख्या एवं वार्षिक व्यय आदि के प्रतीपगमन मूल्यों की दिशा वृद्धि क्रमशः 0.289 से 0.742 की ओर हुई हैं, वहीं समायोजित प्रतीपगमन वर्ग की मूल्यों की दिशा क्रमशः 0.076 से 0.515 की ओर बढ़ी हैं, इस प्रकार ज्ञात प्रतीनगमन परिणाम यह इंगित करते हैं कि नौ स्वतंत्र चर की बढ़ती प्रवृत्ति का आश्रित चर कृषकों के संतुष्टि स्तर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

7. गैरेट रैकिंग तकनीक विधि द्धारा सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से लाभ प्राप्त कृषकों की समस्याओं का क्रमानुसार अध्ययन- सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से लाभ प्राप्त कृषक भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाना सिंचाई क्षेत्र में कर रहें हैं। केवल योजना का लाभ प्राप्त कर लेना कृषकों की सिंचाई सम्बधी समस्त समास्याओं के समाधान को सुनिश्चित नही कर रहा है। इस प्रकार लाभार्थी कृषक विभिन्न प्रकार की समस्याओं यथा - गिरता जल स्तर एवं कम प्रवाह क्षमता, केवल एक फसल में प्रयोग, रबी फसलों के बाजार एवं प्रोत्साहन मूल्य की कमीं, बड़े क्षेत्र वाले कृषकों के लिए अपर्याप्त, नियमित विद्युत का ना होना, साधनों की गुणवत्ता मे कमी व महँगा रख-रखाव, सब्सिडी प्राप्त करने में समस्या एवं प्रशिक्षण का अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहें हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कृषकों की समस्याओं को गैरेट रैकिंग तकनीक विधि की सहायता से प्रथम से अंतिम तक क्रम में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक 1.6

सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से लाभ प्राप्त कृषकों की समस्याओं का क्रमानुसार अध्ययन (गैरेट रैकिंग तकनीक विधि)

क्र.	**समस्याऐं**	**रैंक**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**कुल अंक**	**माध्य अंक**	**रैंक**
		मूल्य (x)	**82**	**70**	**63**	**58**	**52**	**48**	**42**	**36**	**29**	**18**			
1.	प्रशिक्षण का अभाव	F	7	9	14	12	11	16	10	47	28	22	176	**42.28**	IX
		FX	574	630	882	696	572	768	420	1692	812	396	7442		
2.	नियमित विद्युत का ना होना,	F	9	11	16	24	25	33	23	16	11	8	176	**50.78**	V
		FX	738	770	1130	1392	1300	1584	966	576	319	162	8937		
3.	सब्सिडी प्राप्त करने में समस्यां	F	9	12	14	9	7	19	47	28	18	13	176	**5.43**	VII
		FX	738	840	882	522	364	912	1974	1008	522	234	7996		
4.	योजनाओं के आंबटन के बाद पुनः परिक्षण नहीं	F	8	14	15	8	19	15	9	16	25	47	176	**41.35**	X
		X	656	980	945	464	988	720	378	576	725	846	7278		
5.	प्रशिक्षण का अभाव	F	11	12	10	17	17	21	9	10	42	27	176	**43.70**	VIII
		FX	902	840	630	986	884	1008	378	360	1218	486	7692		
6.	बड़े क्षेत्र वाले कृषकों के लिए अपर्याप्त,	F	8	12	53	35	18	13	12	7	9	9	176	**54.57**	IV
		FX	656	840	3339	2030	936	624	504	252	261	162	9604		

7.	साधनों की गुणवत्ता मे कमी व महँगा रखरखाव,	F	10	8	11	17	40	25	24	10	10	21	176	**47.36**	VI
		FX	820	560	693	986	2040	1200	1008	360	290	378	8335		
8.	केवल एक फसल में प्रयोग,	F	44	31	10	17	13	10	16	14	9	12	176	**57.97**	II
		FX	3608	2170	630	986	676	480	672	504	261	216	10203		
9.	गिरता जल स्तर एवं कम प्रवाह क्षमता,	F	52	35	20	10	12	9	12	9	10	7	176	**62.49**	I
		FX	4264	2450	1260	580	624	576	504	324	290	126	10998		
10.	रबी फसलों के बाजार एवं प्रोत्साहन मूल्य की कमीं,	F	23	38	19	25	11	12	14	16	11	7	176	**56.53**	III
		FX	1886	2660	1197	1450	572	576	588	576	319	126	9950		

उपरोक्त परीक्षण अनुसार सर्वाधिक माध्य अंक 62.49 "गिरता जल स्तर एवं कम प्रवाह क्षमता" को प्राप्त हुआ हैं, वहीं "केवल एक फसल में प्रयोग" (57.97 माध्य अंक) दूसरी प्रमुख समस्यां पाई गई हैं। इस प्रकार क्रमशः रबी फसलों के बाजार एवं प्रोत्साहन मूल्य की कमीं (56.53 माध्य अंक) फसल के अवधि में जोखिम की समस्यां (54.57 माध्य अंक) बड़े क्षेत्र वाले कृषकों के लिए अपर्याप्त (50.78 माध्य अंक) नियमित विद्युत का ना होना (47.36 माध्य अंक) साधनों की गुणवत्ता मे कमी व मँहगा रखरखाव (पाइप, ड्रिप, स्प्रिंकलर व जनरेटर हेतुद्ध (45.43 माध्य अंक) सब्सिडी प्राप्त करने में समस्यां (43.70 माध्य अंक) प्रशिक्षण का अभाव (42.28 माध्य अंक) योजनाओं के आंबटन के बाद पुनः परिक्षण नहीं (41.35 माध्य अंक) समस्यां प्रमुख 10 समस्याओं में क्रमानुसार न्यादर्श क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं।

7.1 गैर–लाभ प्राप्त कृषकों की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से वंचित होने के कारणों का अध्ययन–(गैरेट रैकिंग तकनीक विधि)–

अंतिम चरण में, वह कृषक जिन्हें सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो सका है, उनके वंचित रहने के कारणों को गैरट रैकिंग तकनीक विधि की सहायता से प्रथम से अंतिम तक क्रम में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त परिक्षण अनुसार सर्वाधिक माध्य अंक 54.35 "उच्च निवेश की आवश्यकता" (पाइप, ड्रिप, स्प्रिंकलर व जनरेटर हेतुद्ध का होना प्राप्त हुआ हैं, दूसरी प्रमुख समस्यां में "अपर्याप्त वित्तिय संसाधन का होना" (51.36 माध्य अंक) प्रमुख हैं। इस प्रकार क्रमशः सूचनाओं का अभाव होना- सब्सिडी, छुट व योजनाओं के संचालन आदि विषयों पर (50.49 माध्य अंक) विखंडित कृषि भूमि का होना (49.11 माध्य अंक) मानसून पर आश्रित होना (46.45 माध्य अंक) रबी फसलों व बाजार प्रोत्साहन मूल्य की कमीं एवं बाजार का अभाव (45.45 माध्य अंक) रोजगार के लिए स्थानान्तरण (45.32 माध्य अंक) पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था/स्वसाधन (45.04 माध्य अंक) एवं प्रशासनिक अकुशलता, (43.59 माध्य अंक) निरक्षरता एवं नवाचार के प्रति जगरूकता का अभाव (43.36 माध्य अंक) जैसे कारणों को प्रमुख रूप से न्यादर्श क्षेत्र में पाया गया हैं।

तालिका क्रमांक 1.7

गैर-लाभ प्राप्त कृषकों की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से वंचित होने के कारणों का अध्ययन- (गैरेट रैकिंग तकनीक विधि)

क्र.	कारण/समस्याएँ	रैंक	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	कुल अंक	माध्य अंक	रैंक
		मूल्य (x)	82	70	63	58	52	48	42	36	29	18			
1.	निरक्षरता एवं नवाचार के प्रति जागरूकता का अभाव	F	4	6	12	9	8	13	7	44	26	19	148	43.36	X
		FX	328	420	756	522	416	624	329	1584	754	342	6417		
2.	विखंडित कृषि भूमि का होना	F	6	10	13	21	22	30	21	12	8	5	148	49.11	IV
		FX	492	700	819	1218	1144	1260	882	432	232	90	7769		
3.	पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था / स्वसाधन	F	8	9	11	6	4	16	44	25	15	10	148	45.04	VIII
		FX	656	630	693	348	208	768	1848	900	435	180	6666		
4.	मानसून पर आश्रित होना	F	5	11	12	7	16	12	44	22	13	6	148	46.45	V
		FX	410	770	756	406	832	576	1848	792	377	108	6875		
5.	प्रशासनिक अकुशलता,	F	11	9	7	13	14	18	6	39	7	24	148	43.59	IX
		FX	902	630	441	754	728	864	252	1248	203	432	6452		
6.	रबी फसलों व बाजार प्रोत्साहन मूल्य की कमी एवं बाजार का अभाव	F	14	13	30	19	22	13	10	11	7	9	148	45.45	VI
		FX	1148	910	1890	1102	1144	624	420	396	203	162	7999		
7.	अपर्याप्त वित्तिय संसाधन का होना	F	14	13	16	19	17	15	14	21	8	11	148	51.36	II
		FX	1148	910	1008	1102	884	720	588	756	288	198	7602		
8.	उच्च निवेश की आवश्यकता	F	7	26	20	22	23	18	11	7	8	6	148	54.35	I
		FX	574	1820	1260	1276	1196	864	462	252	232	108	8044		
9.	रोजगार के लिए स्थानान्तरण	F	7	11	10	8	23	18	14	19	23	15	148	45.32	VII
		FX	574	770	630	464	1196	864	588	684	667	270	6707		
10.	सूचनाओं का अभाव होना	F	9	13	12	16	21	33	14	12	11	7	148	50.49	III
		FX	738	910	756	928	1092	1584	588	432	319	126	7473		

8. परिणाम–

बहु-वैकल्पिक प्रतीपगमन विश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता हैं कि आश्रित चर - संतुष्टि स्तर एवं स्वतंत्र चर क्रमशः - कृषि में सम्मिलित सदस्यों की

संख्या, परिवार का आकार, अनुभव, आयु, शिक्षा का स्तर, वार्षिक आय, परिवार की प्रकृति, परिवार में आय प्राप्त करने वाले कुल सदस्य की संख्या एवं वार्षिक व्यय आदि के प्रतीपगमन मूल्यों की दिशा वृद्धि क्रमशः 0.289 से 0.742 की ओर हुई हैं, वहीं समायोजित प्रतीपगमन वर्ग की मूल्यों की दिशा क्रमशः 0.076 से 0.515 की ओर बढ़ी हैं, इस प्रकार ज्ञात प्रतीनगमन परिणाम यह इंगित करते हैं कि नौ स्वतंत्र चर की बढ़ती प्रवृत्ति का आश्रित चर कृषकों के संतुष्टि स्तर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कृषकों की समस्याओं को गैरेट रैकिंग तकनीक विधि की सहायता से प्रथम से अंतिम तक क्रम में प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त परिक्षण के अनुसार सर्वाधिक माध्य अंक 62.49 "गिरते जल स्तर एवं कम प्रवाह क्षमता" की समस्या को प्राप्त हुआ हैं, वही गैर-लाभार्थी वर्ग में कृषकों की प्रमुख प्रथम समस्या का माध्य अंक 54.35 "उच्च निवेश की आवश्यकता" (पाइप, ड्रिप, स्प्रिंकलर व जनरेटर हेतु) को प्राप्त हुआ हैं।

====================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Agarwal A. N., Indian Agriculture, Problem, Prospects and Progress, New Delhi, 1980.
2. Bhalla, G.S., Performance of India Agriculture, New Delhi, 1979.
3. Bansil, P.C. Agricultural Problems of India, New Delhi Vikas, 1977.
4. Bhatia, B.M., Poverty, Agriculture and Economic Growth, New Delhi, Vikas, 1977.
5. Datt and Sundharam, K.P.M., Development Issues of the Indian Economy, New Delhi, 1979.
6. Pandey, M.P., The Impact of Irrigation on Rural Development, New Delhi, 1979.
7. Raju, K.V, Narayanamoorthy, A, Gopakumar, G and Amarrnath, Water Resources, vol.3, Department of Agriculture and Cooperation, Minisry of Agriculture, GOI, New Delhi, 2004.
8. Sen, A and Bhatia, M.S., Cost of Cultivation and Farm Income, vol.14, Department of Agriculture and Cooperation, Minisry of Agriculture, GOI, New Delhi, 2004.

शोध पत्र

1. Ansari, S. 2006-07. An economic analysis of Drip Irrigation for Vegetable Crops in Durg district of Chhattisgarh, Thesis No.: T-1967 (Raipur: Nehru library).
2. Narayanamoorthy, A. 2012. Drip Method of Irrigation in Maharashtra: Status, Economics and Outreach.
3. Narayanamoorthy, A. 2004. Impact assessment of drip irrigation in India: The case of sugarcane. Development Policy Review, 22(4): 443-462
4. Narayanamoorthy, A. 1997. Economic analyses of drip irrigation: An empirical analysis from Maharashtra. Indian Journal of Agricultural Economics 52 (4): 728-739.
5. Narayanamoorthy, A. 2002. Indian Irrigation: Five Decades of Development', Water Resources Journal, No. 212, June, pp. 1-29.
6. Narayanamoorthy, A. (2004), 'Drip Irrigation in India: Can it Solve Water Scarcity?', Water Policy, Vol. 6, No.2 pp. 117-130.
7. NABCONS. 2009. Evaluation study of centrally sponsored scheme on Micro Irrigation. Mumbai: NABARD Consultancy Services.
8. Palanisami, K, Mohan.K, Kakumanu,K.R, and Raman,S. 2011. Spread and

Economics of Micro-irrigation in India: Evidence from Nine States, Economic & Political Weekly Supplement EPW, vol xlvi nos 26 & 27

9. Raman, S (2010): 'State-wise Micro-Irrigation Potential in India-An Assessment', unpublished paper, Natu- ral Resources Management Institute, Mumbai.

10. Parbhu, M.J 2010] 'Goverment subsidy scheme for drip irrigation fraught with corruption'] The Hindu, Oct 21, 2010 17:59 IST.

11. Singh, P and Monica, 2003. 'Irrigation capacity underutilised']The Economics Times] TNN] Oct 2,2003

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

दर्शन और शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध

* नीलम श्रीवास्तव

सारांश- *शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अन्तःक्रिया होती रहती है और सम्पूर्ण अन्तःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। दर्शन तथा शिक्षा दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना तथा उसके जीवन को विकसित करना है। ऐसी दशा में यह कहना उचित ही होगा कि दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं है अपितु दोनों एक-दूसरे पर आश्रित भी हैं शिक्षा और दर्शन में गहरा सम्बन्ध है। अनेकों महान शिक्षाशास्त्री स्वयं महान दार्शनिक भी रहे हैं। इस सह-सम्बन्ध से दर्शन और शिक्षा दोनों का हित सम्पादित हुआ है। शैक्षिक समस्या के प्रत्येक क्षेत्र में उस विषय के दार्शनिक आधार की आवश्यकता अनुभव की जाती है।*

दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। शिक्षा एक चेतन तथा स्वेच्छित ऐसी प्रक्रिया है जिसको उचित रूप से संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। बिना दर्शन की सहायता के शिक्षा की कोई योजना उपयोगी नहीं हो सकती। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगो को प्रभावित करता है। शिक्षा के विभिन्न अंगों का दर्शन से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से रूबरू होता है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्त्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है।

जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की

★ प्राध्यापक, जे.पी. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रीवा (म.प्र.)

जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना-सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'मुक्ति' की चाह रही बाद में समय के रूप बदलने से शिक्षा ने भी उसी तरह उद्देश्य बदल लिए।

शिक्षा के प्रकार– व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के दो रूप होते हैं –

* **औपचारिक शिक्षा**– नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते है। इस प्रक्रिया मे छात्र छात्रा को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता हैं। अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करतें हैं। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती हैं, औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ, सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। परन्तु यह शिक्षा बड़ी व्यय-साध्य होती है। इससे धन, समय व ऊर्जा सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं।
* **अनौपचारिक शिक्षा**– वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भाँति विद्यालय, महाविद्यालय, और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बाँधी जाती है। परन्तु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठ्यचर्या निश्चित होती है, फर्क केवल उसकी योजना में होता है जो बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है। शिक्षणविधियों व सीखने के स्थानों व समय आदि सीखने वालों की सुविधानानुसार निश्चित होता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं।

शिक्षा का नाम सुनते ही उससे संबद्ध न जाने कितने आकार आँखों के सामने घुमड़ने लगते हैं। कुछ को तो लगता होगा कि बिना शिक्षा सब निरर्थक है, कुछ को लगता होगा कि बिना लिखे पढ़े भी जीवन जिया जा सकता है। एक व्यक्ति बिना शिक्षा के भी समाज में बहुत सहज और उपयोगी बनकर रह लेता है, वहीं दूसरी ओर एक शिक्षित व्यक्ति भी अपने कृत्यों से सामाजिक चरित्र को नकारता सा लगता है। एक अजब सा द्वन्द्व है, प्रकृति का मौलिक गुण है यह द्वन्द्व, शिक्षा में भी दिखायी पड़ेगा। जब भी

द्वन्द्व गहराता है, उत्तर या तो मूल में मिलता है या निष्कर्षों में। निष्कर्ष भविष्य की विषयवस्तु है और बहुधा ज्ञात नहीं होती है, पर मूलखोजा जा सकता है, मूल से विश्लेषण किया जा सकता है। हमें प्राप्त ज्ञान के दो स्रोत हैं, पहला अनौपचारिकशिक्षा, दूसरा औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा हमें घर, समाज, मित्रों आदि से मिलती है और इसके लिये विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। दादी, नानी की कहानियों में, बड़ों के संवाद में, संस्कृति के अनुकरण में, त्योहारों में, संस्कारों में, मित्रों के साथ, भ्रमण के समय, यात्राओं में, न जाने कितना कुछ सीखते हैं हम सब। हिसाब लगाने बैठे तो लगेगा कि जितना भी ज्ञान हमारे पास है, वह अनौपचारिक शिक्षा की ही देन है। जहाँ के सामाजिक ढाँचे में प्रश्न पूछने को मर्यादा का उल्लंघन नहीं माना जाता है, जहाँ ज्ञान के लिये उन्मुक्त परिवेश है, वहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिये अनौपचारिक ज्ञान का प्रतिशत 90 से भी अधिक होता है। कपड़े पहनना, बाल काढ़ना, फीते बाँधना, चाय बना लेना आदि न जाने कितने ऐसे कार्य हैं जो हम विद्यालय जाकर नहीं सीखते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। भाषा का प्राथमिक ज्ञान अनौपचारिक ही होता है, बच्चा देखता रहता है, सीखता रहता है। जनसंख्या का बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि कभी विद्यालय गया ही नहीं। यही अनौपचारिक शिक्षा है जिसके बल पर वह अपना जीवन ससम्मान व्यतीत कर रहा है। हम उन्हें अशिक्षित मानते हैं, पर वे अपना भला बुरा हमसे बेहतर समझते हैं, कहीं बेहतर, निश्चय ही इसी अनौपचारिक शिक्षा का प्रताप है। आज भी गाँव जाना होता है तो वहाँ के बुजुर्ग जिन्होने अपने पूर्वजों से रामचरितमानस सुनी थी, इतना सटीक दोहा उद्धृत कर बैठते हैं जो परिस्थितियों पर शत प्रतिशत सही बैठता है। एक परम्परा है गीता और रामचरितमानस के पाठ की, अनौपचारिक शिक्षा के वाहक हैं ये ग्रन्थ, सदियों से ज्ञान का प्रकाशपुंज वहाँ भी फैलाये हुये हैं, जहाँ पर शिक्षातन्त्र पूर्णतया ध्वस्त है। औपचारिक शिक्षा फिर भी आवश्यक है। आज जो संस्कृति में सहज प्राप्त है, वह कभी न कभी तो औपचारिक शिक्षा का एक भाग रहा होगा। अनौपचारिक शिक्षा श्रुति के आधार पर चलती है, उसे यदि औपचारिक शिक्षा का सहयोग नहीं मिलेगा तो कालान्तर में वह विस्मृत होने लगेगी। न जाने कितने ऐसे चिकित्सीय उपाय हैं जो कार्य तो करते हैं पर उनका कारण लुप्त सा हो गया है, औपचारिक शिक्षा के अभाव में। यदि सुचारु रूप से किसी भी विषय का अध्ययन नहीं किया जायेगा तो उसमें सन्निहित रहस्य खोजे जाने से रहे। विकास का प्रथम चरण है, रहस्यों को समझना। तत्पश्चात उसे ज्ञान के रूप में सहेज कर रखना औपचारिक शिक्षा का कार्य है। क्रमिक विकास के लिये अवलोकनों और निष्कर्षों को लिपिबद्ध करना आवश्यक है, इससे पढने में भी सरलता होती है और उस पर और कार्य करने में भी। किसी भी विषय का विधिवत ज्ञान देने के लिये विद्यालय आवश्यक हैं। कहने को तो मात्र 90 प्रतिशत ही ज्ञान शेष रहता है पर इसमें विकास और भविष्य के वो तार जुड़े होते हैं जिन्हें नकारना भविष्य को नकारने जैसा है। औपचारिक शिक्षा भले ही मात्रा में अधिक न हो पर जीवन की गुणवत्ता साधने के लिये अनमोल है। सिद्धान्त समझ में आते ही घटनाओं का समझना और समझाना सरल हो जाता है, कारण और प्रभाव स्पष्ट से दिखने लगते हैं तब। किसी भी समाज में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अलग राह नहीं चलती हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षित परिवार के बच्चे कितनी ही चीजें अनौपचारिक रूप से सीख जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, हर पीढ़ी

ज्ञान का सामान्य स्तर बढ़ता रहता है। जिन परिवारों में कोई एक व्यवसाय कई पीढ़ियों से किया जा रहा है, उससे संबद्ध ज्ञान परिवार में इतनी प्रचुर मात्रा में आ जाता है कि उनके सामने औपचारिक शिक्षा में शिक्षित संस्थान भी कान्तिहीन रहते हैं। व्यापारी का पुत्र व्यापारी, राजनेता का पुत्र राजनेता, किसान का पुत्र किसान, यदि कोई अपना पैतृक व्यवसाय अपनाना चाहे तो उसे न जाने कितना ज्ञान अनौपचारिक रूप से मिल जाता है। पढ़ा लिखा समाज बनाने के लिये सदियों का सतत श्रम लगता है।

शिक्षा और दर्शन में गहरा सम्बन्ध है। अनेकों महान शिक्षाशास्त्री स्वयं महान दार्शनिक भी रहे हैं। इस सह-सम्बन्ध से दर्शन और शिक्षा दोनों का हित सम्पादित हुआ है। शैक्षिक समस्या के प्रत्येक क्षेत्र में उस विषय के दार्शनिक आधार की आवश्यकता अनुभव की जाती है। फिहते अपनी पुस्तक एड्रेसेज टु दि जर्मन नेशन में शिक्षा तथा दर्शन के अन्योन्याश्रय का समर्थन करते हुए लिखते हैं- दर्शन के अभाव में 'शिक्षण-कला' कभी भी पूर्ण स्पष्टता नहीं प्राप्त कर सकती। दोनों के बीच एक अन्योन्य क्रिया चलती रहती है और एक के बिना दूसरा अपूर्ण तथा अनुपयोगी है। डिवी शिक्षा तथा दर्शन के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दर्शन की जो सबसे गहन परिभाषा हो सकती है, यह है कि दर्शन शिक्षा-विषयक सिद्धान्त का अत्यधिक सामान्यीकृत रूप है।

दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा उपाय प्रस्तुत करती है। दर्शन पर शिक्षा की निर्भरता इतनी स्पष्ट और कहीं नहीं दिखाई देती जितनी कि पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं के संबंध में। विशिष्ट पाठ्यक्रमीय समस्याओं के समाधान के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ प्रश्न उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों के चुनाव का है और इसमें भी दर्शन सन्निहित है। जो बात पाठ्यक्रम के संबंध में है, वही बात शिक्षण-विधि के संबंध में कही जा सकती है। लक्ष्य विधि का निर्धारण करते हैं, जबकि मानवीय लक्ष्य दर्शन का विषय हैं। शिक्षा के अन्य अंगों की तरह अनुशासन के विषय में भी दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय के अनुशासन निर्धारण में राजनीतिक कारणों से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कारण मनुष्य की प्रकृति के संबंध में हमारी अवधारणा होती है। प्रकृतिवादी दार्शनिक नैतिक सहज प्रवृत्तियों की वैधता को अस्वीकार करता है। अतः बालक की जन्मजात सहज प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति के लिए छोड़ देता है। प्रयोजनवादी भी इस प्रकार के मापदण्ड को अस्वीकार करके बालक व्यवहार को सामाजिक मान्यता के आधार पर नियंत्रित करने में विश्वास करता है। दूसरी ओर आदर्शवादी नैतिक आदर्शों के सर्वोपरि प्रभाव को स्वीकार किए बिना मानव व्यवहार की व्याख्या अपूर्ण मानता है, इसलिए वह इसे अपना कर्त्तव्य मानता है कि बालक द्वारा इन नैतिक आधारों को मान्यता दिलवाई जाये तथा इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह शनैःशनैः इन्हें अपने आचरण में उतार सके।

शिक्षा का क्या प्रयोजन है और मानव जीवन के मूल उद्देश्य से इसका क्या संबंध है, यही शिक्षा दर्शन का विजिज्ञास्य प्रश्न है। चीन के दार्शनिक मानव को नीतिशास्त्र में दीक्षित कर उसे राज्य का विश्वासपात्र सेवक बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। प्राचीन भारत में सांसारिक अभ्युदय और पारलौकिक कर्मकांड तथा लौकिक विषयों का बोध होता था और परा विद्या से निरूश्रेयस की प्राप्ति ही विद्या के उद्देश्य थे। अपरा विद्या

से अध्यात्म तथा रात्पर तत्व का ज्ञान होता था। परा विद्या मानव की विमुक्ति का साधन मान जाती थी। गुरुकुलों और आचार्यकुलों में अंतेवासियों के लिये ब्रह्मचर्य, तप, सत्य व्रत आदि श्रेयों की प्राप्ति परमाभीष्ट थी और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय प्राकृतिक विषयों के सम्यक् ज्ञान के अतिरिक्त नैष्ठिक शीलपूर्ण जीवन के महान उपस्तंभक थे। भारतीय शिक्षा दर्शन का आध्यात्मिक धरातल विनय, नियम, आश्रममर्यादा आदि पर सदियों तक अवलंबित रहा।

एक सच्चा दार्शनिक वही कहलाता है, जो ज्ञानी होता है और यह ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति के व्यव्हार को सुधार की दिशा मे परिवर्तित करने वाले विचारों को शिक्षा मे रखा जाता है। कुछ विद्वानों ने समग्र जीवन को शिक्षा और शिक्षा को जीवन माना है। व्यक्ति जीवन मे सदविचारों को दर्शन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है और दर्शन मे जीवन जगत से सम्बंधित समस्याओं का अध्यन किया जाता है। अतः शिक्षा एवं दर्शन पुर्णतः एक-दूसरे पर आश्रित है। एक के अभाव मे दूसरे का अस्तित्व असंभव है।

**

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

ख़्याल गायिकायें
अतीत के झरोंखे से अब तक...

* स्नेहलता शर्मा

सारांश- ख़्याल गायन पूर्णतः भारतीय शैली है, जो प्राचीन गीतियों के आधार पर विकसित की गयी। ऐतिहासिक दृष्टि से ख़्याल गायकी का प्रारम्भ काल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीले दरबार में हुआ और सदारांग-अदारंग ने इस शैली को विकसित किया।

अपनी उत्कृष्ट विशेषताओं के कारण ख़्याल गायकी बड़ी तेजी से विकसित और लोकप्रिय हुयी और आज इस शैली ने शास्त्रीय संगीत की उच्च शैली के रूप में मान्यता प्राप्त की है। इस शैली में ध्रुपद की गम्भीरता, ठुमरी की श्रृंगारिकता व दादरा गज़ल की भावात्मकता का सुन्दर समावेश है। ख़्याल गायन के क्षेत्र में रस तत्व का स्रोत नारी ही है, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जिन नारी ख़्याल गायिकाओं ने अपने योगदान से न केवल संगीत परम्परा को समृद्ध किया, बल्कि ख़्याल गायकी को लोकप्रिय बनाते हुये नये श्रोता वर्ग को भी शास्त्रीय संगीत से जोड़े रखा। हमारी देवियाँ अनादिकाल से ही संगीत साधना में संलग्न रही है, सरस्वती को नाद से अगाध प्रेम था, भैरवी, आसावरी, बागेश्री, रागेश्री, धनाश्री, मालश्री, मधुमाधवी, मधुवन्ती आदि विविध रचनाओं का सम्बन्ध नारी कल्पना से रहा है, प्राचीन देवियों के नाम पर कई रागनियों की रचना कर ली गयी। अनेक उच्च कोटि की ख़्याल गायिकायें हुयीं, जिन्होंने ख़्याल गायन को समृद्ध किया तथा नई शैलियों को विकसित कर विभिन्न घराने की विशेषताओं को समृद्ध किया है। फैयाज खाँ की समकालीन जोहराबाई ने आगरा घराने से शिक्षा प्राप्त कर हिन्दी फिल्मों में गीत गाये। सगूना कल्याणपुर ने 'वशीर अहमद खाँ से ख़्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की तथा ख़्याल गायन का प्रारम्भ आकाशवाणी से किया। इनकी बहन सुमन कल्याणपुर ख़्याल गायन की शिक्षा प्राप्त कर बम्बई चली गई और हिन्दी फिल्मों में गीत गाये। उ0 अकील अहमद खाँ साहब के अनुसार- स्वयं खाँ साहब से व उनके पूर्वजों से अनेक नारियों ने ख़्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। जानकी छप्पन छुरी आगरा की फरहदान बिब्बो, खादिम हुसैन की शिष्या ज्योत्ला भोले, पं0 जगन्नाथ बुआ पुरोहित की शिष्या माणिक वर्मा व मालती पांडे, विलायत हुसैन खाँ की शिष्या अताहुसैन, पूर्णिमा सेन आदि ने शिक्षा प्राप्त की तथा वर्तमान में भी अनेकों महाविद्यालयों व देश-विदेश में इस घराने की अन्य गायिकायें ख़्याल गायकी की परम्परा को कायम रखे हैं। करीम खाँ की शिष्यायें, ताराबाई, रोशन आरा बेगम, अब्दुल वहीद खाँ के शिष्य जीवनलाल, मटू की शिष्या

★ फिरोजाबाद (उ0प्र0)

माधुरी मटू, रामभाऊ कुंदगोलक, 'संवाई गंधर्व' की शिष्या गंगूबाई हंगल, हीराबाई की शिष्या सरस्वती बाई राणे, प्रभा अत्रे, मालती पांडे, गौरी मुखर्जी, नीला मजूमदार, पूर्णिमा चौधरी, प्रतिमा मित्र अनेक ऐसी ख़्याल गायिकायें हुयीं, जिन्होंने घरानेदार ख़्याल गायकी को समृद्ध कर देश के कौने-कौने में अपनी गायकी के माध्यम से पहुँचाया।

यह क्रम यही नहीं रूका, अपितु आधुनिक क्रम में भी अनेक सुप्रसिद्ध ख़्याल गायिकायें हुयी हैं, जिन्होंने ख़्याल गायन के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया, यथा- प्रभा अत्रे जिनकी गायकी का आधार किराना घराने की शैली है, यह विदुषी गायिका आकाशवाणी में असिस्टेन्ट प्रोड्यूसर और एस0एन0टी0टी0 महाविद्यालय में संगीत विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रभा अत्रे ने देश के विभिन्न स्थानों के अलावा विदेश में भी अनेक कार्यक्रम किये हैं, वह कनाडा के कैलगगेरी अल्बर्टा विश्वविद्यालय और कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी हैं तथा रूस, अफगानिस्तान, मारीशश, यूरोप, केन्या मध्य पूर्व और अन्य देशों में संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी है। उन्हें 1991 में पद्मश्री से अंलकृत किया गया और साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इसी वर्ष सम्मानित किया गया।

अतः ख़्याल गायन से जुड़ी नारी संगीतज्ञों को अब तक जो प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त हुआ है, वह निश्चित ही सिरमौर है। यह पूर्वोक्तानुसार ख़्याल गायकी के इन विभिन्न उपागमों में तद्जनित घराने की ख़्याल गायकी के विभिन्न रूपों से विभिन्न नारी संगीतज्ञों की पहचान जुड़ी, किन्तु जिन गायिकाओं ने घराने की ख़्याल गायकी से जुड़ते हुये उच्च ख्याति अर्जित की, वे तुलनात्मक रूप से आधुनिक समय की ही गायिकायें थीं। अन्य सभी क्षेत्रों की भाँति संगीत पुनः गायन, तत्पश्चात पुनः ख़्याल गायकी के क्षेत्र में नारी संगीतज्ञों का योगदान अपेक्षित योगदान से बहुत कम है। इसके लिये साँस्कृतिक-सामाजिक संरचना मूलरूप से दोषी कही जा सकती है।

उपरोक्त निष्कर्षात्मक विवरण से यह स्वयं विदित है कि ख़्याल गायकी के क्षेत्र में नारी संगीतज्ञ न तो वह योगदान कर सकी और न ही वह सम्मान प्राप्त कर सकी, जो उन्हें पुरूषों की तुलना में प्राप्त कर लेना चाहिये था। इसके बावजूद भी ख़्याल-गायन शैली नारी गायिकाओं हेतु कहीं अधिक उपयुक्त शैली रही है।

आज भी सामाजिक परिवेश अन्य सभी क्षेत्रों जैसे - फैशन, व्यापारिक गतिविधि, होटल, यहाँ तक कि पुलिस तथा सैन्य सेवाओं के प्रति उदारवादी हो सकता है, लेकिन नारियों के संगीत सभाओं में जन प्रदर्शन से न जाने क्यों कतराता है ? वस्तुतः सामाजिक परिवेश व नारी के संगीत योगदान को लेकर जितनी विवेचना की जाये, कम है।

======================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. संगीत निबन्धमाला (लेख- नारी और संगीत), सुश्री मंजरी बहाल, पृ0-81.
2. महिला संगीत अंक - जन.फर.-1986, (लेख) योगेन्द्र नारायण यादव, पृ0-32.
3. साक्षात्कार, अक़ील अहमद खाँ साहब.
4. महिला संगीत अंक, जन.फर.-1986, संगीत कार्यालय, हाथरस, पृ0-117.
5. साक्षात्कार, अकील अहमद खाँ साहब.
6. घराना अंक, जन.फर.-1986, पृ0-22.
7. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की घराना परम्परा, पृ0-95.

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व

* प्रदीप मिश्रा

सारांश- *खेल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है और यह उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए भोजन। जिस प्रकार शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है उतना ही ऊर्जा और ताजगी खेल शरीर को देते हैं। विद्यार्थी जीवन में मानसिक बोझ और शारीरिक थकान को हलका करने का एक साधन है तो वह है खेल और यह खेल हमारे शारीरिक क्रिया कलापों से जुड़े हो यह बेहद जरूरी है। क्योंकि आज यदि मनोरंजन की बात आती है तो केवल मोबाइल और कम्प्यूटर को मुख्य साधन माना जाता है जिनसे एक अकेला व्यक्ति भी अपना मनोरंजन कर सकता है। लेकिन यह मनोरंजन केवल हमारे दिमागी थकान को कुछ समय के लिए तो दूर कर देते हैं लेकिन इनसे हमें शरीर और मन में जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती है। हम मोबाइल या कम्प्यूटर पर लगातार ज्यादा समय तक लगें रहते हैं तो जैसे ही हम उनसे दूर होते हैं तो हमें कुछ अलग सा महसूस होता है और एक मायूसी सी घेर लेती है जिससे हमारा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता इसका कारण यही होता है कि हमें अपने दिमाग और शरीर को भी नई ऊर्जा और स्फूर्ति की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमारे शरीर के क्रिया कलापों से जुड़े खेल बहुत जरूरी है। इसलिए खेल हमारे सम्पूर्ण विकास का एक अहम हिस्सा है जिनसे हम अपने दिन भर की थकान को नई ऊर्जा में बदल सकते हैं। इतना ही नहीं खेल हमें अपने जीवन में कर्तव्यों और हमारे अंदरूनी हुनर को हमारे सामने रखते हैं जिनसे हमारे अंदर एक नया जोश नई उमंग पैदा होती है।*

आज हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है, इतना ही नहीं वह इस तनाव की वजह से स्वयं को ज्यादा समय तक पढ़ाई से जोड़ भी नहीं पाता है और एक किताबी कीड़ा बना रहता है, जिससे विद्यार्थी एक अलग सा ऊबाउपन महसूस करता है जिससे कि एक ही चीज को बार बार पढ़ लेने के बाद भी वह दिमाग में नहीं बैठ पाती है। तो इसका साफ कारण हमारी मानसिक थकान ही है और उस थकान और तनाव को दूर करने के लिए हमें बहुत जरूरी है खेलों से जुड़े रहना। स्वयं के लिए समय का कुछ हिस्सा निकाला जाये जिससे हम अपना मनोरंजन कर सकें और मनोरंजन का मुख्य साधन शारीरिक गतिविधियों से संबंधित खेल ही हो। इसलिए अंततः यही कहना उचित है कि अवश्य पढ़ाई में खूब कठिन मेहनत की जाये लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ और मानसिक विकास के लिए खेलों को भी व्यक्तिगत जीवन में पूर्ण महत्व दिया जाए। महान् दार्शनिक एवं विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ''रूसो''

★ प्राध्यापक, क्रीड़ा, राजकीय महिला अदलहार महाविद्यालय, मिर्जापुर (उ.प्र.)

का ये कथन है कि- ''स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है।'' अतः हम कह सकते है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमें स्वस्थ मस्तिष्क प्राप्त होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान-पान, संयम, शिष्टाचार एवं अच्छी आदतों के साथ क्रीड़ा ही एक मात्र साधन है जो विद्यार्थियों एवं बच्चों को अध्ययन के साथ-साथ खेलकूद व व्यायाम की क्रिया से संलग्न करता है।

शास्त्र ज्ञान तभी संभव है जब हम अपनी एवं अपने राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो। वह राष्ट्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जहाँ के युवा शक्तिशाली हों। राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबल शक्ति का होना अनिवार्य है। प्राचीन काल से ही अपने देश या राज्य की रक्षा के लिए राजा का बाहुवली होना अनिवार्य था। सफल राजा वही होता था जो शक्ति सम्पन्न होता था। व्यायाम व खेलकूद से विद्यार्थियों को शक्ति एवं बल प्राप्त होता है, उसी से हमारे राष्ट्र में अध्ययन अनुसंधान, देश की रक्षा, विश्वशक्ति, देश की समृद्धि संम्भव है। व्यायाम एवं खेलकूद से विद्यार्थियों में अनुशासन, अनेकता में एकता, भाईचारा, सहिष्णुता की भावना जागृति होती है, जिससे समाज में व्यवस्थित रहकर मिलजुलकर कार्य करने की अतुलनीय क्षमता एवं बुद्धि का विकास होता है। इससे यह सिद्ध होता है, कि स्वस्थ समाज की रचना, स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा ही सम्भव है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व कल्याण के लिए खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम का महत्वपूर्ण स्थान सदैव से रहा है।

विद्यार्थियों में अनुशासन में रहकर अथक परिश्रम करने की जो अभूतपूर्व क्षमता का विकास होता है, वह विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक कार्यकुशलता के साथ निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास करती है। मनुष्य जन्म से ही शारीरिक गतिविधियाँ करता है। खेलकूद एवं मनोरंजन मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव अपनी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को अलग-अलग रूपों में प्रकट करता है। खेलकूद से बालकों का सर्वांगीण विकास होता है।

हर मानव की प्रवृत्ति स्वस्थ और निरोगी रहने की होती है। यह प्रवृत्ति मानव में आदिकाल से ही है। प्राचीन समय में मानव जीवन उसके स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर करता था।

प्राचीन काल में खेलों को केवल मनोरंजन तथा समय व्यतीत करने का साधन माना जाता रहा है। धीरे-धीरे प्रतियोगिताओं के आयोजन के कारण, खिलाड़ियों द्वारा इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाना शुरू किया जाने लगा। आधुनिक युग में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन, विभिन्न संस्थानों के आगे आने, पुरस्कार देने व खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए और अधिक परिश्रम करने लगे है। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए विभिन्न रणनीति का प्रयोग करते है। जिसके परिणामस्वरुप उनके ऊपर मानसिक दबाब होने के कारण प्रदर्शन पर असर पड़ने लगा।

आधुनिक शारीरिक शिक्षा केवल मानसिक पहेलियाँ एवं अठखेलियाँ का क्षेत्र न रहकर शारीरिक उन्नति का साधन समझा जाने लगा है। आज के शारीरिक शिक्षा शास्त्री इस बात पर अधिक जोर देते हैं कि एक अच्छा मनुष्य वही है जो शारीरिक दृष्टिकोण हृष्ट पुष्ट, बलवान तथा सक्रिय मानसिक दृष्टिकोण से तीव्र, संवेगात्मक दृष्टिकोण से

संतुलित बौद्धिक दृष्टिकोण से परख तथा सामाजिक दृष्टिकोण से सुव्यस्थित हो। शिक्षा क्षेत्र की अभिनव खोजों तथा नए-नए शिक्षा उपकरणों के आविष्कारों ने मानव कल्याण के लिए अनेक नये तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनमें एक तथ्य यह भी है कि मानव को एक सुनियोजित खेल की आवश्यकता है। हमें ज्ञात है कि सदैव परिवर्तित होता वातावरण मानव एवं मानव जीवन में असंख्य परिवर्तन लाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं जिनका प्रभाव अति सूक्ष्म ढंग से मानव पर पड़ रहा है। बहुत से विद्वानों को इस बात का भय है कि यदि मानव ने अपने शरीर के उचित उपयोग को समाप्त कर दिया तो उसके शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मानव को इस बात से अवगत कराया जाये कि शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं बहुत पुराना विषय है।

फ्रान्स के महान शिक्षाशास्त्री रुसो ने कहा था कि-"व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ पर सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है।" व्यक्ति जन्म के समय असहाय और निर्बल होता है। परस्पर सहायता से अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे-जैसे बड़ा होता है वैसे-वैसे वह उनको पूरा करना और अपने वातावरण से अनुकूलन करना सिखाता हैं इन कार्यो में शिक्षा उसे विशेष रूप में मदद करती हैं। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकूल करने में मदद करती है, वरन् उसके जीवन और व्यवहार में ऐसे विचारणीय परिवर्तन भी करती है कि वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है।

शिक्षा शब्द को लेकर आज भी शिक्षा शास्त्रियों में मतएक्य नहीं है। स्कूल के पठन-पाठन को शिक्षा का वास्तविक रूप माना जाता है। वास्तव में ऐसा नही है। महात्मा गाँधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास, शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया माना है। इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। इन महानतम प्राचीन दार्शनिकों व शिक्षा शास्त्रियों की शिक्षा पर दी गयी परिभाषाओं का अगर सम्यक विश्लेषण व मनन करें तो यह तथ्य सामने आता है कि शिक्षा का सामान्य अर्थ व्यक्ति का मनोशारीरिक विकास करना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अर्थात् शिक्षा का ध्येय व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास करना है न कि केवल किताबी ज्ञान तक सीमित करना। अतः शारीरिक विकास से ही व्यक्ति का शारीरिक व बौद्धिक विकास सभ्भव है। व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिये जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है वह सुविधाएँ शारीरिक शिक्षा, खेल व मनोरंजन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वह मानसिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक आदि में अपना ज्ञान बढ़ाता ही रहता है। शिक्षा का ध्येय व्यक्ति में छुपे हुये आन्तरिक गुणों को ठीक तरह से पल्लवित व विकसित करना है। क्योंकि इन जन्मजात गुणों के विकास से ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभ्भव है। इन आधुनिक विचारों व परिभाषाओं से यह निष्कर्ष लगा सकते हैं कि व्यक्ति तन व मन को एकाग्र न करे तो वह कुछ नही प्राप्त कर सकता। क्योंकि ये दोनों परस्पर पूरक हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते हैं। मानसिक स्तर पर थके हुये व्यक्ति को यदि बलपूवर्क शारीरिक प्रक्रियायें करायी जाये तो हो सकता है कि वह उन्हें संतुलित एवं वांछनीय ढंग से न कर सके। क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। बचपन बच्चे की उम्र का वह प्रथम पड़ाव होता है जिसमें

बच्चे को जिस तरह से ढाला जाये वह वैसे ही बन जाएगा। गीली मिट्टी से कुम्हार चाहे तो देवता बना दे या राक्षस, लोहे को तपाकर लुहार तलवार बना दे या कलम, सुनार चाहे तो सोने से सुन्दर व आकर्षित आभूषण बनाकर सोने में चार चाँद लगा दे। सृजन करने में जो भूमिका कुम्हार, लुहार, सुनार की वही भूमिका बालक व बालिका के व्यक्तित्व के सृजन में शिक्षा की है। जब बालक या बालिका मानसिक रुप से शून्य होते है। तब वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक व बालिका का पूर्ण विकास संभव हो सके। क्रीड़ा एक ऐसा माध्यम है जो कि तेजस्वी प्रक्रियाओं के द्वारा बालक व बालिका का पूर्णतः विकास कर सकता है। अतः वातावरण में क्रीड़ा कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए जितनी आवश्यकता आर्थिक एवं सैनिक शक्ति से परिपूर्ण होने की होती है उतनी ही आवश्यकता क्रीड़ा के क्षेत्र में भी शक्तिशाली होने की होती है। प्राचीन काल में यूनान एवं रोम, मध्यकाल में यूरोप, वर्तमान काल में पाँचों महाशक्तियां (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, एवं ग्रेट ब्रिटेन) इसका सबसे बड़ा सबूत है। भारत में भी वर्तमान समय में खेलों के क्षेत्र में हो रहे उत्तरोत्तर विकास ने उसे भी शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर कर दिया है।

प्रायः शारीरिक शिक्षा का अर्थ केवल शारीरिक अंगों के विकास से लिया जाता है। आम व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को ''शारीरिक क्रिया" ही मानता आया है और आज भी मानता है। परंतु शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रियाओं का समूह मानना न्यायपूर्ण नहीं है। यह शारीरिक शिक्षा का संम्पूर्ण विज्ञान है।

प्राचीन काल से ही शारीरिक शिक्षा चली आ रही है जैसे-जैसे विश्व में सभ्यताओं का विकास हुआ। उसके साथ-साथ शारीरिक शिक्षा का भी विकास होता गया। आधुनिक युग को यंत्र युग कहा जाता है। इस युग में मनुष्य एक उलझन भरे समाज का अंग है। आजकल प्रत्येक कार्य को मशीन द्वारा किया जाने लगा है। व्यक्ति को बहुत ही कम शारीरिक शक्ति के प्रयोग की जरूरत पड़ती है। मानसिक शक्ति का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है। मनुष्य अब प्राकृतिक वातावरण से दूर होता जा रहा है। मशीनी युग ने मनुष्य की मांसपेशियों को निढाल बना दिया है। ऐसी स्थिति में शारीरिक शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

बड़े शहरों में रहने वाले युवकों को ग्रामीण युवकों की तरह अपने दैनिक घरेलू जीवन में अभिभावकों के कामों में हाथ बंटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शहरों में अधिक पैदल नही चलना पड़ता क्योंकि शहरों में साधनों की कमी नहीं है। खेलकूद तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं में भाग न लेकर रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, पब आदि से अपना मनोरंजन कर लेते है। ग्रामीण नवयुवक प्रकृति के सम्पर्क में अधिक हैं। ऐसी स्थिति में शहरी नव युवकों को शारीरिक शिक्षा एवं प्रकृति से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है।

शारीरिक शिक्षा अध्ययन का सरल तथा लोकप्रिय माध्यम है जिसकी उपयोगिता को अब धीरे-धीरे सभी जगह समझा जाने लगा है। शहर के पुरूष ही नहीं बल्कि महिलाएँ भी अब सुबह-शाम रोड व पार्को में जॉगिंग करते देखे जा रहे है। सुडौल एवं स्वस्थ्य युवक राष्ट्र की सम्पत्ति ही नही बल्कि एक आवश्यकता भी है। हमारे देश के नवयुवक भविष्य में हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए शारीरिक शिक्षा का माध्यम अपनाना उचित

होगा। इस दिशा में हमें बच्चों के पूर्ण विकास के लिए शुरू से ही योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार-''शारीरिक शिक्षा, शिक्षा ही है। यह शिक्षा है जो बालक के सम्पूर्ण तथा उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है।''

शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जिससे वह सफल जीवनयापन कर समाज में उचित स्थान पा सके। इसका लक्ष्य व्यक्तियों के अनुभवों को इस प्रकार प्रभावित करना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार कार्य कर सके, उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि एवं सुधार हो सके तथा वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य बहुत महान है जो पूरा करना आसान नहीं है, लेकिन शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को हम कदम-दर-कदम ही प्राप्त कर सकते है। शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें इसके उद्देश्यों को एक-एक कर पूरा करना होगा जिससे हम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को उसके अन्तिम सोपान तक पहुँचा सकें।

सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जे.एफ. विलियम्स का कथन है-''शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल एवं योग्य नेतृत्व देना तथा ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना है जो किसी एक व्यक्ति समुदाय को कार्य करने का अवसर दे और वे सभी क्रियाओं में शारीरिक तथा सम्पूर्ण मानसिक रूप से उत्तेजक एवं संतोषजनक और सामाजिक रूप से निपुण हों। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाभदायक हों।''

''शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तन्दुरूस्त बनाना और उसमें व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए ताकि वह लोगों के साथ खुशी से रह सके और स्वंय को एक अच्छा नागरिक बना सके।''

शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसके विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया है। उद्देश्य वे छोटे-छोटे पड़ाव है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाते है। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को छोटे-छोटे कार्यो को अंजाम देना होगा। जैसे-यदि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को आनंददायक और स्फूर्तिमान जीवन की ओर अग्रसर करना है तो इसके लिए उसे व्यायाम, योगासन का प्रशिक्षण देना है जिससे शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो।

भारत में खेलों का आध्यात्मिक महत्व रहा है वह हमारी ऐतिहासिक विरासत है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, नृत्य, तैराकी, मुक्केबाजी तथा डिस खेले बहुत लोकप्रिय थी। वैदिक काल में योग का अभ्यास व्यायाम के साथ-साथ धार्मिक कर्तव्य समझकर किया जाता था। मिलिट्री ड्रिल, कुश्ती, तीर कमान चलाना, डेगर के साथ लड़ना, तलवार और छुरा, डिसकस फेंकना, भाला, घुड़सवारी, रथ दौड़, शिकार, मुक्केबाजी प्रचलन में थे। मध्य युग में गुरूकुल का उदय हुआ जहाँ खेलों को बहुत उच्च स्थान प्राप्त

था। मुगल काल के दौरान भी कुश्ती, मुक्केबाजी, कबूतर उड़ाना, तैराकी, हंटिंग, एनीमल, फाइटिंग, चैस, चौपड़ बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक शुरू किया परन्तु यह प्रचलित नहीं हुआ। आधुनिक भारत में क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल प्रारंभ हुए। अखाड़ा तथा व्यायामशाला जैसी संस्थायें शुरू हुईं, जिसमें डंड, बैठक, खो-खो, कबड्डी, योग, नृत्य व कुश्ती को नियमित स्थान मिला।

आजादी के बाद खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं व नीतियां चलाई गई जिसमें कई खेल एसोशिएशन तथा संघ बनाए गए। ओलम्पिक गेम्स की पद्धति पर एशिया के देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढाने के लिए भारत ने एशियन गेम्स प्रारंभ करवाने का श्रेय प्राप्त किया। जो चार वर्ष में आयोजित होती है। नई दिल्ली में 1951 में पहली 'ऐशियन गेम्स' प्रारंभ हुई। इस पहली गेम में 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया।

प्रकृति में खेल सार्वभौमिक है, सभी बालक खेलते हैं तथा विलक्षणता से उनके खेलने में समानता होती है। उनका खेलना जाति, रंग, नस्ल तथा राष्ट्रीयता आदि के घेरे से परे होता है। प्रत्येक बालक अपनी शिशु अवस्था के दौरान वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में खेलता है। खेलना बालक का स्वाभाविक गुण है, खेल गतिविधियाँ बालक के विकास तथा वृद्धि में सीधे प्रभाव डालती है। इसमें कल्पना शक्ति का बहुत अधिक समावेश होता है। हम बालक की इस कल्पना शक्ति का उसके द्वारा खिलौने से खेलते हुए उसको तोड़कर पुनः अपनी कल्पना से जोड़ने की क्रिया को करते हुए अवलोकन कर सकते है।

यदि कोई बालक अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार खेलता नहीं है तो इसका अर्थ यह होगा कि उसके साथ कोई शारीरिक या मानसिक समस्या है। उसका यह व्यवहार एक असामान्य बालक के समान उसकी सामान्य वृद्धि तथा विकास की गति की शैली से परे करता है। उसका यह व्यवहार आगे चलकर उसके व्यक्तित्व के विकास, सामान्य व्यवहार तथा समाज में घुलने मिलने में अनगिनत समस्याएँ पैदा करता है।

खेलने की विलक्षणता केवल मानव मात्र की ही आदत नहीं है बल्कि इसकी परिधि जीवों की अन्य नस्लों तक भी फैली हुई है। यद्यपि जन्तु खेलते समय अपने व्यवहार में अन्तर नही दर्शाते परन्तु उनके हाव-भाव दर्शाते हैं कि खेलते हुए खुश होकर मनोरंजन कर रहे है। खेल गतिविधियाँ जन्तुओं के साथ-साथ इंसानों में भी उन्मुक्त स्वतंत्रता तथा अन्दर से हो रही प्रसन्नता को परिलक्षित करती है।

''खेल के उद्गम तथा कार्य रूप में आने के संबंध में विवरण आज भी अज्ञात है।''

एक समय था जब बुद्धिजीवियों द्वारा खेल को मात्र समय तथा ऊर्जा की बर्बादी समझा जाता था, परन्तु अब खेलों को शालाओं में शिक्षण तथा व्यक्तित्व विकास के एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया जाता है।

खेल के बृहद गुणों को दृष्टिगत रखते हुए और उसके बालकों पर पड़ने वाले महत्व पर ध्यान देते समय हम मानव जीवन में इसके उपयोगिता की विश्वनीयता पर विचार करने के लिए बाध्य होते है। पालक गण या अध्यापक जीवन के इस उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भाग से संबंधित होते है क्योंकि पाठशाला और अध्यापक बालक के मानसिक, शारीरिक उन्नति की प्रथम और संवेदनशील इकाई हैं।

खेलने वाला बालक बहुत ही स्फूर्तिवान, उच्च साहसी तथा स्वस्थ दिखाई देता है। जब वह खेल-कूद की गतिविधियों में गहन रूप से सम्मिलित होता है तो वास्तव में हमारे देश में बालकों एवं अध्यापकों में खेल के प्रति सही दिशा का अभाव परिलक्षित होता है। इसका कारण शिक्षकों का ध्यान हमेशा अभ्यास, विद्यालय में अध्ययन तथा गृह अध्ययन कार्य को ही ज्यादा महत्व देना रहा है। इस तरह की परम्परागत सोच तथा विश्वास के कारण पालकों और शिक्षकों ने बालकों के समुचित विकास से उन्हें वंचित रखा। दूसरी ओर इन प्रतिबंधो और सामाजिक बंधनो के चलते बालक अपने आपको खेलने से नहीं रोक पाया।

एरिन्च ने 'प्ले' शब्द का अर्थ एंगलो स्विस शब्द मेगा से लगाया है। जिसका अर्थ है कि जोखिम उठाने के लिए कुछ करने की प्रतिबद्धता एवं जोखिम, खतरा उठाने के एक ही उद्देश्य के लिए स्वंय को समर्पण करना। वास्तव में खेल शब्द की व्याख्या विभिन्न लोगों ने विभिन्न संदर्भो में की है। आधुनिक सिद्धांत एवं शिक्षा के प्रभावों की ओर बढ़ने के लिए एक विस्तुत अर्थ है। कोई भी इनमें से खेल का कोई भी अर्थ लगा सकता है। सामान्यतः शारीरिक गतिविधि अथवा शरीर की गति प्रत्येक खेल में आवश्यक है। बिना शारीरिक गतिविधियों के खेल उसी प्रकार रहता है जैसे कि आत्मा के बिना शरीर। खेल केवल जैविक संतुष्टि की गतिविधि नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य मनुष्य के जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही साथ यह व्यक्तित्व की बुद्धिमतता के ताने- बाने को भी बुनता हैं खेल हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक सतत भाग है। यह हमारी सांस्कृतिक सभ्यता के जन्म एवं सामाजिक विकास के फैलाव को भी प्रभावित करता है।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. राय पारसनाथ, ''अनुसंधान परिचय'' आगरा चावला एण्ड संस 1997-98
2. कपिल एच.के., ''अनुसंधान विधियाँ'' आगरा हर प्रसाद भार्गव प्रकाशन 1996-97
3. कृष्णन राधा, शोध प्रबंध डिग्री कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती 1964
4. ''द सेन्टर एडवायजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ए प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड रिक्रियेशन ऑफ एजुकेशन'' गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया 1956
5. वेस्ट जे.डब्ल्यू रिसर्च ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली प्रकाशन, प्रेन्टिक हाल इण्डिया प्रा.लि. 1963
6. शर्मा करमकर एवं तिवारी, ''शारीरिक शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशासन'' अमरावती शक्ति प्रकाशन 1973
7. अस्थाना, डॉ. विपिन, ''मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन'' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
8. बखरकर, डी.जी., ''फिजिकल एजुकेशन गेम्स एण्ड रिपोर्ट इन इण्डिया एच.पी.वी. मण्डल अमरावती 1990''
9. बालायण, डॉ. देवेन्द्र, ''स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा'' खेल साहित्य केन्द्र नई दिल्ली 2002।

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

मध्ययुगीन कवि कबीर के काव्य में सामाजिक वर्जनायें

* गरिमा सिंह कुशवाह

सारांश- *आज भी हमारे समाज में धर्म की जगह मजहब और पाखण्ड का वर्चस्व है। जातियों और सम्प्रदायों के बीच प्रेम नहीं, अहंकार का भाव व्याप्त है। इसके अतिरिक्त हमारी वैधानिक संहिता और सामाजिक आचरण में भी मेल नहीं है। ऐसी दशा में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक भारतीय समाज से ये विसंगतियाँ नहीं जाती, भारतीयों के सामाजिक चरित्र में जो विकार पैदा हो गये हैं वे दूर नहीं होते, कम से कम तब तक भारतीय समाज में कबीर को प्रासंगिकता बनी रहेगी। अतः तत्कालीन समाज में कबीर के काव्य की जीवन मूल्य के रूप में जितनी आवश्यकता थी, उतनी ही आवश्यकता आज भी है। कबीर का काव्य कालजयी है, सार्वभौमिक है तथा आज भी उनकी उपादेयता है।*

जीवन मूल्यों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कबीर के योगदान को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है- ''कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला।[1] जो ब्रह्म हिन्दुओं की विचार-पद्धति में ज्ञान का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही नहीं, प्रेम का विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों को ही साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पक्ष खड़ किया। उनकी बानी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं।[2] धार्मिक ज्ञान एवं व्यवस्थाओं के लिए जन सामान्य को पंडितों और मुल्लाओं पर रहना पड़ता था। जनता की इस असमर्थता को दूर करने का कबीर ने प्रयास किया। उन्होंने धार्मिक सिद्धान्तों को जनता की ही बोली में प्रस्तुत करके सर्व सुलभ बना दिया। जीवन के प्रत्येक अंग की समीक्षा कर उन्हें धर्म और जीवन का आत्मीय पूर्ण एवं सरल रूप इतना सुगम और साधना सम्पन्न बना दिया कि वह जनता के प्राणों में निवास करने योग्य बन गया।[3] साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रतिपादन द्वारा देश के दो सबसे बड़े एवं विरोधी सम्पद्रायों-हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के निकट लाना कबीर के समय में सबसे प्रमुख मूल्य था। कबीर ने अपने काव्य में इस जीवन मूल्य को सशक्त और व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान की। यथा -

हिन्दू तुरक कहाँ से आए किनि एह राह चलाइ।
दिल माहि सोचि विकार कबादे मिसत दोजक किनि पाई।।
काजी तैं कबन कतेब बखानी।

★ सहायक प्राध्यापक, डी.डी.एम.पी.जी. कॉलेज, फिरोजपुर

पढ़ गुनत तैसे सम मारे किनहुँ खबरि न जानी।।[4]

कबीर ने अनुभव किया कि धर्म के नाम पर प्रचलित ब्राह्याचार हिन्दू और मुसलमानों के मध्य विरोध एवं वैमनस्य के कारण थे। वे ब्रह्याचार वस्तुतः आडम्बर का रूप धारण कर चुके थे। ये ब्रह्याचार वस्तुतः धर्म के अधार्मिक रूप के प्रचार के हेतु बन चुके थे। अतः इनका विरोध करके दोनों सम्प्रदायों के लोगों को इनसे विरत करना वस्तुतः उस समय एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन मूल्य था। कबीर ने ब्रह्याचारों के आशिव पक्ष को पूरी शक्ति के साथ उजागर किया। ब्रह्याचार सम्बन्धी कबीर के ये दोहे बहुत प्रचलित हैं-

''पाथर पूजै हरि मिलैं, तो मैं पूजूँ पहार।
तातें यह चाकी भली, पीसी खाए संसार।।
''कांकर पाथर जोरि के, मसजिद लई चुनाय।
ता चढ़ि मुल्ला बाँ दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय।।
''मूंड़ मुंड़ाए जो सिधि पाई। मुक्ती भेड़ न माईआ काई।।
मूंड़ मुंड़ाए हरि मिलै, तो सब कोऊ लेह मुंडाय।
बार-बार के मूंड़ते भेड न बैकुंठ जाय।।

ब्रह्याचारों का विरोध करके कबीर ब्राह्याचारों को त्याग कर सत्य मार्ग पर जनता को लाना चाहते थे। कुछ लोग इसे कबीर की सुधार-प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं-यथा-

''जब मैं भूला रे भाई,
मेरे सतगुरू जुगत लखाई,
किरिया-करम-अचार छोंडा, छौंडा तीरथ का नहाना।

इस सन्दर्भ में कबीर दास धर्म के प्रामाणिक एवं मार्मिक रूप का भी वर्णन कर देते हैं -

''दया राखि धरम को पाले, जग सो रहे उदासी।
अपना से जिव सबकौ जानै, ताहि मिलै अविनासी।।

सेवा भावी धर्म वस्तुतः वैष्णव भक्ति का प्रतिपाद्य है। कबीर ने वहीं से धर्म के स्वरूप को ग्रहण करके धर्म के वास्तविक रूप को जीवन मूल्य के रूप में जाना था और उसका प्रतिपादन किया था, यथा- ''जीव विभिन्न-जड़-चेतन योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म को- राजा या रंक- प्राप्त करता है। अतएव जीव मात्र समान है।

परम्परागत जाति व्यवस्था के कारण हिन्दू समाज निरन्तर विघटित हो रहा था। इसका स्थायित्व प्रदान करके ही समाज का उद्धार किया जा सकता था तथा विध्वंसकारी और आतातायी विदेशी शासकों का डटकर सामना किया जा सकता था। कबीर के काव्य में जीवन मूल्य को कई रूपों में अभिव्यक्ति प्रदान की है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है- शूद्र को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान करना। कबीर ने प्रत्येक वर्ग की समानता का प्रतिपादन पूरे साहस के साथ किया-

''सन्तन जात न पूछो निरमुनियाँ।
साध ब्राह्मन साध छतरी, साचै जाती बनियाँ।।
साधनमौं रैदास सन्त हैं सुपच ऋषि सों माँगियाँ।
हिन्दु-तर्क दुह दीन बने हैं, कछु नहीं पहचानियाँ।।

तथा

''जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान।।

सबसे बड़ा जीवन मूल्य था शूद्र को समाज में समान स्थान दिलाना। इस कार्य को कबीर ने बहुत ही चतुराई के साथ किया -

''षीर रूप हरि नांव है, नीर आन ब्यौहार।
हंस रूप कोई साध है, तत का जानण हार।।

कबीर ने तो दम्भी ब्राह्मणों को लक्ष्य करके यहाँ तक कह दिया कि-

''जो ब्राह्मन तुम ब्राह्मन के जाए।
आन बाट तुम काहे न आए।

जनता की भाषा में शास्त्र-ज्ञान, दर्शन आदि को सुलभ करना युग की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। कबीर ने अपने समय के इस महत्व को पहचाना और खुलकर कहा-

''संस्कीरति है कूप जल, भाषा बहता नीर।

तथा

''का भाषा का संस्कीरति, प्रेम चाहिए साँचु।
काम जु आवै कामरी, का लै करै कमाचु।।

बाह्य आडम्बरों के त्याग में कबीर ने जीवन का सार देखा था और उन्होंने बार-बार कहा है कि इनके त्याग द्वारा ही तुम्हारे समस्त भ्रम दूर होंगे और तुम वास्तविक जीवन जी सकोगे। मेरे विचार से कबीर के समय में यही सबसे बड़ा जीवन मूल्य था।

समस्त भ्रम एवं कष्ट निवारण की एक ही कुंजी है और वह है-प्रेम, यथा-

''भ्रमका ताला लगा महल रे, प्रेम की कुंजी लगाव।
कपट-किंवाड़िया खोल के रे, यहि विधि पिय को जगाव।।

तथा

''कबीर अैसा बीज बोइ, बारह मास फलंत।
सीतल छाइआ गहिए, फल पंखी केल करंत।।

कबीर दास का (काव्य काल) और हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल, दोनों ही काल वस्तुतः भारत के पुनर्जागरण काल हैं। कबीर का युग संस्कृति और धर्म के पुनर्जागरण का संदेश लेकर चला था, जबकि आधुनिक काल की पुनर्जागृति के केन्द्र में संस्कृति एवं समाज थे। सारांश रूप में दोनों सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पुरोधा थे, जबकि प्रथम का मूल स्वर धर्म था और द्वितीय का सामाजिक उत्थान रहा है।

कबीर के काव्य की प्रेरणा का प्रमुख जीवन-मूल्य था-धर्म के स्वरूप एवं सर्वग्राह्य रूप की स्थापना तथा आधुनिक कालीन काव्य की प्रमुख प्रेरणा है- एक प्रबुद्ध एवं जागरूक समाज की स्थापना-क्योंकि पाश्चात्य विज्ञान ने इस पुनर्जागरण को प्रेरणा प्रदान की थी।

भारतेन्द्र के समय से अर्थात् 1857 ई० में होने वाले प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद लगभग सन् 1870 ई० से हम इस आधुनिक काल का आरम्भ मानते हैं। आधुनिक काल में हमें जिन प्रमुख जीवन-मूल्यों की अभिव्यक्ति मिलती है, वे हैं- (1) देश भक्ति एवं राष्ट्रीय भावना (2) वैज्ञानिक दृष्टिकोण (3) प्रेम भावना- विशेषकर देश, देशवासियों एवं

देश की वस्तुओं के प्रति (4) प्रकृति के प्रति प्रेम (5) अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन (6) दलित वर्ग का उत्थान। दलित वर्ग के अन्तर्गत- कृषक, श्रमिक, नारी और दलित या शूद्र (7) काव्य की भाषा को लोक प्रिय बनाने की प्रवृत्ति। कबीर के युग और आधुनिक कविता के युग के जीवन मूल्य, देश के उत्थान को दृष्टि में लेकर चलते हैं परन्तु व्यवहारिक रूप में उनमें वहीं अन्तर है जो 15 वीं सदी और 19 वीं सदी की चेतनाओं के विकास के मध्य दिखायी देता है।

कबीर ने नारी की निन्दा की थी। आधुनिक काल में उसको महिमा मण्डित किया गया। हमारे सम्पूर्ण आदर एवं समाज की श्रद्धा के पात्र रूप में वर्णित किया गया। धार्मिक उदार भावना रूढ़ि विरोध जैसे जीवन मूल्य सर्वथा निश्शेष नहीं हुए थे।

आधुनिक काल में नारी के माता रूप की ओर प्रबुद्धजन का ध्यान गया था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने नाटक 'नीलदेवी' में नारी के कर्मठ स्वरूप की ओर इंगित किया। बंग कवि 'बंकिमचन्द्र' के प्रसिद्ध महिमा गीत वंदे मातरम् के अनुकरण पर जन्मभूमि भारत की वंदना माता के रूप में की गयी, उसको मण्डित देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया।

युगों-युगों से उपेक्षित एवं प्रताड़ित नारी के प्रति गहन सम्मान की लहर प्राय: समस्त हिन्दी जगत में व्याप्त हो गयी है और आज तक अविच्छिन्न रूप में व्याप्त है। हिन्दी के कवि भारत की प्राचीन वीरांगनाओं एवं वीरांगनाओं के कार्यों का सादर स्मरण करके वर्तमान नारी के उत्थान की कामना करते आ रहे हैं।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दहेज को समाज में लगी हुई आग बताया। नारी के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान दोनों में वृद्धि हुई-

''अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।

वीर हनुमान द्वारा लंका को भस्म करने में एक सती के हाथ को माना गया। मेघनाथ के वध के लिए लक्ष्मण एक पत्नी व्रत से शक्ति संग्रह करते हैं तथा भगवान बुद्ध यशोधरा के द्वार पर जाने को विवश होते हैं।

कवियों ने स्पष्ट लिखा कि नारी को मात्र वासना पूर्ति की दृष्टि से देखना सर्वथा अनुचित है। अन्य कवियों ने भी नारी की अनेक प्रकार से अभ्यर्थना की है। प्रसाद ने नारी को समस्त कोमल और उदात्त वृत्तियों की धात्री बताकर उसे श्रद्धा के रूप में अंकित किया है।

कवि गणों ने समाज-सुधार के बारे में, जाति प्रथा के बारे में तथा अन्य सामाजिक अभिशापों के बारे में लिखकर समाज सुधार को एक जीवन-मूल्य के रूप में ग्रहण किया।

कबीर के काल और आधुनिक काल में एक अन्य जीवन मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण रहा- वह है काव्य भाषा को रूप देना। कबीर ने संस्कृत के बन्धन से कविता को मुक्त किया और आधुनिक काल में कवियों ने बृज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य की भाषा बना दिया, जिससे वह राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से भारत के कोने-कोने में पहुँच गयी है।

''निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल'' की आवाज उठकर भारतेन्दु ने निज

भाषा ज्ञान हृदय के शूल को मिटाने का मार्ग प्रशस्त किया। उर्दू इस मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा थी। उसके स्थान पर हिन्दी के प्रयोग की बात उठाई गई। हिन्दी के पक्ष में अनेक साहित्यकार सामने आए। अरबी, फारसी व अंग्रेजी शब्द मिलाकर सुगम हिन्दी लिखने के प्रयोग किये गये। इन कविताओं का उद्देश्य था मनोरंजक ढंग से खड़ी बोली का प्रचार करना।

कविगण हिन्दी का अलख जगाने में लग गये और वे हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग निस्संकोच करने लगे।

अहिन्दी भाषा भाषियों तक हिन्दी का सन्देश पहुँचाने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने फरवरी सन् 1956 में अंग्रेजी में 'हिन्दी रिव्यू' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया।

प्रयोगवाद के अन्तिम चरण में कवियों ने बालकों एवं अर्ध शिक्षित वयस्कों के लिए बहुत ही सरल भाषा में कविताऐं लिखीं। रेडियो और सिनेमा के लिए भी कवियों ने लोकप्रिय कविताएँ और गीत लिखे।

मध्यकालीन कबीर का काव्य अथवा अधुनातन काल का काव्य भारत के पुनर्जागरण काल के काव्य हैं। सभी का लक्ष्य भारतीय समाज में नवचेतना जागृत करना है। प्रथम में सर्वोच्च स्वर धर्म का है और अन्य में बौद्धिकता जागृत करने का। पुनर्जागरण काल के काव्य परम्परागत रूढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। दोनों ही युगों के कवियों ने कविता की भाषा को लोक जीवन के अधिकतम नजदीक पहुँचा दिया है। दोनों काल के काव्यों में कुछ विभिन्नता भी है। कबीर के लिए नारी कामिनी एवं त्याज्य है। आधुनिक काल अथवा अधुनातन कवि के लिए महिमा मण्डित देवी, माता एवं पूज्या समस्त शक्ति की प्रेरणा स्रोत है।

सन्त कबीर युगान्तकारी कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं, भाषा और वाणी माध्यम से जन-जन तक सद्भावना के प्रतीक थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने संतों, महापुरुषों के उन विचारों को आम जीवन तक पहुँचाएँ, जिससे सामाजिक समरसता का वातावरण बने और लोगों में परस्पर सहयोग की भावना दृढ़ हो।

आज भी हमारे समाज में धर्म की जगह मजहब और पाखण्ड का वर्चस्व है। जातियों और सम्प्रदायों के बीच प्रेम नहीं, अहंकार का भाव व्याप्त है। इसके अतिरिक्त हमारी वैधानिक संहिता और सामाजिक आचरण में भी मेल नहीं है। ऐसी दशा में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक भारतीय समाज से ये विसंगतियाँ नहीं जाती, भारतीयों के सामाजिक चरित्र में जो विकार पैदा हो गये हैं वे दूर नहीं होते, कम से कम तब तक भारतीय समाज में कबीर को प्रासंगिकता बनी रहेगी। अतः तत्कालीन समाज में कबीर के काव्य की जीवन मूल्य के रूप में जितनी आवश्यकता थी, उतनी ही आवश्यकता आज भी है। कबीर का काव्य कालजयी है, सार्वभौमिक है तथा आज भी उनकी उपादेयता है।

====================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. पृ. 78- हिन्दी साहित्य का इतिहास- पं० राम चन्द्र शुक्ल- द्वितीय संस्करण।
2. पृ. 94- हिन्दी साहित्य का इतिहास- पं० राम चन्द्र शुक्ल- द्वितीय संस्करण।

3. पृ.सं. 53- कबीर दास- डॉ० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ- प्रथम संस्करण।
4. पृ.सं.- 98, छन्द सं. 8, ''संत कबीर- डॉ० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, इलाहाबाद, चतुर्थ आवृत्ति।
5. पृ.सं.- 6, ''संत कबीर'' डॉ० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, इलाहाबाद, चतुर्थ आवृत्ति।
6. पृ.सं.- 271, छंद सं. 65, 'कबीर'- डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, मुम्बई चतुर्थ संस्करण।
7. पृ.सं.- 271, छंद सं. 65, 'कबीर'- डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, मुम्बई चतुर्थ संस्करण।
8. पृ.सं.- 231, छंद सं. 2, 'कबीर'- डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, मुम्बई चतुर्थ संस्करण।
9. पृ.सं.- 324, छंद सं. 162, 'कबीर'- डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, मुम्बई चतुर्थ संस्करण।
10. पृ.सं.- 235, छंद- सारग्राही को अंग, 21 'कबीर ग्रन्थावली'- डॉ० राजेश्वर चतुर्वेदी, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ प्रथम संस्करण।
11. परिच्छेद- 23, सं. 191-195, 'कबीर ग्रन्थावली'- डॉ. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी।
12. पृ.सं.- 261, छन्द सं. 38, 'कबीर'- डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी।
13. पृ.सं.- 261, छन्द सं. 229, 'संत कबीर'- डॉ. रामकुमार वर्मा।
14. लक्ष्मण सिंह-मर्यादा, अक्टूबर 1918, गिरधर शर्मा-माता, सियाराम शरण गुप्त-भारत लक्ष्मी, रामनरेश त्रिपाठी-मातृभूमि, मैथिलीशरण गुप्त-भारती, श्री धर पाठक-मेरा देश।
15 (क) पृ.सं. 56 किसान- मैथिलीशरण गुप्त।
(ख) पाचवाँ अंक- स्कन्द गुप्त - जयशंकर प्रसाद।
(ग) महिला परिषद के गीत-सरस्वती-दिसम्बर, 1905, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
(घ) काव्य कुब्ज-अंक-8, 1906, सरस्वती-1905, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
16. कान्य कुब्ज-अंक-8, सरस्वती-1905, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
17. (क) मर्यादा, अंक- 10, 1914, केशव राम फड़के।
(ख) रमणी हृदय, कानन कुसुम, जयशंकर प्रसाद।
(ग) भारत भारती, पृ.सं. 169, मैथिलशरण गुप्त, संवत् 1969।
18. पृ.सं. 28, 45, 52, 59 द्वापर, मैथिलीशरण गुप्त, चतुर्थ संस्करण।
19. (क) पृ.सं. 126, यशोधरा, संवत 2007, मैथिलीशरण गुप्त।
(ख) पृ.सं. 287, यशोधरा, संवत 2007, सर्ग- 11, मैथिलीशरण गुप्त।
20. पृ.सं. 267, यशोधरा, संवत 2007, मैथिलीशरण गुप्त।
21. पृ.सं. 325, यशोधरा, संवत 2007, मैथिलीशरण गुप्त।
22. पृ.सं. 145, यशोधरा, संवत 2007, मैथिलीशरण गुप्त।
23. पृ.सं. 114, यशोधरा, संवत 2007, मैथिलीशरण गुप्त।
24. (क) पृ.सं. 314, 315, यशोधरा, संवत 2007, मैथिलीशरण गुप्त।
(ख) पृ.सं. 46, 87, 100, निराला, प्रथम संस्करण, तुलसीदास।
25. (क) पृ.सं. 105, 106, कामायनी, अष्टम सं. जयशंकर प्रसाद, लज्जा सर्ग।
(ख) पृ.सं. 107, कामायनी, अष्टम सं. जयशंकर प्रसाद, निर्वेद सर्ग।
26. (क) पृ.सं. 17, 19, किसान, प्रथम संस्करण, सोहन लाल द्विवेदी।
(ख) पृ.सं. 25, 272, 302, साकेत, मैथिलीशरण गुप्त।
(ग) छंद- 21, 27, सर्ग-5, 'वैदेही वनवास' अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रथम संस्करण।
(घ) पृ.सं. 67, नीतिका, निराला, द्वितीय संस्करण, पृ. 67।
(ड़) पृ.सं. 5, गुरूकुल, प्रथम संस्करण।
(च) पृ.सं. 117, सरोज जागृति, निराला प्रथम संस्करण।
27. (क) उर्दू का स्थान, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, चन्द्रिका 1874 जून।
(ख) हिन्दी उन्नति, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हिन्दी प्रदीप।
(ग) हिन्दी की हिमायत, प्रताप नरायन मिश्र, पृ. 67, भाग- 21।
(घ) कविता कौमुदा, प्रताप नरायन मिश्र, पृ. 294, प्रथम संस्करण।

(ड़) हरि गंगा, प्रताप नरायन मिश्र, पृ. 56।

(च) हरि गंगा, प्रताप नरायन मिश्र, पृ. 14, 128, 30, 126, 303।

28. शंकर सर्वस्व, नाथूराम शंकर, पृ. 17, 18, 223, 229, प्रथम संस्करण।

29. (क) पृ.सं. चाँद-रात्रि प्रातः तथा धूप का गीत, केदारनाथ अग्रवाल 'लोक और आलोक' प्रथम संस्करण।

(ख) पृ.सं. 13, सन्नाटा, भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा संस्करण।

(ग) पृ.सं. 34, स्वर्गोदय, स्वर्ग किरण, सुमित्रा नन्दन पन्त।

(घ) पृ.सं. 73, 'अँधेरे का दीपक', सतरंगिनी, हरिवंश राय बच्चन, प्रथम संस्करण।

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

प्रेमचंद के साहित्य में गांधीवाद का प्रचार

* अर्चना प्रजापति

सारांश- प्रेमचन्द किसानों और मजदूरों के संगठन की ही बात नहीं करते वरन् उनकी संगठित शक्ति के परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक बदलाव को भी रेखांकित करते हैं। डॉ. कृष्णचन्द्र पाण्डेय के आलोचनात्मक अध्ययन में ऐसे अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें प्रेमचन्द ने किसान-संगठन का समर्थन किया है। 'कर्मभूमि' में लाला समरकान्त किसानों के संगठन की बात करते हैं। 'रंगभूमि' उपन्यास में सूरदास के प्रयास से पाण्डेपुर के निवासी किसान संगठित होकर अपने विरोधियों को परास्त करने में समर्थ होते हैं। 'गोदान' में एक किसान पात्र रामसेवक के प्रयास से उसके गॉव के सभी किसानों के एक बार और संगठित हो जाने पर जमींदार को झुकना पड़ता है और संगठित किसानों की विजय होती है। प्रेमचन्द ने किसान संगठन के सदृश ही मजदूर संगठन पर भी बल दिया है तथा 'गोदान' में प्रेचन्द द्वारा दिए गए इस सन्देश के लिए डॉ. कुँवरपाल सिंह लिखते हैं- ''शहर में मजदूर असंगठित है तो गॉव में किसान। इन दोनों को संगठित करने और उनके बीच पुल बनाने का आह्वान वह मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि मालती और मेहता से करते हैं।'' इस प्रकार किसान मजदूर संगठन के प्रश्न पर गॉधीजी की अपेक्षा प्रेमचन्द का दृष्टिकोण अधिक उदारवादी एवं प्रगतिशील है।

गॉधीवाद के चिन्तन पक्ष के अन्तर्गत डॉ. रामदीन गुप्त ने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह आदि तीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया। सत्य को उन्होंने यद्यपि गॉधीवाद चिन्तन धारा की आधारशिला माना, किन्तु उनकी अधिकांश समीक्षाओं का विषय परवर्ती सिद्धान्त-अहिंसा और सत्याग्रह है। गॉधीजी के चिन्तन पक्ष के दूसरे सिद्धान्त अहिंसा का विवेचन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा से गॉधी का तात्पर्य केवल अहिंसा से ही नहीं, वरन् किन्हीं प्रसंगों में समर्थित हिंसा से भी है। वे लिखते है- ''गॉधीजी मानते थे कि अहिंसा वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं। सन् 1920 में ही उन्होंने यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनने का प्रश्न उठने पर वे हिंसा को चुनने की ही सलाह देंगे।'' इसलिए गॉधीजी आत्मरक्षा तथा स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए हिंसा के प्रयोग की अनुमति दे देते हैं। तीसरे सिद्धान्त 'सत्याग्रह' को डॉ. रामदीन गुप्त ने सत्य और अहिंसा का कर्मपक्ष माना। ''सत्याग्रह एक ऐसी कार्यप्रणाली है, जिसमें अधर्म पर धर्म से, हिंसा पर अहिंसा से, असत्य पर सत्य से, द्वेष पर प्रेम से तथा पशुबल पर आत्मबल से विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सत्याग्रह में प्रतिपक्षी के मन पर आक्रमण किया जाता है। अर्थात् सत्याग्रह में विरोधी के

★ शोध छात्रा, हिन्दी, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शरीर को नहीं, वरन् हृदय को जीतने का प्रयत्न किया जाता है। गाँधीवादी शब्दावली में इसे ही हृदय परिवर्तन कहते हैं। प्रेमचन्द के कथा-साहित्य की समीक्षाओं में अहिंसा और सत्याग्रह सिद्धान्तों की ही नहीं, वरन् हृदय-परिवर्तन की भी व्यापक चर्चा की गई है।

अहिंसा– प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में व्यक्त अहिंसा विषयक विचारों पर, आलोचकों की विरोधी दृष्टियाँ मिलती हैं, किन्तु विचारों की ये दृष्टियाँ किसी ठोस निष्कर्ष का प्रस्तुतीकरण नहीं करतीं। एक ओर हंसराज रहबर की आलोचना में प्रेमचन्द को सीमित कालावधि में ही अहिंसा का समर्थक माना गया है, सर्वदा नहीं। अहिंसा के त्याग का मूल कारण उन्होंने सन् 1930 का आन्दोलन माना है- ''सन् 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन का अन्त गाँधी इरविन पैक्ट में हुआ और आर्थिक दृष्टि से हीन, किसानों को अपनी लड़ाई आप लड़ने के लिए अलग छोड़ दिया गया, तो प्रेमचन्द के विश्वास को कठोर आघात पहुँचा और अहिंसा व्रत से उनकी आस्था उठ गई।''

प्रेमचन्द ने अहिंसा को नीति के रूप में ही ग्रहण किया है। उनकी अहिंसा का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। मनुष्य के मान पर, स्त्री की लाज पर आक्रमण होने से प्रतिक्रिया को सक्रिय दण्ड के रूप में प्रकट होना ही चाहिए। 'मनुष्य के मान' विषयक परिस्थिति को डॉ. रामविलास शर्मा ने 'इस्तीफा' कहानी के बाबू फतहचन्द के माध्यम से विश्लेषित किया। दतर का बाबू अंग्रेज अफसर से अपमानित होने के बाद चुप नहीं बैठता वरन् आत्म-सम्मान की रक्षा हेतु साहब के साथ जिस हिंसक वीरता को प्रदर्शित करता है उसकी प्रेमचन्द ने सराहना ही की है। डॉ. रामदीन गुप्त का इस विषय में नितान्त भिन्न दृष्टिकोण है। एक ओर वह 'इस्तीफा' के बाबू फतहचन्द एवं 'पत्नी के पति' के मिस्टर सेठ में आत्म-सम्मान की भावना को प्रतिशोध का सूचक मानते हैं और दूसरी ओर उनके हिंसक वयवहार को गाँधी-दर्शन के विपरीत मानते हैं। वस्तुतः डॉ. रामदीन गुप्त के इन विचारों में जबरदस्त अन्तर्विरोध मिलता है(एक ओर वह गाँधीवादी विचारधारा का विवेचन करते हुए इस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं कि गाँधी जी 'अत्मरक्षा' के लिए हिंसा के प्रयोग को न्यायोचित ठहराते हैं और दूसरी ओर ऐसी परिस्थिति में प्रदर्शित हिंसा के व्यवहार को वह गाँधी-दर्शन के विपरीत मानकर इसका प्रतिवाद भी करते हैं।

नारी सम्मान विषयक दूसरे प्रसंग में डॉ. रामविलास शर्मा ने नारी सम्मान की रक्षार्थ प्रदर्शित हिंसात्मक वीरता पर बल दिया है। कहानी जगत् के अन्तर्गत इन्होंने 'जेल' कहानी में स्त्री की लाज पर आक्रमण होने पर शारीरिक रूप से दुर्बल किसान का प्रतिहिंसात्मक हो जाना स्वाभाविक माना। उपन्यास साहित्य के अन्तर्गत इन्होंने 'प्रेमाश्रम', 'कर्मभूमि', 'रंगभूमि' के उद्धरणों से भी इस धारणा की पुष्टि की। डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं-'' 'प्रेमाश्रम' में एक औरत की आबरू के पीछे गौस खाँ का कत्ल कर डाला गया। इसके बाद 'कर्मभूमि' में बलात्कार से त्रस्त नारी ने दो अंग्रेज सिपाहियों का वध कर दिया। वही आबरू का पँवारा 'रंगभूमि' में भी है।'' डॉ. रामविलास शर्मा नारी सम्मान की रक्षार्थ किए गए इन हिंसात्मक कृत्यों को युग-युगान्तरों से चली आती हुई भारतीय संस्कृति की परम्परा की कड़ी के रूप में देखते हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि नारी की मर्यादा के सम्मुख प्राणों की भी कोई कीमत नहीं है, यह वस्तुतः मनुष्यत्व की रक्षा है दूसरी ओर डॉ. रामदीन गुप्त इस सम्पूर्ण सन्दर्भ को नितान्त भिन्न परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करते हैं। वे न तो नारी की मर्यादार्थ की गई हिंसा के पक्षधर हैं

और न ही सूरदास के विचारों के, जिनमें उसने नारी की आबरू को सर्वाधिक महत्व दिया और उसके लिए खून की नदी तक बहाने को तैयार हो गया। यही नहीं, उन्होंने उसके विचारों तक में अजीब अन्तर्विरोध दर्शाया है। इसके कारणों को उद्घाटित करते हुए वे लिखते हैं- ''एक ओर तो वह जीवन की गम्भीरतम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को भी खेल की उपमा देकर उनका महत्व कम करने की कोशिश करता है और दूसरी ओर 'औरत की आबरू' को जीवन की अन्य किसी भी आबरू से अधिक महत्व दे देता है।'' इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन के दूसरे प्रश्नों के मुकाबले औरत की आबरू को इतना अधिक महत्व देने का कारण प्रेमचन्द का मध्यवर्गीय स्वभाव माना है। कुल मिलाकर डॉ. रामदीन गुप्त की आलोचना दृष्टि में विरोधाभास मिलता है, क्योंकि स्वयं गाँधीजी आत्म-रक्षा तथा स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए हिंसा के प्रयोग की अनुमति दे देते हैं। अर्थात् प्रत्येक परिस्थिति में अहिंसा पर बल देने वाले गाँधीजी भी उपर्युक्त दोनों प्रसंगों को अहिंसा की परिधि से बाहर रखते हैं। ध्यातव्य है, उन्होंने हिंसात्मक प्रवृत्ति को, चाहे वह व्यक्तिगत हो या समष्टिगत, केवल स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में दर्शाया है, गाँधीवादी सिद्धान्तों के प्रभाव के रूप में नहीं।

सत्याग्रह– गाँधीवादी सिद्धान्त सत्याग्रह का वर्णन प्रमुख रूप से 'प्रेमाश्रम', 'रंगभूमि' तथा 'कर्मभूमि' उपन्यासों में किया गया है। इन उपन्यासों में सर्वाधिक चर्चा का केन्द्र 'प्रेमाश्रम' की प्रस्तुत पंक्ति है- ''सत्याग्रह में अन्याय का दमन करने की शक्ति है, यह सिद्धान्त भाँतिपूर्ण सिद्ध हो गया।'' इसी पंक्ति पर आधृत डॉ. रामविलास शर्मा की समीक्षा में '''प्रेमाश्रम' को गाँधीवाद की विफलता चित्रित करने वाला उपन्यास कहा गया।'' और यह भी स्पष्ट किया गया कि ''प्रेमचन्द ने यह निष्कर्ष 1920 ई. में ही पाठकों के सामने रखा था।''

यही नहीं, डॉ. रामविलास शर्मा 'रंगभूमि' को भी सत्याग्रह की असफलता दर्शाने वाला उपन्यास मानते हैं- ''गोली सूरदास के कन्धे में लगी, सिर लटक गया, रक्त प्रवाह होने लगा। सूरदास का आत्मबल, ब्रिटिश राज के पशुबल का प्रतिकार न कर सका।'' डॉ. रामदीन गुप्त की आलोचना में भी इसी तथ्य को प्रकाशित किया गया है कि सूरदास एक 'सत्याग्रही' है और सत्याग्रही किसी पराजय से विचलित नहीं होता। किन्तु उसे अपनी समस्याओं पर विजय पाने में सफलता नहीं मिलती। उसके समस्त संघर्ष का अन्त उसकी असंदिग्ध पराजय में होता है। किन्तु जितना बड़ा सच यह है कि 'प्रेमाश्रम' एवं 'रंगभूमि' में सत्याग्रह सिद्धान्त की असफलता को दर्शाया गया है, उतना ही बड़ा सच यह भी है कि 'कायाकल्प' और 'रंगभूमि' उपन्यासों में सत्याग्रह का समर्थन किया गया है।

'कायाकल्प' का नायक चक्रधर तथा 'कर्मभूमि' के पात्र-अमरकान्त, समरकान्त, सुखदा, सलीम, सकीना आदि सत्याग्रह सिद्धान्त से अनुप्राणित हैं। इनमें चक्रधर, मन, वचन और कर्म से सत्याग्रह सिद्धान्त का समर्थक है। 'कायाकल्प' में जब गाय की कुर्बानी के प्रश्न पर हिन्दुओं तथा मुसलमानों की धार्मिक भावनाएँ उत्तेजित हो जाती हैं तथा दोनों धर्म-सम्प्रदाय के लोग हिंसात्मक हो जाते हैं, तब एक आदर्श सत्याग्रही की भाँति चक्रधर सिर पर चोट खाकर भी अपनी जगह पर अटल रहता है और गाय के साथ स्वयं भी बलिदान हो जाने के लिए तैयार हो जाता है।

गाँधीवाद के व्यावहारिक पक्ष के इन तीन वर्गीकरणों- आर्थिक, सामाजिक एवं

शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए उन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा की गई है, जिन पर आलोचकों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विचार-विवेचन किया है।

कार्यक्रम का आर्थिक भाग-

कार्यक्रम के आर्थिक भाग के अन्तर्गत डॉ. रामदीन गुप्त गाँधीजी के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालते हुए लिखते है- ''गाँधीजी के आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण खादी तथा दूसरे ग्रामोद्योगों के विकास एवं आर्थिक समानता के सिद्धान्तों से हुआ है, जैसा कि उक्त कार्यक्रम की क्रम संख्या चार, पाँच और तेरह से स्पष्ट है।'' यहाँ चार, पाँच और तेरह से उनका अभिप्राय खादी, दूसरे ग्रामोद्योग तथा आर्थिक समानता से है। यूँ तो कार्यक्रम के आर्थिक भाग के अन्तर्गत,

1. आर्थिक समानता अर्थात् ट्रस्टीशिप,
2. औद्येगीकरण का विरोध और
3. स्वदेशी उद्योग के प्रोत्साहन तथा खादी की महत्ता

का उल्लेख किया गया है, किन्तु इन कार्यक्रमों में अधिक महत्व 'आर्थिक समानता' को दिया गया है।

आर्थिक समानता (ट्रस्टीशिप)-

गाँधीजी अपने आर्थिक साम्य के आदर्श की स्थापना ट्रस्टीशिप के आधार पर करते हैं। ट्रस्टीशिप से उनका अभिप्राय है कि पूँजीपति और जमींदार अपने को जायदाद का स्वामी नहीं, वरन् उसका संरक्षक समझें। गाँधीवादी सिद्धान्त ट्रस्टीशिप को आधार बनाकर की गई प्रेमचन्द की कतिपय उपन्यासों की समीक्षाओं में, इस विषय पर दो विचार बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण किया गया है। आलोचकों का पहला वर्ग, प्रेमचन्द को गाँधीवादी सिद्धान्त ट्रस्टीशिप के प्रति आस्थावान मानता है। तथा इसकी पुष्टि 'रंगभूमि' के प्रसंगों के द्वारा करता है यथा, 'प्रेमाश्रम' उपन्यास के अन्त में मायाशंकर द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वेच्छा से भूमि से अपने विशेषाधिकारों का त्याग तथा 'रंगभूमि' उपन्यास में राजा महेन्द्र कुमार की मृत्योपरान्त उनकी पत्नी इन्दु द्वारा अपनी रियासत के सुप्रबन्ध के लिए ट्रस्ट बनाने का निश्चय करना। आलोचनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत देखा गया कि उपर्युक्त दोनों प्रसंगों में से पूर्ववर्ती प्रसंग की चर्चा अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से की गई है।

किन्तु यह बात जितनी सच है कि प्रेमचन्द ने 'प्रेमाश्रम' में ट्रस्टीशिप के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त की है, उतना ही यह भी सच है कि गाँधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के सदृश ही इसमें भी अनेक दोष हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ट्रस्टीशिप विषयक गाँधजी के विचारों का सैद्धान्तिक पक्ष वैचारिक पक्ष से नितान्त भिन्न है। निस्संदेह सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार की समाप्ति, गाँधीजी का चरम लक्ष्य प्रतीत होता है, किन्तु यह गाँधीजी के विचारों का सैद्धान्तिक पक्ष है, अर्थात् सैद्धान्तिक रूप से गाँधीजी को पूँजीवाद विरोधी कहा जा सकता है, व्यावहारिक रूप में नहीं। डॉ. रामविलास शर्मा की आलोचक प्रतिभा, ट्रस्टीशिप विषयक गाँधीजी के कथनी करनी के इस वैषम्य को प्रस्तुत पंक्तियों में सूक्ष्मता से विश्लेषित करती है- ''गाँधीजी देश को आसन्न अराजकता से बचाने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त पेश कर रहे थे। पूँजीपतियों को ट्रस्टी बनाने से

पूँजीवाद समाप्त हो जाएगा, यह भ्रम गाँधीजी को न था(उसको समाप्त करना उनका उद्देश्य भी न था।'' इसी प्रकार डॉ. रामदीन गुप्त की भी मान्यता है कि 'प्रेमाश्रम' में पूँजीवाद का स्वरूप, ठीक गाँधीजी के व्यावहारिक पक्ष के अनुरूप है- ''इसके अन्तर्गत जमींदार, 'जमींदार' ही रहेंगें, पूँजीपति-पूँजीपति ही और मालिक-मालिक ही।'' अर्थात् शोषक 'शोषक' ही बने रहेंगें और शोषित 'शोषित ही। इस प्रकार पहले वर्ग की आलोचनाओं में ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त और व्यवहार के सूक्ष्म अन्तर को अलगाते हुए उसके अन्तर्विरोध पर प्रकाश डाला गया है।

आलोचकों के दूसरे वर्ग की समीक्षाओं में, डॉ. इन्द्रनाथ मदान एवं मन्मथनाथ गुप्त ने मायाशंकर के स्वेच्छा से भूमि के स्वामित्व त्याग को जमींदारी प्रथा जैसी वृहताकार तथा किसानों के शोषण जैसी सामाजिक समस्याओं का स्थायी और अन्तिम समाधान नहीं माना है। इस प्रकार प्रेमचन्द द्वारा सुझाया गया ट्रस्टीशिप का समाधान अनेक अन्तर्विरोध ाों से परिपूर्ण होने के कारण उतना विश्वसनीय नहीं माना गया। इस विषय में डॉ. रामविलास शर्मा का मत सर्वथा उचित प्रतीत होता है- ''जिन शक्तियों ने लखनपुर के किसानों को पीस डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा, वे सब बरकरार रहती हैं। उस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें अंग्रेजों के दलाल किसानों की कमाई का फल कुछ खुद लूटते थे और बाकी अंग्रे स्वामियों को भेंट कर देते थे, तब लखनपुर एक सुखी और आदर्श गाँव कैसे बन गया।''

जहाँ तक प्रेमचन्द के कहानी-साहित्य का प्रश्न है, इसमें ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का चित्रण नहीं किया गया है। डॉ. रामविलास शर्मा एवं डॉ. नत्थनसिंह ने प्रेमचन्द के कहानी-साहित्य से सहकारिता और समतावादी में जिन सिद्धान्तों की चर्चा की, वे उपन्यासों में वर्णित ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त से भिन्न होते हुए भी अधिक व्यावहारिक हैं, क्योंकि इनमें सिद्धान्त और व्यवहार की जबरदस्त एकरूपता मिलती है। इन कहानियों में प्रेमचन्द पूँजीवादी पात्रों को कहीं भी मालिक, जमींदार या पूँजीपति के गौरवपूर्ण पद पर आसीन नहीं करते।

औद्योगीकरण का विरोध-

कार्यक्रम के आर्थिक भाग में ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के बाद औद्योगीकरण के विरोध पर सर्वाधिक ध्यान आकर्षित किया गया। गाँधीजी द्वारा औद्योगीकरण के विरोध में सर्वाधिक ध्यान आकर्षित किया गया। गाँधीजी औद्योगीकरण एवं उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण के विरूद्ध थे, क्योंकि इस व्यवस्था से श्रमिकों (मजदूरों) का नैतिक एवं चारित्रिक स्तर भी नीचे गिरता हुआ देखते थे। प्रेमचन्द ने भी 'रंगभूमि' उपन्यास में केन्द्रीयकरण का विरोध नैतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से किया- ''सिगरेट के कारखाने के विरूद्ध सूरदास का विरोध नैतिक और धार्मिक ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक कारणों से भी है। बड़े-बड़ें कारखाने फैक्टरियाँ और मिलें केन्द्रीकृत जीवन के प्रतीक है।''

गाँधीवादी जीवन दर्शन के अनुसार इस औद्योगिक व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति की रीढ़ हमारी ग्रामीण सभ्यता को नष्ट कर दिया है और अब उसके स्थान पर एक नई भौतिकवादी सभ्यता आ रही है, जो देश और समाज के लिए हितकर नहीं कही जा सकती।'' डॉ. कृष्णचन्द्र पाण्डेय द्वारा गाँधीजी के प्रस्तुत सिद्धान्त का विवेचन प्रेमचन्द

की 'गृहदाह' कहानी के आधार पर किया गया। उनके अनुसार प्रेमचन्द के मन में यह धारणा जम गई कि शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता विरले ही में होती हैं।''

कथा-साहित्य के विश्लेषण के अन्तर्गत देखा गया कि 'रंगभूमि' उपन्यास शहरी जीवन की बुराईयों पर प्रकाश डालता है तथा 'लोकमत का सम्मान' कहानी प्रेमचन्द के इसी दृष्टिकोण को अधिक सूक्ष्मता से विश्लेाित करती है। इसमें ग्रामीण जीवन पर शहरी जीवन के अनिष्टकारी प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। वस्तुतः प्रेमचन्द के ग्रामीण तथा शहरी जीवन विषयक विचार एकदम स्पष्ट हैं, वे ग्रामीण सभ्यता को भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों का, तथा शहरी सभ्यता को भौतिकता, स्वार्थपरता, छल और मिथ्याडंबर तथा प्रदर्शन का प्रतीक मानते हैं। प्रेमचन्द की 'मन्त्र' कहानी इस दृष्टि से सवोत्कृष्ट कहानी मानी जा सकती हैं, जिसमें नागरिक और ग्रामीण सभ्यता का कंट्रास्ट दर्शाया गया है। एक ओर ग्रामीण भक्त का चरित्र मनुष्यता का अद्वितीय उदाहरण तथा दूसरी ओर शहरी डॉ. चड्ढा का चरित्र भौतिकता, स्वार्थपरता, मिथ्याडंबर एवं प्रदर्शन का पुंजीभूत रूप।

समग्र रूप से प्रेमचन्द औद्योगीकरण एवं उत्पादन के साधनों के विरूद्ध थे, किन्तु उनके विरोध का कारण गाँधीजी के सदृश नैतिक ही नहीं, वरन् आर्थिक और सामाजिक भी है।

स्वदेशी का सिद्धान्त-

गाँधीजी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी मान्यताएँ स्वदेशी के सिद्धान्त से अनुप्रेरित हैं और स्वदेशी धर्म के पालन में उन्होंने सूत कातने और खादी पहनने को विशेष महत्व दिया है। वे ग्रामोद्योग की धुरी चर्खा मानते हैं तथा चर्खा चलाने को आत्म-शुद्धि का साधन। प्रेमचन्द के उपन्यासों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में ऐसे अनेक प्रसंग उद्धृत किए जा सकते हैं जिनमें चर्खा चलाने को आत्मशुद्धि का साधना माना गया। 'निर्मला' उपन्यास में कृष्णा तथा उसके भावी पति का खद्दर विषयक रूझान का प्रकरण आलोचकों द्वारा बहुभाँति विश्लेषित किया गया। हरदयाल ने उसे गाँधीवादी राजनीति और अर्थनीति के लिए अवकाश निकालना कहा। तथा डॉ. रामदीन गुप्त ने कृष्णा के भावी पति को महत्मा गाँधी का भक्त तथा असहयोग आन्दोलन का एक सक्रिय कार्यकर्त्ता कहा। प्रेमचन्द के अन्तिम उपन्यास 'गोदान' में भी चर्खे की महत्ता प्रतिपादित की गई है, मालती रूपा को शादी के समय उपहार स्वरूप चर्खा देती है। अतएव प्रेमचन्द के कतिपय उपन्यासों के प्रमुख पात्र स्वदेशी धर्म-पालन का प्रति आस्थावान दर्शाए गए हैं।

साम्प्रदायिक एकता-

साम्प्रदायिकता के अनेक रूप हो सकते हैं, जिसमें धार्मिक असहिष्णुता की समस्या सर्वोपरि मानी गयी। भारत में यह असहिष्णुता हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के रूप में व्यक्त हुई। गाँधी जी के सर्वधर्म समभाव के ब्रत का आधार भी यही धार्मिक सहिष्णुता है। साम्प्रदायिक एकता के प्रश्न पर प्रेमचन्द को भी गाँधीजी के समान ही विचलित माना गया किन्तु समस्या के प्रति उनके दृष्टिकोणों में पर्याप्त भिन्नता रेखांकित की गई। इस सन्दर्भ में नामवर सिंह लिखते हैं- ''मुझे याद नहीं है कि महात्मा गाँधी ने इस्लाम के मौलवियों के खिलाफ उतनी ही तेजी से आवाज बुलन्द की है, जितनी तेजी से प्रेमचन्द ने की। यहाँ

गाँधीजी से प्रेमचन्द अलग थे। ये प्रेमचन्द थे जो एक ओर मोटेराम शास्त्री के खिलाफ लिखते थे और दूसरी ओर मौलवी के खिलाफ भी लिखते थे।'' डॉ. रामदीन गुप्त के अनुसार भी प्रेमचन्द का दृष्टिकोण सभी प्रकार की साम्प्रदायिक या धार्मिक संकीर्णताओं से मुक्त एक स्वस्थ्य दृष्टिकोण था।

इस प्रकार जितना बड़ा सच यह है कि प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में चित्रित साम्प्रदायिक समस्या विषयक अधिकांश समाधान गाँधीजी से प्रभावित नहीं, वरन् कथा-साहित्य में उत्तरोत्तर विकसित होने वाली उनकी वैचारिक प्रक्रिया का ही परिणाम है(उतना ही बड़ा सच यह भी है कि साम्प्रदायिक समस्या विषयक कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं, जिनमें प्रेमचन्द गाँधीवाद से पूर्णतः प्रभावित हैं। उदाहरणार्थ 'कायाकल्प' में उठाई गई 'गोवध की साम्प्रदायिक समस्या। 'कायाकल्प' में जब गाय की कुर्बानी के प्रश्न पर हिन्दुओं और मुसलमानों में ठन जाती है तब चक्रधर के गाय की गर्दन से लटककर सत्याग्रह करते ही तत्क्षण अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग बिना कुर्बानी के वापस लौट जाते हैं। प्रेमचन्द द्वारा दिया गया समस्या का यह समाधान निश्चित रूप से गाँधीवादी प्रभाव कहा जा सकता है। इसी भाँति कृष्णाचन्द पाण्डेय की 'मुक्तिधन' कहानी की समीक्षा में गोरक्षा की समस्या एवं समाधान के सम्पूर्ण प्रसंग को गाँधीवाद की स्पष्ट स्वीकृति माना गया है, जो नितान्त समीचीन प्रतीत हाता है। इस कहानी में गाय से श्रद्धा करने वाला रहमान मुसलमान होते हुए भी गाय की रक्षार्थ पूर्णतः सजग है, इसीलिए मुसीबत में पड़कर जब वह गाय बेचना चाहता है, तो उसका प्राथमिक महत्व गाय को ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपना है, जहाँ वह सुरक्षित रह सके, अधिक धन-राशि प्राप्त करना नहीं। समष्टि में, नामवर सिंह का प्रस्तुत वक्तव्य- ''प्रेमचन्द अकेले लेखक हैं, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण साहित्य में हर प्रकार के साम्प्रदायवाद का विरोध किया है।'' पूर्णतः युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

अस्पृश्यता निवारण-

प्रेमचन्द और गाँधीजी दोनों का लक्ष्य अस्पृश्यता निवारण था, किन्तु अछूत समस्या विषयक उनके जीवन-दर्शन में पर्याप्त भिन्नता लक्षित की गई। गाँधीजी का जीवन-दर्शन आध्यात्मिक है, जिसके फलस्वरूप वे दैनिक आवश्यकताओं को निरन्तर कम करने की बात करते हैं, इसलिए दरिद्रता की निन्दा करने के स्थान पर वे गरीबों को दरिद्रनारायण कहकर पुकारते हैं तथा दलितों, अछूतों को हरिजन नाम देकर उन्हें भी शाब्दिक सम्मान दे देते हैं। जबकि प्रेमचन्द का जीवन-दर्शन गाँधीजी से भिन्न है। वह किसी वर्ग विशेष के प्रति मात्र बौद्धिक संवेदना व्यक्त नहीं करते। अछूत वर्ग, दलित तिरस्कृत और उपेक्षित वर्ग है मात्र इसीलिए आँखे बन्द करके उसके गुण-गान करना प्रेमचन्द की नीति नहीं है। उन्होंने प्रत्येक वर्ग का पूरी-पूरी ईमानदारी के साथ बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है.....। तथा प्रत्येक अनीति एवं अत्याचार का कड़ा विरोध किया है। जहाँ तक प्रेमचन्द और गाँधीजी द्वारा वर्णित अछूत समस्या के स्वरूप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में डॉ. कान्तिमोहन का मत उल्लेखनीय है- ''प्रेमचन्द अछूतों में प्रचलित मद्य-सेवन एवं मुर्दा-भक्षण आदि कुप्रथाओं का विस्तृत वर्णन हीं नहीं करते, वरन् समस्या के समाधान की दिशा में भी रचनात्मक कदम उठाते हैं। 'कर्मभूमि' उपन्यास में गाँच के चमार मुर्दा मांस खाना और शराब पीना छोड़ देते हैं और यह सब अमरकान्त की सेवा, सद्प्रयास और प्रेम से होता

है, बाह्य दबाव से नहीं।

''कर्मभूमि' में चित्रित अछूतों के मन्दिर प्रवेश की अन्य समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से गाँधीवादी सिद्धान्तों पर आधृत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन्दिर प्रवेश की घटना समरकान्त और ब्रह्मचारी का हृदय-परिवर्तन कराके सद्भावना के वातावरण में नहीं घटती। प्रेमचन्द उस विराट जनसमूह के बलिदानों की गाथा लिखने के बाद उसके विजय के चित्र खींचते है।''

समग्र रूप से प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में वर्णित अछूत-समस्या विषयक समाधानों को सर्वत्र गाँधीवादी सिद्धान्तों से प्रभावित नहीं माना जा सकता, वरन् कतिपय प्रसंग जहाँ गाँधीवादी अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय-परिवर्तन से बात नहीं बनती(वहाँ प्रेमचन्द ने गाँध ीवादी सिद्धान्तों से इतर 'हिंसा' का भी विशद चित्र खींचा है। कारण स्पष्ट है कि उनके लिए प्राथमिक महत्व का विषय अछूतों की समस्याओं का समाधान करना था, गाँधीवादी सिद्धान्तों का अनुकरण करना नहीं।

किसानों-मजदूरों का संगठन-

प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में वर्णित किसान-मजदूर संगठनों को आलोचकों ने दो भिन्न स्तरों पर विश्लेषित किया। पहले वर्ग की समीक्षाओं में, डॉ. रामविलास शर्मा एवं नामवर सिंह आजादी की लड़ाई में केवल किसानों की भूमिका को आधार बनाकर, प्रेमचन्द तथा गाँधीजी के दृष्टिकोणों का मिलान करते हैं, मजदूर वर्ग के आधार पर नहीं। डॉ. रामविलास शर्मा की समीक्षा गाँधीजी तथा प्रेमचन्द के वैचारिक अन्तर को तथा नामवर सिंह की समीक्षा वैचारिक अन्तर के साथ-साथ वैचारिक साम्य को भी उद्घाटित करती है। एक ओर डॉ. रामविलास शर्मा की धारणा है- ''गाँधीजी एक ओर जहाँ जनजागरण के अग्रदूत थे, वहाँ दूसरी ओर वे स्वाधीनता आन्दोलन को किसान क्रान्ति का व्यापक रूप लेने से रोकने वाली शक्ति भी थे..... दूसरी ओर प्रेमचन्द इस संघर्ष को रोकना तो दूर, उसका स्वागत करने वाले लेखक थे।'' दूसरी ओर नामवर सिंह लिखते है- ''भारतीय आजादी की लड़ाई में अगर किसानों की भूमिका को किसी ने समझा तो राजनीति में गाँधीजी ने तथा साहित्य में प्रेमचन्द ने। महत्व को समझने के बाद प्रेमचन्द और गाँधीजी के रास्ते अलग हो जाते हैं।''

विश्लेषण में देखा गया कि प्रेमचन्द किसानों और मजदूरों के संगठन की ही बात नहीं करते वरन् उनकी संगठित शक्ति के परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक बदलाव को भी रेखांकित करते हैं। डॉ. कृष्णचन्द्र पाण्डेय के आलोचनात्मक अध्ययन में ऐसे अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें प्रेमचन्द ने किसान-संगठन का समर्थन किया है। 'कर्मभूमि' में लाला समरकान्त किसानों के संगठन की बात करते हैं। 'रंगभूमि' उपन्यास में सूरदास के प्रयास से पाण्डेपुर के निवासी किसान संगठित होकर अपने विरोधियों को परास्त करने में समर्थ होते हैं। 'गोदान' में एक किसान पात्र रामसेवक के प्रयास से उसके गाँव के सभी किसानों के एक बार और संगठित हो जाने पर जमींदार को झुकना पड़ता है और संगठित किसानों की विजय होती है। प्रेमचन्द ने किसान संगठन के सदृश ही मजदूर संगठन पर भी बल दिया है तथा 'गोदान' में प्रेचन्द द्वारा दिए गए इस सन्देश के लिए डॉ. कुँवरपाल सिंह लिखते हैं- ''शहर में मजदूर असंगठित है तो गाँव में किसान। इन दोनों को संगठित करने और उनके बीच पुल बनाने का आह्वान वह

मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि मालती और मेहता से करते हैं।'' इस प्रकार किसान मजदूर संगठन के प्रश्न पर गाँधीजी की अपेक्षा प्रेमचन्द का दृष्टिकोण अधिक उदारवादी एवं प्रगतिशील है।

**

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

छिंदवाड़ा शिवपुरी सीहोर और मुरैना जिले मे बुंदेली का स्वरूप

* अमित शुक्ल

सारांश- *छिंदवाड़ा शिवपुरी सीहोर और मुरैना जिले मे बुंदेली का रूप में मिश्रित बुंदेली केरूप के दर्शन होते हैं। इसलिए इसे मिश्रित बुंदेली कहा जा सकता है। कहने का आशय ये है किछिंदवाड़ा शिवपुरी सीहोर और मुरैना जिले मे बुंदेली का स्वरूप शुद्धबुंदेली नही बल्किमिश्रित बुंदेली का है। पर बुंदेली का प्रभाव उन क्षेत्रों मे अधिक है।*

छिंदवाड़ा जिले को बुंदेली के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुखतया सम्मिलित किया जाता है। इस जिले के दक्षिण में नागपुर जिला जो मराठी भाषी है, उत्तरी सीमा पर नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद का बुंदेली क्षेत्र पश्चिम में, मालवी का बैतूल जिला एवं पूर्व में बुंदेलीभाषी सिवनी जिला है। इसी कारण इस क्षेत्र के बुंदेली रूप की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर इसके मध्य भाग में ही बुंदेली का आधिक्य मिलता है। छिन्दवाड़ा जिले में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्ना जातियों की प्रमुखता है और इन जातियों की बोली बुंदेली होते हुए भी जातिगत रूप में विद्यमान है। इन्हीं बुंदेली रूपों को डॉ. ग्रियर्सन ने विकृत बुंदेली रूपों की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि इनमें मराठी एवं बघेली के मिश्रण से अनेक नये शब्दों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में कोष्ठियों की कोष्ठी, किरारों की किरारी, कुम्हारों की कुम्हारी, ग्वालों की गाओली, रघुवंशियों की रघुवंशी जैसे बोली रूप प्रचलित हैं। यहाँ पर हम चौरई तहसील के कपुर्धा ग्राम से प्राप्त बोली का नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं जो बुंदेली भाषी सिवनी जिले के निकट है यही कारण है कि यह स्थान बुंदेली के अधिक निकट है। यहाँ की बुंदेली की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं।

1. बुंदेली के भविष्यकालीन रूप ते, ती, तो आदि यहाँ भी मिलते हैं। 'हते' के लिए 'हिते' शब्द का प्रयोग स्थानीय वैशिष्टय का प्रतीक है।
2. कर्मकारण विभक्ति 'खो' के स्थान पर 'खै' का प्रयोग मिलता है।
3. 'स्नान' कर रही के लिए 'खौररई' शब्द का प्रयोग स्थान वैशिष्टय का प्रतीक है।
4. अकारान्त का 'औकारान्त' एवं एकारान्त का 'ऐकारान्त' बुंदेली की तरह ही विद्यमान है।
5. बुंदेली की एक विशेषता 'हकार' लोपीकरण है परन्तु इस क्षेत्र के बोली रूप में वह नगण्य है। देखा जाए तो इस क्षेत्र का बोली रूप शुद्ध बुंदेली के अधिक निकट है।

सिवनी जिले का बुंदेली रूप- सिवनी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में श्री रसेल ने इस

★ सहा प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

जिले में बुंदेली बोलने वालो की संख्या 43 प्रतिशत बतलायी गयी है। शेष मराठी एवं गौड़ी बोलने वाले लोग हैं। इसके पूर्व में 'छत्तीसगढ़ी', पश्चिम में छिंदवाड़ा, जबलपुर, दक्षिणी सीमा मराठी भाषी क्षेत्रों से संलग्न है। इस जिले का बुंदेली रूप सिवनी से जबलपुर की ओर आने पर प्राप्त होता है। बाकी सीमाओं पर छत्तीसगढ़ी एवं मराठी प्रभावित बुंदेली का रूप प्राप्त होता है। सिवनी का बलाघाट क्षेत्र इसी प्रकार का मिश्रित क्षेत्र है।

बालाघाट जिले का बुंदेली रूप– बालाघाट जिला बुंदेली को नही रखा जा सकता क्योंकि इस क्षेत्र में मराठी मिश्रित बघेली का प्रयोग अधिक है। बालाघाट की बुंदेली के सम्बन्ध में सर ग्रियर्सन का मत है कि 'बालाघाट' में मराठी के एक रूप के अतिरिक्त पूर्वी हिन्दी के रूप बोले जाते हैं जो बघेली के मिश्रित रूप हैं।इस जिले की लोधी जाति के लोग जो बोली बोलते हैं, वह बुंदेली और मराठी का मिश्रित रूप है। बालाघाट 'गजेटियर के लेखक सी.ई.लो. के मतानुसार इस जिले के आदिवासियों के अतिरिक्त हिन्दु परिवारों की बोली मराठी मिश्रित हिन्दी है। इनमें इस जिले में से बैस पँवार बघेली और मराठी मिश्रित रूप बोलते हैं जबकि लोभी बुंदेली और मराठी का मिश्रित रूप बोलते हैं।

बुंदेली के पश्चिमी रूप– बुंदेली के पश्चिमी रूप के अंतर्गत शिवपुरी, गुना और विदिशा जिले का पश्चिम भाग, सिहोर (आष्टा तहसील छोड़कर) भोपाल की सिवनी एवं होशंगाबाद की हरदा तहसीलें एवं मुरैना की श्योपुर तहसील (मुरैना का पश्चिमी भाग) स्थित हैं। विदिशा का पश्चिमी हिस्सा सिहोर तहसील का भी पश्चिमी क्षेत्र तथा होशंगाबाद के बुंदेली हिस्से का पश्चिमी भाग मालवी की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसीलिए इन क्षेत्रों की बुंदेली पर मालवी की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसीलिए इन क्षेत्रों की बुंदेली पर मालवी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसी तरह मुरैना की श्यौपुर तहसील की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा से राजस्थान की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा से मुरैना का भदावरी भाषी क्षेत्र तथा दक्षिण में राजस्थानी भाषी क्षेत्र स्थित है। इसी कारण इन सीमावर्ती बोलियों का प्रभाव बुंदेली पर है। इसी मिश्रण या प्रभाव के कारण बुंदेली ने विभिन्ना क्षेत्रीय रूप धारण किए हैं।

बुंदेली के पश्चिमी क्षेत्र के जिले निम्न हैं-

मुरेनई– मुरेनई यहः मुरैना जिले में प्रयुक्त किये जाने वाले बुंदेली रूपों का संयुक्त नाम है। मुरैना की बुंदेली के उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम की ओर राजस्थानी बोली का क्षेत्र है और यही कारण है कि इन सीमावर्ती हिस्सों की बुंदेली पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव है। बोली या भाषा की ऐसी प्रवृत्ति है कि इसके क्षेत्रीय स्तर पर भी अनेक प्रक्षेत्र होते हैं, यही प्रवृत्ति मुरैनई में भी देखी जा सकती है। मुरैनई के भी निम्नलिखित स्थानीय प्रक्षेत्र हैं-

श्यौपुरी– राजस्थानी सीमा के निकट होने से इस क्षेत्र में बुंदेली का कम राजस्थानी भाषा का प्रचलन अधिक है। इसी कारण हम इसे राजस्थानी प्रधान बुंदेली कह सकते हैं। इस क्षेत्र की बुंदेली में राजस्थानी, खड़ी बोली एवं बुंदेली के शब्दों का संयुक्त प्रचलन विद्यमान है।

मुरैना की विजयपुरी– यह विजयपुर क्षेत्र की उपबोली है, जो कि ग्वालियर जिले

की पश्चिमी सीमा एवं श्यौपुर तहसील की पूर्वी सीमा के मध्य स्थित है। इसके एक ओर सिकरवारी तो दूसरी ओर खड़ी बोली प्रधान बुंदेली तथा ग्वालियरी रूप मौजूद है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की बोली में ब्रज, मालवी तथा बुंदेली तीनों का संयुक्त प्रभाव दिखाई देता है।

पश्चिमी मुरैना की बड़ौदई– मुरैना के पश्चिम में बड़ौदा क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर प्रचलित बुंदेली रूप में राजस्थानी का प्रभाव है। इसमें खड़ी बोली का भी कुछ अंश समाहित है।

इस प्रकार पश्चिमी मुरैना की बोली बुंदेली राजस्थानी प्रधान है। विजयपुर क्षेत्र से जैसे-जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं बुंदेली का प्रभाव कम और राजस्थानी का प्रभाव बढ़ता जाता है। और जैसे ही श्योपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, बुंदेली समाप्तप्राय सी होने लगती है और राजस्थानी प्रारंभ हो जाती है।

शिवपुरी की पश्चिमी बुंदेली– बुंदेली के पश्चिम रूपों में शिवपुरी का पश्चिमी क्षेत्र आता है। शिवपुरी का यह क्षेत्र राजस्थानी से संयुक्त है फिर भी इसके कई भाग ऐसे हैं, जो बुंदेली प्रधान ही है। उदाहरण के लिये कोलारस। कोलारस की बोली बुंदेली ही है थोड़ा सा प्रभाव राजस्थानी का है।

गुना की पश्चिमी बुंदेली– बुंदेली के पश्चिमी रूप के अंतर्गत गुना की पश्चिमी क्षेत्र की सीमा से राजस्थान की सीमा आकर मिलती है और इस क्षेत्र के दक्षिण में मालवी का प्रभाव है। इस प्रकार पश्चिमी गुना के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थानी एवं मालवी का प्रभाव एक साथ मिलता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो राजस्थानी की अपेक्षा मालवी का प्रभाव अधिक है।

विदिशा जिले की पश्चिमी बुंदेली– पश्चिमी विदिशा दक्षिणी गुना के पूर्वी सीमा पर स्थित है। पश्चिमी विदिशा का क्षेत्र भी मालवी के प्रभाव से पूर्णतः रहित नहीं है, चूंकि मालवी क्षेत्र से यहाँ तक आते-आते मालवी का प्रभाव नाममात्र ही रह जाता है, राजस्थानी सीमा भी यहाँ से दूर है, इसी कारण यह क्षेत्र कुछ मात्रा में राजस्थानी प्रभावित बुंदेली का है एवं मालवी का प्रभाव भी लिये हुए है। इसीलिये यह पश्चिमी बुंदेली का प्रकार है।

पश्चिमी होशंगाबाद की बुंदेली– पश्चिमी होशंगाबाद को भी बुंदेली भाषा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में हरदा, सिवनी तहसील आती हैं, जो बुंदेली से ज्यादा मालवी प्रभावित हैं। इटारसी से पश्चिम की ओर क्रमशः बढ़ने पर मालवी का प्रभाव बढ़ता जाता है। धरमकुण्डी तक आधी बुंदेली एवं आधी मालवी के मिश्रित रूप की बुंदेली है जबकि सिवनी में मालवा का प्रभाव अधिक है।

सीहोर का बुंदेली क्षेत्र– बुंदेली के पश्चिमी क्षेत्र में सीहोर को भी शामिल किया जाता हैं। इस जिले के पश्चिमोत्तर में शाजापुर एवं पश्चिम में देवास जिला है जो कि मालवी भाषी है। इसी प्रकार राजगढ़ जिले की पूर्वी सीमा भी सीहोर से मिलती है। मालवी प्रभावित बुंदेली का विदिशा जिला सीहोर की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा है, इसी प्रकार सीहोर की दक्षिणी सीमा होशंगाबाद जिले की सिवनी तहसील की उत्तरी सीमा को स्पर्श करती है जो मालवी प्रधान बुंदेली का है, यद्यपि सीहोर जिले में बुंदेली बोली जाती है लेकिन उसमें मालवी का मिश्रण अधिक हैं। इस तरह यह मालवी प्रधान बुंदेली क्षेत्र

है।बुंदेली के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अने विद्वान आष्टा, भोपाल, हरदा आदि क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं परन्तु आष्टा क्षेत्र में मालवी का स्पष्ट प्रभाव है, बुंदेली शब्दों का प्रयोग नाम मात्र के लिये ही किया जाता है। इसी प्रकार भोपाल क्षेत्र में मुस्लिम सभ्यता एवं संस्:त के प्रभाव के कारण बुंदेली नाम मात्र के लिये ही है। जिस पर उर्दू एवं खड़ी बोली का प्रभाव अधिक है। इसी तरह होशंगाबाद की हरदा तहसील में बुंदेली प्रभावित मालवी और निमाड़ी का मिश्रण है, जिसे 'भुवाने की बोली' नाम दिया जाता है।

बुंदेली का उत्तरी रूप– डॉ. कृष्णलाल हंस ने अपने शोध ग्रंथ 'बुंदेली के विविध रूप' में बुंदेली के उत्तरी रूप की जो सीमाएँ दी हैं, उनके अनुसार मध्यप्रदेश के उत्तरी जिले (मुरैना, श्यौपुर तहसील को छोड़कर) भिण्ड और ग्वालियर जिला उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत है इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के आगरा, मैनपुरी और इटावा जिले एवं मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों से लगे हुये कुछ दक्षिणी भाग भी इस क्षेत्र के अंतर्गत माने जाने चाहिए। वास्तव में देखा जाये तो बुंदेली ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना तीन जिलों में मिलती है बाकी उत्तर प्रदेश आगरा, मैनपुरी, इटावा जिलों में कन्नौजी एवं ब्रज मिश्रित बुंदेली का क्षेत्र है।

चम्बल नदी के किनारे के सारा भू-भाग जाति-समूहों के आधार पर विभाजित है, जिसे धार के नामों से जाना जाता है। भिन्न-भिन्न जाति-समुदायों के निवास स्थानों के आधार पर यह स्थान एवं इनका बोली रूप क्रमशः सिकरवार धार से सिकरवारी, तोमर(तवरधार) से तँवरधारी, भदावरधार से भदावरी, रजपूतधार से रजपूतधारी, जाटवधार से जटवारी, गूजरधार से गूजरधारी एवं कछवायें धार से कछवायधारी नाम से जानी जाती हैं।ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर ग्वालियर को बुंदेली का केन्द्र मानकर इसे ग्वालियर नाम से भी जाना जाता रहा है। ग्वालियर क्षेत्र से जैसे-जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। बुंदेली में ब्रज का मिश्रण भी बढ़ता जाता है। ग्वालियर जिले की बुंदेली की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं-

1. बुंदेली के अन्य पुरूष उये, ऊने, उनने, उनपे, उनके आदि रूपों के लिए इस क्षेत्र में बायें, बाने, बिनने, बिनपे, बाके जैसे रू प्रयुक्त किये जाते हैं।
2. बुंदेली के द्वितीय पुरूष 'तुम' का संबंध कारक रूप तुमारौ अथवा तुमाओ यहं के बोली रूप में तेव के रूप में व्यवहृत किया जाता है-
   जैसे- तेव लोग - तुम्हारा पति, तेव बच्चा - तुम्हारा बच्चा
3. हकार लोपीकरण की प्रवृत्ति बुंदेली की एक प्रमुख विशेषता है जो कि यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है,
   जैसे - कहत - कत, ऊनशाह - ऊदनशाय, बहुत - भौत।

मुरैना जिले का बुंदेली रूप– इस जिले का बुंदेली रूप ग्वालियर जिले से अधिक भिन्न नहीं है। ग्वालियर क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ने पर बुंदेली में ब्रज का मिश्रण होता जाता है कि वही स्थिति मुरैना जिले की भी है। मुरैना जिले के पूर्वोत्तर जाने पर इसकी सीमावर्ती बुंदेली में कन्नौजी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर किया जा सकता है। इस जिले के बुंदेली रूप की विशेषतायें निम्नलिखित हैं। जैसे-

1. ओकारान्त के स्थान पर औकारान्त का प्रयोग ब्रज की विशेषता का प्रमाण है, जो इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे-कहते थे- कहात हते। कहातै, मानता तो - मानतै।

2. समीकरण की प्रवृत्ति भदावरी की एक प्रमुख विशेषता है जो इस क्षेत्र के बुंदेली रूप में स्पष्ट है जैसे-मानते थे-मानत ते मानते जानते हैं-जानत हैं बैठा दिए - बैठाद्दय
3. शब्दान्त में 'आय' प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। खींच-खिंचवाय हरवा-हरबाय करवा-करवाय बनवा-बनबाय
4. 'वह' अन्य पुरूष एक वचन के लिए 'बू' शब्द का प्रयोग स्थानीय वैशिष्टय का प्रतीक है, जैसे-बू कहत तो-वह कहता था।
5. हकार लोपीकरण एवं अनुनासिकता बुंदेली के अन्य क्षेत्रों के समान ही है।

निष्कर्ष यह है कि छिंदवाड़ा शिवपुरी सीहोर और मुरैना जिले मे बुंदेली का रूप में मिश्रित बुंदेली केरूप के दर्शन होते हैं। इसलिए इसे मिश्रित बुंदेली कहा जा सकता है। कहने का आशय ये है किछिंदवाड़ा शिवपुरी सीहोर और मुरैना जिले मे बुंदेली का स्वरूप शुद्धबुंदेली नही बल्किमिश्रित बुंदेली का है। पर बुंदेली का प्रभाव उन क्षेत्रों मे अधिक है।

**

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

समकालीन हिन्दी महिला उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा

* सोनिया राठी

***सारांश-** मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यास लेखन से भारतीय उपन्यास साहित्य में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय लोगों के अन्तर्मन के भावों और विचारों को अपनी भाषिक शक्ति से अभिव्यक्त किया है। आत्माभिव्यक्ति के साथ सामाजिक यथार्थ को भी अपने उपन्यास लेखन के माध्यम से व्यक्त किया है। मैत्रेयी पुष्पा की रचनायें अपनी अनुभूति पर आधारित है। इसलिए रचनाओं में जीवन की वास्तविकता का चित्रण हुआ है। घटनाओं की सत्यता और पात्रों की सजीवता के साथ मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी लेखनी चलायी है। इनके उपन्यासों में समाज के सभी अंगों का चित्रण हुआ है। अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि गाँव होने के कारण ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का अंकन मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों में किया है। कृषक जीवन के स्पंदन के साथ किसान-मज़दूरों की व्यथा-कथा, जमीदारों के शोषण, गाँवों की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक अभाव, दलित लोग, स्त्री समस्याएं, अंधश्रद्धा, अज्ञान, पशु पंछियों के प्रति आत्मीयता और प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण का समावेश उपन्यासों में हुआ है। ग्रामांचलिक समाज जीवन का आधार वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता, परिवार एवं वंश परंपरा है। विवाह-व्यवस्था, जाति-धर्म, पंचायतें, अस्पतालों की कमी तथा सांस्कृतिक पर्व-त्यौहार-उत्सवों के प्रति आकर्षण आदि ग्रामजीवन के अभिन्न अंग रहे है।*

मुख्य शब्दः मैत्रेयी पुष्पा, समकालीन हिन्दी, ग्रामांचलिक समाज, अंचल प्रदेश

प्रस्तावना– कथा साहित्य में मैत्रेयी पुष्पा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने उपन्यासों में वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक समस्याओं को नवीन दृष्टि से देखा और चित्रित किया है। मैत्रेयी पुष्पा ने मध्य वर्गीय परिवार में जूझती नारी के संघर्ष और द्वंद्व को नवीन रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया अपितु उसमें नयी दिशा भी दी है। मैत्रेयी पुष्पा ने उपन्यासों में विद्रोह के साथ सामन्तीय संस्कारों, आर्थिक, पारिवारिक संबंधों में नवीन वैचारिक दृष्टि को अपनाया है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में लोक संस्कृति, संस्कार आदि का अंकन भी किया गया है। हिन्दी के स्त्री लेखन में दो धारा दिखलाई पड़ती है एक, जो भारतीय समाज में नवजागरण की परम्परा से प्रभावित है और दूसरी, जो पश्चिम से प्रभावित होते हुए पितृसत्ता को सीधी चुनौती देती है और स्त्री मुक्ति को देह, अर्थ, प्राचीनता आदि से जोड़ती है। जहाँ पहली धारा के कहानीकारों में मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, चित्रा मुद्गल, कृष्णा अग्निहोत्री, नामिका आदि महत्त्वपूर्ण

★ एम.ए. (स्वर्ण पदक विजेता), यू.जी.सी.नेट, एम.फिल. पीएच.डी.(शोधार्थी), जैन विश्वविद्यालय, बेंगलोर

है, वहाँ दूसरी धारा में कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, अर्चना वर्मा, रमणिका गुप्ता आदि। इन स्त्री कहानीकारों ने समकालीन कहानी में स्त्री की सामाजिक अस्मिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उनकी पारंपरिक जड़ता से मुक्ति की संभावनाओं को तलाशते हुए स्त्री लेखन को एक नयी दिशा दी है।

समकालीन महिला लेखिकाओं ने नारी शोषण के विरुद्ध अपनी तूलिका चलाई। कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नु भंडारी, ममता कालिया आदि इस कोटि में आती है। इनमें से मैत्रेयी पुष्पा का नाम शीर्षस्थ है। उन्होंने अपने उपन्यासों में स्त्रियों की दुनिया की बाहरी और भीतरी छटपटाहट को अभिव्यक्त किया है। समकालीन उपन्यास लेखिका मैत्रेयी पुष्पा ने उपन्यास साहित्य को पुरानी भावभूमि से परे हटाकर समकालीन जीवन सत्य को, इसके सच्चे रूप में यथार्थ की दुनिया में प्रतिष्ठित किया है। मैत्रेयी पुष्पा ने नारी जीवन के विविध पक्षों को सूक्ष्मता और गहराई से पहचानने का प्रयास किया है। जीवन की हर परिस्थिति से गुजरने के पश्चात उन परिस्थितियों में अनुभव क्षणों को स्मृति में संजोकर उन्हें बखूबी कहानियों में अभिव्यक्त करने में ये बहुत हद तक सफल हुई है। सामाजिक विसंगतियाँ, कुरीतियाँ, आधुनिकता के मोहपाश में पड़े मानव की रुग्ण मानसिकता आदि का जीवन्त चित्रण इनकी कथाओं में मिलता है। इस संदर्भ में इनकी लेखनी महिला होने की रियायत नहीं माँगती, इनका सामाजिक दृष्टिकोण स्वस्थ, तटस्थ एवं उदार है। मैत्रेयी पुष्पा ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का भरसक प्रयास किया है। धार्मिक दृष्टि से बनते-बिगड़ते, टूटते-बिखरते सम्बन्धों के चित्रण में इन्होंने अपनी गहरी सूझ-बूझ का परिचय दिया है। पीढ़ी-संघर्ष एवं वर्ग-संघर्ष का स्वाभाविक वर्णन इनके उपन्यासों में मिलता है। मैत्रेयी पुष्पा हिन्दी साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका है। वे साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाती है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में बदलते हुए जीवन-संदर्भ में स्त्री और पुरुष की बदली हुई मानसिकता को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करती है। पारिवारिक जीवन के, आंचलिक और दलित जीवन के परिवेश की अछूती ग्रन्थियों को उन्होंने सुन्दर ढंग से सुलझाया है। उनकी रचना को गहराई में देखने पर लगता है कि उनके पास एक निश्चित दृष्टिकोण होता है।

पुराने काल में स्त्री का आदर मिलता था। कालान्तर में नारी की स्थिति में कमजोरी होती गई। लेकिन स्त्री शिक्षा के फलस्वरूप सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता उसमें उभर आई। घर की चार दीवारें तोड़कर स्त्री अपना अस्तित्व खोजने का धैर्य दिखाने लगी। वह वर्तमान समाज में अपनी अस्मिता के प्रति सचेत है। फिर भी इस पुरुषसत्तात्मक समाज में स्त्री अब भी पीड़ित है और दलित भी। नारी का पति, पुत्र, परिवार और समाज द्वारा अलग अलग तरीके से शोषण होता है। स्त्री इसका खिलाफ करे तो समाज में यह अनर्थ हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा ने चाक की भूमिका में इस प्रकार कहा है 'पर सुन मेरी बच्ची! अपनी कटी हुई हथेलियाँ न फैलाया, उस बनाने वाले के सामने की पिछली बार बनाते समय जो भूल की थी उसे सुधार ले! नहीं तुझे फिर वही बनना है! फिर औरत! सौ जन्मों तक औरत जब तक मेरे हिस्से का आसमान तेरे और सिर्फ तेरे नाम न कर दिया जाय।' मैत्रेयी पुष्पा नारी वर्ग को उसका स्वत्व बोध कराना चाहती है। वे नारी में नारीत्व को जागृत करना चाहती है। लेखिका ने महज नारी जीवन

पर ही नहीं लिखा है, बल्कि जीवन की तमाम संवेदनाओं को रूपायित करके कई माइनों में वर्तमान रचनाकारों में विशेष कामयाबी भी हासिल की है। नारी की कलम से नारी के विषय में जो कुछ लिखा गया है, वह अत्यंत सार्थक और प्रशंसनीय है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास उनके नारीवादी सरोकार के साक्ष्य है। उनका 'चाक' हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यासों में चर्चा के केन्द्र में है।

हिन्दी साहित्य में पहली बार हुआ कि किसी महिला ने शुद्ध गाँव-कस्बे के उपन्यास लिखे। मैत्रेयी पुष्पा के पास ऐसे अनुभव थे, जिन पर मध्यवर्गीय महिलायें सोच भी नहीं सकती थीं। उन पीड़ित महिलाओं पर गहराई, संवेदना, समझ के साथ लगातार लिखने वाली पहली महिला लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। गाँव के जीवन और संघर्ष को केन्द्र बनाकर ही उसकी कथा रचनायें हैं। निचले तबकों को लेकर जीवन की गहराई में उतरकर, साधारणीकरण के साथ लिखने वाली पहली लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। मैत्रेयी पुष्पा की रचनायें मध्यम वर्ग में तो पढ़ी ही जाती है, गाँव व कस्बों में भी बहुत पढ़ी जाती है। इन्होंने हिन्दी साहित्य में पाठकों का एक नया क्षेत्र तलाश किया है। मैत्रेयी पुष्पा की रचनाओं की दुनिया हिन्दी साहित्य के लिए बिल्कुल नई है। इन्होंने बहुत से ग्रामीण शब्द व मुहावरे आदि का प्रयोग किया है। लोक साहित्य व शिष्ट साहित्य का मिश्रण मैत्रेयी पुष्पा की रचनाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। इन्होंने अपने अधिकांश उपन्यासों में ग्रामांचल का चित्रण किया है अूर अंचल की संस्कृति को अपने उपन्यासों की कथावस्तु से जोड़ा है। कथापात्र और समस्याएं अंचल प्रदेश से मिली-जुली रहती है। अंचल के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, आचार-विचार, बोली-भाषा, पर्व-त्यौहार, समारोह आदि सभी को उपन्यासों के मुख्य विषय के साथ जोड़कर चित्रित किया है। ग्रामीण जीवन का जीवंत चित्र मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों की विशेषता है। पात्रों की जीवंतता और परिवेश की जीवंतता के कारण इनके उपन्यास सर्वश्रेष्ठ बन जाते है। मैत्रेयी पुष्पा की औपन्यासिक भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता ग्रामीण और निम्नवर्गीय स्त्रियों की भाषा को जस का तस प्रस्तुत कर देना भी है। नारी-जीवन के अंतरंग को पहचानने के लिए और उनके सूक्ष्म बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाली भाषा का प्रयोग वह करती हैं। नारी-मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने की कला उनकी भाषा की सामर्थ्य का परिचायक है।

उपन्यास 'अगनपाखी' में मैत्रेयी पुष्पा ने नायिका भुवनमोहिनी के माध्यम से संघर्ष की स्थिति को उभारा है। भुवन मोहिनी का विवाह आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मानसिक रूप से पागल लड़के के साथ करवा दिया जाता है। भुवन मोहिनी के पिता की मृत्यु के बाद माँ अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विक्षिप्त लड़के से भुवन-मोहिनी का विवाह तय कर देती है। इस बात का पता भुवन को नहीं था ना ही उस से पूछा गया। सुसराल जाने के बाद उसे इस बात का पता चलता है तो वह दोबारा सुसराल जाने से मना कर देती है। यही से उस के संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है।

उपन्यास 'इदन्नमम्' में पात्र कुसुमा अपनी वैवाहिक जीवन से खुश न होकर स्वयं अपने ससुर को अपने जीवन साथी के रूप में चुनती है। कुसुमा तर्क देती हुई कहती है कि पति के घर में यशपाल से संबंध बना ही नहीं तो फिर इस घर में कोई भी संबंध किसी से नहीं मेरा। वह पूर्ण रूप से अपने संघर्ष को दर्शाती हुई कि उस ने जो भी किया ठीक किया है। समकालीन कथा-लेखन में सक्रिय एक सशक्त हस्ताक्षर मैत्रेयी पुष्पा की

कलम से निकली औपन्यासिक कृति इदन्नमम् में बुनी गई है तीन पीढ़ियों की बेहद और संवेदनशील कहानी जो बऊ (दादी), प्रेम (माँ) और मंदा (उपन्यास की नायिका)-तीनों को समानांतर रखने के साथ-साथ, एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा भी करती है। विरोधाभास की इस प्रतीति को लेखिका ने सक्षमता, सूक्ष्मता और परामर्श भाषाजाल से बुना है, जो अत्यंत पठनीय है और अपने स्वर में मौलिक भी। इदन्नमम् के आँचल में छिपा है विंध्य का अंचल। विंध्य की पहाड़ियों से घिरे वर्णित गाँव श्यामली और सोनपुरा के जन-जीवन की जीवंत धड़कनों को यह उपन्यास साँस-दर-साँस कहता है और पाठक को लगता है मानो वह पूरे आंचल में कदम-कदम चल रहा है। इन गाँवों में अंचल में धूल है, नदी है, पर्व हैं, गीत हैं, आहें-कराहें हैं, सत्-असत् है और रुढ़ियों और परंपराओं की भरी-पूरी दुनिया। उपन्यास के अंचल की इस दुनिया में आकांक्षा है, ईर्ष्या है और उन पर झपटते भेड़िए हैं उन्हें त्यागते साधु हैं तथा हैं हाड़-मांस के सौ फीसदी पात्र! शोषित होने से इंकार करते ये पात्र इस उपन्यास की अतिरिक्त विशेषता हैं। वास्तव में घनीभूत संवेदना और भावनात्मक लगाव से लिखी गई इदन्नमम् की कहानी समकालीन हिंदी उपन्यास जगत में एक घटना हैं।

उपन्यास 'अल्मा कबूतरी' की नायिका अल्मा का द्वंन्द घर की परिस्थितियों से संबंधित है। पिता की मृत्यु और प्रेमी से दूर हो जाने के कारण माँ अल्मा को समाज में रहने के लिए सभ्य व सुशिक्षित बनाना चाहती है। पिता की कामना थी कि वह अल्मा को पढ़ा-लिखाकर अपने जीवन को सही दिशा दें। अल्मा के पिता की मृत्यु पुलिस व सहयोगी कम्रचारियों ने की। अल्मा के मन में पुलिस व कर्मचारियों के प्रति घृणा व आक्रोश भरा हुआ था। अल्मा कहती है कि कबूतर होना कोई अपराध तो नहीं है पर इस अपराध की सजा मेरे पिता को क्यों मिली। अल्मा के मन में क्रोध ही उसका द्वंद्व बन गया है। वह अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय के लिए प्रतिश् शोध लेना चाहती है जो सम्भवतः उस के लिए उत्तरदायी है।

'कस्तूरी कुण्डल बसै', मैत्रेयी पुष्पा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें लेखिका ने अपनी जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को प्रस्तुत किया है। लेखिका ने इस उपन्यास में अपनी माँ कस्तूरी के जीवन संघर्ष को दिखाया है। यह उस समय की बात है जब स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। उन्हें धान का पौधा कहा जाता था कहने का तात्पर्य स्त्री का जहाँ जन्म होता है और दूसरी जगह जहाँ उसे शादी कर भेज दिया जाता है। तब उसे वहाँ पूर्ण रूप से अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है। कस्तूरी इन बातों से सहमत नहीं थी कि स्त्री का जीवन का आधार यही है कि शादी करे, बच्चे पैदा करे, खाये-पीये और पूर्ण रूप से अपने आप को उस वातावरण में ढाल लें।

'कहीं ईसुरी फाग' उपन्यास की नायिका ऋतु के पिता की मृत्यु के पश्चात् भी वह इतना पढ़ लिख पायी। ऋतु और उसकी माँ ने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया अपितु सदैव संघर्ष ही किया। वह अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाकर उसे उच्च शिखर पर देखना चाहती थी।

उपन्यास 'चाक' मैं न्याय के लिए संघर्ष की कथा है। नायिका रेशम और उस की फुफेरी बहन का रिश्ता एक ही जगह होता है। किन्हीं कारणों से रेशम के पति की मृत्यु हो जाती है। और रेशम विधवा होने के बाद गर्भवती होती है। सास के सभी आग्रहों को

ठुकराने के बाद उस की बहन अपने घर आने को कहती है। किन्तु वह मना कर देती है। रेशम की मृत्यु करवा दी जाती है। सारंग उसे न्याय दिलवाना चाहती है उसे पता है कि वह मृत्यु नहीं हत्या है।

'झूलानट' में मैत्रेयी पुष्पा ने उपन्यास की नायिका शीलो साधारण स्त्री है जो गाँव में रहती है। नायिका शीलो परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकती बल्कि उसका सामना करती है। शीलो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है क्योंकि उसका पति हमेशा उस की उपेक्षा करता रहता है। पति का मन परिवर्तित करने के लिए निरन्तर संघर्ष करती है। वह अनेक तप, जप करके उस के मन में अपना स्थान बनाना चाहती है लेकिन सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। धीरे-धीरे वह अपने आपको घर के अन्य कार्यों में मन रमा लेती है। अब वह पति के प्रति प्रेम-भाव न होकर बल्कि अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करती है। अब वह घर के पूरे कर्तव्य व अधिकार को अपने हाथ में ले लेना चाहती है।

उपन्यास 'विजन' में नायिका नेहा शिक्षित युवती है। नेहा आँखों की डॉक्टर है। परिवार में पति और ससुर भी इसी व्यवसाय से संबंधित है। पति और सुसर ने मिलकर अपना 'आई सेंटर' भी खोल रखा है जिसका महत्व केवल अपनी जेबें भरना है। नेहा इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है तो वह उस के लिए अनेक रूकावटें पैदा करते हैं। नेहा अपनी परिस्थितियों से समझौता तो कर लेती है पर उसका संघर्ष जारी रहता है उपन्यास 'अगनपाखी' में चंदर की नौकरी ठाकुर अजय सिंह के सतत प्रयास द्वारा लग जाती है। इसके बदले वह अपने भुवन का विवाह अजय सिंह के भाई से करवा देते हैं। माँ बड़े पैसों के चक्कर में भी आकर भुवन का विवाह करवा देती है। भुवन भीतर ही भीतर इस द्वन्द से जूझ रही है। अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है कि जिससे प्यार करती थी उससे शादी नहीं हुई और जिससे शादी हुई है उससे मैं प्यार नहीं करती। वह अपने ससुराल में खुश नहीं है ना ही उनसे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर पा रही है। ससुराल में सभी भुवन को समझाते हैं कि वह इस पागल को एक बच्चे की तरह समझ कर पाल लें, किन्तु भुवन को इस विषय में सभी बातें खोखली प्रतीत होती है। ग्रामांचलिक उपन्यासों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के आचार-विचार, शिष्टाचार, चरित्रगत आदत, मनोरंजन के साधन, कलाएँ, भोज-पान, जादू-टोना, विश्वास तथा अन्य मान्यतायें शिक्षा-दीक्षा, जीवन-दर्शन, सामाजिक उत्सव और समारोह आदि के अतिरिक्त उस अंचल विशेष की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक महत्त्व, नदियाँ, पेड़-पौधे, भूमि की बनावट और परिवर्तन फसलें और उनसे वहाँ के जन जीवन का संबन्ध बदलते हुए सामाजिक मूल्य आदि का विश्लेषण रहता है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने अधिकांश उपन्यासों में ग्रामांचल का चित्रण किया है अ्र अंचल की संस्कृति को अपने उपन्यासों की कथावस्तु से जोड़ा है। कथापात्र और समस्याएं अंचल प्रदेश से मिली-जुली रहती है। अंचल के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, आचार-विचार, बोली-भाषा, पर्व-त्यौहार, समारोह आदि सभी को उपन्यासों के मुख्य विषय के साथ जोड़कर चित्रित किया है।

उपसंहार– मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी रचनाओं में स्त्री के सामने आने वाली अनेक समस्याओं को अभिव्यक्त किया है। उनकी रचनाओं में जो प्रश्न उठाये जाते हैं, वे अत्यंत आधुनिक होते हैं। वे स्त्री विमर्श के सभी आयामों- यौन-मुक्ति, नारी-चेतना, नारी-अधिकार, सहअस्तित्व को विश्लेषित करने में सक्षम हो गया है। नारी अस्मिता को उजागर करना वह

अपना धर्म समझती है। नारी चेतना केवल शब्द में नहीं उसे व्यवहार में लाना भी अनिवार्य समझती है। नारी का अपना जीवन है, और सिर्फ महिमा मंडित होकर नहीं जीना, अपितु मानव समाज में गरिमापूर्ण, सम्मान एवं अधिकार से जीना है। उसका लेखन बहुस्तरीय, सच्चा, ईमानदार है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों के एक छोर स्त्री है। उन्होंने अपने उपन्यास साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का मैत्रेयी पुष्पा बड़े उत्तरदायित्वों से अपने उपन्यासों में चित्रण करती है। उनकी राय में स्त्रीवाद भी सामाजिक समस्या का अंग है। वे हमेशा स्त्री की समस्याओं को स्त्री के दृष्टिकोण से देखने और परखने का प्रयास करती है। उनके उपन्यासों की स्त्री समाज और परिवार से उत्तरदायित्व रखने वाली है। समाज के सभी प्रश्नों का बड़ी दृढ़ता से सामने करने वाली नारियों का चित्रण वत्सला के उपन्यासों में हम देख सकते है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री के विरुद्ध खड़े होनेवाला प्रतिवाद पुरुष नहीं है, बल्कि पुरुष के दृष्टिकोण है। स्त्री और पुरुष के लिए एक स्वतंत्र सत्ता मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का लक्ष्य है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में चित्रित नारी भारतीय नारी है और इन उपन्यासों में नारी विषयक धार्मिक संवेदना के विविध आयामों का यथार्थ अंकन हुआ है।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. बेतवा बहती रही : किताबघर प्रकाशक, दरियागज, नई दिल्ली।
2. इदन्नमम : किताबघर प्रकाशक, दरियागज, नई दिल्ली।
3. चाक : राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली।
4. झूला नट : राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली।
5. अलमा कबूतरी : राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली।
6. अगनपाखी : वाणी प्रकाशन, दरियागज, नई दिल्ली।
7. कस्तूरी कुंडल बसै : राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली।
8. विज़न : वाणी प्रकाशन, दरियागज, नई दिल्ली।

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

आधुनिक हिन्दी काव्य में वृक्षारोपण एवं वनीकरण का चित्रण

* पूनम शर्मा

सारांश- *हमारे देश में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की शुरूआत वनों से ही हुई है। इसीलिए प्राचीन संस्कृति 'आरण्यक संस्कृति' या 'तपोवनी संस्कृति' के नाम से जानी जाती है। वनों का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है, क्योंकि वे जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। भारत वर्ष प्राकृतिक सुषमा एवं अपार वन सम्पदा का धनी देश रहा है। इसी कारण वैदिक आर्यप्रकृति के इस मोहक रूप के प्रति इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने इस प्रकृति की गोद को ही अपनी आश्रयस्थली बना लिया तथा वनप्रदेशों में ही आश्रय बनाकर उसके सानिध्य का लाभ उठाकर जीवन बिताने लगे।*

वनस्पति एवं मानक संस्कृति का अटूट सम्बन्ध है। वनस्पति ही मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसी कारण वेदों में वृक्षादि का सम्मान ही नहीं अपितु वृक्षों और वनों के संरक्षक तथा पालक जनों का भी सम्मान होता आया है।

मानव का अपने प्राकृतिक पर्यावरण से सम्बन्ध वनस्पतियों के माध्मय से ही स्थापित होता है। किन्तु मानव ने आर्थिक लाभ तथा विकास के लिए बड़े पैमाने पर वन विनाश किया है। प्रारम्भ में ग्रामीण अधिवासों के अतिरिक्त कृषि तथा चारागाहों के लिए वनों को साफ किया गया। जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे ही वनों के दोहन में वृद्धि होती गयी। वनों का व्यापारिक दोहन वनविनाश का प्रमुख कारण रहा है। विकासशील देशों में अधिक वनविनाश हुआ है जो आज चिंता का विषय है।

आज विज्ञान की प्रगति ने मानव को उस स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां वह सोचने में लगा हुआ है कि वह प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। मनुष्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी की सहायता से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, जिसके लिये कवि डबराल जी कहते हैं-

विराट वटवृक्ष की भूरी शाखाएं
सूने व्यक्तित्व की परिधियों से
आपस में ही एक दूसरे का
परिचय पूंछेगी -
तुम कौन हो, कौन से
रसस्रोत से जीते हो,
और कौन से तने से फूटी हो।[1]

अर्थात् कवि का कहना है कि वन सिर्फ पेड़ों का समूह मात्र ही नहीं है बल्कि अपने

★ महात्मा गांधी मैमोरियल, डिग्री कॉलेज, बागपत (उ0प्र0)

में एक पारिस्थितिकीय प्रणाली है। जिसमें सभी चेतन और जड़ घटक शामिल हैं। वनों का महत्व न केवल पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी वन-वृक्ष उपयोगी होती हैं। परन्तु मानव की भूख ने उनकी सत्ता लुप्त कर दी है।

प्राचीन काल में ऋषि-मुनि वनों में ही निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे वनौषधियों का अध्ययन कर उनकी रक्षा करते थे, इसीलिए कहा है - नास्तिमूलमनौषधम।[2] अर्थात कोई भी जड़ औषधिविहीन नहीं है। वे हमारे जीवन के रक्षक हैं तथा पवित्र अनुष्ठानों में पूजनीय भी।

धत्ते भरं कुसुमपत्र फलावलीनां
धर्मव्यथां वहति शीत भवारूजश्च
यो देहमर्पयति चान्यसुखस्य हेतोस्तस्मै
वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु।।[3]

कवि यहां उन तरूवों कों नमन करता है जो अपने फूल-पत्तों व फलों का बोझ उठाए धूप की तपन व शीत की पीड़ा सहन करते हैं।

पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए वनों की हरियाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनों के विस्तार तथा उनकी हरियाली से मानसून प्रभावित होता है। जैविक संतुलन को बरकरार रखने के लिए वनों का विस्तार आवश्यक है। भारत में वन विनाश तेजी से बढ़ता जा रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वनों का अति दोहन हुआ है। शहरों में बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, जो कि आज बड़े शहरों में विकराल रूप धारण कर रहा है, उसका मुख्य कारण वनों का नष्ट होना है। जैसा यहां दृष्टव्य है -

तुम विनाश के रथ पर आओ,
गत युग का हत शव ले जाओ,
गीध टूटते श्वान झूँकते,
रोते शिवा विदाई।[4]

परिवर्तन रूपी आँधी ने पर्यावरण व समाज का रूख ही बदल दिया है। जो पौधे वायुमण्डल से कार्बन-डाइ-ऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन का निष्कर्षण कर वातावरण को शुद्ध बनाकर मनुष्य को प्राणवायु देते हैं, मनुष्य उन्हें ही नष्ट कर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है।

परिवर्तन की आँधी
दौड़ रही जगत में
नये बीज बोती जो
बंजर जन मन में।[5]

परिवर्तन रूपी आँधी ने सब तहस-नहस कर दिया है। आज जिस तरह से आपदाएँ आ रही हैं, उसका मुख्य कारण मानव का प्राकृतिक सम्पदाओं में दखल देना है। इसी तरह मनुष्य वनों को नुकसान पहुंचाता रहा तो इस तरह का संकट भविष्य में भी आता रहेगा। इसके लिए प्राकृतिक सम्पदा को बचाने के लिए अभियान छेड़ने की आवश्यकता है- वृक्षारोपण करके हमको-

भारत समृद्ध करना होगा।

मरूस्थल-अंधड़ आँखो देखा-
वह भस्ममात करना होगा।[6]

कवि की यहाँ मंशा यही है कि भारत के एक-एक मनुष्य को आगे बढ़कर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हम खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें।

विश्वप्रसिद्ध चिपको आन्दोलन की जनक एक सामान्य घरेलू महिला गोरा देवी थी, जिसकी ममता ने वृक्षों के प्रति विश्वभर का ध्यान आकर्षित किया। आज सभ्यता जहाँ औद्योगीकरण के युग में पहुंची हैं, उसके लिए भी रास्ता वनों ने ही बनाया। इस विकास यात्रा में हमने पादप वंश का कितना नाश किया यह प्रश्न विचारणीय है। आज की बढ़ती दूषित वायुमण्डलीय गैसों से बचने के लिए सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण उपाय है, तभी चाहे हमारे कवि रहे या ऋषि-मुनि रहे, सभी ने वृक्षारोपण व वनीकरण के महत्व को समझा और उसके गुणों का वर्णन अपने काव्य ग्रंथों में किया। आज के इस आधुनिक युग में भी वैज्ञानिक इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें वनों का कटान न कर उनको कटने से रोकना होगा तभी हमारी भावी पीढ़ी का जीवन संकट मुक्त हो सकेगा।

जैसा कि हाल ही में लेह में बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा थी या मानव निर्मित, यह बताना तो मुश्किल नहीं है, पर मानव निर्मित गड़बड़ियों ने इस आपदा से होने वाले नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया है। इसके निवारण पर आज मानव सभ्यता के समक्ष एक महत्वपूर्ण व ध्यान देने योग्य समस्या है। जिसे कवियों ने भी चिंतन-मनन कर उसके रक्षण के विविध रूपों को काव्य का प्रतीक माना है। वृक्षों को देवता मानकर पूजने की हमारी सांस्कृतिक मान्यता पर्यावरण संरक्षण का वैज्ञानिक आधार लिये हुए है। इसीलिए पर्यावरण के इस बहुआयामी स्वरूप को समझते हुए आज संतुलित समग्र दृष्टि का विकास करना आवश्यक होगा।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. लंगड़ी किरण पृ.सं. 38, 1969 डा0 पार्थ सारथि डबराल
2. पुराणों में पर्यावरण, पृ.सं.94, अंजली
3. भामिनी विलास , श्रीवास्तव
4. चिदम्बरा पृ.सं.202, सुमित्रानंदन पंत
5. समाधिता पृ.सं. 115, 116 सुमित्रानंदन पंत
6. चौराहा काव्य, पृ.सं. 38 देवक राय सुमन

Journal Approved by UGC Sl. No. 2138,
Journal No.48774, Impact Factor 2.996
Research Journal of Arts, Management and Social Sciences,
Vol. XVII, Hindi-I, Year IX, Sept. 2017

'एक जमीन अपनी' में स्त्री के अस्तित्व और अस्मिता का संघर्ष

* प्रजापति जयेश. एन

सारांश– *चित्रा मुद्‌गल की नारी समय के साथ अपने 'स्व' के प्रति जागृत हो चुकी है। वह आज की आधुनिक नारियाँ हैं। वे अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेने में सक्षम हैं। वे अपने फैसले स्वयं करना चाहती हैं तथा अपने अच्छे बुरे के बारे में स्वयं सोचने की क्षमता रखती हैं। लेखिका द्वारा चित्रित नारियाँ कहीं तो परंपरागत सामाजिक मूल्यों का विरोध कर स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं तो कहीं नैतिकता के तर्क के धरातल पर चुनौती देती हुई अपने अस्तित्व चेतना को व्यक्त करती हैं।*

चित्रा मुद्‌गल का जन्म १० दिसंबर १९४४ई. चेन्नई में हुआ था। वस्तुतः चित्राजी किसी सपने को लेकर साहित्य में प्रविष्ट नहीं हुई थी। हिन्दी कथा जगत में चित्रा मुद्‌गल की शख्सियत कुछ अलग सी हैं। उनकी वाणी में जितना विनय का निवास है,उतनी भीतरी चेतना स्त्री स्वाभिमान के प्रश्न पर कठोर हो जाती है।

आधुनिक युग में नारी अपने अस्तित्व और अस्मिता की पहचान हेतु संघर्षशील हैं। चित्रा मुद्‌गल के उपन्यासों में चित्रित नारी पात्र स्व-अस्तित्व और अस्मिता के प्रति सजग है और उसे बनाये रखने के लिए भी संघर्ष करती दिखाई देती हैं।

सदियों से नारी पुरूषों की तुलना में स्वयं को हीन और कमजोर समझती थी। यही कारण हैं कि उसे अपनी रक्षा के लिए पुरूषों का ही सहारा लेना पडता था और जीवन यापन के लिए उन्हीं पर निर्भर रहती थी। आज शिक्षा व आधुनिकता के फलस्वरूप नारी हीनता की भावना से शनैःशनै मुक्त होकर घर की चार दीवारी से बाहर आने लगी है। वह घर की कैद से मुक्त होकर खुले वातावरण में साँस लेना चाहती है। 'एक जमीन अपनी' उपन्यास की नारी पात्र अंकिता के माध्यम से नारी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया

★ आनंद, गुजरात

हैं-"स्त्री ही क्या किसी भी व्यक्ति को आप एक कमरे में सालों-साल बंद रखिए,मात्र उसे खाना पानी देते रहिए खुली हवा-पानी प्रकृति से वंचित वह व्यक्ति एक रोज निश्चित ही असंतुलित हो उठेगा... उसकी संवेदना कुद जायेगी... वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगा या उस कमरे में दाना-पानी पहुँचाने वाले के विषय में उसकी पुरी दुनिया सिमट कर उस कमरे तक हो जायेगी।"१ वही हाल स्त्री का हुआ हैं। उसे सदियों से बंद कमरे में रखा गया है। अब जब नाम मात्र का दरवाजा और खिड़कियाँ खोली जा रही हैं आप उनसे अचानक से कैसे उम्मीद कर सकते है कि वह अपनी दुनिया की,कमरे की हदें तोड वहाँ तक विस्तृत कर ले जो पुरूषों के लिए उपलब्ध हैं।

पहले नारी केवल घर,परिवार,बच्चों की देखभाल करना आदि तक सीमित थी और छोटे-छोटे काम के लिए पुरूष पर निर्भर रहती थी। उसे घर से बाहर होने वाले क्रिया कलापों से कोई मतलब नहीं था। किन्तु अब समय में बदलाव आया है। अब नारी में शिक्षा और स्वावलंबन के कारण आत्मविश्वास बढ़ा हैं। वह नौकरी करती हैं और घर से बाहर एवं भीतर के काम भी स्वयं ही करती हैं। आधुनिक नारी पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। अब वह अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बनाये रखने में सक्षम है तथा हर संभव प्रयास भी कर रही है।

'एक जमीन अपनी' उपन्यास की अंकिता और नीता दोनों नारी पात्र अपने अस्तित्व और अस्मिता हेतु लडाई लडती हैं। अंकिता स्वयं अपना जीवन साथी चयन करती है। वह समाज तथा परिवार के विरूद्ध गैरबिरादरी के नवयुवक सुधांशु से प्रेम विवाह करती है। वह सुधांशु को पहले से जानती और समझती है। वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती है जिसको वह पहले से जानती हो किन्तु तीन वर्ष पश्चात उसे सुधांशु से अलग रहने का निश्चय करना पडता है क्योंकि उसका पति उसे तरह-तरह की यातनाए देने लगता है। अंकिता ने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपना जीवन अकेले बिताना पडेगा वह अपनी मित्र नीता के समक्ष अपना दुःख बयाँ करती हुई कहती है-"हरगिज अलग न होती,अगर मुझे कोल्हू का बैल समझकर आँखों पर पट्टी बांधे रहने पर मजबूर न किया जाता। मेरे लिए घर की व्यवस्था का अर्थ है.... अब भी है। विश्वास करो अपने सामर्थ्य और सहिष्णुता की अंतिम सीमा तक मैं घर बचाने के लिए हाथ-पाँव मारती रही। सहन नहीं हुआ तो अलग हो जाना ही जी पाने का

एकमेव विकल्प लगा।"२

अंकिता अपने पति की निरंकुश प्रवृति को स्वीकार नहीं कर पाती। वह केवल वस्तु की भाँति इस्तेमाल नहीं होना चाहती थी। इसलिए वह अपने अस्तित्व को बनाये रखने की माँग करती हैं। किन्तु संधांशु पुरूषवादी अहंकार बनाये रखने के कारण इस बात को नहीं समझता और धीरे-धीरे दोनों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। सुधांशु से तलाक होने के पश्चात अंकिता अपनी पहचान बनाने के लिए विज्ञापन की दुनिया में कदम रखती हैं। वह किसी पर बोझ न बनकर स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहती है। वह कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद अपनी प्रतिभा और कुशलता के बल पर अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब होती हैं।

अंकिता जहाँ प्रतिभा को अपनी सीड़ी बनाकर सफलता के कदम चुमती है। वही उसकी मित्र नीता अपने देह सौंदर्य के माध्यम से विज्ञापन की दुनिया में प्रसिध्दि प्राप्त करती है। वह रातों रात नंबर वन बनने की चाहत में कुछ भी करने को तत्पर है। वह जो कुछ भी कर रही है उसकी नजर में सब सही है। अंकिता नीता के ऐसा करने पर उसे दुत्कारती हुई कहती है-" किन जीवन मूल्यों को जीना चाहती हो तुम जिनकी वकालत कपड़े उतारकर कर रही हो तुम? अपादमस्तक ढकी हुई स्त्री इस समाज में इज्जत से रह नहीं पा रही... कपड़ों में न देखकर उनकी लोलुपता अधिक बलात्कारी नहीं हो उठेगी।"३

नीता पुरूष की भाँति स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन जीने में विश्वास करती है। उसका मानना है कि जब पुरूष स्वच्छंद होकर अपनी मनमानी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? जब नीता शादीशुदा और दो बच्चों के पिता सुधीर गुप्ता के साथ रहने लगती है तो उसके घरवाले और अंकिता सवाल उठाते हैं किन्तु वह इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखती क्योंकि उसके अनुसार उसकी पत्नी है तो क्या? पत्नी माता-पिता द्वारा सौंपी गई व्यवस्था मात्र हैं। वास्तविक अर्थ में अर्चना उसकी पत्नी होती तो परस्त्री क्यों ढूंढता?नीता को 'पत्नी' शब्द में दासीत्व की बू आती हैं। उसे दूसरी औरत या रखैल बने रहने में कोई आपत्ति नहीं हैं। क्योंकि वह इसे अपना स्वातंत्र्य समझती हैं। अंकिता नीता की बातों को सुनकर आपत्ति प्रकट करती हैं वह किसी की पत्नी बनकर दासी की भाँति जीवन बिताने में विश्वास नहीं रखती। इसीलिए वह दो बच्चों के पिता सुधीर के साथ बिना विवाह किए रहने में हिचक महसूस नहीं करती। तब

अंकिता उसे समझाती है-''मैं वैवाहिक व्यवस्था को दो व्यक्तियों के साहचर्य और आत्मसन्मानपूर्ण साझेदारी के रूप में देखती हूँ। ये स्त्री स्वतंत्रता के पश्चिमी मापदंड है। हमारी संस्कृति,हमारे सामाजिक परिवेश के लिए सर्वथा अनुपयुक्त।''४ चित्रा मुद्‌गल ने इन नारी पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपरा को प्रतिष्ठित करते हुए भारतीय नारी की गरिमा और अस्मिता को कायम रखने का प्रयास किया है। लेखिका ने नीता के माध्यम से भोग की वस्तु में तब्दील होती नारी को आगाह किया है। आधुनिकता की होड में नारी अपने वास्तविक अस्तित्व को कहीं खों न दे। इसलिए लेखिका ने नीता के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं।

चित्रा मुद्‌गल की नारी समय के साथ अपने 'स्व' के प्रति जागृत हो चुकी है। वह आज की आधुनिक नारियाँ है। वे अपने अस्त्तिव के प्रति सजग है और अपनी जिम्मेदारी स्वयं अपने उपर लेने में सक्षम हैं। वे अपने फेसले स्वयं करना चाहती है तथा अपने अच्छे-बूरे के बारे में स्वयं सोचने की क्षमता रखती है। लेखिका द्वारा चित्रित नारियाँ कही तो परंपरागत सामाजिक मूल्यों का विरोध कर स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है तो कहीं नैतिकता के तर्क के धरातल पर चुनौती देती हुई अपनी अस्तित्व चेतना को व्यक्त करती है।

=====================

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. चित्रमुद्‌गलः 'एक जमीन अपनी', पृष्ठ-111
2. वही, पृष्ठ-181
3. वही, पृष्ठ-124
4. वही, पृष्ठ-124
5. 'एक जमीन अपनी': चित्र मुद्‌गल सामयिक प्रकाशन, नईदिल्ली, चतुर्थ संस्करण-2009